



सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का
31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष का
राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest



झारखण्ड सरकार

वर्ष 2023 का प्रतिवेदन संख्या 2

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का
31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष का
राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

झारखण्ड सरकार
वर्ष 2023 का प्रतिवेदन संख्या 2

विषय सूची

	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ सं.
प्रस्तावना	-	vii
कार्यकारी सारांश	-	ix
अध्याय 1: अवलोकन		
राज्य की रूपरेखा	1.1	1
राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के आधार और दृष्टिकोण	1.2	3
प्रतिवेदन की संरचना	1.3	4
सरकारी लेखा संरचना और बजटीय प्रक्रियाओं का अवलोकन	1.4	5
राजकोषीय संतुलन: घाटे और कुल ऋण लक्ष्यों की प्राप्ति	1.5	10
लेखापरीक्षा में परीक्षण के बाद घाटा और कुल ऋण/बकाया	1.6	16
अध्याय 2: राज्य का वित्त		
वर्ष 2020-21 के सापेक्ष राजकोषीय समुच्चयों में प्रमुख परिवर्तन	2.1	19
निधियों के स्रोत एवं अनुप्रयोग	2.2	20
राज्य के संसाधन	2.3	20
राज्य की प्राप्तियाँ	2.3.1	21
राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ	2.3.2	22
पूँजीगत प्राप्तियाँ	2.3.3	30
संसाधनों के संग्रहण में राज्य का प्रदर्शन	2.3.4	32
संसाधनों के अनुप्रयोग	2.4	32
राजस्व व्यय	2.4.1	34
प्रतिबद्ध व्यय	2.4.2	36
पूँजीगत व्यय	2.4.3	40
पूँजीगत व्यय की गुणवत्ता	2.4.4	42
राज्य सरकार द्वारा ऋण व अग्रिम	2.4.5	43
अधूरी परियोजनाओं में अवरुद्ध पूँजी	2.4.6	44
लोक लेखे में स्थानांतरित किए गए पूँजीगत व्यय	2.4.7	46
सार्वजनिक निजी साझेदारी परियोजनाओं के तहत राज्य की संसाधन उपलब्धता	2.4.8	47
व्यय की प्राथमिकता	2.4.9	47
वस्तु शीर्ष के अनुसार व्यय	2.4.10	48
लोक लेखा	2.5	48
निवल लोक लेखा शेष	2.5.1	49

	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ सं.
ब्याज सहित रक्षित निधि	2.5.2	50
ब्याज रहित रक्षित निधि	2.5.3	52
ऋण प्रबंधन	2.5.4	53
ऋण परिपक्वता की रूपरेखा और पुनर्भुगतान	2.6	56
राजकोषीय घाटा और ऋण धारणीयता	2.6.1	58
उधार निधि की उपयोगिता	2.6.2	59
प्रत्याभूतियों की स्थिति (आकस्मिक देयताएं)	2.6.3	59
नकद शेष का प्रबंधन	2.7	60
निष्कर्ष	2.8	62
अनुशंसाएँ	2.9	64
अध्याय 3: बजटीय प्रबंधन		
बजटीय प्रक्रिया	3.1	65
विनियोग लेखे	3.2	68
बजटीय और लेखा प्रक्रिया की पारदर्शिता पर टिप्पणियाँ	3.3	74
व्यय का वेग	3.4	77
अनुदान संख्या 55 - ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के बजटीय प्रावधान की लेखापरीक्षा	3.5	78
अनुदान संख्या 39 - गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग) के बजटीय प्रावधान की लेखापरीक्षा	3.6	95
निष्कर्ष	3.7	104
अनुशंसाएँ	3.8	104
अध्याय 4: लेखाओं की गुणवत्ता और वित्तीय प्रतिवेदन व्यवहार		
राज्य की संचित निधि या लोक लेखा निधि के बाहरी निधि	4.1	105
गैर-बजट उधार	4.2	106
राज्य कार्यन्वयन एजेंसियों को प्रत्यक्षतः हस्तांतरित धनराशि	4.3	107
स्थानीय निकाय निधि जमा	4.4	108
उपयोगिता प्रमाण-पत्र के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब	4.5	109
संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र	4.6	111
स्थानीय निधियों की जमा	4.7	117
व्यक्तिगत जमा खाता	4.8	118
लघु शीर्ष 800 का अविवेकपूर्ण उपयोग	4.9	119
जमा, प्रेषण, उचंत तथा ऋण मुख्य शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेष	4.10	119
विभागीय आंकड़ों का असमाशोधन	4.11	121
नकद शेष का समाशोधन	4.12	122

	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ सं.
लेखा मानकों का अनुपालन	4.13	122
स्वायत्त निकायों के लेखों/पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण	4.14	123
निकायों और प्राधिकरणों को दिए गए अनुदानों/ऋणों के विवरणों का अप्रस्तुतीकरण	4.15	125
दुरुपयोग, हानि, चोरी इत्यादि	4.16	126
राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्रवाई	4.17	126
निष्कर्ष	4.18	126
अनुशंसाएँ	4.19	127
अध्याय 5: सामान्य प्रयोजन वित्तीय रिपोर्टिंग		
परिचय	5.1	129
शासनादेश	5.2	129
इस अध्याय में क्या है	5.3	130
एसपीएसई की संख्या	5.4	130
सरकारी कंपनियों एवं सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी में निवेश	5.5	131
एसपीएसई में इक्विटी होल्डिंग	5.6	132
राज्य सरकार की कंपनियों को दिए गए ऋण	5.7	132
राज्य डिस्कॉम द्वारा बिजली खरीद के बकाया का राज्य के वित्त पर प्रभाव	5.8	132
ऋण देनदारियों को पूरा करने के लिए परिसंपत्तियों की पर्याप्तता	5.9	134
राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों को बजटीय सहायता	5.10	135
ऋण सेवा और कानूनी अनुपालन	5.11	135
एसपीएसई को हुआ घाटा	5.12	136
राज्य सरकार की कंपनियों/सांविधिक निगमों द्वारा खातों की देरी से तैयारी	5.13	137
एसपीएसई के निवल मूल्य का क्षरण	5.14	138
निष्कर्ष	5.15	139

परिशिष्ट		
परिशिष्ट सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
परिशिष्ट 1.1 भाग-क	झारखण्ड का परिचय	141
परिशिष्ट 1.1 भाग-ख	सरकारी लेखे की संरचना एवं रूपरेखा	142
परिशिष्ट 1.1 भाग-ग	वित्त लेखे का अभिन्यास	142
परिशिष्ट 2.1	वर्ष 2021-22 के प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार	143
परिशिष्ट 2.2	राज्य सरकार के वित्त पर कालबद्ध आंकड़े	146
परिशिष्ट 2.3	31 मार्च 2022 को झारखण्ड सरकार की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति	149
परिशिष्ट 3.1	मामले जहाँ अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 0.50 करोड़ या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए	150
परिशिष्ट 3.2	अनावश्यक अथवा अत्यधिक पुनर्विनियोग	152
परिशिष्ट 3.3	वर्ष के दौरान बड़े बचत (बचत ₹ 100 करोड़ से अधिक)	153
परिशिष्ट 3.4	वर्ष के दौरान बड़े बचत (बचत ₹ 500 करोड़ से अधिक)	155
परिशिष्ट 3.5	मार्च महीने के अंत में ₹ 10 करोड़ व अधिक की प्रत्यर्पित राशि	156
परिशिष्ट 3.6	पूर्व के वर्षों के प्रावधानों से अधिक व्यय का विनियमन अपेक्षित	158
परिशिष्ट 3.7	योजनाओं का विवरण (₹ एक करोड़ व अधिक) जिनके लिए प्रावधान किया गया था लेकिन कोई व्यय नहीं किया गया	159
परिशिष्ट 3.8	व्यय का वेग	167
परिशिष्ट 3.9	सम्पूर्ण बजट प्रावधान की अनुपयोगिता एवं अभ्यर्पण	168
परिशिष्ट 3.10	वित्तीय वर्ष के अंत में राशि का अभ्यर्पण	169
परिशिष्ट 3.11	व्यय का वेग (ग्रामीण विकास विभाग)	170
परिशिष्ट 3.12	वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन अभ्यर्पण	171
परिशिष्ट 3.13	रोकड़ पंजी तथा बैंक खाता के बीच आकड़ों की भिन्नता का विवरण	171
परिशिष्ट 4.1	बकाया डी. सी. विपत्र	172
परिशिष्ट 4.2	नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम की धारा 14 एवं 15 के अधीन चिन्हित लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों की सूची	173

परिशिष्ट सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
परिशिष्ट 5.1	2021-22 के दौरान सी.ए.जी. लेखापरीक्षा के दायरे में आने वाली सरकारी कंपनियों/सरकारी नियंत्रित अन्य कंपनियों की सूची	175
परिशिष्ट 5.2	क्रियाशील सा.क्षे.उ. के तीन वर्षों से अधिक के बकाया लेखे/ पहले लेखाओं की अप्राप्ति/अदेय का विवरण	176
	प्रतिवेदन में प्रयुक्त शब्दावलियों की सूची, गणनाओं का आधार और परिवर्णी शब्द	177

प्रस्तावना

यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत झारखण्ड के राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

अध्याय - 1 राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का आधार और दृष्टिकोण, प्रतिवेदन की संरचना, सरकारी लेखों की संरचना, बजट प्रक्रिया, प्रमुख राजकोषीय मापदंडों की प्रवृत्तियाँ जैसे राजस्व आधिक्य/ घाटा, राजकोषीय आधिक्य/ घाटा इत्यादि और राजकोषीय सुधार पथ को समाहित करता है।

अध्याय - 2 एवं 3 क्रमशः राज्य सरकार के 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के वित्त एवं विनियोग लेखाओं की लेखापरीक्षा के उपरांत प्राप्त लेखापरीक्षा परिणाम को समाहित करता है। आवश्यकतानुसार झारखण्ड सरकार से जानकारीयाँ प्राप्त की गयी हैं।

अध्याय - 4 लेखाओं की गुणवत्ता एवं वित्तीय प्रतिवेदन व्यवहार का अवलोकन प्रस्तुत करता है और चालू वित्त वर्ष के दौरान राज्य सरकार के विभिन्न वित्तीय नियमों के अनुपालन, कार्यप्रणाली और निर्देशों की स्थिति को दर्शाता है।

अध्याय - 5 सरकारी कंपनियों तथा सरकार नियंत्रित अन्य कंपनियों का वित्तीय प्रदर्शन का सार प्रस्तुत करता है।

विभिन्न विभागों के निष्पादन लेखापरीक्षा एवं वित्तीय लेनदेन लेखापरीक्षा तथा सांविधिक निकायों, बोर्डों तथा सरकारी कम्पनियों से प्राप्त लेखापरीक्षा निष्कर्ष एवं राजस्व प्राप्तियों से संबन्धित अवलोकनों पर आधारित प्रतिवेदन अलग से प्रस्तुत किया जाता है।

कार्यकारी सारांश

कार्यकारी सारांश

प्रतिवेदन

31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए झारखण्ड सरकार के लेखा परीक्षित लेखों के आधार पर, यह प्रतिवेदन राज्य सरकार के वित्त की एक विश्लेषणात्मक समीक्षा प्रदान करती है। प्रतिवेदन को पांच अध्यायों में संरचित किया गया है।

अध्याय 1 - अवलोकन: यह अध्याय प्रतिवेदन के आधार और दृष्टिकोण एवं अंतर्निहित आंकड़े का वर्णन करता है, सरकारी लेखों की संरचना, बजट प्रक्रियाओं, प्रमुख संकेतकों के वृहत राजकोषीय विश्लेषण और घाटे/अधिशेष सहित राज्य की राजकोषीय स्थिति का अवलोकन प्रस्तुत करता है।

अध्याय 2 - राज्य के वित्त: यह अध्याय राज्य के वित्त का एक व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है, पिछले वर्ष के सापेक्ष प्रमुख राजकोषीय समुच्चय में महत्वपूर्ण परिवर्तन, पिछले पांच वर्षों के दौरान समग्र रुझान, राज्य की ऋण रूपरेखा और राज्य के वित्त लेखे पर आधारित प्रमुख लोक लेखे लेनदेन का विश्लेषण करता है।

अध्याय 3 - बजटीय प्रबंधन: यह अध्याय राज्य के विनियोग लेखों और राज्य सरकार के विनियोग और आवंटन प्राथमिकताओं की समीक्षा पर आधारित है तथा बजटीय प्रबंधन से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के विचलन को रिपोर्ट करता है।

अध्याय 4 - लेखाओं की गुणवत्ता एवं वित्तीय प्रतिवेदन व्यवहार: यह अध्याय राज्य सरकार के विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा प्रदान किए गए लेखों की गुणवत्ता और निर्धारित वित्तीय नियमों और विनियमों के अनुपालन के विषयों पर टिप्पणी करता है।

अध्याय 5 - सामान्य प्रयोजन वित्तीय रिपोर्टिंग: यह अध्याय सरकारी कंपनियों और सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों के वित्तीय प्रदर्शन का सारांश प्रस्तुत करता है। इस अध्याय में, राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्घमों (एस.पी.एस.ई.) में वे सरकारी कंपनियाँ और ऐसी सरकारी कंपनियों की सहायक कंपनियाँ शामिल हैं, जिनमें राज्य सरकार की प्रत्यक्ष हिस्सेदारी 51 प्रतिशत या उससे अधिक है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष:

राजकोषीय स्थिति

घाटा संकेतक, राजस्व वृद्धि और व्यय प्रबंधन सरकार के वित्तीय प्रदर्शन का आकलन करने के लिए प्रमुख मानदंड हैं।

राज्य को 2021-22 में ₹ 6,944 करोड़ का राजस्व आधिक्य हुआ। मार्च 2022 के अंत में राज्य का राजकोषीय घाटा स.रा.घ.उ. का 0.72 प्रतिशत था।

वास्तविक आंकड़ों पर पहुंचने के क्रम में, स्पष्ट देनदारियों के आस्थगन के प्रभाव, समेकित निधि में उपकर/रॉयल्टी जमा नहीं करने, नई पेंशन योजना में कम योगदान आदि जैसी अनियमितताओं को बदलने की आवश्यकता है। लेखापरीक्षा के उपरान्त, यह देखा गया कि राजस्व आधिक्य में अत्योक्ति और राजकोषीय घाटे में न्यूनोक्ति ₹ 332.86 करोड़ से हुई थी। इसी प्रकार वित्त लेखों में राजस्व आधिक्य और राजकोषीय घाटा ₹ 6,943.94 करोड़ और ₹ 2,604.21 करोड़ बताया गया जो वास्तव में क्रमशः ₹ 6,611.08 करोड़ और ₹ 2,937.07 करोड़ होता।

(अध्याय-1)

राज्य के वित्त

2021-22 के दौरान, राज्य का राजस्व व्यय कुल व्यय का 85.28 प्रतिशत था, जिसका 44.41 प्रतिशत वेतन और मजदूरी, ब्याज भुगतान और पेंशन पर व्यय किया गया था। वेतन और मजदूरी, ब्याज भुगतान और पेंशन पर किया गया व्यय 2021-22 में राजस्व प्राप्तियों का 39.99 प्रतिशत था।

पूँजीगत व्यय 2020-21 में ₹ 8,466 करोड़ के विरुद्ध 2021-22 के दौरान ₹ 9,377 करोड़ था। पूँजीगत व्यय में वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में सामाजिक सेवाओं पर सात प्रतिशत और आर्थिक सेवाओं पर 14 प्रतिशत अधिक व्यय के कारण हुई।

31 मार्च 2022 को समाप्त राज्य के वार्षिक लेखे के अनुसार, सरकार ने नवम्बर 2000 में राज्य के गठन के बाद से ₹ 2,250.22 करोड़ का निवेश (सरकारी कम्पनी, ग्रामीण बैंक तथा सहकारी संस्थाओं) में किया था। इन निवेशों पर प्रतिफल 2021-22 के दौरान शून्य था जबकि सरकार ने वर्ष 2021-22 के दौरान उधार पर 5.76 प्रतिशत की औसत दर पर ब्याज भुगतान किया।

निवेश के अलावा, सरकार द्वारा अपने संस्थाओं को ऋण के रूप में दी गई बड़ी राशि (₹ 24,348 करोड़) मार्च 2022 के अंत तक बकाया थी।

कुल राजकोषीय देनदारियाँ (कुल ऋण), जीएसटी क्षतिपूर्ति में कमी के जगह प्राप्त बैक-टू-बैक ऋण को छोड़कर, 2020-21 में ₹ 1,07,496 करोड़ से बढ़कर 2021-22 में ₹ 1,10,998 करोड़ हो गई। एम.टी.एफ.पी के लक्ष्य 33 प्रतिशत के विरुद्ध राजकोषीय दायित्व का स.रा.घ.उ. से अनुपात 30.57 प्रतिशत था। समग्र बिहार राज्य की राजकोषीय दायित्वों का विभाजन अब तक उत्तराधिकारी राज्यों बिहार और झारखण्ड के बीच नहीं किया गया है।

सरकार ने राज्य आपदा मोचन निधि (एस.डी.आर.एफ) के गठन के पश्चात से कोई ब्याज नहीं दिया, जो 2011-12 से 2021-22 की अवधि के लिए लागू दर पर ₹ 870.85 करोड़ होता है। ब्याज का भुगतान न करने से राज्य के राजस्व घाटे और राजकोषीय घाटे पर प्रभाव पड़ा। आगे, सरकार ने वर्ष के दौरान हास निधि में ₹ 200 करोड़ का अंतरण किया।

(अध्याय-2)

बजटीय प्रबंधन

2021-22 के दौरान, अनुदानों के अंतर्गत ₹ 22,515.81 करोड़ (कुल बजट का 22.16 प्रतिशत) की कुल बचत अनुचित बजट अनुमान का सूचक थी। इसके अलावा, इन अनुदानों में पिछले चार वर्षों के दौरान सतत कुल बचत ₹ 8,138.75 करोड़ से ₹ 14,685.90 करोड़ के बीच थी।

वर्ष के दौरान 49 मामलों (प्रत्येक मामले में ₹ 0.50 करोड़ या अधिक) में कुल ₹ 8,369.35 करोड़ (57.22 प्रतिशत) के पूरक प्रावधान अनावश्यक साबित हुए क्योंकि व्यय मूल प्रावधानों के स्तर तक भी नहीं आया।

वर्ष 2001-02 से 2020-21 तक के अनुदान/विनियोग से अधिक राशि के ₹ 3,473.63 करोड़ के अधिक संवितरण को राज्य विधानमंडल द्वारा अभी तक नियमित नहीं किया गया है। इसके अलावा, 2021-22 के दौरान एक विनियोग (13-ब्याज भुगतान) और एक अनुदान (15-पेंशन) में ₹ 288.86 करोड़ का अधिक व्यय किया गया।

(अध्याय-3)

लेखाओं की गुणवत्ता एवं वित्तीय प्रतिवेदन व्यवहार

मार्च 2022 तक एकत्रित ₹ 664.19 करोड़ राशि का श्रम उपकर को 2021-22 के दौरान श्रम कल्याण बोर्ड में स्थानांतरित नहीं किया गया

जिससे संबंधित वर्षों के दौरान (2008-22) राजस्व अधिशेष में अत्योक्ति हुई और राजकोषीय घाटे में न्यूनोक्ति हुई। वित्तीय वर्ष के पश्चात् जून 2022 में राज्य द्वारा ₹ 154 करोड़ बोर्ड को हस्तांतरित किया गया।

31 मार्च 2022 तक, ₹ 1,03,459.14 करोड़ राशि के 39,064 उपयोगिता प्रमाणपत्र (यू.सी) बकाया थे।

31 मार्च 2022 तक ₹ 6,094.45 करोड़ की राशि के 18,206 ए.सी. विपत्रों के विरुद्ध डी.सी. विपत्र बकाया थे।

अव्ययित शेष राशि (₹ 2,018.13 करोड़) का लम्बे समय तक पी.डी. खाते में पड़े रहना तथा समेकित निधि में हस्तांतरित नहीं होना न केवल वित्तीय नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन है बल्कि लोक निधि के दुरुपयोग, गबन तथा दुर्विनियोजन के जोखिम को बढ़ाता है।

(अध्याय-4)

सामान्य प्रयोजन वित्तीय रिपोर्टिंग

सीएजी के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के तहत 31 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (एसपीएसई) थे। इनमें से 16 एसपीएसई ने लेखापरीक्षा के लिए अपने लेखे प्रस्तुत किए। 30 सितंबर 2022 तक, दो एसपीएसई ने वर्ष 2021-22 के लिए अपने खातों को अंतिम रूप दिया, आठ एसपीएसई ने वर्ष 2020-21 के लिए अपने खातों को अंतिम रूप दिया और छह एसपीएसई ने वर्ष 2019-20 के लिए अपने खातों को अंतिम रूप दिया था।

इन एसपीएसई का कारोबार 2019-20 में ₹ 5,553.53 करोड़ से घटकर 2021-22 में ₹ 5,045.76 करोड़ हो गया।

राज्य डिस्कॉम द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बिजली की खरीद के विरुद्ध देय बकाया राशि 2017-18 में ₹ 2,879.25 करोड़ से बढ़कर 2021-22 में ₹ 4,909.49 करोड़ हो गई। भारत सरकार के साथ त्रिपक्षीय समझौते के अनुसार, चूंकि, झारखंड सरकार बिजली खरीद के लिए बकाया राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, अतः, भारत सरकार द्वारा आरबीआई में झारखंड सरकार के खाते से ₹ 2,845.50 करोड़ डेबिट किए गए थे।

(अध्याय-5)

अध्याय-1

अवलोकन

अध्याय 1

अवलोकन

1.1 राज्य की रूपरेखा

झारखण्ड राज्य नवम्बर 2000 में तत्कालीन बिहार राज्य से अलग करके बनाया गया। इसका भौगोलिक क्षेत्रफल 79,716 वर्ग किलोमीटर है, जिसका 29.76 प्रतिशत क्षेत्रफल वनाच्छादित है। यह देश का 16^{वाँ} सबसे बड़ा राज्य है तथा राज्य में 24 जिले हैं।

झारखण्ड विभिन्न प्रकार के खनिज संसाधनों से परिपूर्ण है। वृहत खनिज संसाधन कोयला, लौह-अयस्क, बॉक्साइट, चूना पत्थर, ताम्बा, अभ्रक, ग्रेफाइट, चीनी मिट्टी और यूरेनियम हैं। झारखण्ड देश में कोकिंग कोल और यूरेनियम का एकमात्र उत्पादक राज्य है। 31 मार्च 2022 तक राज्य में वृहत खनिजों के 373 खदानें, लघु खनिजों के 3,572 खदानें तथा वृहत एवं लघु दोनों खनिजों के 7 खदानें हैं।

जैसा कि **परिशिष्ट 1.1 भाग 'क'** में दर्शाया गया है, राज्य की जनसंख्या अंतिम 10 वर्षों में 17.11 प्रतिशत की वृद्धि के साथ वर्ष 2012 के 3.33 करोड़ से बढ़कर, वर्ष 2022 में 3.90 करोड़ हो गई। वर्तमान मूल्य पर वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) और राज्य की अनुमानित प्रति व्यक्ति स.रा.घ.उ. क्रमशः ₹ 3,63,085 करोड़ और ₹ 93,670 था।

1.1.1 झारखण्ड का सकल राज्य घरेलू उत्पाद

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) किसी निश्चित समय में राज्य की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। स.रा.घ.उ. की वृद्धि राज्य की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण संकेतक है, क्योंकि यह विशेष समयसीमा में राज्य के आर्थिक विकास स्तर में परिवर्तन को दर्शाता है।

स.रा.घ.उ. के क्षेत्रीय योगदान में परिवर्तन भी अर्थव्यवस्था की बदलती संरचना को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। आर्थिक गतिविधि को सामान्यतः प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों को दर्शाती है। देश की तुलना में झारखण्ड के स.रा.घ.उ. का वार्षिक वृद्धि वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक का **रूझान तालिका 1.1** में दिया गया है।

तालिका 1.1: स.रा.घ.उ. में राष्ट्रीय स.घ.उ. की तुलना में रुझान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
राष्ट्रीय स.घ.उ. (2011-12 श्रृंखला)	1,70,90,042	1,88,86,957	2,00,74,856	1,98,00,914	2,36,64,637
पिछले वर्ष की तुलना में स.घ.उ. की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	11.03	10.51	6.29	-1.36	19.51
राज्य का स.रा.घ.उ. (2011-12 श्रृंखला)	2,69,816	3,05,695	3,21,157	3,17,079	3,63,085
पिछले वर्ष की तुलना में स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	14.21	13.30	5.06	-1.27	14.51


स्रोत: आर्थिक एवं राज्य सांख्यिकी निदेशालय, योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड

जैसा कि तालिका 1.1 में देखा जा सकता है, राज्य का स.रा.घ.उ. में विकास दर में 2017-18 से 2021-22 के दौरान व्यापक उतार-चढ़ाव देखा गया। वर्तमान वर्ष के दौरान झारखण्ड राज्य के स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर राष्ट्रीय स.घ.उ. की वृद्धि दर से काफी कम थी।

1.1.2 स.रा.घ.उ. में क्षेत्रवार योगदान


चार्ट 1.1 वर्ष 2017-18 और 2021-22 में राज्य का स.रा.घ.उ. में क्षेत्रवार योगदान को दर्शाता है। स.रा.घ.उ. में प्रमुख योगदान सेवा क्षेत्र के बाद उद्योग क्षेत्र का था। हालांकि, उद्योग क्षेत्र का योगदान 2017-18 की तुलना में 2021-22 के दौरान घटा।

चार्ट 1.1: स.रा.घ.उ. में क्षेत्रीय योगदान (2017-18 और 2021-22)



स्रोत: आर्थिक एवं राज्य सांख्यिकी निदेशालय, योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड

चार्ट 1.2: स.रा.घ.उ. में क्षेत्रवार वृद्धि



स्रोत: आर्थिक एवं राज्य सांख्यिकी निदेशालय, योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड

जैसा कि चार्ट 1.2 में दर्शाया गया है, स.रा.घ.उ. में उद्योग और सेवा क्षेत्रों के योगदान में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज किया गया, जबकि 2021-22 के दौरान कृषि, वानिकी आदि के योगदान में उल्लेखनीय कमी (2020-21 में 30.58 के विरुद्ध 11.94 प्रतिशत) दर्ज की गई। 2019-20 में कृषि, वानिकी और उद्योग, 2020-21 में उद्योग एवं सेवा क्षेत्र के स.रा.घ.उ. के योगदान में महत्वपूर्ण कमी के लिए कोविड-19 को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

1.2 राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के आधार और दृष्टिकोण

राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (रा.वि.ले.प्र.) भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 (2) के तहत तैयार और प्रस्तुत किया जाता है।

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), कोषागारों, कार्यालयों एवं विभागों द्वारा प्रेषित अभिश्रव (वाउचर), चालान तथा प्रारंभिक और सहायक लेखे, जो ऐसे लेखे को रखने के लिए जिम्मेदार हैं, से प्राप्त लेखे एवं भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरणियों के आधार पर राज्य के वार्षिक वित्त लेखे और विनियोग लेखे तैयार करते हैं। इन लेखाओं का प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा स्वतंत्र रूप से लेखापरीक्षा किया जाता है और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणीकरण किया जाता है।

राज्य के वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे इस प्रतिवेदन हेतु मूल आँकड़े प्रदान करते हैं। अन्य स्रोतों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- पूर्वानुमान के सापेक्ष आवंटन प्राथमिकताओं एवं राजकोषीय मापदण्डों का आकलन करने के साथ-साथ संगत नियमों एवं निर्धारित प्रक्रियाओं सहित अनुपालन और इसके कार्यान्वयन की प्रभावशीलता के मूल्यांकन हेतु राज्य का बजट;

- प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के कार्यालय द्वारा किए गए लेखापरीक्षा का परिणाम;
- विभागीय प्राधिकरण और कोषागार (लेखे के साथ-साथ एम.आई.एस.) के अन्य आँकड़े;
- स.रा.घ.उ. आँकड़े और अन्य राज्य से संबंधित सांख्यिकी और
- भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

वित्त आयोग (एफ.एफ.सी.) के अनुशंसाओं, राज्य वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, भारत सरकार के सर्वोत्तम व्यवहारों एवं दिशानिर्देशों के संदर्भ में भी विश्लेषण किया गया है। राज्य के वित्त विभाग के साथ दिनांक 16 जून 2022 को प्रवेश सम्मेलन हुई, जिसमें लेखापरीक्षा के दृष्टिकोण को समझाया गया। दिनांक 18 अगस्त 2022 को समाप्ति सम्मेलन हुआ। प्रारूप प्रतिवेदन को उत्तर/टिप्पणियों हेतु राज्य सरकार (22.11.2022) को भेजा गया था। जनवरी 2023 तक जवाब प्रतिक्षित था।

1.3 प्रतिवेदन की संरचना

राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन निम्नलिखित पाँच अध्यायों में संरचित है:

अध्याय - 1	अवलोकन यह अध्याय प्रतिवेदन के आधार और दृष्टिकोण एवं अंतर्निहित आंकड़े, सरकारी लेखों की संरचना, बजट प्रक्रियाओं, प्रमुख संकेतकों के वृहत राजकोषीय विश्लेषण और घाटे/अधिशेष सहित राज्य की राजकोषीय स्थिति का विवरण प्रस्तुत करता है।
अध्याय - 2	राज्य सरकार के वित्त यह अध्याय राज्य के वित्त के व्यापक परिप्रेक्ष्य को प्रस्तुत करता है, पिछले वर्ष के सापेक्ष प्रमुख राजकोषीय समुच्चय में महत्वपूर्ण परिवर्तन 2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान समय प्रवृत्तियों, राज्य की ऋण रूपरेखा और मुख्य लोक लेखा लेन-देन का राज्य के वित्त लेखों के आधार पर विश्लेषण करता है।
अध्याय - 3	बजटीय प्रबंधन यह अध्याय राज्य के विनियोग लेखे पर आधारित है तथा राज्य सरकार के विनियोगों एवं आवंटन संबंधी प्राथमिकताओं की समीक्षा करता है तथा बजटीय प्रबंधन से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों से विचलन पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है।
अध्याय - 4	लेखाओं की गुणवत्ता एवं वित्तीय प्रतिवेदन व्यवहार यह अध्याय राज्य सरकार के विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा सौंपे गये लेखाओं की गुणवत्ता और राज्य सरकार के विभिन्न विभागीय अधिकारियों द्वारा निर्धारित वित्तीय नियमों और विनियमों के गैर अनुपालन के मुद्दों पर टिप्पणी करता है।

अध्याय - 5**सामान्य प्रयोजन वित्तीय रिपोर्टिंग**

यह अध्याय सरकारी कम्पनियों और सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों के वित्तीय प्रदर्शन का सारांश प्रस्तुत करता है। इस अध्याय में, राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (रा.सा.क्षे.उ.) शब्द में वे सरकारी कम्पनियाँ शामिल हैं, जिनमें राज्य सरकार की प्रत्यक्ष हिस्सेदारी 51 प्रतिशत या उससे अधिक है और ऐसी सरकारी कम्पनियों की सहायक है।

1.4 सरकारी लेखा संरचना और बजटीय प्रक्रियाओं का अवलोकन

इस प्रतिवेदन के अध्याय- 2 में दिए गए राज्य सरकार के वित्त के विश्लेषण की व्याख्या करने के लिए सरकारी लेखों की संरचना को समझना आवश्यक है। राज्य सरकार के लेखों को तीन भागों में रखा जाता है:

1. राज्य की समेकित निधि {भारत के संविधान का अनुच्छेद 266 (1)}

इस निधि में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त किया गया समस्त राजस्व, राज्य सरकार द्वारा लिए गए सभी ऋण (बाजार ऋण, बंध पत्र, केन्द्र सरकार से कर्ज, वित्तीय संस्थाओं से ऋण, राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी की गयी विशेष प्रतिभूतियाँ इत्यादि), भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए अर्थोपाय अग्रिम एवं राज्य सरकार द्वारा ऋणों के पुनर्भुगतान से प्राप्त किया गया सभी धन समाविष्ट होता है। इस निधि में से कोई धन विधि के अनुरूप और भारत के संविधान में उपबन्धित प्रयोजनों तथा रीति से अन्यथा विनियोजित नहीं की जायेगी। व्यय की कुछ श्रेणियाँ (जैसे-संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन, ऋण का पुनर्भुगतान इत्यादि), राज्य की समेकित निधि (भारत व्यय) पर प्रभारित होती हैं तथा विधानसभा द्वारा मत के अधीन नहीं होती हैं। अन्य सभी व्यय (मतदेय व्यय) विधान सभा द्वारा मतदेय होता है।

2. राज्य की आकस्मिकता निधि {भारत के संविधान के अनुच्छेद 267 (2)}

यह निधि अग्रदाय प्रकृति की होती है जो राज्य विधायिका द्वारा विधि से स्थापित की जाती है और राज्य की विधायिका द्वारा ऐसे व्यय प्राधिकृत किए जाने तक अप्रत्याशित व्यय करने के लिए अग्रिम प्रदाय करने हेतु राज्यपाल की सुपुर्दगी में रखी जाती है। राज्य की समेकित निधि से संबंधित कार्यात्मक मुख्य शीर्ष के व्यय को विकलित कर उक्त निधि की प्रतिपूर्ति की जाती है।

3. राज्य का लोक लेखा {भारत के संविधान का अनुच्छेद 266(2)}

उपरोक्त के अलावा, अन्य समस्त लोक धन जो सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त किया जाता है, जहाँ सरकार बैंकर अथवा न्यासी की तरह कार्य करती है, लोक लेखा में जमा किया जाता है। लोक लेखा में वापसी योग्य जैसे- अल्प बचतें एवं भविष्य निधियाँ, जमा (ब्याज सहित एवं ब्याज रहित), अग्रिम, आरक्षित निधियाँ (ब्याज सहित एवं ब्याज रहित), प्रेषण एवं उचंत शीर्ष (अंतिम रूप से पुस्तंकित होने तक लंबित है एवं दोनों अस्थायी शीर्ष है) शामिल होते हैं। लोक लेखे में सरकार

के पास उपलब्ध निवल रोकड़ शेष भी शामिल रहता है। लोक लेखे विधायिका के मत के अधीन नहीं है।

वार्षिक वित्तीय विवरण: प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संदर्भ में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों के समक्ष प्रस्तुत करना भारत में एक संवैधानिक (अनुच्छेद 202) आवश्यकता होती है। यह “वार्षिक वित्तीय विवरण” मूल बजट दस्तावेज़ का गठन करता है। इसके अलावा, बजट को अन्य व्यय से राजस्व लेखे पर व्यय को अलग करना चाहिए।

राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, गैर-कर राजस्व, संघीय करों/ शुल्कों का हिस्सा तथा केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदान शामिल हैं।

राजस्व व्यय में सरकार के वे सभी व्यय शामिल होते हैं, जिनके परिणामस्वरूप भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं होता है। यह सरकारी विभागों और विविध सेवाओं के सामान्य कामकाज पर व्यय, सरकार द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज भुगतान, और विभिन्न संस्थानों को दिए गए अनुदान (भले ही कुछ अनुदान परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए हो सकते हैं) से संबंधित है।

पूँजीगत प्राप्तियों में शामिल है:

ऋण प्राप्तियाँ: बाजार उधार, बॉण्ड, वित्तीय संस्थानों से उधार, अर्थोपाय अग्रिम के तहत निवल लेन-देन, केंद्र सरकार से उधार एवं अग्रिम आदि।

गैर-ऋण प्राप्तियाँ: विनिवेश से लाभ, उधार व अग्रिमों की वसूली।

पूँजीगत व्यय में भूमि अधिग्रहण, भवन, मशीनरी, उपकरण पर व्यय, शेयरों में विनिवेश तथा सरकार द्वारा पी.एस.यू. एवं अन्य पक्षों को दिये गए उधार एवं अग्रिम शामिल हैं।

वर्तमान में, हमारे पास सरकार में एक लेखांकन वर्गीकरण प्रणाली है, जो कार्यात्मक एवं आर्थिक दोनों है।

तालिका: 1.2: सरकारी लेखे की वर्गीकरण प्रणाली


	लेन-देन की आकृति	वर्गीकरण
सी.जी.ए. द्वारा एल.एम.एम.एच * में मानकीकृत	कार्य - शिक्षा, स्वास्थ्य आदि	अनुदान अन्तर्गत प्रमुख शीर्ष (4-अंकीय)
	उप-कार्य	उप प्रमुख शीर्ष (2-अंकीय)
	कार्यक्रम	लघु शीर्ष (3-अंकीय)
राज्यों को निर्णय की स्वतंत्रता	योजना	उप शीर्ष (2-अंकीय)
	उप योजना	विस्तृत शीर्ष (2-अंकीय)
	आर्थिक प्रकृति/ क्रियाकलाप	वस्तु शीर्ष - वेतन, लघु कार्य, इत्यादि (2-अंकीय)

*मुख्य और लघु शीर्षों की सूची

कार्यात्मक वर्गीकरण से हमें विभाग, कार्य, योजना या कार्यक्रम और व्यय के लक्ष्य की जानकारी मिलती है। आर्थिक वर्गीकरण राजस्व, पूँजी, ऋण आदि के रूप में इन भुगतानों को व्यवस्थित करने में मदद करता है। आर्थिक वर्गीकरण 4-अंकीय प्रमुख

शीर्षों के पहले अंक में सन्निहित सांख्यिकीय तर्क द्वारा प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए, 0 और 1 राजस्व प्राप्तियाँ हेतु, 2 और 3 राजस्व व्यय हेतु, इत्यादि के लिए हैं। आर्थिक वर्गीकरण एक अंतर्निहित परिभाषा और कुछ वस्तु (ऑब्जेक्ट) शीर्षों के वितरण द्वारा भी प्राप्त किया जाता है जो बजट दस्तावेजों में विनियोग की प्राथमिक इकाई हैं। उदाहरण के लिए वस्तु शीर्ष 'वेतन' राजस्व व्यय एवं वस्तु शीर्ष 'निर्माण' पूँजीगत व्यय है। सरकारी खातों की संरचना का चित्रात्मक वर्णन चार्ट 1.3 में दिया गया है। वित्त लेखे के ब्यौरे परिशिष्ट 1.1 भाग ग में दिये गए हैं।

चार्ट 1.3 : सरकारी लेखे की संरचना



बजटीय प्रक्रिया

भारत के संविधान के अनुच्छेद 202 के संदर्भ में, वार्षिक वित्तीय विवरणी के रूप में, राज्य की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण राज्य के राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमण्डल के समक्ष रखा जाता है। अनुच्छेद 203 के संदर्भ में, यह विवरण अनुदानों/विनियोगों के लिए माँगों के रूप में राज्य विधानमण्डल को प्रस्तुत किया जाता है और इनके अनुमोदन के पश्चात, समेकित निधि से वांछित राशि के विनियोग के लिए अनुच्छेद 204 के तहत विधानमण्डल द्वारा विनियोग विधेयक पारित किया जाता है।

राज्य बजट नियमावली बजट तैयार करने की प्रक्रिया का विवरण देता है और राज्य सरकार को अपने बजटीय अनुमानों को तैयार करने तथा अपने व्यय गतिविधियों की निगरानी करने में दिशानिर्देश प्रदान करता है। बजट की लेखापरीक्षा जाँच और राज्य सरकार की अन्य बजटीय पहल के कार्यान्वयन के परिणाम इस प्रतिवेदन के अध्याय 3 में विस्तृत है।

1.4.1 वित्त का आशुचित्र

निम्न तालिका वर्ष 2021-22 के लिए बजट अनुमानों के सापेक्ष 2020-21 के वास्तविक वित्तीय परिणामों का विवरण प्रदान करता है।

तालिका 1.3: बजट अनुमान के संबंध में वास्तविक वित्तीय परिणाम

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	घटक	2020-21 (वास्तविक)	2021-22 (बजट आकलन)	2021-22 (वास्तविक)	ब. आ. से वास्तविक की प्रतिशतता (2021-22)	स.रा.घ.उ. से वास्तविक की प्रतिशतता (2021-22)
1	कर राजस्व	36,592	45,315	49,024	108.18	13.50
(i)	स्वयं कर राजस्व	16,880	23,265	21,290	91.51	5.86
(ii)	केंद्रीय कर/शुल्क का हिस्सा	19,712	22,050	27,734	125.78	7.64
2	गैर-कर राजस्व	7,564	13,500	10,031	74.30	2.76
3	सहायता अनुदान तथा अंशदान	11,994	17,892	10,667	59.62	2.94
4	राजस्व प्राप्तियाँ (1+2+3)	56,150	76,707	69,722	90.89	19.20
5	ऋण एवं अग्रिम की वसूली	49	70	1,292	1,845.00	0.36
6	अन्य प्राप्तियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	लोक ऋण	13,547	14,500	9,840	67.86	2.71
8	पूँजीगत प्राप्तियाँ (5+6+7)	13,596	14,570	11,132	76.40	3.07
9	कुल प्राप्तियाँ (4+8)	69,746	91,277	80,854	88.58	22.27
10	राजस्व व्यय	59,264	75,755	62,778	82.87	17.29
11	ब्याज भुगतान	5,790	5,646	6,286	111.34	1.73
12	पूँजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु सहायता अनुदान	6,370	10,466	5,359	51.20	1.48
13	पूँजीगत व्यय	8,466	9,661	9,377	97.06	2.58
14	ऋण एवं अग्रिम	3,380	1,572	1,463	93.07	0.40
15	कुल व्यय (10+13+14)	71,110	86,988	73,618	84.63	20.28
16	राजस्व आधिक्य(+)/ घाटा (-) (4-10)	-3,114	952	6,944	729.41	1.91
17	राजकोषीय आधिक्य (+)/ घाटा (-) {15-(4+5+6)}	-14,911	-10,211	-2,604	25.50	-0.72
18	प्राथमिक आधिक्य (+)/ घाटा (-) (17-11)	-9,121	-4,565	-3,682	-80.66	1.01

2021-22 के दौरान, वास्तविक राजस्व प्राप्तियों (13,572 करोड़) पिछले वर्ष की प्राप्तियों की तुलना में उल्लेखनीय रूप से अत्यधिक थी। यह मुख्य रूप से राज्य के अपने संसाधनों से प्राप्तियों और केंद्रीय करों/शुल्कों के हिस्से से प्राप्तियों में वृद्धि के कारण था। भारत सरकार द्वारा सहायता अनुदान 2020-21 में ₹ 11,993.41 करोड़ के विरुद्ध ₹ 1,327 करोड़ की कमी पाई गई। 2021-22 के दौरान, कर राजस्व, गैर-कर राजस्व और केंद्रीय कर हस्तांतरण में पिछले वर्ष की तुलना में उल्लेखनीय रूप से क्रमशः ₹ 4,410 करोड़, ₹ 2,467 करोड़ तथा ₹ 8,022 करोड़ की वृद्धि हुई।

जी.एस.टी. मुआवजा जी.एस.टी. (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम, 2017 के तहत राज्य सरकार का राजस्व है। हालाँकि, राजस्व प्राप्तियों के रूप में ₹ 1,525.63 करोड़ का जी.एस.टी. मुआवजा प्राप्त करने के अलावा, वर्ष 2021-22 के दौरान जी.एस.टी. मुआवजा कोष में अपर्याप्त शेष के कारण, झारखण्ड को राज्य सरकार की ऋण प्राप्तियों के तहत राज्य के लिए बिना कोई पुनर्भुगतान दायित्व के ₹ 2,484.41 करोड़ का एक के बाद एक ऋण प्राप्त हुआ। इस व्यवस्था के कारण, वर्ष 2021-22 के दौरान ₹ 6,943.94 करोड़ का राजस्व अधिशेष और ₹ 2,604.21 करोड़ का राजकोषीय घाटा को जी.एस.टी. मुआवजे के बदले ₹ 2,484.41 करोड़ की ऋण प्राप्तियों के संयोजन के साथ पढ़ा जाना चाहिए।

2021-22 के दौरान, 2020-21 में पाँच प्रतिशत राजस्व व्यय की वृद्धि के मुकाबले राजस्व व्यय की सीमांत वृद्धि (छः प्रतिशत) थी। राज्य को अपने राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए पिछले वर्ष (2020-21 में ₹ 13,546.58 करोड़ के विरुद्ध 2021-22 में ₹ 9,839.87 करोड़) की तुलना में कम उधार लेना पड़ा। 2021-22 के दौरान, ऊर्जा कम्पनियों से ₹ 1,246 करोड़ एवं सरकारी कर्मचारियों से ₹ 45.73 करोड़ उनको दिए गए ऋण से वसूली की गई। तालिका 1.4 2017-18 से 2021-22 तक राजस्व तथा पूँजीगत लेखे पर प्राप्तियों तथा व्यय के रूझाण को इंगित करती है।

तालिका 1.4: प्राप्तियों और व्यय की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

वर्ष	राजस्व		राजस्व प्राप्ति के सापेक्ष राजस्व व्यय का प्रतिशत	पूँजीगत		पूँजीगत प्राप्ति के सापेक्ष पूँजीगत व्यय का प्रतिशत
	प्राप्तियाँ	व्यय		प्राप्तियाँ	व्यय	
2017-18	52,756	50,952	96.58	8,204	11,953	145.70
2018-19	56,152	50,631	90.17	7,850	10,712	136.46
2019-20	58,147	56,457	97.09	9,642	9,879	102.46
2020-21	56,150	59,264	105.55	13,595	8,466	62.27
2021-22	69,722	62,778	90.04	11,132	9,377	84.23

- तालिका 1.4 से देखा जा सकता है कि वर्ष 2020-21 के दौरान राजस्व प्राप्ति के सापेक्ष राजस्व व्यय का प्रतिशत अधिकतम (105.55 प्रतिशत) था, जो 2021-22 में घटकर 90.04 प्रतिशत हो गया जिसके परिणामस्वरूप 2021-22 में अत्यधिक राजस्व अधिशेष हुआ।
- जबकि, पूँजीगत प्राप्ति के सापेक्ष पूँजीगत व्यय का प्रतिशत 2020-21 में 62.27 प्रतिशत से बढ़कर 2021-22 के दौरान 84.23 प्रतिशत बढ़ गया, 2017-18 से 2019-20 के दौरान पूँजीगत प्राप्तियों से पूँजीगत व्यय प्रतिशत अत्यंत कम रहा।
- विगत वर्षों के दौरान राज्य द्वारा परिसम्पत्ती निर्माण तथा आधार भूत संरचना को अधिक प्रमुखता देना पूँजीगत व्यय को 2021-22 के दौरान पूँजीगत व्यय के बढ़ने का संकेत था। मुख्य रूप से गैर लौह खनन और धातुकर्म उद्योगों (₹ 1,000 करोड़ से), मृदा तथा जल संरक्षण (₹ 199 करोड़ से) तथा वृहत

सिंचाई (₹ 164 करोड़ से) से बढ़ने के कारण से वर्तमान वर्ष में पूँजीगत व्यय में वृद्धि हुई। हालाँकि 2021-22 के दौरान पूँजीगत व्यय ₹ 11,233 करोड़ के बजट प्रावधान से अत्यंत कम था।

1.4.2 सरकार की सम्पत्तियों और दायित्वों का आशुचित्र

सरकारी लेखे सरकार की वित्तीय देनदारियों और व्यय की गयी राशि से परिसम्पत्तियों के निर्माण को दर्शाते हैं। देयताओं में मुख्यतः आंतरिक ऋण, भारत सरकार से ऋण और अग्रिम, लोक लेखे और आरक्षित निधियों से प्राप्तियाँ शामिल हैं। परिसम्पत्तियों में मुख्य रूप से पूँजीगत परिव्यय और राज्य सरकार द्वारा दिए गए कर्ज और अग्रिम तथा नकद शेष भी शामिल हैं। परिसम्पत्तियों और देयताओं की सारांशीकृत स्थिति वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए तालिका 1.5 में दर्शायी गयी है।

तालिका 1.5: परिसम्पत्तियों और देयताओं की सारांशीकृत स्थिति

(₹ करोड़ में)

देनदारियाँ					परिसम्पत्तियाँ				
	2020-21	2021-22	वृद्धि प्रतिशत		2020-21	2021-22	वृद्धि प्रतिशत		
समेकित निधि									
क	आंतरिक ऋण	71,956.90	74,538.31	3.59	अ	सकल पूँजीगत परिव्यय	96,017.68	1,05,394.58	9.77
ख	भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	4,981.85	7,993.22	60.45	ब	ऋण एवं अग्रिम	24,177.23	24,348.48	0.71
आकस्मिकता निधि		500.00	500.00	0.00					
लोक लेखा									
क	अल्प बचतें, भविष्य निधियाँ आदि	1,194.40	1,001.19	-16.18	क	अग्रिम	19.66	19.67	0.05
ख	जमाएँ	24,331.45	23,609.29	-2.97	ख	प्रेषण	0.00	0.00	0.00
ग	आरक्षित निधियाँ	7,024.26	6,844.35	-2.56	ग	उंचत एवं विविध	0.00	0.00	0.00
घ	प्रेषण	126.45	112.64	-10.92		नकद शेष (निर्धारित निधि में निवेश सहित)	3,720.32	5,572.70	49.79
ङ	उंचत एवं विविध	144.75	117.65	-18.72		राजस्व लेखा में घाटा	-	-	-
व्यय से प्राप्तियों का संचयी आधिक्य		13,674.83	20,618.78	50.78					
कुल		1,23,934.89	1,35,335.43	9.20	कुल	1,23,934.89	1,35,335.43	9.20	

स्रोत: वित्त लेखें

1.5 राजकोषीय संतुलन: घाटे और कुल ऋण लक्ष्यों की प्राप्ति

जब कोई सरकार राजस्व के रूप में एकत्र करने से अधिक खर्च करती है, तो वह घाटा होता है। ऐसे कई मापदण्ड हैं जो कि सरकारी घाटे को अधिग्रहीत करते हैं।

<p>राजस्व घाटा/अधिशेष (राजस्व व्यय-राजस्व प्राप्तियाँ)</p>	<p>राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों के बीच अंतर को संदर्भित करता है।</p> <ul style="list-style-type: none"> जब सरकार को राजस्व घाटा होता है, तो इसका अर्थ है कि सरकार अधिव्यय कर रही है और अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों की बचत का उपयोग करके इसके उपभोग व्यय का एक हिस्सा वित्तपोषित कर रही है। राजस्व घाटे का अस्तित्व चिंता का कारण है क्योंकि राजस्व प्राप्तियाँ राजस्व व्यय को भी पूरा करने में पर्याप्त नहीं थीं। इसके अलावा, पूंजीगत प्राप्तियों के हिस्से का उपयोग राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए किया गया था, पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए उस सीमा तक पूंजी संसाधनों की उपलब्धता को कम किया। इस स्थिति का अर्थ है कि सरकार को न केवल अपने निवेश को वित्त पोषित करने के लिए उधार लेना होगा, बल्कि इसके उपभोग की आवश्यकताओं को भी पूरा करना होगा। यह ऋण और ब्याज देनदारियों के भंडार का निर्माण करता है और सरकार को आखिरकार खर्च में कटौती करने के लिए मजबूर करता है। यदि राजस्व व्यय का बड़ा हिस्सा प्रतिबद्ध व्यय (ब्याज देनदारियाँ, वेतन, पेंशन) है, तो सरकार उत्पादक व्यय या कल्याण व्यय को कम करती है। इसका अर्थ कम विकास और प्रतिकूल कल्याण निहितार्थ होगा।
<p>राजकोषीय घाटा/अधिशेष {कुल व्यय- (राजस्व प्राप्तियाँ + ऋणोत्तर पूंजीगत प्राप्तियाँ जो पूंजीगत प्राप्तियाँ बनती हैं)}</p>	<p>यह राजस्व प्राप्तियों तथा ऋणोत्तर पूंजीगत प्राप्तियों के योग (एनडीसीआर) और कुल व्यय के बीच का अंतर है। राजकोषीय घाटा सरकार की कुल उधार आवश्यकताओं के लिए विचारात्मक है।</p> <ul style="list-style-type: none"> राजकोषीय घाटा, उधारियों को छोड़कर, सरकार के कुल व्यय और उसकी कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर है। ऋणोत्तर सृजन पूंजीगत प्राप्तियाँ वे प्राप्तियाँ हैं, जो उधार नहीं हैं और इसलिए, ऋण को उत्पन्न नहीं करती हैं। उदाहरणार्थ कर्ज की वसूली और विनिवेश/सार्वजनिक उपक्रमों की बिक्री से आय है। राजकोषीय घाटे को उधार के माध्यम से वित्तपोषित करना होगा। इस प्रकार, यह सभी स्रोतों से सरकार की कुल उधार आवश्यकताओं को इंगित करता है। <p>सरकारें आमतौर पर राजकोषीय घाटे से चलती हैं और पूंजी/परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए या आर्थिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए धन उधार लेती हैं, ताकि उधार के माध्यम से बनाई गई परिसंपत्ति एक आय प्रवाह उत्पन्न करके अपने लिए भुगतान कर सकें। इस प्रकार पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए उधार ली गयी निधियों का उपयोग और मूलधन और ब्याज की अदायगी के लिए राजस्व प्राप्तियों का उपयोग करना विचारणीय है।</p>

<p>प्राथमिक घाटा/ अधिशेष (सकल राजकोषीय घाटा-निवल ब्याज दायित्व)</p>	<p><i>राजकोषीय घाटे को ब्याज भुगतान से घटाकर दर्शाता है।</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • निवल ब्याज देन-दारियों में निवल घरेलू उधार पर सरकार द्वारा ब्याज भुगतान घटाकर ब्याज प्राप्तियाँ शामिल हैं। • सरकार की उधार आवश्यकता में संचित ऋण पर ब्याज दायित्व शामिल हैं। राजस्व से अधिक चालू व्यय के कारण उधार का अनुमान प्राप्त करने के लिए, हमें प्राथमिक घाटे की गणना करने की आवश्यकता है।
--	---

घाटे को उधार के द्वारा वित्तपोषित होना चाहिए जिससे सरकारी ऋण में बढ़ोतरी होती है। घाटे और ऋण की अवधारणा के बीच घनिष्ठ संबंध है। घाटे को ऋण के स्टॉक में जोड़ने के रूप में माना जा सकता है। यदि सरकार वर्ष दर वर्ष उधार लेना जारी रखती है, तो इससे ऋण का संचय होता है और सरकार को ब्याज के रूप में और अधिक भुगतान करना पड़ता है। ये ब्याज भुगतान स्वयं को ऋण में डाल देते हैं।

उधार द्वारा, सरकार कम खपत का बोझ भावी पीढ़ियों पर डाल देती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह वर्तमान में रहने वाले लोगों को बाँड जारी करके उधार लेता है, लेकिन कुछ बीस साल बाद करों को बढ़ाकर या खर्च कम करके बाण्ड का भुगतान करने का फैसला कर सकता है। साथ ही, लोगों से सरकारी उधारी निजी क्षेत्र के लिए उपलब्ध बचतों को कम करती है। इस सीमा तक कि यह पूँजी निर्माण और वृद्धि को कम कर देता है, भावी पीढ़ियों पर “बोझ” ऋण के रूप में कार्य करता है। हालाँकि, सरकारी घाटा उत्पादन बढ़ाने के अपने लक्ष्य में सफल होता है, तो अधिक आय होगी और इसलिए अधिक बचत होगी। ऐसे में, सरकार ओर उद्योग दोनों ज्यादा उधार ले सकते हैं। इसके अलावा, अगर सरकार बुनियादी ढाँचे में निवेश करती है, तो आने वाली पीढ़ी बेहतर हो सकती है, बशर्ते ऐसे निवेश पर प्रतिफल ब्याज दर से अधिक हो। उत्पादन में वृद्धि से वास्तविक ऋण का भुगतान किया जा सकता है। तब ऋण को बोझ नहीं समझना चाहिए। ऋण में वृद्धि को समग्र रूप से अर्थव्यवस्था (राज्य सकल घरेलू उत्पाद) की वृद्धि से आंकना होगा।

सरकारी घाटे को करों में वृद्धि या व्यय में कमी से कम किया जा सकता है। हालाँकि, प्रमुख जोर सरकारी खर्च में कमी की ओर रहा है। कार्यक्रमों की बेहतर योजना और बेहतर प्रशासन के माध्यम से सरकारी गतिविधियों को और अधिक कुशल बनाकर इसे प्राप्त किया जा सकता है।

1.5.1 राज्य राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम में निर्धारित राजकोषीय लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धि

राज्य सरकार ने मध्यम अवधि ढाँचे के रूप में राजकोषीय घाटे को कम करने और समग्र स्तर पर/बकाया ऋण को स्वीकार्य स्तर तक पहुँचाने, बेहतर ऋण प्रबंधन की स्थापना और पारदर्शिता में सुधार करके, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम (एफ.आर.बी.एम.), 2007 को राजकोषीय घाटे को घटाते हुए राजकोषीय

प्रबंधन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पारित किया है। इस सन्दर्भ में, अधिनियम घाटा उपायों और ऋण स्तर के संबंध में राज्य द्वारा पालन किए जाने वाले मात्रात्मक लक्ष्य प्रदान करता है। 2017-18 से 2021-22 अवधि के दौरान राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम में परिकल्पित प्रमुख राजकोषीय मापदण्डों से संबंधित लक्ष्य और उनकी उपलब्धियाँ तालिका 1.6 में दी गई हैं।

तालिका 1.6: राज्य एफ.आर.बी.एम. अधिनियम के तहत प्रावधानों का अनुपालन

राजकोषीय मापदंड	अधिनियम में निर्धारित राजकोषीय लक्ष्य	उपलब्धियाँ (₹ करोड़ में)				
		2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
राजस्व घाटा	शून्य	1,804 ✓	5,521 ✓	1,960 ✓	-3,114 X	6,944 ✓
राजकोषीय घाटा (स.रा.घ.उ. के प्रतिशतता के रूप में)	तीन प्रतिशत (2020-21 के लिए)	11,933 (4.42)	6,629 (2.17)	8,035 (2.50)	14,911 (4.70)	2,604 (0.72)
	5 प्रतिशत एवं 2021-22 के लिए 4 प्रतिशत)	X	✓	✓	✓	✓
स.रा.घ.उ. से कुल बकाया ऋण का अनुपात (प्रतिशत में)	लक्ष्य	27.90	27.20	27.10	27.00	33.00
	वास्तविक	28.57 X	27.41 X	29.40 X	33.90 [#] X	30.57 [#] ✓

यह ऋण 2020-21 में ₹ 1,689 करोड़ तथा 2021-22 में ₹ 2,484.41 करोड़ जिसे जी.एस.टी. क्षतिपूर्ति के कमी के जगह भारत सरकार द्वारा बैंक टू बैंक उधारी को शामिल नहीं करता है।

वित्त लेखे के अनुसार कुल बकाया ऋण का स.रा.घ.उ. से अनुपात 31.26 प्रतिशत है। इस प्रकार, कुल बकाया देनदारियों से ऋण प्राप्त के तहत बैंक टू बैंक ऋण के रूप में प्राप्त ₹ 2,484.41 करोड़ के जी.एस.टी. मुआवजे को छोड़कर स.रा.घ.उ. अनुपात (30.57 प्रतिशत) के लिए प्रभावी ऋण का निर्धारण किया गया है, क्योंकि व्यय विभाग, भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि इसे राज्य के ऋण के रूप में नहीं माना जाएगा जो किसी भी मापदंड के लिए वित्त आयोग द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

वर्ष 2020-21 को छोड़कर, राज्य में 2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान राजस्व अधिशेष था। राजकोषीय घाटा भी 2018-19 से निर्धारित लक्ष्य से कम था। स.रा.घ.उ. के लिए बकाया ऋण का अनुपात 2020-21 तक चिंता का विषय था, क्योंकि यह झारखण्ड एफ.आर.बी.एम. अधिनियम के तहत एम.टी.एफ.पी.एस में निर्धारित मानदण्डों को पार कर गया था, जिसमें सुधार हुआ और चालू वर्ष के दौरान लक्ष्य के नीचे रहा।

1.5.2 मध्यम अवधि की राजकोषीय योजना

एफ.आर.बी.एम अधिनियम के अनुसार, राज्य सरकार को वार्षिक बजट के साथ एक पंचवर्षीय वित्तीय योजना राज्य विधानमंडल के समक्ष रखना होता है। मध्यम अवधि

के राजकोषीय नीति विवरणी (एम.टी.एफ.पी.एस.) को निर्धारित वित्तीय संकेतकों के लिए पाँच साल का रोलिंग लक्ष्य निर्धारित करना है।

तालिका 1.7 राज्य विधानमण्डल को प्रस्तुत किए गए एम.टी.एफ.पी.एस. में 2021-22 के लिए किए गए अनुमानों के साथ 2021-22 के वार्षिक बजट और वर्ष के वास्तविक के बीच अंतर को दर्शाता है।

तालिका 1.7: वर्ष 2021-22 के लिए एम.टी.एफ.पी. में प्रक्षेपण के संबंध में वास्तविकता

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राजकोषीय परिवर्तनीय	एम.टी.एफ.पी. के अनुसार प्रक्षेपण	वास्तविक (2021-22)	परिवर्तन (प्रतिशत में)
1	स्वयं कर राजस्व	23,265	21,290	-8.49
2	गैर-कर राजस्व	13,500	10,031	-25.70
3	केन्द्रीय करों का हिस्सा	22,050	27,734	25.78
4	भारत सरकार द्वारा सहायता अनुदान	17,892	10,667	-40.38
5	राजस्व प्राप्तियाँ (1+2+3+4)	76,707	69,722	-9.10
6	राजस्व व्यय	75,755	62,778	-17.13
7	राजस्व घाटा(-)/ अधिशेष(+) (5-6)	952	6,944	629.49
8	राजकोषीय घाटा(-)/ अधिशेष(+)	-10,211	-2,604	77.19
9	ऋण - स.रा.घ.उ. अनुपात (प्रतिशत)	33	30.57 [#]	5.27
10	वर्तमान मूल्यों पर स.रा.घ.उ. वृद्धि दर (प्रतिशत)	14.50	14.51	0.07

[#] ₹ 2,484.41 करोड़ जी.एस.टी. क्षतिपूर्ति में कमी के जगह भारत सरकार द्वारा बैंक टू बैंक ऋण शामिल नहीं है।

जैसा कि उपरोक्त तालिका में दिखाया गया है, राज्य 2021-22 के दौरान राजस्व प्राप्तियों के प्रमुख घटकों के लिए जैसे राज्य के स्वयं कर तथा कर भिन्न राजस्व के लिए एम.टी.एफ.पी.एस में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल रहा।


हालाँकि, मुख्य राजकोषीय मापदण्ड जैसे घाटे तथा ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात वर्तमान वर्ष के लिए आंकलन के अंतर्गत थे।

1.5.3 घाटे/अधिशेष की प्रवृत्तियाँ

जैसा कि चार्ट 1.4 में दर्शाया गया है, राज्य वित्त आयोग द्वारा निर्दिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम था और जैसा कि इसके प्रमुख वित्तीय मानकों के संबंध में एफ.आर.बी.एम. अधिनियम में निर्धारित किया गया था। 2020-21 में ₹ 3,114 करोड़ के राजस्व घाटे को 2021-22 में ₹ 6,944 करोड़ के अधिशेष में बदल दिया गया। इसी तरह, राजकोषीय घाटा वर्ष 2020-21 में ₹ 14,911 करोड़ के मुकाबले 2021-22 में घटकर ₹ 2,604 करोड़ हो गई, जो चालू वर्ष के दौरान उधार ली गई धनराशि पर राज्य की कम निर्भरता का संकेत था। प्राथमिक घाटा 2020-21 में ₹ 9,121 करोड़ से घटकर ₹ 3,682 करोड़ के आधिक्य के रूप में हो गया, जो दर्शाता है कि राज्य के पास अपने वर्तमान निर्णय और वर्ष के दौरान आधारभूत


संरचना के निर्माण और विकासात्मक आवश्यकताओं पर खर्च करने के लिए अधिक धन था।

चार्ट 1.4: अधिशेष/घाटा मापदंड का रुझान




चार्ट 1.5 पिछले पाँच वर्षों के दौरान स.रा.घ.उ. के सापेक्ष अधिशेष/घाटे का रुझान दिखाता है।

चार्ट 1.5: स.रा.घ.उ. के सापेक्ष अधिशेष/घाटे में रुझान



चार्ट 1.6: राजकोषीय देन-दारियों और स.रा.घ.उ. में रुझान



जैसा कि चार्ट 1.6 में देखा जा सकता है, वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान राज्य की कुल बकाया देन-दारियों में आंतरिक ऋण का प्रमुख योगदान था, जिसके बाद लोक लेखा देनदारियों का स्थान था। यद्यपि इन वर्षों में भारत सरकार के द्वारा ऋण का योगदान बहुत कम था, जो जी.एस.टी तथा 50 वर्षीय ₹ 246 करोड़ का ब्याज रहित ऋण के कारण एक के बाद एक (बैंक टू बैंक) ऋण वर्ष 2019-20 में 2.75 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 7.05 से प्रतिशत हो गया।

1.6 लेखापरीक्षा में परीक्षण के बाद घाटा और कुल ऋण/बकाया

1.6.1 लेखापरीक्षा के पश्चात - घाटा

पूँजी और गैर बजटीय राजकोषीय संचालन के रूप में राजस्व व्यय का गलत वर्गीकरण राज्य के वित्त का गलत चित्रण दर्शाता है। इसके अलावा, स्पष्ट देनदारियों का स्थगन, समेकित निधि में उपकर/रॉयल्टी जमा नहीं करना, नई पेंशन योजना इत्यादि में कमतर अंशदान भी देनदारियों, राजस्व और राजकोषीय घाटे को प्रभावित करता है। वास्तविक आंकड़ों पर पहुँचने हेतु, ऐसे अनियमितताओं के प्रभाव को शामिल किए जाने की आवश्यकता है।

तालिका 1.8 लेखापरीक्षा निष्कर्ष के अनुसार राजस्व और राजकोषीय घाटा

ब्यौरा	राजस्व घाटा पर प्रभाव (न्यूनोक्ति(+)/अत्योक्ति (-)	राजकोषीय घाटा पर प्रभाव (न्यूनोक्ति)	संदर्भ कंडिका
	(₹ करोड़ में)		
2021-22 के दौरान लोक लेखा में समर्पित निधियों को उपकर के न्यून/कम अंतरण	55.67	55.67	4.1.1
2021-22 के दौरान एस.डी.आर.एफ. पर ब्याज देनदारियों का गैर-निर्वहन	136.49	136.49	2.5.2
2021-22 के दौरान राज्य प्रतिपूरक वनीकरण जमाएँ पर ब्याज देनदारियों का गैर-निर्वहन	140.70	140.70	2.5.2
कुल	332.86	332.86	

स्रोत: वित्त लेखे और लेखापरीक्षा विश्लेषण

तालिका 1.8 से यह देखा जा सकता है कि चालू वर्ष में राजस्व अधिशेष को ₹ 332.86 करोड़ अधिक बताया गया और राजकोषीय घाटा में ₹ 332.86 करोड़ की न्यूनोक्ति हुई। अतः राजस्व अधिशेष और राजकोषीय घाटा वित्त लेखे में दर्शाए गए ₹ 6,943.94 करोड़ और ₹ 2,604.21 करोड़ के स्थान पर वास्तव में क्रमशः ₹ 6,611.08 करोड़ तथा ₹ 2,937.07 करोड़ रहा।

सभी अवलोकन एवं निष्कर्षों को राज्य सरकार को प्रेषित की जा चुकी है। उत्तर प्रतीक्षित (दिसम्बर 2022) हैं।

तालिका 1.9: वर्ष 2021-22 के लिए पूर्व और बाद के लेखापरीक्षा प्रमुख राजकोषीय परिवर्तन

(प्रतिशत में)

राजकोषीय परिवर्तन	2021-22				लेखापरीक्षा के पश्चात वास्तविक
	राज्य हेतु एफ.एफ.सी. अनुमान	एम.टी.एफ.पी. विवरणी में वर्णित लक्ष्य	बजट अनुमानों के अनुसार लक्ष्य	वास्तविक	
स.रा.घ.उ. के सापेक्ष राजस्व घाटा (-) / अधिशेष (+)	शून्य	0.26	0.26	1.91	1.82
स.रा.घ.उ. के सापेक्ष राजकोषीय घाटा	4.00	2.81	2.81	-0.72	-0.81
स.रा.घ.उ. के सापेक्ष सरकार का कुल बकाया ऋण का अनुपात	32.6	33.0	-	30.57 [#]	लागू नहीं

₹ 2,484.41 करोड़ जी.एस.टी. क्षतिपूर्ति में कमी के जगह भारत सरकार द्वारा बैंक टू बैंक ऋण शामिल नहीं है।

2021-22 के दौरान, राज्य ने एफ.आर.बी.एम. अधिनियम, 2007 के आधार पर लक्ष्यों को प्राप्त किया, जैसा कि तालिका 1.9 में दर्शाया गया है।

अध्याय-2

राज्य का वित्त

अध्याय 2

राज्य का वित्त

यह अध्याय राज्य के वित्त का एक व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है और पिछले वर्ष की तुलना में प्रमुख राजकोषीय समुच्चयों में महत्वपूर्ण परिवर्तनों का विश्लेषण करता है। यह 2017-18 से 2021-22 तक पाँच वर्ष की अवधि के दौरान समग्र रूझानों, राज्य की ऋण स्थिरता और मुख्य लोक लेखा लेन-देनों राज्य के वित्त लेखों के आधार पर चर्चा करता है। जहाँ आवश्यकता थी, राज्य सरकार से भी जानकारी प्राप्त की गई।

2.1 वर्ष 2020-21 के सापेक्ष राजकोषीय समुच्चयों में प्रमुख परिवर्तन

तालिका 2.1 विगत वर्ष की तुलना में, वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य के प्रमुख राजकोषीय समुच्चयों में मुख्य परिवर्तनों का विहंगम दृश्य प्रस्तुत करती है। इन प्रत्येक संकेतकों को उत्तरोत्तर कंडिकाओं में विश्लेषित किया गया है।

तालिका 2.1: 2020-21 की तुलना में 2021-22 में राजकोषीय समुच्चयों में परिवर्तन

राजस्व प्राप्तियाँ	<ul style="list-style-type: none">✓ राज्य की राजस्व प्राप्तियों में 24.17 प्रतिशत की वृद्धि हुई✓ राज्य की स्वयं के कर प्राप्तियों में 26.12 प्रतिशत की वृद्धि हुई✓ स्वयं के गैर-कर प्राप्तियों में 32.61 प्रतिशत की वृद्धि हुई✓ संघीय करों एवं शुल्कों के राज्यांश में 40.70 प्रतिशत की वृद्धि हुई✓ भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान में 11.06 प्रतिशत की कमी हुई
राजस्व व्यय	<ul style="list-style-type: none">✓ राजस्व व्यय में 5.93 प्रतिशत की वृद्धि हुई✓ सामान्य सेवाओं पर राजस्व व्यय में 8.30 प्रतिशत की वृद्धि हुई✓ सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में 5.54 प्रतिशत की वृद्धि हुई✓ आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में 3.55 प्रतिशत की वृद्धि हुई
पूँजीगत व्यय	<ul style="list-style-type: none">✓ पूँजीगत व्यय में 10.76 प्रतिशत की वृद्धि हुई✓ सामान्य सेवाओं पर पूँजीगत व्यय में 4.76 प्रतिशत की कमी हुई✓ सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय में 6.99 प्रतिशत की वृद्धि हुई✓ आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय में 13.61 प्रतिशत की वृद्धि हुई
ऋण एवं अग्रिम	<ul style="list-style-type: none">✓ ऋण एवं अग्रिम के संवितरण में ₹ 1,917.02 करोड़ की कमी हुई✓ ऋण एवं अग्रिम की वसूली में ₹ 1,242.95 करोड़ की वृद्धि हुई
लोक ऋण	<ul style="list-style-type: none">✓ लोक ऋण प्राप्तियों में 27.36 प्रतिशत की कमी हुई✓ लोक ऋण के पुर्नभुगतान में 54.73 प्रतिशत की वृद्धि हुई
लोक लेखा	<ul style="list-style-type: none">✓ लोक लेखा प्राप्तियों में 13.57 प्रतिशत की कमी हुई✓ लोक लेखा के संवितरण में 6.77 प्रतिशत की वृद्धि हुई
नकद शेष	<ul style="list-style-type: none">✓ पूर्व वर्ष की तुलना में वर्ष 2021-22 के दौरान नकद शेष में ₹ 1,852.38 करोड़ (49.79 प्रतिशत) की वृद्धि हुई

2.2 निधियों के स्रोत एवं अनुप्रयोग


तालिका 2.2 2020-21 से 2021-22 के दौरान राज्य के निधियों के स्रोतों एवं अनुप्रयोग की तुलना करता है। अधिक विवरण परिशिष्ट 2.1 में दिये गये हैं।

तालिका 2.2: 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान निधियों के स्रोत एवं अनुप्रयोग का विवरण
(₹ करोड़ में)

	ब्यौरा	2020-21	2021-22	वृद्धि (+)/कमी (-)
स्रोत	भारतीय रिजर्व बैंक में प्रारंभिक नकद शेष	-54.14	160.55	214.69
	राजस्व प्राप्तियाँ	56,149.75	69,721.86	13,572.11
	ऋण एवं अग्रिम की वसूली	48.78	1,291.73	1,242.95
	लोक ऋण प्राप्तियाँ (निवल)	10,801.75	5,592.79	-5,208.96
	लोक लेखा प्राप्तियाँ (निवल)	4,323.44	-2,999.76	-7,323.20
	कुल	71,269.58	73,767.17	2,497.59
अनुप्रयोग	राजस्व व्यय	59,263.59	62,777.92	3,514.33
	पूँजीगत व्यय	8,465.66	9,376.90	911.24
	ऋण एवं अग्रिमों का संवितरण	3,379.78	1,462.98	-1,916.80
	भारतीय रिजर्व बैंक में अंतिम नकद शेष	160.55	149.37	-11.18
	कुल	71,269.58	73,767.17	2,497.59

चार्ट 2.1 वर्ष 2021-22 के दौरान समेकित निधि में प्राप्तियाँ एवं व्यय की प्रतिशतता का विवरण प्रस्तुत करता है।

चार्ट 2.1: 2021-22 के दौरान निधियों के स्रोत एवं अनुप्रयोग का विवरण



2.3 राज्य के संसाधन

यह कंडिका सम्पूर्ण प्राप्तियों के घटक को दर्शाता है। पूँजीगत एवं राजस्व प्राप्तियों के अलावे, लोक लेखा (संवितरण के बाद निवल) से उपलब्ध निधियों का भी सरकार द्वारा घाटों को पूरा करने हेतु इस्तेमाल किया गया।

राज्य के संसाधनों का विवरण नीचे दिये गये हैं:

1. **राजस्व प्राप्तियों** में कर राजस्व, गैर-कर राजस्व, संधीय करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा एवं भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान शामिल हैं।
2. **पूँजीगत प्राप्तियों** में विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ यथा विनिवेश से आय, ऋण एवं अग्रिम से वसूली, आंतरिक स्रोतों (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों/ वाणिज्यिक बैंको से उधार) से ऋण प्राप्तियाँ और भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम शामिल हैं।

राजस्व एवं पूँजीगत प्राप्तियां दोनों ही राज्य के समेकित निधि का हिस्सा है।

3. **निवल लोक लेखा प्राप्तियाँ** : कुछ विशेष लेन-देन यथा छोटी बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधियाँ, जमा, उचंत, प्रेषण आदि से संबन्धित प्राप्तियाँ एवं भुगतान हैं जो समेकित निधि का हिस्सा नहीं होते हैं।

इन्हें संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के तहत स्थापित लोक लेखा में रखा जाता है और राज्य विधानमंडल द्वारा मतदान के अधीन नहीं होता है। यहाँ, सरकार एक बैंकर के रूप में कार्य करती है। संवितरण के बाद शेष राशि उपयोग हेतु सरकार के पास उपलब्ध होती है।

2.3.1 राज्य की प्राप्तियाँ

यह कंडिका सम्पूर्ण प्राप्तियों के घटक को दर्शाता है। पूँजीगत एवं राजस्व प्राप्तियों के अलावे, लोक लेखा (संवितरण के बाद निवल) से उपलब्ध निधियों का भी सरकार द्वारा घाटों को पूरा करने हेतु इस्तेमाल किया गया। 2021-22 के दौरान राज्य की प्राप्तियों के घटक चार्ट 2.2 में दिये गए हैं।

चार्ट 2.2: 2021-22 के दौरान राज्य की प्राप्तियों के घटक



2.3.2 राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ

यह कंडिका कुल राजस्व प्राप्तियों और इसके घटकों के रुझान का विश्लेषण करता है। इसके बाद, प्राप्तियों में रुझान को केंद्र सरकार से प्राप्ति और राज्य की अपनी प्राप्तियों में विभाजित किया गया है।

2.3.2.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ एवं वृद्धि

तालिका 2.3 पाँच वर्ष की अवधि में स.रा.घ.उ. के संबंध में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियों एवं वृद्धि के साथ-साथ राजस्व उत्प्लावकता को दर्शाती है। आगे, स.रा.घ.उ. से संबंधित राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ एवं राजस्व प्राप्तियों के संयोजन परिशिष्ट 2.2 में प्रस्तुत किए गए हैं।

तालिका 2.3: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ

मापदंड	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
राजस्व प्राप्तियाँ (रा.प्रा.) (₹ करोड़ में)	52,756	56,152	58,417	56,150	69,722
रा.प्रा. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	12.12	6.44	4.03	-3.88	24.17
स्वयं का कर राजस्व	12,353	14,752	16,771	16,880	21,290
कर-भिन्न राजस्व	7,847	8,258	8,750	7,564	10,031
स्वयं के राजस्व की वृद्धि दर (स्वयं के कर एवं कर-भिन्न राजस्व) (प्रतिशत)	8.30	13.90	10.90	-4.20	28.13
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में) (2011-12 श्रृंखला)	2,69,816	3,05,695	3,21,157	3,17,079	3,63,085
स.रा.घ.उ. वृद्धि दर (प्रतिशत)	14.21	13.30	5.06	-1.27	14.51
रा.प्रा./ स.रा.घ.उ. (प्रतिशत)	19.55	18.37	18.19	17.71	19.20
उत्प्लावकता अनुपात¹					
स.रा.घ.उ. के सापेक्ष राजस्व उत्प्लावकता	0.85	0.48	0.80	*	1.67
स.रा.घ.उ. के सापेक्ष राज्य के स्वयं के राजस्व की उत्प्लावकता	0.58	1.05	2.15	*	1.94

स.रा.घ.उ. आँकड़ों का स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय


* चूँकि स.रा.घ.उ. की वृद्धि नकारात्मक थी, अतः उत्प्लावकता संगणित नहीं किया गया।

राज्य की राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर वर्ष 2017-18 में 12.12 प्रतिशत से लगातार घटकर वर्ष 2020-21 में (-) 3.88 प्रतिशत हो गई, जो 2021-22 के दौरान उल्लेखनीय रूप से बढ़कर 24.17 प्रतिशत हो गई। 2021-22 के दौरान राजस्व प्राप्तियों में उल्लेखनीय वृद्धि राज्य के स्वयं के संसाधनों के साथ-साथ केन्द्रीय कर तथा शुल्क के राज्य के हिस्से में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण हुई थी।


तालिका 2.3 से यह देखा जा सकता है कि 2021-22 के दौरान स.रा.घ.उ. के सापेक्ष में राजस्व उत्प्लावकता में राजस्व प्राप्तियों की उच्च वृद्धि के कारण उल्लेखनीय सुधार हुआ। इसी प्रकार, विगत वर्षों की तुलना में वर्तमान वर्ष के दौरान स्वयं कर राजस्व उत्प्लावकता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

¹ उत्प्लावकता अनुपात आधार परिवर्तनीयता में हुए परिवर्तन के संबंध में राजकोषीय परिवर्तन की जवाबदेही के लचीलापन या डिग्री को बतलाता है।

चार्ट 2.3: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ



चार्ट 2.4: राजस्व प्राप्तियों के संयोजकों की प्रवृत्तियाँ



आगे, जैसा कि तालिका 2.3 और चार्ट 2.3 एवं 2.4 में दिखाया गया है, राज्य के अपने राजस्व में पिछले वर्ष के 4.20 प्रतिशत की कमी के मुकाबले 2021-22 के दौरान 28.13 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि हुई। स्वयं कर राजस्व में वृद्धि मुख्य रूप से एस.जी.एस.टी. के ₹ 1,626.84 करोड़, बिक्री और व्यापार कर पर ₹ 912.51 करोड़ और भू-राजस्व पर ₹ 748.28 करोड़ के अधिक संग्रह के कारण थी। गैर-कर राजस्व में वृद्धि मुख्य रूप से अलौह खनन में ₹ 2,522.56 करोड़, वानिकी और वन्य जीवन में ₹ 327.59 करोड़ और विविध सामान्य सेवाएँ में ₹ 311.57 करोड़ की वृद्धि के कारण हुई।

भारत सरकार से प्राप्त राजस्व (सी.टी.टी. और सहायता अनुदान) में पिछले वर्ष की तुलना में 2021-22 के दौरान 21.12 प्रतिशत की वृद्धि हुई। सी.जी.एस.टी. सहित प्रत्येक श्रेणी के केंद्रीय करों के हस्तांतरण (सी.टी.टी.) में भारी वृद्धि के कारण चालू वर्ष के दौरान केंद्रीय करों के हस्तांतरण में ₹ 8,022.42 करोड़ की

उल्लेखनीय वृद्धि हुई। हालाँकि, वर्ष के दौरान भारत सरकार से सहायता अनुदान में कमी (₹ 1,326.56 करोड़ से) देखी गई।


राज्य के स्वयं के संसाधन

केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा वित्त आयोग के अनुशंसा द्वारा निर्धारित की जाती है। केन्द्र सरकार से सहायता अनुदान का निर्धारण केन्द्रीय कर प्राप्तियों के संग्रहण एवं योजनाओं हेतु पूर्व अनुमानित केन्द्रीय सहायता की मात्रा से किया जाता है। अतिरिक्त संसाधनों को जुटाने में राज्य के प्रदर्शन का आकलन उसके स्वयं कर एवं कर-भिन्न स्रोतों से स्वयं के राजस्व के संदर्भ में किया गया है।

अ. स्वयं-कर राजस्व

राज्य के स्वयं कर राजस्व में राज्य जी.एस.टी., राज्य उत्पाद, वाहनों पर कर, पेट्रोलियम एवं शराब पर बिक्री कर, मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क, भू-राजस्व, माल एवं यात्रियों पर कर आदि शामिल हैं। **चार्ट 2.5** वर्ष 2017-18 से 2021-22 अवधि के दौरान राज्य के कर राजस्व की वृद्धि को दर्शाता है।

चार्ट 2.5: वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान कर राजस्व में वृद्धि



तालिका 2.4: राज्य के स्वयं के कर राजस्व के घटक

वर्ष	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	स्पार्कलाइन
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	5,715	3,475	3,996	4,301	5,213	
एस.जी.एस.टी.	4,124	8,201	8,418	7,931	9,557	
राज्य उत्पाद	841	1,083	2,009	1,821	1,807	
वाहनों पर कर	779	864	1,129	976	1,263	
मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क	469	451	560	708	987	
भू राजस्व	156	389	338	873	1,621	
अन्य	270	289	321	270	842	
कुल	12,354	14,752	16,771	16,880	21,290	

स्रोत: वित्त लेखे

2017-18 से 2021-22 के दौरान स्वयं-कर राजस्व के वृद्धि दर ने (-) 7 से 26 प्रतिशत के बीच व्यापक उतार-चढ़ाव दर्शाया। स्वयं-कर उल्लेखनीय रूप से 2020-21 में एक प्रतिशत से बढ़कर 2021-22 में 26 प्रतिशत हो गया, जिसका मुख्य कारण बिक्री, व्यापार आदि पर कर (21 प्रतिशत), एस.जी.एस.टी (21 प्रतिशत), वाहनों पर कर (29 प्रतिशत) और भू-राजस्व (86 प्रतिशत) में उल्लेखनीय वृद्धि थी।

जैसा कि परिवहन विभाग द्वारा सूचित किया गया, मोटर वाहन करों के संग्रह में वृद्धि राज्य सरकार द्वारा वाहनों के पंजीकरण के लिए नई शुल्क संरचना की शुरुआत करने के कारण हुई। 2021-22 के दौरान सेन्ट्रल कोलफिल्ड लिमिटेड से ₹ 500 करोड़ रुपये की बकाया राशि प्राप्त होने के कारण भू-राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। राज्य का स्वयं कर के अन्य घटक के संग्रह की वृद्धि के कारण संबंधित विभागों से प्राप्त नहीं हुए।

राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एस.जी.एस.टी.)

जी.एस.टी. (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम, 2017 के अनुसार, वस्तु एवं सेवा कर लागू किए जाने के कारण राजस्व में कमी को राज्यों को आधार वर्ष (2015-16) से 14 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि मानते हुए आगामी पाँच वर्ष (मार्च 2022 तक) की अवधि तक मुआवजा दिया जाना था। केन्द्र वस्तुओं और सेवाओं के अंतर्राज्यीय आपूर्ति पर एकीकृत जी.एस.टी. (आई.जी.एस.टी) वसूलती है तथा उस राज्य को कर का राज्यांश प्रदान करती है, जिस राज्य में वस्तुओं या सेवाओं की खपत होती है।

राज्य के देय मुआवजे की गणना, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा किए गए लेखापरीक्षा के बाद, अंतिम राजस्व आँकड़ों की प्राप्ति के पश्चात प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए की जाती है। वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत अधिरोपित कर के राजस्व आँकड़े हेतु आधार वर्ष (2015-16) को वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के तहत अंतिम रूप दिया गया। झारखण्ड के मामले में, आधार वर्ष (2015-16) के दौरान राजस्व ₹ 6,410.51 करोड़ था। एक राज्य में किसी भी वर्ष के लिए अनुमानित राजस्व की गणना, उस राज्य के आधार वर्ष के राजस्व पर अनुमानित विकास दर (प्रतिवर्ष 14 प्रतिशत) के आधार पर की जाती है।

आधार वर्ष के अनुसार वर्ष 2021-22 के लिए अनुमानित राजस्व ₹ 14,070.89 करोड़ था। 2021-22 के दौरान जी.एस.टी. में शामिल करों से राज्य सरकार की राजस्व प्राप्ति ₹ 9,557.40 करोड़ थी। वर्ष 2021-22 के लिए राज्य के राजस्व संग्रह को सुरक्षित रखने के लिए भारत सरकार ने कोई मुआवजा प्रदान नहीं किया। हालांकि, अप्रैल 2020 से मार्च 2021 की अवधि से संबंधित ₹ 1,525.63 करोड़ की राशि का मुआवजा 2021-22 के दौरान प्रदान किया था।

आई.जी.एस.टी. के अग्रिम विभाजन का भविष्य में आई.जी.एस.टी. भुगतान से समायोजन

भारत सरकार को आई.जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 17 के अंतर्गत आई.जी.एस.टी. को राज्य सरकारों में विभाजित करना है। राज्य कर प्रभाग, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग (भारत सरकार) ने ₹ 557.12 करोड़ की राशि की अनंतिम/अग्रिम की स्वीकृति इस शर्त पर दी गयी कि इस राशि का समायोजन आई.जी.एस.टी. का भविष्य में भुगतान से कर ली जाएगी। 2021-22 के दौरान आई.जी.एस.टी. का अग्रिम विभाजन में पिछले वर्ष के मुकाबले (₹ 608.26 करोड़) 8.41 प्रतिशत की कमी हुई।

जी.एस.टी. प्राप्तियों की लेखापरीक्षा

जी.एस.टी.एन. परिधि पर सम्पूर्ण भारत के आंकड़ों तक पहुँच प्रदान करने हेतु भारत सरकार का निर्णय 22 जून 2020 को संप्रेषित की गई। आँकड़ों तक अपेक्षित पहुँच जनवरी 2021 में प्रदान की गई।

बकाया राजस्व एवं बकाया मूल्यांकन का विश्लेषण

बकाया राजस्व सरकार के राजस्व के विलंब से प्राप्ति को इंगित करता है। उसी प्रकार, बकाया मूल्यांकन संभावित राजस्व को दर्शाता है जो विलंब से मूल्यांकन के कारण अवरुद्ध होती है। दोनों संभावित राजस्व प्राप्तियों से राज्य को वंचित रखते हैं और अंततः राजस्व घाटे को प्रभावित करते हैं।

31 मार्च 2022 को, राजस्व संग्रहण में बकाया ₹ 8,071.97 करोड़ (वाणिज्यिक कर विभाग तथा मोटर वाहन कर विभाग) था जिनमें से ₹ 2,007.25 करोड़ पाँच साल से अधिक समय से बकाया था। इन विभागों में कुल बकाया राशि में से ₹ 3,183.76 करोड़ की राशि न्यायालयों एवं अन्य अपीलीय प्राधिकरणों में अवरुद्ध थी। अन्य विभागों के ब्यौरे दिसम्बर 2022 तक उपलब्ध नहीं थे।

ब. कर-भिन्न राजस्व

कर-भिन्न राजस्व (क.भि.रा.) में ब्याज प्राप्तियाँ, लाभांश एवं लाभ, खनन प्राप्तियाँ, विभागीय प्राप्तियाँ इत्यादि शामिल होती हैं।

वर्ष 2021-22 के दौरान ₹ 10,031 करोड़ का कर-भिन्न राजस्व संग्रहित हुआ। कर-भिन्न राजस्व का संग्रहण वर्ष हेतु ₹ 13,500 करोड़ के बजट आकलन से उल्लेखनीय रूप से कम था। वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान संग्रहित कर-भिन्न राजस्व का घटकवार विवरण तालिका 2.5 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.5: वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान संग्रहित कर-भिन्न राजस्व

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	स्पार्कलाइन
ब्याज प्राप्तियां	169	47	310	81	96	
लाभांश एवं लाभ	0	0	0	15	0	
अन्य कर भिन्न प्राप्तियां	7,678	8,211	8,440	7,468	9,935	
(क) अलौह खनन तथा धातु कर्म	5,941	5,935	5,461	5,012	7,535	
(ख) शिक्षा	20	590	469	166	128	
(ग) शहरी विकास	122	265	529	80	263	
(घ) वृहत् सिंचाई	131	321	424	32	79	
(³) जन आपूर्ति	5	6	420	137	132	
(च) अन्य	1,459	1,094	1,137	2,041	1,798	
कुल	7,847	8,258	8,750	7,564	10,031	

वर्ष 2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियों में कर-भिन्न राजस्व का हिस्सा 13.47 प्रतिशत और 14.98 प्रतिशत के बीच था। यह 2020-21 में 13.47 प्रतिशत से बढ़कर 2021-22 में 14.39 प्रतिशत हो गयी। कर भिन्न राजस्व का मुख्य स्रोत अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग से प्राप्तियाँ थीं, जो 2020-21 में ₹ 5,012 करोड़ से उल्लेखनीय रूप से बढ़कर 2021-22 में ₹ 7,535 करोड़ हो गई। 2021-22 के दौरान वानिकी और वन्यजीव (₹ 328 करोड़ से), शहरी विकास (₹ 183 करोड़ से) और विविध सामान्य सेवा (₹ 312 करोड़ से) के संग्रहण में उल्लेखनीय वृद्धि देखा गया।

लघु शीर्ष-913 के अंतर्गत अनियमित जमा


वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान लेखांकन नियमों के विरुद्ध लेखा के व्यय शीर्ष के तहत व्यय में कमी के रूप में दर्शाने के बजाय राज्य सरकार द्वारा पिछले वर्षों से संबंधित सहायता अनुदान एवं अप्रयुक्त योजना निधियों के अव्ययित शेष ₹ 467.05 करोड़ को लेखों में प्राप्ति शीर्ष के लघु शीर्ष 913 - 'सहायता अनुदान के अव्ययित शेष राशि की वसूली' के अंतर्गत जमा किया गया। राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षित डिजिटल डेटा में विवरण की अनुपलब्धता के कारण अव्ययित शेष को केंद्र प्रायोजित योजनाओं और राज्य योजनाओं के बीच विभाजित नहीं किया जा सका। जमा की गई राशि जो वास्तविक राजस्व नहीं था को राजस्व प्राप्तियों में शामिल करने के परिणामस्वरूप उस सीमा तक राजस्व प्राप्तियों को अधिक एवं राजस्व व्यय को कम दिखाया गया।

स. केन्द्र सरकार से अंतरण

केंद्रीय कर अंतरण और सहायता अनुदान के रूप में राज्य को केन्द्र सरकार द्वारा अंतरण, वर्ष 2013-14 को छोड़कर जब यह इस लक्ष्य से ठीक नीचे था, वर्ष 2012-13 से 2021-22 के दौरान राज्य की कुल गैर-ऋण राजस्व के 50 प्रतिशत से अधिक था। गैर-ऋण प्राप्तियों से केंद्रीय हस्तांतरण का अनुपात 2017-18

(62 प्रतिशत) के दौरान सबसे अधिक था, क्योंकि स्वयं के राजस्व का कम संग्रह और जीएसटी के कार्यान्वयन से होने वाली राजस्व हानि के लिए मुआवजे की कम प्राप्ति हुई थी। 2021-22 के दौरान यह अनुपात 54 प्रतिशत था।

चार्ट 2.6: केन्द्र से राज्य को अंतरण



राज्य को केन्द्र द्वारा करों का अंतरण वर्ष 2012-13 के ₹ 8,188 करोड़ से निरंतर रूप से बढ़कर वर्ष 2021-22 में ₹ 27,735 करोड़ हो गया, वर्ष 2019-20 और 2020-21 को छोड़कर, जब यह घटकर क्रमशः ₹ 20,593 करोड़ और ₹ 19,712 करोड़ हो गया था।

केन्द्रीय कर अंतरण

तालिका 2.6 में पिछले पाँच वर्षों का केन्द्रीय कर अंतरण (सी.टी.टी.) का घटकार प्रवृत्ति दर्शाया गया है।

तालिका 2.6: केन्द्रीय कर अंतरण

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सी.जी.एस.टी.)	299	5,900	5,844	5,863	8,367
एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आई.जी.एस.टी.)	2,134	471	0	0	0
निगम कर	6,475	8,313	7,021	5,944	7,139
निगम कर के अलावा आय पर कर	5,467	6,122	5,502	6,093	8,693
सीमा शुल्क	2,134	1,695	1,305	1,050	2,060
संघ उत्पाद शुल्क	2,230	1,126	908	663	1,089
सेवा कर	2,404	220	0	85	356
अन्य कर ²	0	59	13	14	31
केन्द्रीय कर अंतरण	21,144	23,906	20,593	19,712	27,735
विगत वर्ष से वृद्धि की प्रतिशतता	10	13	-14	-4	41
राजस्व प्राप्ति के सापेक्ष केन्द्रीय कर अंतरण का प्रतिशतता	40	43	35	35	40

² संपत्ति पर कर, आय और व्यय पर अन्य कर, वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर व शुल्क शामिल हैं।

पिछले वर्ष की तुलना में 2021-22 में सी.टी.टी. में ₹ 8,023 करोड़ की वृद्धि हुई जो सभी करों के अंतरण में वृद्धि के कारण थी, जैसा कि उपरोक्त तालिका में दर्शाया गया है। परिणामस्वरूप पिछले वर्ष की तुलना में सी.टी.टी. के सापेक्ष राजस्व प्राप्ति में पाँच प्रतिशत की वृद्धि हुई।

भारत सरकार से सहायता अनुदान

वर्ष 2017-18 से 2021-22 अवधि के दौरान भारत सरकार से सहायता अनुदान की वृद्धि दर (-) 19.07 प्रतिशत और 33.21 प्रतिशत के बीच वृहत रूप से दोलित रहा। भारत सरकार से सहायता अनुदान की वृद्धि दर वर्ष 2019-20 (33.21 प्रतिशत) के दौरान उच्चतम थी, जो पिछले वर्ष की तुलना में 2020-21 में (-) 2.51 प्रतिशत से और 2021-22 में (-) 11.06 प्रतिशत से घट गई।

इसके अलावा, 2020-21 के दौरान सहायता अनुदान राजस्व प्राप्ति का 21.36 प्रतिशत से घटकर 2021-22 में 15.30 प्रतिशत हो गया। यह मुख्य रूप से राज्य के ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों के लिए कम आधारभूत अनुदान (₹ 1,134 करोड़ से) प्राप्त होने के कारण थी। जी.एस.टी.³ लागू होने से होने वाले राजस्व नुकसान की भरपाई में भी ₹ 433 करोड़ की कमी हुई।

तालिका 2.7: भारत सरकार से सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
केन्द्र प्रायोजित योजनाओं हेतु अनुदान (सी.एस.एस.)	7,985.24	6,996.85	7,339.05	6,838.85	6,577.16
वित्त आयोग अनुदान	1,583.03	1,059.89	3,154.60	2,990.50	2,198.30
राज्यों/विधानमण्डल वाले केन्द्र शासित प्रदेशों को अन्य अंतरण/अनुदान	1,844.02	1,178.78	1,809.01	2,164.06	1,891.40
कुल	11,412.29	9,235.52	12,302.66	11,993.41	10,666.86
पिछले वर्ष से वृद्धि की प्रतिशतता	23.23	-19.07	33.21	-2.51	-11.06
राजस्व प्राप्तियों से जी.आई.ए. की प्रतिशतता	21.63	16.45	21.06	21.36	15.30

स्रोत: वित्त लेखे

2017-18 से 2021-22 के दौरान भारत सरकार द्वारा प्रदत्त राज्य को सहायता अनुदान ₹ 9,235.52 करोड़ से ₹ 12,302.66 करोड़ के बीच दोलित रहा और इस अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियों में इसका प्रतिशत 15.30 प्रतिशत से 21.63 प्रतिशत के बीच रहा। सहायता अनुदान की वृद्धि 2020-21 में (-) 2.51 प्रतिशत से घटकर 2021-22 में (-) 11.06 प्रतिशत हो गई।

³ 2021-22 के दौरान प्राप्त ₹ 1,525.63 करोड़ वर्ष 2020-21 की भरपाई थी।

पंद्रहवें वित्त आयोग (एफ.एफ.सी.) अनुदान

एफ.एफ.सी की सिफारिश पर, आधारभूत और सामान्य निष्पादन अनुदान के रूप में शहरी स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थानों हेतु राज्य सरकार को केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान किए गए अनुदानों का विवरण तालिका 2.8 में दिया गया है।

तालिका 2.8: अनुशंसित राशि, वास्तविक निर्गमन और सहायता अनुदान का अंतरण

(₹ करोड़ में)

अंतरण	15 ^{वें} एफ. सी. की अनुशंसा	भारत सरकार द्वारा निर्गमन			राज्य सरकार द्वारा निर्गमन (केन्द्रीय निर्गमन सहित)		
	2020-25	2020-21	2021-22	कुल	2020-21	2021-22	कुल
स्थानीय निकाय							
(i) पी.आर.आई. को अनुदान	6,585.00	1,689.00	699.30	2,388.30	1,771.19	772.76	2,543.95
(अ) सामान्य आधारभूत अनुदान	ज्ञात नहीं	1,689.00	699.30	2,388.30	1,771.19	772.76	2,543.95
(ब) सामान्य निष्पादन अनुदान	ज्ञात नहीं	0.00	0.00	0.00			
(ii) यू.एल.बी. को अनुदान	3,367.00	733.50	600.20	1,333.70	1,930.03	1,042.33	2,972.36
(अ) सामान्य आधारभूत अनुदान	ज्ञात नहीं	530.25	0.00	530.25	1,930.03	1,042.33	2,972.36
(ब) सामान्य निष्पादन अनुदान	ज्ञात नहीं	203.25	600.20	803.45			
स्थानीय निकायों के लिए कुल	9,952.00	2,422.50	1,299.50	3,722.00	3,701.22	1,815.09	5,516.31
राज्य आपदा मोचन कोष*	0.00	568.00	454.40	1,022.40	757.00	605.60	1,362.60
कुल योग	9,952.00	2,990.50	1,753.90	4,744.40	4,458.22	2,420.69	6,878.91

* कुल अनुदान का 25 प्रतिशत राज्यांश सहित

स्रोत: पंद्रहवें वित्त आयोग प्रतिवेदन तथा वित्त लेखे

राज्य के शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थानों के लिए वर्ष 2020-25 की अवधि के लिए ₹ 9,953 करोड़ के 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के विरुद्ध 2020-21 और 2021-22 के दौरान केंद्र सरकार द्वारा ₹ 3,722 करोड़ जारी किये गए। आगे, वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य द्वारा यू.एल.बी, पी.आर.आई. और एस.डी.आर.एफ. को जारी कुल ₹ 2,420.69 करोड़ में से ₹ 1,753.90 करोड़ केन्द्र सरकार से प्राप्त हुए थे।

2.3.3 पूँजीगत प्राप्तियाँ

पूँजीगत प्राप्तियों में विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ यथा विनिवेश से आय, ऋण एवं अग्रिम से वसूली, आंतरिक स्रोत से ऋण प्राप्तियाँ (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों/वाणिज्यिक बैंको से उधार) और भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम शामिल हैं। वर्ष 2017-22 के दौरान पूँजीगत प्राप्तियों का विवरण तालिका 2.9 में दिया गया है।

तालिका 2.9: पूँजीगत प्राप्तियों की संरचना एवं वृद्धि की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

राज्य की प्राप्तियों के स्रोत	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
पूँजीगत प्राप्तियाँ	8,203.85	7,850.43	9,642.31	13,595.36	11,131.62
विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	25.09	0.00	0.00	0.00	0.00
ऋण एवं अग्रिम की वसूली	42.41	47.57	49.19	48.78	1,291.73
निवल लोक ऋण प्राप्तियाँ	5,187.81	4,743.34	5,361.72	10,801.76	5,592.79
आंतरिक ऋण	5,117.24	4,637.10	5,109.14	8,411.43	2,581.42
वृद्धि दर (प्रतिशत में)	3.86	(-9.37)	10.17	64.63	-69.31
भारत सरकार से ऋण व अग्रिम	70.57	106.22	252.44	2,390.33*	3,011.37*
वृद्धि दर (प्रतिशत में)	(-7.76)	50.52	137.66	846.89	25.98
ऋण पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	14.90	(-4.10)	22.93	41.21	27.36
गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	76.32	(-29.85)	4.66	(-0.83)	2,548.07
स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	14.21	13.30	5.06	(-1.27)	14.51
पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	15.23	(-4.31)	22.83	41.00	(-18.12)

स्रोत: वित्त लेखे एवं MoSPI वेबसाइट

* बैंक टू बैंक ऋण के रूप में प्राप्त जीएसटी क्षतिपूर्ति को शामिल करते हुए (2021-22 में ₹ 2,484.41 करोड़ एवं वर्ष 2020-21 में ₹ 1689 करोड़)

जैसा कि उपरोक्त तालिका में दर्शाया गया है, 2017-18 से 2021-22 के दौरान पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर ने (-) 4.31 प्रतिशत और 41 प्रतिशत के बीच व्यापक दोलन दिखाया। 2021-22 के दौरान, राज्य की पूँजीगत प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में, मुख्य रूप से बाजार ऋणों के तहत कम उधारी (₹ 4,400 करोड़ से) के कारण काफी कमी आई, जिसे भारत सरकार द्वारा ऋण और अग्रिमों के तहत अधिक प्राप्ति (₹ 657 करोड़ से) द्वारा आंशिक रूप से प्रतिपूरित किया गया था।

ऊर्जा कंपनियों से ऋण वसूली के कारण पिछले वर्ष की तुलना में 2021-22 में गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियों में (₹ 1,243 करोड़ से) उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

2020-21 में ₹ 1,689 करोड़ की तुलना में वर्ष 2021-22 के दौरान, भारत सरकार से जी.एस.टी. क्षतिपूर्ति अनुदान ₹ 2,484.41 करोड़ की बैंक टू बैंक ऋण प्राप्त होने के कारण भारत सरकार से प्राप्त ऋण में ₹ 657 करोड़ से वृद्धि हुई। चालू वर्ष के दौरान कोविड-19 महामारी से उत्पन्न कठिन वित्तीय वातावरण में पूँजीगत व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता के रूप में ₹ 246 करोड़ का ऋण भी प्रदान किया गया। जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा तय किया गया है, जी.एस.टी. क्षतिपूर्ति के बदले राज्य को प्रदान किए गए बैंक टू बैंक ऋणों के लिए राज्य की कोई पुनर्भुगतान देयता नहीं थी। भारत सरकार द्वारा यह भी निर्णय लिया गया था कि राजकोषीय घाटे और ऋण देयता की गणना के लिए बैंक टू बैंक ऋण और पूँजीगत व्यय के लिए विशेष सहायता को शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

2.3.4 संसाधनों के संग्रहण में राज्य का प्रदर्शन

संसाधनों को जुटाने में राज्य का प्रदर्शन स्वयं के कर एवं कर-भिन्न स्रोत सहित स्वयं के संसाधनों के संदर्भ में होता है। बजट/एम.टी.एफ.पी तथा 2021-22 के लिए एफ.एफ.सी. में संसाधनों के संग्रहण के अनुमान तालिका 2.10 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.10: 2021-22 हेतु कर एवं कर-भिन्न अनुमान के सापेक्ष प्राप्ति

(₹ करोड़ में)

	एम.टी.एफ.पी. अनुमान	एफ.एफ.सी. अनुमान	वास्तविक	एम.टी.एफ.पी. अनुमान के सापेक्ष वास्तविक विचलन की प्रतिशतता
स्वयं-कर राजस्व	23,265	15,041	21,290	(-)8.49
कर-भिन्न राजस्व	13,500	8,921	10,031	(-)25.70

जैसा कि तालिका 2.10 में दर्शाया गया है, वर्ष 2021-22 के दौरान स्वयं-कर राजस्व एवं कर-भिन्न राजस्व का वास्तविक संग्रहण वर्ष के लिए अनुमानित एम.टी.एफ.पी. अनुमान से बहुत कम था। हालांकि, वर्ष के दौरान स्वयं कर राजस्व तथा कर-भिन्न राजस्व का संग्रहण एफ.एफ.सी. के अनुमान से अधिक था।

2.4 संसाधनों के अनुप्रयोग

राजकोषीय उत्तरदायी अधिनियम ढाँचे के अधीन व्यय करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है, जबकि उसी समय यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि राज्य में चल रहे राजकोषीय सुधार एवं समेकन प्रक्रिया, पूँजीगत मूल संरचना तथा सामाजिक क्षेत्र के विकास के लिए निर्देशित व्यय की लागत पर ना हो।

व्यय की संरचना एवं वृद्धि

तालिका 2.11, चार्ट 2.7 तथा परिशिष्ट 2.2 विगत पाँच वर्षों (2017-18 से 2021-22) में कुल व्यय तथा उसकी संरचना की प्रवृत्तियाँ प्रस्तुत करते हैं।

तालिका 2.11: कुल व्यय एवं इसकी संरचना

(₹ करोड़ में)

ब्यौरा	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
कुल व्यय (कु.व्य.)	64,756	62,827	66,501	71,110	73,618
राजस्व व्यय (रा.व्य.)	50,952	50,631	56,457	59,264	62,778
पूँजीगत व्यय (पूँ.व्य.)	11,953	10,712	9,879	8,466	9,377
ऋण एवं अग्रिम	1,852	1,485	165	3,380	1,463
स.रा.घ.उ. के प्रतिशतता के रूप में					
कुल व्यय/ स.रा.घ.उ.	24.00	20.60	20.70	22.40	20.28
राजस्व व्यय/ स.रा.घ.उ.	18.90	16.56	17.58	18.69	17.29
पूँजीगत व्यय/ स.रा.घ.उ.	4.43	3.50	3.08	2.67	2.58
ऋण एवं अग्रिम/ स.रा.घ.उ.	0.69	0.49	0.05	1.07	0.40

जैसा कि तालिका 2.11 में दर्शाया गया है कि स.रा.घ.उ. से कुल व्यय, राजस्व व्यय, ऋण और अग्रिम इत्यादि के अनुपात में वर्ष 2020-21 के दौरान इसके


अनुपात की तुलना में 2021-22 के दौरान कमी हुई, जबकि स.रा.घ.उ. से पूँजीगत व्यय का अनुपात 2017-18 से 2021-22 तक लगातार घटती गयी। तालिका में व्यय की प्रवृत्ति सरकारी खर्च में बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाती है। चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा पूँजीगत परिसंपत्ति के सृजन को भी प्राथमिकता दी गई।

तालिका 2.12: विभिन्न क्षेत्रों की व्यय में सापेक्षिक हिस्सेदारी

(प्रतिशत में)


ब्यौरा	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
सामान्य सेवा	26.90	29.40	30.00	29.00	30.00
सामाजिक सेवा	32.60	32.50	34.50	35.00	36.00
आर्थिक सेवा	40.50	38.10	35.50	36.00	34.00

चार्ट 2.7: कुल व्यय - गतिविधियों के अनुसार व्यय



तालिका 2.12 एवं चार्ट 2.7 से यह स्पष्ट है कि सामान्य सेवाओं पर व्यय का हिस्सा 2020-21 को छोड़कर वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान लगातार बढ़ता रहा। सामाजिक सेवाओं पर व्यय का हिस्सा 2018-19 और 2021-22 के दौरान लगातार बढ़ता रहा। उपरोक्त तालिका एवं चार्ट से यह भी देखा जा सकता है कि आर्थिक सेवाओं पर व्यय 2017-18 में 40 प्रतिशत से लगातार घटकर 2021-22 में 34 प्रतिशत हो गया, जो इस क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा दी गई कम प्राथमिकता का संकेत था।

चार्ट 2.8: कुल व्यय - इसके घटकों के भाग का रूझान



जैसा कि चार्ट 2.8 से स्पष्ट है कि कुल व्यय में राजस्व व्यय का हिस्सा 2020-21 को छोड़कर 2017-18 में 78.68 प्रतिशत से लगातार बढ़कर 2021-22 में 85.28 प्रतिशत हो गया। 2017-22 के दौरान पूँजीगत व्यय की हिस्सेदारी में 11.91 प्रतिशत तथा 18.46 प्रतिशत के बीच व्यापक दोलन देखा गया। 2021-22 के दौरान ऋण और अग्रिम की हिस्सेदारी में पिछले वर्ष के सापेक्ष काफी कमी हुई।

2.4.1 राजस्व व्यय

राजस्व व्यय पूर्व के उत्तरदायित्व हेतु भुगतान तथा सेवाओं के वर्तमान स्तर को बनाए रखने के लिए किया जाता है। अतः, यह राज्य के आधारभूत ढाँचे और सेवा विस्तार में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं करता।

यह देखा गया कि कुल व्यय के प्रतिशतता के रूप में राजस्व व्यय (रा.व्य.) वर्ष 2017-18 के 79 प्रतिशत से उल्लेखनीय रूप से बढ़कर 2021-22 में 85.28 प्रतिशत हो गया। आगे, 2021-22 में स.रा.घ.उ. के प्रतिशतता के रूप में राजस्व व्यय में पिछले वर्ष से एक प्रतिशत से अधिक की कमी हुई।

2021-22 के दौरान कुल राजस्व व्यय ₹ 62,778 करोड़ में से ₹ 30,618 करोड़ स्थापना पर तथा ₹ 32,160 करोड़ राज्य तथा केन्द्रीय योजनाओं पर व्यय किया गया। आगे, राजस्व व्यय का मुख्य हिस्सा (36 प्रतिशत) सामाजिक सेवा पर खर्च किया गया, इसके बाद आर्थिक सेवा पर (34 प्रतिशत) खर्च किया गया। कुल राजस्व व्यय, उसकी वृद्धि दर, कुल व्यय से इसका अनुपात स.रा.घ.उ. तथा राजस्व प्राप्तियाँ के सापेक्ष उत्प्लावकता तालिका 2.13 में दर्शाया गया है। 2021-22 से संबंधित राजस्व व्यय का क्षेत्रवार वितरण चार्ट 2.9 में दिया गया है।

तालिका 2.13: राजस्व व्यय-आधारभूत मापदंड


(₹करोड़ में)

ब्यौरा	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
कुल व्यय (कु.व्य.)	64,756	62,827	66,501	71,110	73,618
राजस्व व्यय (रा.व्य.)	50,952	50,631	56,457	59,264	62,778
रा.व्य. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	13.00	-0.60	11.50	5.00	5.93
कुल व्यय के प्रतिशतता के रूप में रा.व्य.	78.70	80.60	84.90	83.30	85.28
रा.व्य/ स.रा.घ.उ.(प्रतिशत)	18.90	16.56	17.58	18.69	17.29
रा.प्राप्ति के प्रतिशतता के रूप में रा.व्य.	96.60	90.20	96.60	105.50	90.00
राजस्व व्यय की उत्प्लावकता के साथ					
स.रा.घ.उ. (अनुपात)	0.91	-0.05	2.27	-3.94	0.41
राजस्व प्राप्तियाँ (अनुपात)	1.07	-0.09	2.85	-1.29	0.24

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

2021-22 के दौरान कुल राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में विभिन्न सेवाओं पर राजस्व व्यय चार्ट 2.9 में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.9: राजस्व व्यय का क्षेत्रवार-विवरण



2020-21 में पाँच प्रतिशत के तुलना में 2021-22 के दौरान राजस्व व्यय की वृद्धि दर छः प्रतिशत रही यद्यपि कुल व्यय में इसकी प्रतिशतता पिछले वर्ष के लगभग बराबर रही। हालांकि, स.रा.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में, पिछले वर्ष की तुलना में राजस्व व्यय में 1.40 प्रतिशत की कमी हुई। यह भी देखा गया कि 2021-22 के दौरान बजट आकलन (₹ 75,755 करोड़) के सापेक्ष राजस्व व्यय ₹ 12,977 करोड़ से कम था।

राजस्व व्यय में मुख्य बदलाव

वर्तमान एवं विगत वर्ष के दौरान राज्य के राजस्व व्यय के संबंध में विभिन्न लेखा शीर्षों के अधीन उल्लेखनीय विचलन तालिका 2.14 में वर्णित है।

तालिका 2.14: 2020-21 की तुलना में 2021-22 के दौरान राजस्व व्यय में विचलन

(₹ करोड़ में)

लेखे के मुख्य शीर्ष	2020-21	2021-22	वृद्धि(+)/ कमी(-)
2049- ब्याज भुगतान	57.90	62.86	4.96
2055- पुलिस	49.39	52.78	3.39
2271- पेंशन	67.96	76.14	8.18
2202- सामान्य शिक्षा	97.66	108.17	10.51
2217- शहरी विकास	28.61	24.21	-4.40
2235 - सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	35.37	39.43	4.06
2236- पोषण	2.72	5.45	2.73
2401- फसल कृषि-कर्म	9.98	22.13	12.15
2505- ग्रामीण रोजगार	41.23	36.09	-5.14
2801- उर्जा	18.72	36.58	17.86
2515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	30.21	16.21	-14.00
3451- सचिवालय आर्थिक सेवा	8.58	1.74	-6.84

जैसा कि उपरोक्त तालिका में दिखाया गया है, अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, शहरी विकास और ग्रामीण रोजगार पर राजस्व व्यय पिछले वर्ष से 2021-22 के दौरान कम हुआ।

अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर राजस्व व्यय में कमी मुख्य रूप से ग्राम पंचायतों, सामुदायिक विकास, प्रखण्ड पंचायतों आदि को कम सहायता मिलने के कारण हुई।

शहरी विकास पर कम व्यय मुख्य रूप से स्थानीय निकाय निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों और शहरी उन्नति आदि को कम सहायता के कारण थी।

ऊर्जा पर राजस्व व्यय में वृद्धि 'जल विद्युत् उत्पादन में यंत्र तथा मशीनरी', 'ग्रामीण विद्युतीकरण जनजातीय क्षेत्र उप-योजना' आदि पर अधिक व्यय का परिणाम था। इसी प्रकार, फसल कृषि-कर्म में वृद्धि 'खाद्य पदार्थ फसल' और 'जनजातीय क्षेत्र उप-योजना' पर अधिक व्यय का परिणाम था।

2.4.2 प्रतिबद्ध व्यय

राजस्व लेखे पर राज्य सरकार के प्रतिबद्ध व्यय में ब्याज भुगतान, वेतन व मजदूरी और पेंशन पर व्यय शामिल है। यह सरकारी संसाधनों पर सर्वप्रथम भारित होता है। प्रतिबद्ध व्यय में वृद्धि की प्रवृत्ति, विकास पर व्यय के लिए सरकार के पास कम सम्भावना छोड़ती है।

तालिका 2.15 वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान प्रतिबद्ध व्यय के घटकों की प्रवृत्तियाँ समान अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियों एवं राजस्व व्यय के सापेक्ष प्रतिबद्ध व्यय की प्रतिशतता को दर्शाती है।

तालिका 2.15: प्रतिबद्ध व्यय के घटक

(₹ करोड़ में)

प्रतिबद्ध व्यय के घटक	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
वेतन व मजदूरी	11,221	12,138	12,832	12,885	13,979
पेंशन पर व्यय	5,913	5,991	6,005	6,797	7,614
ब्याज भुगतान	4,662	4,852	5,308	5,790	6,286
कुल	21,796	22,981	24,145	25,472	27,879
राजस्व प्राप्तियों (रा. प्रा.) के प्रतिशतता के रूप में					
वेतन व मजदूरी	21.30	21.60	22.00	22.90	20.05
पेंशन पर व्यय	11.21	10.67	10.28	12.11	10.92
ब्याज भुगतान	8.84	8.64	9.09	10.31	9.02
कुल	41.34	40.91	41.37	45.32	39.99
राजस्व व्यय (रा. व्य.) के प्रतिशतता के रूप में					
वेतन व मजदूरी	22.02	23.97	22.73	21.74	22.27
पेंशन पर व्यय	11.61	11.83	10.64	11.47	12.13
ब्याज भुगतान	9.15	9.58	9.40	9.77	10.01
कुल	42.75	45.42	42.74	42.98	44.41

2021-22 के दौरान, वेतन व मजदूरी, ब्याज अदायगी एवं पेंशन पर कुल व्यय वर्ष 2020-21 में 42.98 प्रतिशत के सापेक्ष राजस्व व्यय का प्रतिशत 44.41 रहा, जबकि, राजस्व प्राप्तियों में इसका हिस्सा 2020-21 में 45.32 प्रतिशत के सापेक्ष 2021-22 में उल्लेखनीय रूप से 39.99 प्रतिशत तक घट गई।

ब्याज अदायगी

ब्याज अदायगी की वृद्धि दर वर्ष 2020-21 के 9.10 प्रतिशत के सापेक्ष वर्ष 2021-22 में 8.60 प्रतिशत थी। वर्ष के दौरान राजस्व प्राप्तियों की उच्च वृद्धि दर के कारण राजस्व प्राप्तियों से ब्याज भुगतान की प्रतिशतता वर्ष 2020-21 में 10.31 प्रतिशत से घटकर 2021-22 में 9.02 प्रतिशत हो गई।

पेंशन भुगतान

वर्ष 2021-22 के दौरान झारखण्ड सरकार ने अपने कर्मचारियों को पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ के रूप में ₹ 6,793.77 करोड़ (एनएसडीएल को नियोक्ता अंशदान के रूप में प्रेषित ₹ 820.53 करोड़ को छोड़कर) का भुगतान किया। कुल पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ नियोक्ता अंशदान सहित (₹ 7,614.30 करोड़) राजस्व प्राप्ति एवं राजस्व व्यय का क्रमशः 10.92 प्रतिशत और 10.13 प्रतिशत रहा। वर्ष 2021-22 के दौरान कुल पेंशन भुगतान सरकार द्वारा भुगतान किये गए कुल वेतन एवं मजदूरी का 54.47 प्रतिशत था जो प्रतिबद्ध दायित्वों पर व्यय हेतु सरकार पर दबाव को इंगित करता है।

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में अमुक्त दायित्व

1 दिसम्बर 2004 को या उसके बाद बहाल किए गए राज्य सरकार के कर्मचारियों को एक परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के तहत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (रा.पे.प्र.) में रखा गया है। इस योजना के संदर्भ में, कर्मचारी मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत अंशदान देता है जिसके विरुद्ध मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 14 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा भी दिया जाता है तथा सम्पूर्ण राशि नेशनल सिक्क्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एन.एस.डी.एल./ट्रस्टी बैंक को हस्तांतरित कर दी जाती है।

2021-22 के दौरान ₹ 820.53 करोड़ नियोक्ता योगदान को एन.एस.डी.एल. को हस्तांतरित किया गया था। वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य सरकार ने एन.एस.डी.एल. के द्वारा नामित निधि प्रबंधक को कर्मचारियों के योगदान से प्राप्त ₹ 637.17 करोड़ के विरुद्ध ₹ 638.35 करोड़ की प्राप्ति हस्तांतरित किया। वर्ष 2021-22 के अंत तक लोक लेखा में (मुख्य शीर्ष 8342-117- परिभाषित योगदान पेंशन योजना) ₹ 24.15 करोड़ शेष रह गयी।

सब्सिडी

जैसा कि तालिका 2.16 में दिए गए विवरण से देखा जा सकता है कि वर्ष 2021-22 के दौरान सब्सिडी पर व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशतता के रूप में सब्सिडी 2020-21 में 5.71 प्रतिशत से बढ़कर 2021-22 में 8.11 प्रतिशत हो गई है। इसी प्रकार, राजस्व व्यय के प्रतिशतता के रूप में सब्सिडी 2020-21 में 5.41 प्रतिशत से बढ़कर 2021-22 में 9.00 प्रतिशत हो गई।

2021-22 के दौरान, झारखण्ड सरकार ने मुख्यतः मुख्य शीर्ष 2401- फसल कृषि-कर्म (₹ 2,025 करोड़), 2801- ऊर्जा (₹ 2,072 करोड़) तथा 3456- जन आपूर्ति (₹ 1,318 करोड़) को सब्सिडी दी। सिंचाई हेतु कोई सब्सिडी नहीं दी गई। पिछले वर्ष की तुलना में 2021-22 के दौरान, सब्सिडी में ₹ 2,445 करोड़ की वृद्धि मुख्य रूप से किसानों को ऋण माफी योजना के तहत सब्सिडी में ₹ 1,300 करोड़ और उपभोक्ताओं के लिए जे.बी.वी.एन.एल. के माध्यम से टैरिफ सब्सिडी में ₹ 1,072 करोड़ की वृद्धि के कारण थी।

तालिका 2.16: वर्ष 2017-22 के दौरान सब्सिडी पर व्यय

	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
सब्सिडी (₹ करोड़ में)	1,440	2,092	4,275	3,208	5,653
राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशतता के रूप में सब्सिडी	2.73	3.73	7.32	5.71	8.11
राजस्व व्यय के प्रतिशतता के रूप में सब्सिडी	2.83	4.13	7.57	5.41	9.00

स्रोत: वित्त एवं विनियोग लेखे

सब्सिडी न केवल प्रत्यक्ष रूप से वितरित की जाती है बल्कि लोगों को रियायती दर पर सार्वजनिक सेवा प्रदान करके अप्रत्यक्ष रूप से भी वितरित की जाती है। वर्ष 2021-22 के खातों की जांच के दौरान पाया गया कि ₹ 347.72 करोड़ (अनुदान संख्या 51, 58, 59 और 60) छात्रों को पोशाक, साइकिल, पाठ्य पुस्तकें, स्कूल किट और परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिए, कंबल एवं कपड़ा वितरण योजना आदि के लिए प्रदान किया गया था जिसका पूर्ण उपयोग कर लिया गया था।

स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को राज्य सरकार द्वारा दी गई वित्तीय सहायता

स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को अनुदान के रूप में राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी जाती है। विवरण तालिका 2.17 में दी गई है।

तालिका 2.17: संस्थानों आदि को वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

संस्थानों को वित्तीय सहायता	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
(अ) स्थानीय निकायें					
नगर निगम एवं नगरपालिका	1,155.11	1,748.50	1,505.45	1,930.03	1,042.33
पंचायती राज संस्थान	1,270.13	2,937.69	2,497.70	1,771.20	772.76
कुल (अ)	2,425.24	4,686.19	4,003.15	3,701.23	1,815.09
(ब) अन्य					
विश्वविद्यालय	671.67	621.08	1,265.29	1,771.17	1,807.60
विकास प्राधिकरण	7,447.41	3,952.30	10,771.73	8,283.26	8,751.59
सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम	0.00	0.00	1,753.28	2,119.77	2,469.66
अन्य संस्थान	10,169.67	8,716.24	1,398.01	4,202.24	4,786.01
कुल (ब)	18,288.75	13,289.62	15,188.31	16,376.44	17,814.86
कुल (अ+ब)	20,713.99	17,975.81	19,191.46	20,077.67	19,629.95
राजस्व व्यय	50,952	50,631	56,457	59,264	62,777.92
राजस्व व्यय के प्रतिशतता के रूप में सहायता	40.65	35.50	33.99	33.88	31.27

2021-22 के दौरान, शहरी स्थानीय निकाय को दिए गए वित्तीय सहायता में ₹ 887.70 करोड़ की कमी मुख्य रूप से वित्त आयोग के सिफारिशों (₹ 292.16 करोड़ से) और प्रधानमंत्री आवास योजना (₹ 226.06 करोड़ से) के तहत प्रदान किए गए कम अनुदान के कारण हुई। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 1,064.50 करोड़ कम अनुदान की प्राप्ति के कारण पंचायती राज संस्थान को वित्तीय सहायता में कमी आई।

राज्य वित्त आयोग की सिफारिश

संविधान के अनुच्छेद 243 वाई में प्रावधान है कि राज्य के राज्यपाल अधिनियम के प्रारम्भ से एक वर्ष के भीतर और उसके बाद प्रत्येक पांचवें वर्ष की समाप्ति पर एक वित्त आयोग का गठन करेंगे जो नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेगी तथा राज्य एवं यू.एल.बी. के बीच करों, शुल्कों आदि के निर्धारण, वितरण, यू.एल.बी. को सहायता अनुदान तथा वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए आवश्यक उपायों के बारे में राज्यपाल को सिफारिश प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार ने तीन राज्य वित्त आयोगों (एस.एफ.सी) का गठन किया था। पहले एस.एफ.सी की सिफारिशें केवल शहरी स्थानीय निकाय (यू.एल.बी.) के लिए थीं। दूसरे और तीसरे एस.एफ.सी. का गठन क्रमशः दिसम्बर 2009 और अप्रैल 2015 में किया गया था, लेकिन उन्होंने कोई रिपोर्ट पेश नहीं की। ग्रामीण स्थानीय निकाय के लिए एस.एफ.सी के द्वारा कोई सिफारिश नहीं दी गई।

चौथे एस.एफ.सी के गठन की अधिसूचना भी राज्य सरकार द्वारा जुलाई 2019 में जारी की गई थी, लेकिन अक्टूबर 2022 तक एस.एफ.सी. के अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की गयी थी।


पहले एस.एफ.सी. ने 2009-10 में राज्य द्वारा यू.एल.बी. के साथ करों को आवंटित/साझा नहीं करने के कारण ₹ 375 प्रति व्यक्ति की दर से “केंद्रीकृत नगर सेवा प्रावधान अनुदान” के प्रावधान के लिए सिफारिश की थी, जिसमें अगले चार वर्षों के लिए 10 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि की व्यवस्था दी गयी थी। हालाँकि, न तो यू.एल.बी. की वित्तीय स्थिति की समीक्षा की गई और न ही पर्याप्त वित्तीय संसाधनों के आवंटन के लिए सिद्धांत को एस.एफ.सी. द्वारा निर्धारित किया गया।

राज्य सरकार द्वारा पहले राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू नहीं किया गया और यह निर्णय (अक्टूबर 2013) लिया गया था कि कर्मचारियों के वेतन को पूरा करने के लिए शहरी स्थानीय निकायों को 40 प्रतिशत ऋण और 30 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जाएगा। सभी प्रकार के सैरात⁴, सार्वजनिक भूमि, बाजार, तालाब आदि स्वयं का राजस्व उत्पन्न करने के लिए यू.एल.बी. को स्थानांतरित कर दिया था। इसी प्रकार राज्य सरकार द्वारा ऋण तथा अनुदान जारी किया गया। आगे राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार झारखण्ड शहरी विकास निधि के लिए राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2016-19 के दौरान शहरी आधारभूत संरचना विकास परियोजना (यू.आई.डी.पी) के लिए बजट प्रावधान बनाया लेकिन निधि यू.एल.बी को हस्तांतरित नहीं की गई। यहाँ तक कि राज्य सरकार द्वारा 2018-19 के बाद कोई बजट प्रावधान नहीं किया गया।

2.4.3 पूँजीगत व्यय

पूँजीगत व्यय (पू. व्य.) वह प्राथमिक व्यय है जो स्थायी आधारभूत संरचना जैसे सड़क, भवन इत्यादि के निर्माण पर खर्च होता है।

चार्ट 2.10: राज्य में पूँजीगत व्यय



⁴ सैरात का मतलब निगम की राजस्व अर्जित करने वाली परिसंपत्तियाँ जैसे सार्वजनिक भूमि, बाजार, तालाब इत्यादि।

पूँजीगत व्यय में मुख्य बदलाव

पूँजीगत व्यय 2017-18 में ₹ 11,953 करोड़ से लगातार घटकर 2020-21 में ₹ 8,466 करोड़ हो गई, जो 2021-22 में बढ़कर ₹ 9,377 करोड़ हो गई। 2021-22 के दौरान, पिछले वर्ष की तुलना में सामाजिक सेवाओं पर व्यय सात प्रतिशत और आर्थिक सेवाओं पर व्यय 14 प्रतिशत अधिक होने के कारण पूँजीगत व्यय में वृद्धि हुई। सामान्य सेवाओं पर पूँजीगत व्यय पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान (₹ 37 करोड़ से) थोड़ा कम हुआ।

2021-22 के दौरान सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय में ₹ 104 करोड़ की वृद्धि हुई, जो मुख्य रूप से जल आपूर्ति और स्वच्छता (₹ 67 करोड़ से), आवास (₹ 43 करोड़ से) और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों के कल्याण (₹ 95 करोड़ से) पर पूँजीगत व्यय में वृद्धि के कारण हुआ जो चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर कम पूँजीगत व्यय (₹ 97 करोड़ से) से प्रतिपूरित हुआ।

इसी प्रकार, 2021-22 में आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 844 करोड़ वृद्धि हुई। 2021-22 के दौरान वृहत सिंचाई (₹ 164 करोड़ से), खनन और धातुकर्म उद्योगों (₹ 1,000 करोड़ से) को प्राथमिकता दी गई थी, जिसकी प्रतिपूर्ति 2021-22 के दौरान ऊर्जा परियोजनाओं (₹ 538 करोड़ से) पर कम पूँजीगत व्यय से हुई।

राज्य का पूँजीगत व्यय (₹ 9,377 करोड़) वर्ष 2021-22 के लिए किए गए इसके बजट प्रावधान (₹ 9,661 करोड़) के लगभग बराबर थी। हालाँकि, पूँजीगत व्यय के लिए बजट प्रावधान से ₹ 284 करोड़ का उपयोग नहीं किया जा सका। विद्युत परियोजनाओं पर पूँजीगत व्यय में कमी केवल 2020-21 के दौरान हरिजन मोहल्ला में विद्युतीकरण, ग्रामीण विद्युतीकरण और ए.डी.पी. के लिए अनुदान के कारण थी। अधिकांश वर्षों में यह शून्य रहा। झारखण्ड अन्वेषण और खनन निगम लिमिटेड की शेयर पूँजी में एक बार निवेश के कारण अलौह खनन और धातुकर्म उद्योगों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। 2021-22 की तुलना में 2020-21 के दौरान पूँजीगत व्यय में बड़े बदलाव तालिका 2.18 में दिये गये हैं।

तालिका 2.18: 2020-21 के तुलना में 2021-22 के दौरान पूँजीगत व्यय

(₹ करोड़ में)

लेखाओं का मुख्य शीर्ष	2020-21	2021-22	वृद्धि(+)/कमी (-)
पूँजीगत परिव्यय			
4402-मृदा एवं जल संरक्षण	0.00	198.81	198.81
4408-खाद्य भण्डार एवं भण्डारण	15.00	39.25	24.25
4425-सहकारिता	47.89	91.42	43.53
4700-मुख्य सिंचाई	94.85	259.27	164.42
4702-लघु सिंचाई	93.34	30.52	-62.82
4801-ऊर्जा परियोजना	626.00	87.52	-538.48
4853-अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	0.00	1,000.00	1,000.00
5075-अन्य परिवहन सेवाएँ	5.00	20.00	15.00

2.4.4 पूँजीगत व्यय की गुणवत्ता

यह खंड चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा किए गए निवेश और अन्य पूँजीगत व्यय का विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

कंपनियों, निगमों और अन्य निकायों में निवेश की गुणवत्ता

16 कंपनियों से प्राप्त अद्यतन लेखों के अनुसार, छः⁵ कंपनियों का शुद्ध मूल्य पूरी तरह से समाप्त हो गया था, क्योंकि उनका संचयी शुद्ध मूल्य 31 मार्च 2022 तक (-) ₹ 6,789.98 करोड़ था।

पुनः उनके लेखाओं के अनुसार पाँच कंपनियों को हानि हो रही थी और वर्ष 2021-22 के दौरान उनकी हानि ₹ 2,707.78 करोड़ थी। हानि में चल रही इन कंपनियों में से दो कंपनियों (जेबीवीएनएल और जेयूएसएनएल) को सरकार से वर्ष 2021-22 के दौरान ₹ 561.87 करोड़ का ऋण प्राप्त हुआ। चूँकि, हानि में चल रही इन कंपनियों को दिया गया ऋण राज्य के पूँजीगत व्यय में शामिल किया गया था, परिणामस्वरूप सरकार के परिसम्पत्तियों का उस स्तर तक अधिमूल्यन हुआ।

यह भी देखा गया कि इन राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का कुल निवेश ₹ 24,814.74 करोड़ था जिसमें से 31 मार्च 2022 तक राज्य द्वारा कुल निवेश ₹ 22,936.66 करोड़ था। इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संचयी हानि 31 मार्च 2022 तक ₹ 10,859.78 करोड़ था।

सरकार द्वारा इक्विटी में निवेश

31 मार्च 2022 को समाप्त राज्य के वित्त लेखे के अनुसार, राज्य सरकार ने नवंबर 2000 में राज्य के गठन के उपरांत ₹ 2,250.22 करोड़ का निवेश तीन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक⁶ (₹ 45.73 करोड़), 20 सरकारी कंपनियाँ (₹ 2,014.40 करोड़) और 21 सहकारी बैंकों और सोसायटीज (₹ 190.09 करोड़) में किया था। हालांकि, 2016-17 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के लेखाओं और राज्य के स्वीकृत्यादेश के सत्यापन से पता चला कि बजट वर्गीकरण में त्रुटियों के कारण अर्थात् उचित लघु शीर्ष के तहत निवेश प्रदान नहीं करने और शेयर पूँजी में निवेश को सहायता अनुदान के रूप में दर्शाये जाने के कारण सरकारी लेखे ने 2000-2016 के दौरान ₹ 124.54 करोड़ के निवेश को कम करके आंका था। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद, राज्य के वित्त विभाग ने 2020-21

⁵ झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (- ₹ 6,390.88 करोड़), झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड (- ₹ 316.56 करोड़), झारखंड सिल्क टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (- ₹ 36.94 करोड़), झारखंड कोलियरी लिमिटेड (- ₹ 2.99 करोड़) करोड़, पतरातू एनर्जी लिमिटेड (- ₹ 16.39 करोड़) और करनपुरा एनर्जी लिमिटेड (- ₹ 26.22 करोड़)

⁶ राज्य सरकार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (₹ 18.96 करोड़), झारखण्ड ग्रामीण बैंक, राँची (₹ 18.37 करोड़) और वनांचल ग्रामीण बैंक, दुमका (₹ 8.40 करोड़)।

के अंत में चार कंपनियों में ₹ 65 करोड़⁷ के निवेश को संशोधित कर समाशोधित कर लिया। हालाँकि, वर्तमान वित्तीय वर्ष के अंत तक पाँच संस्थाओं के विरुद्ध ₹ 59.54 करोड़⁸ का निवेश अभी भी असमायोजित था।

तालिका 2.19: निवेश पर प्रतिफल

निवेश/प्रतिफल/ उधार की लागत	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
वर्ष के अंत में निवेश (₹ करोड़ में)	376.87	432.87	447.95	1,111.65	2,250.22
प्रतिफल (₹ करोड़ में)	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00
प्रतिफल (प्रतिशत)	0.00	0.00	0.00	1.35	0.00
सरकारी उधारी पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत)	6.98	6.29	6.34	6.13	5.76
ब्याज दर तथा प्रतिफल में अंतर (प्रतिशत)	6.98	6.29	6.34	4.78	5.76

स्रोत : वित्त लेख

अपने निवेश पर कोई प्रतिफल नहीं मिलने के बावजूद, राज्य सरकार ने 2021-22 के दौरान इक्विटी के रूप में चार⁹ राज्य सार्वजनिक उपक्रमों और दो सहकारी (जनजातीय सहकारी विकास निगम- ₹ 0.05 करोड़ तथा सिद्ध-कान्हो कृषि तथा वन्य उत्पाद राज्य सहकारी संघ लिमिटेड- ₹ 29 करोड़) में ₹ 1,138.57 करोड़ का निवेश किया।

14 नवम्बर 2000 तक दामोदर घाटी निगम (₹ 1,781.55 करोड़) और तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड (₹ 100 करोड़) में इक्विटी के रूप में तत्कालीन बिहार राज्य द्वारा किये गए निवेश को अभी तक उत्तराधिकारी राज्यों के बीच विभाजित नहीं किया गया है।

2.4.5 राज्य सरकार द्वारा ऋण व अग्रिम

तालिका 2.19 में दिखाए गए संस्थाओं में इक्विटी निवेशों के अलावे राज्य सरकार इनमें से कई संस्थाओं और अपने कर्मचारियों को ऋण व अग्रिम प्रदान करती है। 31 मार्च 2022 को बकाया ऋण व अग्रिम तथा ब्याज प्राप्तियों के साथ-साथ पिछले पाँच वर्षों के दौरान ब्याज भुगतान तालिका 2.20 में प्रस्तुत हैं।

⁷ झारखण्ड पहाड़ी क्षेत्र उद्वहन सिंचाई निगम: ₹ 5 करोड़; झारखण्ड शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम: ₹ 35 करोड़; झारखण्ड सिल्क टेक्सटाइल व हस्तशिल्प विकास निगम: ₹ 10 करोड़ और झारखण्ड शहरी परिवहन निगम लिमिटेड: ₹ 15 करोड़।

⁸ ग्रेटर राँची विकास प्राधिकरण: ₹ 39.14 करोड़; झारखण्ड राज्य कृषि विकास निगम लिमिटेड: ₹ 2 करोड़; झारखण्ड चिकित्सा एवं स्वास्थ्य आधारभूत संरचना विकास और क्रय निगम लिमिटेड: ₹ 5 करोड़; झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड: ₹ 8.40 करोड़ और झारखण्ड राज्य खाद्य एवं जन आपूर्ति निगम लिमिटेड: ₹ 5 करोड़।

⁹ झारखंड अन्वेषण एवं खनन कॉर्पोरेशन लिमिटेड: ₹ 1,000 करोड़; झारखंड औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम: ₹ 2 करोड़; झारखंड सेंट्रल रेलवे परियोजना: ₹ 20 करोड़; और झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड: ₹ 87.52 करोड़।

तालिका 2.20: पाँच वर्षों के दौरान प्रदत्त और वसूली गई ऋण की मात्रा

(₹ करोड़ में)

प्रदत्त तथा वसूली गई ऋण की मात्रा	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
बकाया ऋण का प्रारंभिक शेष	17,482.71	19,291.97	20,729.99	20,846.24	24,177.23
वर्ष के दौरान अग्रिम के रूप में दी गई राशि	1,851.67	1,485.59	165.43	3,379.77	1,462.98
वर्ष के दौरान वसूली गई राशि	42.41	47.57	49.19	48.78	1,291.73
बकाया ऋण का अंत शेष	19,291.97	20,729.99	20,846.23	24,177.23	24,348.48
निवल जोड़	1,809.26	1,438.02	116.24	3,330.99	171.25
प्राप्त ब्याज	87.66	14.72	38.91	22.62	35.88
सरकार द्वारा प्रदत्त ऋण और अग्रिम पर ब्याज दर	0.50	0.08	0.19	0.11	0.15
सरकार के बकाया उधार पर भुगतित ब्याज दर	6.98	7.98	6.34	6.13	5.76
ब्याज भुगतान दर तथा प्राप्त ब्याज दर के बीच अंतर (प्रतिशत)	6.98	7.98	6.34	6.13	5.76

टिप्पणी- लेखों को पूर्णांकित करने के कारण 2020-21 में प्रारम्भिक शेष ₹ 0.01 करोड़ से बढ़ गया।

मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के अंत में कुल बकाया ऋण (₹ 24,348 करोड़) का बड़ा भाग मुख्य रूप से ऊर्जा कंपनियों (₹ 23,461 करोड़) और जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास (₹ 792 करोड़) के पास बकाया था।

योजनाओं के क्रियान्वयन और संचरण उद्देश्य के लिए बिजली वितरण निगम लिमिटेड (₹ 923 करोड़) तथा ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड (₹ 490 करोड़) को ऋण दिया गया था। मार्च 2022 के अंत में ऋणदाता संस्थाओं की लंबित बकाया राशि ₹ 3,531.23 करोड़ (मूलधन: ₹ 1,823.93 करोड़ और ब्याज: ₹ 1,707.30 करोड़) थी।

2011-12 में झारखण्ड राज्य खाद्य और जन आपूर्ति निगम लिमिटेड (₹ 44 करोड़) का ऋण पूँजीगत व्यय के बजाय राजस्व व्यय के अधीन गलत बजटीय वर्गीकरण के कारण सरकारी लेखों में न्यूनोक्ति हुई। झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड (जेएसईबी) को प्रदत्त ₹ 7,222.18 करोड़ के ऋण को बोर्ड से प्राप्तियों के रूप में सरकारी लेखों में दर्शाया जाना जारी है, जबकि बोर्ड जनवरी 2014 में विभिन्न कंपनियों में विभाजित हो गया था। इस प्रकार, राज्य की परिसंपत्तियों में ₹ 7,222.18 करोड़ की सीमा तक अत्योक्ति हुई।

आगे, 14 नवम्बर 2000 तक पूर्ववर्ती बिहार राज्य द्वारा तेनुघाट विद्युत् निगम लिमिटेड (₹ 608 करोड़) के ऋण का बँटवारा उत्तराधिकारी राज्यों बिहार तथा झारखण्ड के बीच नहीं किया गया।

2.4.6 अधूरी परियोजनाओं में अवरुद्ध पूँजी

अपूर्ण पूँजीगत कार्यों में अवरुद्ध पूँजी में प्रवृत्तियों का आकलन पूँजीगत व्यय की गुणवत्ता का संकेत देता है। अधूरे परियोजनाओं/कार्यों पर धनराशि के अवरुद्ध होने

से, व्यय की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और लंबे समय के लिए इच्छित लाभों से राज्य को वंचित रहना पड़ता है। पुनः, संबंधित वर्षों के दौरान इन परियोजनाओं के कार्यावयन के लिए लिया गया उधार, ऋण और ब्याज देनदारियों की सेवा के रूप में अतिरिक्त बोझ बढ़ाता है।

अधूरी परियोजनाओं से संबंधित विभाग-वार और वर्ष-वार सूचना जो 31 मार्च 2022 तक या उससे पहले पूर्ण की जानी थी, क्रमशः तालिका 2.21 और तालिका 2.22 में दी गई है।

तालिका 2.21: 31 मार्च 2022 तक अधूरी परियोजनाओं का वर्ष-वार विवरण

(₹ करोड़ में)

पूर्ण होने का वर्ष	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	अनुमानित लागत	व्यय (31 मार्च 2022 तक)	संशोधित अनुमान	
				परियोजनाओं की संख्या	राशि
2015 तक	13	117.43	119.03	5	114.63
2016	10	259.65	206.63	2	104.13
2017	10	249.54	142.06	1	9.35
2018	16	325.96	249.23	2	145.37
2019	37	714.29	456.47	2	11.45
2020	69	1,763.97	998.14	2	30.09
2021	66	1,768.39	976.15	3	98.89
2022	51	1,915.49	869.97	2	120.59
कुल	272	7,114.72	4,017.68	19	634.50

तालिका 2.22: 31 मार्च 2022 तक अधूरी परियोजनाओं का विभाग-वार विवरण

(₹ करोड़ में)

विभाग	अपूर्ण योजनाओं की संख्या	अनुमानित राशि	व्यय	संशोधित अनुमान	
				परियोजनाओं की संख्या	राशि
सड़क निर्माण विभाग	94	3,344.76	1,975.19	6	194.53
ग्रामीण विकास विभाग	70	341.15	194.98	2	23.63
जल संसाधन विभाग	71	2,847.97	1,536.50	10	407.00
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	25	437.59	255.99	1	9.34
भवन निर्माण विभाग	12	143.25	55.02	0	0
कुल	272	7,114.72	4,017.68	19	634.50

स्रोत: वित्त लेखे

उपरोक्त तालिका में दिखाई गई 272 परियोजनाओं में से केवल 19 परियोजनाओं की संशोधित लागत प्रदान की गई, जिससे पता चला कि उन 19 परियोजनाओं में ₹ 634.50 करोड़ की अनुमानित लागत समय पर उन परियोजनाओं के पूरा न होने के कारण ₹ 81.46 करोड़ तक बढ़ गई। चूंकि, शेष परियोजनाओं का विवरण विभागों द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया, इसलिए उनकी संशोधित लागतें वित्त लेखे में नहीं दर्शाया गया था और इस प्रकार, उसकी गणना नहीं की जा सकी।

2.4.7 लोक लेखे में स्थानांतरित किए गए पूँजीगत व्यय

वित्त लेखे से यह देखा गया कि ₹ 2,328.20 करोड़ समेकित निधि के पूँजीगत शीर्ष से लोक लेखा के जमा शीर्ष में स्थानांतरित किए गए थे। कुल स्थानांतरित राशि में से ₹ 283.26 करोड़ लोक निर्माण कार्य जमा शीर्ष को और ₹ 2,044.94 करोड़ स्थानीय निधियों के जमा में स्थानांतरित किए गए। कुछ मुख्य मदें तालिका 2.23 में दिखाया गया है।

तालिका 2.23: समेकित निधि से लोक लेखा में स्थानांतरण

क्र. सं.	लेखा शीर्ष				राशि (₹ करोड़ में)
	से	तक			
1	4515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर पूँजीगत परिव्यय	8443	सिविल जमा - 108 -लोक निर्माण जमा	159.51
2	4055	पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय	8448	स्थानीय निधि का जमा- 120- अन्य निधि	147.43
3	4210	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय	8448	स्थानीय निधि का जमा- 120- अन्य निधि	393.65
4	4225	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	8448	स्थानीय निधि का जमा- 120- अन्य निधि	256.70
5	4402	मृदा और जल संरक्षण पर पूँजीगत परिव्यय	8448	स्थानीय निधि का जमा- 120- अन्य निधि	133.65
6	5054	सड़क एवं पुल पर पूँजीगत परिव्यय	8448	स्थानीय निधि का जमा- 120- अन्य निधि	415.96
7	6801	उर्जा परियोजनाओं के लिए ऋण	8448	स्थानीय निधि का जमा-107 राज्य बिजली बोर्ड कार्य निधि	697.55
कुल					2,204.45

लोक लेखे में निधि का खाता अंतरण एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष में धन का हस्तांतरण मात्र था और वास्तविक व्यय नहीं था, जिसके कारण पूँजीगत संभाग के अंतर्गत व्यय को अधिक दिखाया गया। वित्तीय वर्ष के दौरान जमा शीर्ष से स्थानांतरित राशियों का व्यय राज्य के लेखाओं में विवरण की अनुपलब्धता के कारण पता लगाया नहीं जा सका। यह देखा गया कि लघु शीर्ष 108-लोक निर्माण कार्य जमा अंतर्गत ₹ 4,315.11 करोड़ के प्रारम्भिक शेष में ₹ 1,719.02 करोड़ जोड़ा गया था (उपर्युक्त तालिका में दिखाये गए लेन-देन को शामिल करते हुए) तथा ₹ 1,776.13 करोड़ व्यय किया गया, जिससे मार्च 2022 के अंत में ₹ 4,258.01 करोड़ का शेष रहा। इसी प्रकार, ₹ 606.52 करोड़ लघु शीर्ष 106-व्यक्तिगत जमा के अंतर्गत ₹ 1,746.52 करोड़ के प्रारम्भिक शेष में जोड़ा गया तथा वर्ष के दौरान ₹ 334.91 करोड़ व्यय किया गया जिससे ₹ 2,018.13 करोड़ का शेष रहा। हालांकि, वर्ष 2021-22 के दौरान लघु शीर्ष 106-व्यक्तिगत जमा के तहत लेखा के पूँजीगत शीर्षों से स्थानांतरण केवल ₹ 1.48 करोड़ था।

2.4.8 सार्वजनिक निजी साझेदारी परियोजनाओं के तहत राज्य की संसाधन उपलब्धता

सार्वजनिक निजी साझेदारी (पी.पी.पी) सरकार या वैधानिक इकाई और एक निजी क्षेत्र की इकाई के बीच एक व्यवस्था है, जो बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए जनता की बढ़ती माँग को पूरा करने में राज्य को सक्षम बनाती है, और आधारभूत संरचना प्रदान करती है।

तालिका 2.24: पीपीपी परियोजनाओं का क्षेत्रवार-ब्यौरा

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र	पूर्ण		कार्यशील	
		संख्या	अनुमानित व्यय	संख्या	अनुमानित व्यय
1	जलापूर्ति एवं स्वच्छता	-	-	1	150.00
2	सड़क एवं पुल	8	5,193.94	2	642.60
3	खेल	-	-	1	250.00
	कुल	8	5,193.94	4	1,042.60

स्रोत: www.pppinindia.gov.in

2.4.9 व्यय की प्राथमिकता

मानव विकास के स्तर को बढ़ाने के लिए राज्यों को शिक्षा, स्वास्थ्य आदि जैसी प्रमुख सामाजिक सेवाओं पर व्यय को बढ़ाने की आवश्यकता होती है। एक विशेष क्षेत्र से जुड़ी राजकोषीय प्राथमिकता (व्यय की एक श्रेणी के तहत कुल व्यय का अनुपात) को कम माना जाता है, यदि इस पर आवंटन संबंधित राष्ट्रीय औसत से कम होता है। कुल व्यय से इन घटकों का अनुपात जितना अधिक होता है, व्यय की गुणवत्ता को उतना बेहतर माना जाता है।

तालिका 2.25: स्वास्थ्य, शिक्षा और पूँजीगत व्यय के संबंध में राज्य के व्यय की प्राथमिकता

(प्रतिशत में)

	पूँ. व्यय/ कु.व्य.	सा. क्षे. व्यय/ कु.व्य.	आ. क्षे. व्यय/ कु.व्य.	वि. व्य./ कु.व्य.	शिक्षा/ कु.व्य.	स्वास्थ्य/ कु.व्य.
सामान्य श्रेणी के राज्य (2016-17)	19.99	35.71	35.06	70.77	14.89	4.76
झारखण्ड (2016-17)	18.96	35.15	40.99	76.14	14.37	4.33
सामान्य श्रेणी के राज्य (2021-22)	14.41	38.31	28.44	66.74	14.66	6.20
झारखण्ड (2021-22)	12.74	35.66	34.02	69.68	15.31	6.55


जैसा कि तालिका से स्पष्ट है, 2021-22 के दौरान पूँजीगत व्यय, विकासात्मक व्यय और आर्थिक क्षेत्र व्यय का कुल व्यय (टी.ई.) से अनुपात में 2016-17 के दौरान इसके अनुपात की तुलना में गिरावट हुई है, जबकि अन्य क्षेत्रों ने वर्ष के दौरान सुधार दिखाया। 2016-17 की तुलना में चालू वर्ष के दौरान स्वास्थ्य क्षेत्र व्यय का कुल व्यय से अनुपात उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है।

आगे, तालिका से यह स्पष्ट है कि 2021-22 के दौरान राज्य के कुल व्यय से सभी क्षेत्रों पर व्यय का अनुपात पूँजीगत व्यय और सामाजिक क्षेत्र व्यय को छोड़कर, सामान्य श्रेणी के राज्यों के अनुपात से अधिक था, जो पू. व्य. और सा.क्षे. व्य. पर राज्य सरकार की कम प्राथमिकता का संकेत था। 2016-17 के बाद से व्यय की प्राथमिकताएँ नहीं बदली है, जैसाकि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है।

2.4.10 वस्तु शीर्ष के अनुसार व्यय

वित्त लेखे प्रायः लघु शीर्ष स्तर तक के लेनदेन को दर्शाता है। इसलिए, वित्त लेखे के विवरण चार में वस्तु शीर्ष के स्तर तक का विवरण दिखाया जाता है। **चार्ट 2.11** प्रमुख मदों पर राजस्व व्यय के बारे में जानकारी साझा करता है।

चार्ट 2.11: मुख्य मदों पर राजस्व व्यय (प्रतिशत में)



जैसा कि **चार्ट 2.11** में दर्शाया गया है, वर्ष 2021-22 के दौरान वेतन, पेंशन, ब्याज भुगतान और सब्सिडी पर कुल राजस्व व्यय का एक बड़ा हिस्सा (53.33 प्रतिशत) खर्च किया गया। राज्य में पूँजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए सहायता अनुदान पर लगभग कुल राजस्व व्यय का नौ प्रतिशत व्यय किया गया, जिसका मुख्य हिस्सा (₹ 4,207.24 करोड़) जिला परिषद को प्रदान किया गया।

2.5 लोक लेखा

प्राप्तियां और संवितरण के कुछ लेनदेन जैसे लघु बचत, भविष्य निधि, रक्षित निधि, जमा, उचंत, प्रेषण आदि जो समेकित निधि का हिस्सा नहीं होते हैं, उन्हें संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के तहत निर्धारित लोक लेखा में रखा जाता है और यह राज्य विधानमंडल द्वारा मतदान के अधीन नहीं होता है। इस संबंध में

सरकार बैंकर के रूप में कार्य करती है। वर्ष के दौरान संवितरण के बाद शेष राशि सरकार के पास विभिन्न उद्देश्यों में उपयोग के लिए उपलब्ध होती है।

2.5.1 निवल लोक लेखा शेष

राज्य के लोक लेखा में घटक-वार निवल शेष तालिका 2.26 में दिया गया है।

तालिका 2.26: 31 मार्च 2022 तक लोक लेखाओं में घटक-वार निवल शेष

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	उप क्षेत्र	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
I. लघु बचत, भविष्य निधि आदि	लघु बचत, भविष्य निधि आदि.	(-)1,142.18	(-)1,211.11	(-)1,216.86	(-)1,194.40	(-)1,001.19
J. रक्षित निधि	(अ) रक्षित निधि ब्याज सहित	(-)1,551.04	(-)1,930.09	(-)5,948.02	(-)6,320.39	(-)5,904.48
	(ब) रक्षित निधि ब्याज रहित	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. जमा व अग्रिम	(अ) ब्याज सहित जमा	(-)13.52	(-)12.64	(-)39.55	(-)25.33	(-)24.15
	(ब) ब्याज रहित जमा	(-)18,356.40	(-)19,853.80	(-)21,065.20	(-)24,331.45	(-)23,585.14
	(स) अग्रिम	5.78	6.28	7.15	19.67	19.67
L. उचंत एवं विविध	(अ) उचंत	132.14	5.42	(-)91.29	(-)146.35	(-)119.25
	(ब) अन्य लेखे	392.60	207.09	3,117.62	2,855.90	4,519.46
	(स) विदेशी सरकार के साथ लेखे	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(द) विविध	0.00	0.00	0.00	1.60	1.60
M. प्रेषण	(अ) मनीऑर्डर, एवं अन्य प्रेषण	(-)66.84	(-)118.85	(-)114.25	(-)133.68	(-)125.38
	(ब) अंतर सरकारी समायोजन खाता	27.16	19.57	31.95	7.23	12.74
कुल		(-)20,572.30	(-)22,888.13	(-)25,318.45	(-)29,267.20	(-)26,206.12

नोट: सकारात्मक(+) डेबिट शेष एवं नकारात्मक(-) क्रेडिट शेष को दर्शाते हैं।

2021-22 के दौरान नकारात्मक प्रवृत्ति मुख्य रूप से लोक निर्माण जमा (₹ 57 करोड़ से), राजस्व जमा (₹ 115 करोड़ से), नगरपालिका निधि (₹ 879 करोड़ से) और राज्य विद्युत बोर्ड निधि (₹ 1,647 करोड़ से) के तहत जमा और अग्रिम में अधिक संवितरण का संकेत था, जिसे अन्य निधियों के तहत ₹ 1,213 करोड़ अधिक क्रेडिट से आंशिक प्रतिपूरित किया गया था। इसी प्रकार, उचंत एवं विविध में ऋणात्मक शेष, नकद शेष निवेश लेखा के अंतर्गत अधिक संवितरण (₹ 1,669 करोड़ से) के कारण थे।

2.5.2 ब्याज सहित रक्षित निधि

रक्षित निधि राज्य सरकार के लोक खाते के तहत विशिष्ट और परिभाषित उद्देश्यों के लिए बनाई गई है। ये निधियां राज्य के समेकित निधि से अंशदान या अनुदानों से बनाये जाते हैं। वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य के दो ब्याज सहित आरक्षित निधि थी; (1) राज्य आपदा मोचन निधि (2) राज्य क्षतिपूरक वनीकरण निधि।

राज्य आपदा मोचन निधि

एस.डी.आर.एफ. दिशानिर्देश 2015 के कंडिका 7 के अनुसार, राज्य सरकार को भारत सरकार से प्राप्त हिस्से के साथ-साथ अपने हिस्से को एस.डी.आर.एफ. के लोक लेखा में प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर हस्तांतरित करना आवश्यक होता है। किसी भी देरी के लिए राज्य सरकार को देरी के दिनों के हिसाब से ब्याज सहित राशि (आर.बी.आई की बैंक दर) जारी करने की आवश्यकता होती है।

2021-22 के दौरान यह देखा गया कि राज्य सरकार ने केंद्रीय हिस्से की प्राप्ति के बाद 161 दिनों (₹ 227.20 करोड़) और 87 दिनों (₹ 227.20 करोड़) के विलंब से अपने हिस्से के साथ भारत सरकार से प्राप्त योगदान को लोक लेखा में हस्तांतरित किया, जिसके लिए राज्य सरकार ₹ 9.26 करोड़ के ब्याज भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थी, जिसका भुगतान नहीं किया गया।

एस.डी.आर.एफ दिशानिर्देश 2015 के कंडिका 19 और 20 के अनुसार, राज्य द्वारा निधि के तहत शेष का (अ) केन्द्र सरकार दिनांकित प्रतिभूतियाँ (ब) नीलामी की गई कोषागार विपत्रों और (स) अधिसूचित वाणिज्यिक बैंकों के साथ ब्याज वाले जमा और जमा के प्रमाण-पत्र में निवेश किया जाना था। झारखण्ड सरकार के वित्त विभाग ने सूचित किया (जुलाई 2019) कि वर्ष 2012-13 के दौरान ₹ 400 करोड़ अधिसूचित वाणिज्यिक बैंक में निवेश किया गया।

आगे, दिशानिर्देशों के अनुसार, सरकार को ओवर ड्राफ्ट पर देय ब्याज की दर (छः प्रतिशत) से गैर-निवेशित शेष राशि पर भुगतान करना था, जिसे उसी कोष में जोड़ा जाना था। हालांकि, झारखण्ड सरकार ने एस.डी.आर.एफ. को इसके गठन के समय से ही कोई ब्याज भुगतान नहीं किया था, जिससे 2011-22 की अवधि के दौरान लागू ब्याज दरों पर ब्याज ₹ 870.85 करोड़ हो गया था। इसमें से, केवल 2021-22 में अदत्त ब्याज ₹ 136.49 करोड़ था, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष के लिए राजस्व अधिशेष की अत्योक्ति और राजकोषीय घाटे की न्यूनोक्ति हुई। परिणामस्वरूप, 31 मार्च 2022 तक निधि में ₹ 1,762 करोड़ का अनिवेशित शेष सिर्फ खाता प्रविष्टि थी, जो वास्तविक नकद शेष को नहीं दर्शाते हैं। इस तरह, निधि के संचालन के शुरुआत से अदत्त ब्याज राज्य के अलेखांकित देनदारियों को दर्शाता है।

तालिका 2.27: एस.डी.आर.एफ को भारत व्यय की विवरणी

(₹ करोड़ में)

लेखे के मुख्य शीर्ष	लेखे के लघु शीर्ष	2021-22 के दौरान व्यय
2245- प्राकृतिक आपदा पर राहत 02- बाढ़, चक्रवात आदि	101-निःशुल्क राहत	5.57
	113- घर के मरम्मती और पुनर्निर्माण	1.71
	114- किसानों को कृषि इनपुट के खरीदी के लिए सहायता	1.14
उप-योग		8.42
2245- प्राकृतिक आपदा पर राहत 05-राज्य आपदा मोचन निधि	101- रक्षित निधि एवं जमा निधि में स्थानांतरण-रा.आ.मो.नि.	605.60
	901- कटौती - राज्य आपदा मोचन निधि से मिली राशि	964.40
उप-योग		(-)358.80
2245-प्राकृतिक आपदा पर राहत 80- सामान्य	निदेशन एवं प्रशासन, आपदा तैयारी का प्रशिक्षण, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन इत्यादि	350.39
उप-योग		350.39
कुल योग		0.01

उपरोक्त के अलावा केंद्र सरकार ने भी वर्ष के दौरान चक्रवाती तूफान 'यास' के लिए केंद्रीय सहायता के रूप में ₹ 200 करोड़ जारी किए और राज्य सरकार ने शीर्ष '2245-02-101-10-एन.डी.आर.एफ. से प्राप्त राहत सहायता (केन्द्र योजना 100 प्रतिशत)' के तहत बजट प्रावधान किया। निधि का उपयोग नहीं किया गया तथा विभाग द्वारा वर्ष के अंत में अभ्यर्पित कर दिया गया। चक्रवात के पूर्वानुमान में भारत सरकार द्वारा धनराशि प्रदान की गई जो घटित नहीं हुई। इस प्रकार राशि अनुपयोगी पड़ी रही जिससे राज्य के अधिशेष में ₹ 200 करोड़ की अत्योक्ति हुई।

राज्य क्षतिपूरक वनीकरण निधि

सी.ए.एफ. (लेखा पद्धति) नियम, 2018 के अनुसार उपयोग कर्ता एजेंसी से प्राप्त सभी धनराशि प्रथम दृष्टया मुख्य शीर्ष "8336- सिविल जमा" के अंतर्गत लघु-शीर्ष "103- राज्य क्षतिपूरक वनीकरण जमा" में जमा करने की आवश्यकता थी। तत्पश्चात, इसका 90 प्रतिशत मुख्य-शीर्ष "8121-सामान्य एवं अन्य रक्षित निधि" के अंतर्गत लघु-शीर्ष- "129-राज्य क्षतिपूरक वनीकरण जमा" में जमा करना था। शेष 10 प्रतिशत मासिक आधार पर राष्ट्रीय निधि के मुख्य शीर्ष "8336-सिविल जमा" के अंतर्गत लघु-शीर्ष "102-राष्ट्रीय क्षतिपूरक वनीकरण जमा-11-झारखण्ड" को अंतरित करना था।

इसके अतिरिक्त, अनौपचारिक प्राधिकारी से राज्य का 90 प्रतिशत हिस्सा प्राप्त होने पर (एक बार के लिए) इसे मुख्य-शीर्ष "8121- सामान्य और अन्य रक्षित निधि" के अंतर्गत लघु शीर्ष-"129- राज्य क्षतिपूरक वनीकरण जमा" में जमा करना था।

एस.सी.ए.एफ. का आरंभिक शेष ₹ 4,199.92 करोड़ था जो 2021-22 के दौरान, कोष में प्राप्त ₹ 220 करोड़ और वर्ष के दौरान कोष से व्यय ₹ 241.12 करोड़ के बाद 31 मार्च, 2022 को ₹ 4,178.80 करोड़ का अंतिम शेष रहा।

चूँकि एस.सी.ए.एफ. एक ब्याज सहित आरक्षित निधि है, इसलिए केंद्र सरकार द्वारा वर्ष दर वर्ष (वर्ष 2021-22 के लिए 3.35 प्रतिशत) के अनुसार, वर्ष के दौरान ₹ 241.12 करोड़ के व्यय को छोड़कर, ₹ 132.62 करोड़ के ब्याज का भुगतान प्रारंभिक शेष (₹ 4,199.92 करोड़) पर करना था। वर्ष 2020-21 का बकाया ब्याज ₹ 100.88 करोड़ सहित मार्च 2022 तक एस.सी.ए.एफ. पर कुल देय ब्याज ₹ 233.50 करोड़ था। इसके विरुद्ध सरकार ने 2021-22 के दौरान ₹ 220 करोड़ का भुगतान किया और बकाया ब्याज के रूप में ₹ 13.50 करोड़ शेष रह गया।

2.5.3 ब्याज रहित रक्षित निधि

समेकित हास निधि

बारहवें वित्त आयोग के सिफारिशों का अनुसरण करते हुए राज्य सरकार ने 2016-17 के दौरान बैंकों से ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत निधि के लेखाओं के दायित्वों सहित सभी ऋणों के परिशोधन हेतु एक समेकित हास निधि बनाया था।

वर्ष 2021-22 के शुरुआत में झारखण्ड सरकार का ₹ 1,13,482.50 करोड़ का बकाया ऋण था। वर्ष के दौरान ₹ 200 करोड़ का एक बजट प्रावधान बनाया गया तथा हास निधि में अंतरण किया गया और प्रारंभिक शेष में ₹ 303.87 करोड़ जोड़ा गया जिससे मार्च 2022 के अंत में निधि में ₹ 503.87 करोड़ का अंत शेष रहा। 2021-22 के दौरान, ₹ 200 करोड़ इस निधि से वाणिज्यिक बैंक में निवेश किये गये।

निधि के दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य पिछले वर्ष के अंत में अपनी बकाया देनदारियों (आंतरिक ऋण + लोक लेखा) का न्यूनतम 0.50 प्रतिशत समेकित हास निधि में योगदान कर सकता था।

प्रत्याभूति मोचन निधि

भारत के संविधान में प्रावधान है कि कोई राज्य सरकार, भारतीय सीमा के भीतर, अपने समेकित निधि की सुरक्षा पर, ऐसी सीमाओं के भीतर, समय-समय पर अपनी विधायिका के अधिनियम द्वारा तय कर सकती है और जैसा तय किया गया हो ऐसी सीमाओं के भीतर गारंटी दे सकती है।

बारहवें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार, राज्य सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा जारी किए गए बॉन्ड और अन्य उधारों के संबंध में सरकार द्वारा जारी गारंटी से उत्पन्न भुगतान दायित्वों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार को एक गारंटी मोचन निधि (जीआरएफ) का गठन करना चाहिए था। हालांकि, निधि का सृजन नहीं किया गया है।


झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे के अनुसार 31 मार्च 2022 तक राज्य द्वारा ₹ 607.15 करोड़ की गारन्टी दी गयी थी।

2.5.4 ऋण प्रबंधन

ऋण प्रबंधन राज्य के ऋण के वित्त पोषण हेतु आवश्यक निधि की उगाही, जोखिम तथा मुख्य उद्देश्यों को पूरा करने तथा अपने सम्प्रभु ऋण लक्ष्यों के प्रबंधन, जैसा कि सरकार द्वारा किसी स्थापित कानून या अन्य वार्षिक बजट घोषणाओं के द्वारा निर्धारित की गयी हो, हेतु रणनीति की स्थापना एवं क्रियान्वयन की प्रक्रिया है।

2017-18 से 2021-22 की अवधि में राज्य के कुल ऋण की स.रा.घ.उ. से प्रतिशतता चार्ट 2.12 में दिखाई गई है। 31 मार्च 2022 को राज्य के दायित्वों एवं सम्पत्तियों का सारांश परिशिष्ट 2.3 में दिया गया है।

चार्ट 2.12: सरकार के कुल ऋण और इसकी स.रा.घ.उ. से प्रतिशतता



नोट: यह ऋण 2020-21 में ₹ 1,689 करोड़ तथा 2021-22 में ₹ 2,484.41 करोड़ जिसे जी.एस.टी. क्षतिपूर्ति के कमी के जगह भारत सरकार द्वारा बैंक टू बैंक उधारी देने को शामिल नहीं करता है।

2.5.4.1 ऋण विवरण: अवयव

राज्य सरकार के कुल ऋण में आम तौर पर राज्य के आंतरिक ऋण (बाजार ऋण, आर.बी.आई. से अर्थोपाय अग्रिम, राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी किए गए विशेष प्रतिभूतियां और वित्तीय संस्थानों से ऋण आदि), केंद्र सरकार से ऋण तथा लोकलेखा दायित्व समाहित होता है।

2017-22 के दौरान लोक ऋण और लोक लेखा दायित्वों की प्राप्तियों और देयताओं के पश्चात् धन की उपलब्धता का विवरण तालिका 2.28 में दिया गया है।

तालिका 2.28: घटक वार ऋण प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
कुल बकाया ऋण(अ+ब)[#]	77,095.03	83,782.93	94,406.60	1,09,184.99	1,13,482.47
अ. लोकऋण	56,031.94	60,775.27	66,136.98	76,938.35	82,531.53
(i) आंतरिक ऋण	53,799.09	58,436.19	63,545.46	71,956.90	74,538.31
(ii) भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	2,232.85	2,339.08	2,591.52	4,981.45	7,993.22
ब. लोक लेखा का उत्तरदायित्व	21,063.09	23,007.66	28,269.62	32,246.24	30,950.94
स. गैर बजटीय उधार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
बकाया उधार के वृद्धि की दर (प्रतिशत)	15.37	8.67	12.68	15.65	3.94
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.)	2,69,816	3,05,695	3,21,157	3,17,079	3,63,085
कुल ऋण/स.रा.घ.उ. (प्रतिशत)	28.57	27.41	29.40	33.90 [#]	30.57 [#]
कुल ऋण प्राप्ति	25,205.53	22,223.80	30,980.35	32,562.62	25,623.42
कुल ऋण पुनर्भुगतान	14,937.47	15,535.90	20,356.68	17,784.23	21,325.90
ब्याज भुगतान	4,661.68	4,851.97	5,307.71	5,790.00	6,286.05
उधार राशि की निवल उपलब्धता	5,606.38	1,835.93	5,315.96	8,988.39	-1,988.53
ऋण पुनर्भुगतान/ ऋण प्राप्तियाँ (प्रतिशत)	77.76	91.74	82.84	72.40	107.76

[#] यह ऋण 2020-21 में ₹ 1,689 करोड़ तथा 2021-22 में ₹ 2,484.41 करोड़ जिसे जी.एस.टी. क्षतिपूर्ति के कमी के जगह भारत सरकार द्वारा बैंक टू बैंक ऋण को शामिल करता है।

भारत सरकार के व्यय विभाग ने निर्णय लिया कि जी.एस.टी. क्षतिपूर्ति के लिए राज्य को ₹ 2,484.41 करोड़ का ऋण जो बैंक टू बैंक ऋण के रूप में प्रदान किया गया, उसे वित्त आयोग के द्वारा निर्धारित किसी मानदंड के लिए राज्य का ऋण नहीं माना जायेगा, इसके कारण राज्य का प्रभावी कुल बकाया ऋण ₹ 1,10,998.06 करोड़ हो जायेगा।


समग्र बिहार के राजकोषीय दायित्वों का बँटवारा उत्तरवर्ती बिहार एवं झारखण्ड राज्यों के बीच अब तक नहीं हुआ है।

उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता ने 2017-18 से 2021-22 के दौरान ₹ 1,836 करोड़ और ₹ 8,988 करोड़ के बीच व्यापक दोलन दिखाया। हालाँकि, यह उल्लेखनीय रूप से 2020-21 में ₹ 8,988 करोड़ से 2021-22 में नकारात्मक रूप से घटकर ₹ 1,989 करोड़ हो गया जिसका मुख्य कारण सरकार द्वारा बाजार ऋण के रूप में कम उधार (₹ 4,400 करोड़ से) तथा वर्ष के दौरान बिना प्राप्ति के क्षतिपूर्ति तथा अन्य बॉन्ड और राष्ट्रीय अल्प बचत निधि (एन.एस.एफ.एफ) का पुनर्भुगतान था।


वर्ष 2020-21 के 5.11 प्रतिशत के वृद्धि के विरुद्ध वर्ष 2021-22 के दौरान, लोक ऋण और अन्य दायित्वों के तहत राज्य की प्राप्तियों में 21.31 प्रतिशत की कमी आई है। लोक ऋण और ब्याज सहित अन्य देनदारियों की पुनर्भुगतान में पिछले

वर्ष से (आठ प्रतिशत की कमी) 17.13 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिसके परिणामस्वरूप राज्य को उधार ली गई निधियों की कम उपलब्धता हुई। 2021-22 के दौरान मौजूदा देन-दारियों के निर्वहन के लिए उधार ली गई धनराशि का बड़ा हिस्सा उपयोग किया गया था। 2021-22 के दौरान घटक-वार ऋण प्रवृत्ति चार्ट 2.13 में दिखाया गया है, जबकि, चार्ट 2.14 राज्य के कुल ऋण में लोक ऋण और लोक लेखे के अवयव का विभाजन दर्शाता है।

चार्ट 2.13: 2021-22 के अंत में कुल ऋण का ब्यौरा



चार्ट 2.14: आंतरिक ऋण प्राप्ति के सापेक्ष भुगतान



2017-22 की अवधि के दौरान राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण स्वरूप का विवरण तालिका 2.29 में दिया गया है।

तालिका 2.29 राजकोषीय घाटे के घटक और इसके वित्त पोषण स्वरूप

(₹ करोड़ में)

ब्यौरा	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	
राजकोषीय घाटा के अवयव						
1	राजस्व अधिशेष/राजस्व घाटा	1,804	5,521	1,960	-3,114	6,944
2	निवल पूँजीगत व्यय	-11,928	-10,712	-9,879	-8,466	9,377
3	निवल उधार व अग्रिम	-1,809	-1,438	-116	-3,331	171
राजकोषीय घाटा के वित्त पोषण का स्वरूप						
1	बाजार से उधार	4,807	4,023	5,656	8,900	3,746
2	भारत सरकार से ऋण	71	106	252	2,390	3,012
3	एनएसएसएफ द्वारा जारी विशेष प्रतिभूति	-746	-757	-769	-769	-770
4	वित्तीय संस्थानों से ऋण	1,054	1,371	222	281	-395
5	लघु बचत, भविष्य निधि आदि	66	69	6	-23	-193
6	जमा एवं अग्रिम	4,722	1,496	1,238	3,215	-722
7	उचंत व विविध	-224	127	97	53	-27
8	प्रेषण	93	60	-17	44	-14
9	रक्षित निधि	292	379	4,018	772	-380
10	कर्णांकित कोष में निवेश	0.00	0.00	0.00	304	200
11	कुल हानि	10,135	6,874	10,703	15,167	4,457
12	नकद शेष में वृद्धि (+)/कमी (-)	1,798	-245	-2,668	-256	-1,853
13	कुल राजकोषीय हानि	11,933	6,629	8,035	14,911	2,604

जैसा तालिका 2.29 से देखा जा सकता है कि राजस्व व्यय और पूँजीगत व्यय का एक बड़ा हिस्सा राज्य की राजस्व प्राप्तियों से पूरा किया गया था। इसलिए, राजकोषीय घाटा (₹ 2,604 करोड़) पूँजीगत व्यय तथा ऋण एवं अग्रिम पर उधार ली गई निधि के उपयोग के कारण हुई।

2021-22 के दौरान ₹ 2,604 करोड़ का राजकोषीय घाटा मुख्य रूप से बाजार ऋण (₹ 3,746 करोड़) द्वारा वित्तपोषित था।


2.6 ऋण परिपक्वता की रूपरेखा और पुनर्भुगतान

ऋण परिपक्वता और पुनर्भुगतान की रूपरेखा ऋण पुनर्भुगतान या ऋण की प्रतिपूर्ति के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को इंगित करता है।

तालिका 2.30: राज्य के ऋण पुनर्भुगतान की परिपक्वता की रूपरेखा

पुनर्भुगतान की अवधि (वर्ष)	राशि (₹ करोड़ में)	प्रतिशतता (लोक ऋण के सापेक्ष)
0 - 1	5,222.16	6
1 - 3	11,226.63	14
3 - 5	13,347.58	16
5 - 7	10,999.34	13
7 और अधिक	41,735.82	51
कुल	82,531.53	100

चार्ट 2.15: ऋण परिपक्वता रूपरेखा



जैसा कि तालिका 2.30 से स्पष्ट है कि यह लोक ऋण की परिपक्वता की रूपरेखा को दर्शाती है, झारखण्ड सरकार के लोक ऋण की परिपक्वता के कारण आने वाले वर्षों में मोचन दबाव लगभग ₹ 5,000 करोड़ और ₹ 6,000 करोड़ के बीच रहेगा। हालांकि, यह राज्य के नए उधार की परिपक्वता के मामले में परिवर्तित होगा।

आगे, राज्य के अगले 10 वर्षों के लिए ऋण अदायगी और ब्याज भुगतान का विश्लेषण ने वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा दिये गए विवरणी के आधार पर एक मिश्रित रूझान दिखाया जैसा कि तालिका 2.31 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.31: राज्य की अगले 10 वर्षों में ऋण अदायगी की रूपरेखा

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अदायगी	ब्याज	कुल
2021-22	4,245.34	5,805.62	10,050.96
2022-23	5,222.17	5,818.61	11,040.78
2023-24	4,613.33	5,638.97	10,252.30
2024-25	6,613.30	5,523.83	12,137.13
2025-26	6,890.56	5,254.51	12,145.07
2026-27	6,457.01	4,984.55	11,441.56
2027-28	4,270.66	4,772.13	9,042.79
2028-29	6,728.68	4,755.92	11,484.60
2029-30	3,651.94	4,539.98	8,191.92
2030-31	5,671.83	4,593.38	10,265.21

स्रोत: वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार

जैसा कि तालिका से स्पष्ट है, राज्य के लोक ऋण परिपक्वता मोचन दबाव वर्तमान ऋण देयता के अनुसार, 2022-31 के दौरान लगभग समान रहेगी। मौजूदा देनदारी के मुताबिक मूलधन और ब्याज की कुल अदायगी ₹ 8,191.92 करोड़ से ₹ 12,145.07 करोड़ के बीच होगी। राज्य की वर्तमान वित्तीय स्थिति के आलोक में मूलधन और ब्याज का भुगतान सहनीय होगा, जो आने वाले वर्षों में राज्य द्वारा लिए गए नये उधारों की परिपक्वता की स्थिति में बदल सकता है।

2.6.1 राजकोषीय घाटा और ऋण धारणीयता

राजकोषीय धारणीयता के संदर्भ में, तेरहवें वित्त आयोग ने ऋण-स.रा.घ.उ अनुपात के संदर्भ में तथा राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष ब्याज भुगतान के संदर्भ में ऋण धारणीयता को परिभाषित किया। वित्त आयोग (एफ.सी) ने केन्द्र और राज्य सरकारों के लिए राजकोषीय समेकन हेतु सिफारिश की और स.रा.घ.उ के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटे और ऋण स्टॉक हेतु सीमाएं प्रदान की हैं। झारखण्ड सरकार अपने एफ.आर.बी.एम अधिनियम, 2007 में अनुमानित स.रा.घ.उ के तीन प्रतिशत से अधिक राजकोषीय घाटा नहीं रखने का निर्णय लिया। एफ.आर.बी.एम अधिनियम के मद्देनजर एम.टी.एफ.पी विवरण में प्रत्येक वर्ष बजट के साथ प्रस्तुत स.रा.घ.उ से ऋण स्टॉक के प्रतिशत का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है।

ऋण स्टॉक की स्थिति की तुलना में एफ.एफ.सी लक्ष्य और एफ.आर.बी.एम लक्ष्य तालिका 2.32 में दिए गए हैं।

तालिका 2.32: ऋण धारणीयता - एफ.आर.बी.एम सूचक आधारित विश्लेषण

वर्ष	स.रा.घ.उ. से राजकोषीय घाटा (प्रतिशत में)		स.रा.घ.उ. से कुल ऋण (प्रतिशत में)		राजस्व प्राप्तियों से ब्याज भुगतान (प्रतिशत में)	
	एफ.आर.बी.एम. अधिनियम के तहत तैयार एम.टी.एफ.पी लक्ष्य	वास्तविक	एफ.आर.बी.एम. अधिनियम के तहत तैयार एम.टी.एफ.पी लक्ष्य	वास्तविक	एफ.एफ.सी लक्ष्य	वास्तविक
2017-18	2.49	4.42	27.90	28.57	8.54	8.84
2018-19	2.61	2.17	27.20	27.41	8.32	8.64
2019-20	2.09	2.50	27.10	29.40	8.08	9.09
2020-21	5.00*	4.70	32.60	33.90 [#]	-	10.31
2021-22	4.00*	0.81	33.00	30.57 [#]	-	9.02

स्रोत : संबंधित वर्षों के वित्त लेखे, एम.टी.एफ.पी एवं एफ.सी. प्रतिवेदन

यह ऋण भारत सरकार द्वारा जी.एस.टी. क्षतिपूर्ति के कमी के जगह बैंक टू बैंक ऋण ₹ 1,689 करोड़ (2020-21) तथा ₹ 2,484.41 करोड़ (2021-22) को शामिल नहीं करता।

* राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2020 के कंडिका 2(1) के आलोक में राजकोषीय घाटा लक्ष्य 2020-21 के लिए 2 प्रतिशत तथा 2021-22 में एक प्रतिशत से बढ़ गया था।

तालिका 2.32 से स्पष्ट है, राज्य सरकार 2021-22 के दौरान लक्ष्य के अन्दर राजकोषीय घाटे को बनाये रखने में सक्षम रही। 2017-18 से 2020-21 की अवधि के दौरान ऋण से स.रा.घ.उ. अनुपात अपने लक्ष्य से अधिक था। पन्द्रहवें वित्त आयोग द्वारा राजस्व प्राप्तियों (ब्याज भुगतान का भार) से ब्याज भुगतान के अनुपात के लिए मानक अनुमान प्रदान नहीं किया गया था। हालांकि, एफ.एफ.सी द्वारा यह निर्देशित किया गया था कि ब्याज भुगतान की वृद्धि दर पिछले वर्षों की तुलना में 2020-26 की अवधि के दौरान नौ प्रतिशत रखी जानी चाहिए जो, 2020-21 को छोड़कर जब यह 10.31 प्रतिशत था, राज्य द्वारा

हासिल की गई थी। वर्ष 2021-22 के दौरान, राज्य में राजस्व प्रप्ति से ब्याज भुगतान की प्रतिशतता 9.02 प्रतिशत रही।

2.6.2 उधार निधि की उपयोगिता

आदर्श रूप से उधार ली गई निधि का उपयोग पूंजी निर्माण और विकास गतिविधियों के लिए किया जाना चाहिए। वर्तमान खपत को पूरा करने और बकाया ऋणों पर ब्याज की अदायगी के लिए उधार ली गई निधि का उपयोग धारणीय नहीं है। उधार निधि की उपयोगिता तालिका 2.33 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.33: उधार निधियों की उपयोगिता

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	वर्ष	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1	कुल उधार	8,136.85	7,803.43	9,593.12	13,546.58	9,839.87
2	पूर्व उधार का पुनर्भुगतान (मूलधन)	2,949.50	3,060.10	4,231.40	2,744.82	4,247.08
3	निवल पूंजीगत व्यय	11,927.62	10,711.71	9,878.71	8,465.66	9,376.90
4	निवल ऋण व अग्रिम	1,809.00	1,438.43	116.24	3,330.99	17.25
5	निवल उपलब्ध उधार से पूरित राजस्व व्यय का अंश (1-2-3-4)	-8,549.27	-7,406.81	-4,633.23	-994.89	-3,801.36

स्रोत: वित्त लेखे

2021-22 के दौरान राज्य को पूर्व के उधारों के लिए ₹ 4,247.08 करोड़ का पुनर्भुगतान करना था, जो वर्ष के दौरान हुए राजस्व अधिशेष से पूरा कर लिया गया जिससे राज्य द्वारा पूंजीगत व्यय और ऋण तथा अग्रिमों के लिए उधार ली गई धन की अधिक उपलब्धता रही। लोक ऋण द्वारा पूरा नहीं किए गए पूंजीगत व्यय का हिस्सा लोक लेखा शेष से पूरा किया गया था।

कुल उधार ली गई निधि में से 95.29 प्रतिशत का उपयोग पूंजीगत व्यय पर (₹ 9,377 करोड़) उपयोग किया गया था तथा शेष ऋण और अग्रिम के भुगतान पर उपयोग किया गया था।

2.6.3 प्रत्याभूतियों की स्थिति (आकस्मिक देयताएं)

भारत का संविधान यह बताता है कि कोई राज्य भारत के क्षेत्र के भीतर, अपने समेकित निधि की सुरक्षा पर, ऐसी सीमाओं के भीतर, जैसा कि समय-समय पर निर्धारित किया गया, अपने विधायिका के अधिनियम द्वारा तय किया जाए और ऐसी सीमाओं के भीतर प्रत्याभूति दे, जैसा कि तय हो, उधार ले सकता है। प्रत्याभूति देनदारियाँ हैं जो लेनदार द्वारा चूक की स्थिति में जिसके लिए प्रत्याभूति दी गई है राज्य की समेकित निधि पर निर्भर करती है।

झारखण्ड सरकार ने इस संबंध में न तो प्रत्याभूति मोचन निधि बनाई है और न ही कोई नीति बनाई है। हालांकि, सरकार ने झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के पक्ष में दिसम्बर 2018 में ₹ 450 करोड़ राशि का लेटर ऑफ कम्फर्ट

(एल.ओ.सी.) दिया था। आगे, फरवरी 2013 में जे.एस.ई.बी. के पक्ष में दिया गया ₹ 157.15 करोड़ का एल.ओ.सी. जनवरी 2014 में जे.एस.ई.बी. के विखंडित होने के बाद भी सरकार के लेखाओं में समाशोधन हेतु लंबित था।

तालिका 2.34: राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियां

(₹ करोड़ में)

प्रत्याभूति	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
ब्याज सहित प्रत्याभूति की लंबित राशि	157.15	607.15	607.15	607.15	607.15

स्रोत: वित्त लेखे

2.7 नकद शेष का प्रबंधन

भारतीय रिजर्व बैंक के अनुबंध के अनुसार, राज्य सरकार को बैंक के साथ न्यूनतम दैनिक नकद शेष रखना है। यदि किसी दिन शेष राशि न्यूनतम से कम हो जाती है, तो समय-समय पर अर्थोपाय अग्रिम (डब्लू.एम.ए.)/ विशेष अर्थोपाय अग्रिम (एस.डब्लू.एम.ए.)/ ओवर ड्राफ्ट (ओ.डी) के द्वारा कमी को पूरा किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर राज्य सरकार को देय साधारण डब्लू.एम.ए की सीमा को संशोधित किया गया (17 अप्रैल 2020 से लागू ₹ 1,152 करोड़, जो बाद में घटकर 31 मार्च 2022 से लागू ₹ 1,067 करोड़ हो गया)।

राज्य ने 2021-22 के दौरान छः दिनों के लिये सामान्य अर्थोपाय अग्रिम तथा 10 दिनों के लिए विशेष अर्थोपाय अग्रिम का लाभ उठाया, जिसके लिए सरकार को ₹ 0.46 करोड़ का ब्याज देना पड़ा। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 में कोई ओवरड्राफ्ट नहीं लिया गया।

राज्य सरकार भारत की अल्पकालीन और दीर्घकालीन सरकारी प्रतिभूतियों और ट्रेजरी विपत्रों में अपने नकद अधिशेष का निवेश करती है। इस तरह के निवेश से प्राप्त लाभ को शीर्ष '0049-ब्याज प्राप्ति' के तहत प्राप्तियों के रूप में जमा किया जाता है।

तालिका 2.35 2020-21 और 2021-22 के दौरान सामान्य नकद शेष और इसमें निवेश का तुलनात्मक विवरण दिखाता है और **तालिका 2.36**, 2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान नकद शेष निवेश लेखा (मुख्य शीर्ष-8673) की स्थिति को दिखाता है।

तालिका 2.35: नकद शेष और इसका निवेश

(₹ करोड़ में)

	1 अप्रैल 2021 को प्रारंभिक शेष	31 मार्च 2022 को अन्त शेष
अ. सामान्य नकद शेष		
कोषागार में नकद	0	0
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा	160.55	149.37
अन्य बैंक में जमा	0	0
प्रेषण-स्थानीय	0	0
उप-योग	160.55	149.37
नकद शेष निवेश लेखा में रखे गए निवेश	2,811.20	4,480.63
कुल (अ)	2,971.75	4,630.00
ब. अन्य रोकड़ शेष एवं निवेश		
विभागीय अधिकारियों के पास रोकड़ यथा लोक निर्माण विभागीय अधिकारी, वन विभागीय अधिकारी	44.54	38.67
आकस्मिक व्यय हेतु विभागीय अधिकारियों को स्थायी अग्रिम	0.16	0.16
कर्णांकित निधि में निवेश	703.87	903.87
कुल (ब)	748.57	942.70
कुल (अ + ब)	3,720.32	5,572.70
ब्याज प्राप्ति	58.59	58.63

स्रोत : वित्त लेखे

31 मार्च 2022 तक नकद शेष निवेश लेखा में शेष राशि ₹ 4,480.63 करोड़ थी और 2021-22 के दौरान निवेश पर प्राप्त ब्याज ₹ 58.63 करोड़ था।

2021-22 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में राज्य का नकद शेष निवेश में वृद्धि हुई।

वर्ष 2012-13 के दौरान राज्य ने एस.डी.आर.एफ. के कर्णांकित निधियों से ₹ 400 करोड़ का निवेश किया था। जैसा कि एस.डी.आर.एफ. दिशानिर्देश में निर्धारित है ₹ 1,761.68 करोड़ के शेष को निवेशित नहीं किया गया था। 31 मार्च 2022 को हस्तांतरित ₹ 503.87 करोड़ में से हास निधि में से ₹ 200 करोड़ का निवेश वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में किया।

तालिका 2.36: नकद शेष निवेश लेखा (मुख्य शीर्ष-8673)

(₹ करोड़ में)


वर्ष	प्रारंभिक शेष	अंतिम शेष	वृद्धि (+)/ कमी (-)	अर्जित ब्याज
2017-18	1,439.09	354.56	-1,084.53	78.56
2018-19	354.56	167.90	-186.66	31.43
2019-20	167.90	3,070.62	2,902.72	147.42
2020-21	3,070.62	2,811.20	-259.42	58.59
2021-22	2,811.20	4,480.63	1,669.43	60.21

लेखों में परिलक्षित आंकड़े {₹ 149.37 करोड़ (डेबिट)} तथा आर.बी.आई. द्वारा सूचित किये गए आंकड़ों {₹ 13.05 करोड़ (डेबिट)} के बीच ₹ 162.42 करोड़

(निवल डेबिट) का अंतर था। इस अंतर के समाशोधन एवं आवश्यक सुधार के लिए प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड द्वारा आर.बी.आई, राँची के साथ प्रयास किये जा रहे हैं।

चार्ट 2.16 पिछले पाँच वर्षों के दौरान बाजार ऋणों (निवल) और नकद शेष के तुलनात्मक रुझान को दर्शाता है।

चार्ट 2.16: बाजार ऋण (निवल) एवं नकदी शेष की प्रवृत्ति



यह वांछनीय नहीं है कि राज्य सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर नकदी शेष होने के बावजूद बाजार ऋणों का सहारा लिया जाए तथा इसके उत्पादक इस्तेमाल के बिना सिर्फ नकद शेष को बढ़ाने हेतु बाजार ऋण लेना अपेक्षित नहीं है।

वर्ष 2021-22 के दौरान, राज्य सरकार ने ₹ 3,745.95 करोड़ की बाजार से ऋण की उगाही की, जबकि उसी समय, नकद शेष ₹ 3,720 करोड़ से बढ़कर वर्ष के अंत में ₹ 5,572.70 करोड़ रहा।

2.8 निष्कर्ष

सरकार के राजकोषीय प्रदर्शन को आँकने के लिए घाटे का संकेतक, राजस्व वृद्धि और व्यय प्रबंधन प्रमुख मापदण्ड हैं।

राज्य ने एफ.आर.बी.एम. अधिनियम में दी गई समय-सीमा से काफी पहले अपने राजस्व घाटे को शून्य तक कम करने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। 2020-21 को छोड़कर राज्य में पिछले पाँच वर्षों में राजस्व अधिशेष था। 2018-19, 2020-21 तथा 2021-22 के दौरान राज्य का राजकोषीय घाटा लक्ष्य के अन्दर था, वहीं 2017-18 तथा 2019-20 के दौरान लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ।

2021-22 के दौरान राज्य का राजस्व व्यय कुल व्यय का 85.28 प्रतिशत था, जिसका 44.41 प्रतिशत वेतन और मजदूरी, ब्याज भुगतान और पेंशन पर व्यय किया गया था। 2021-22 में वेतन और मजदूरी, ब्याज भुगतान और पेंशन पर राजस्व प्राप्तियों का 39.99 प्रतिशत व्यय किया गया। 2020-21 के दौरान

पूँजीगत व्यय ₹ 8,466 करोड़ के विरुद्ध 2021-22 के दौरान ₹ 9,377 करोड़ था। पूँजीगत व्यय में वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में सामाजिक सेवाओं पर सात प्रतिशत और आर्थिक सेवाओं पर 14 प्रतिशत अधिक व्यय के कारण हुई।

राज्य के कुल व्यय में, सामाजिक सेवाओं और आर्थिक सेवाओं पर व्यय का हिस्सा 2020-21 और 2021-22 में लगभग समान रहा। आर्थिक सेवाओं पर व्यय 2017-18 में 40 प्रतिशत से लगातार घटकर 2021-22 में 34 प्रतिशत हो गया, जो इस क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा दी गई कम प्राथमिकता का संकेत था।

उधार ली गई कुल निधि ₹ 9,839.87 करोड़ में से 95.29 प्रतिशत का उपयोग पूँजीगत व्यय (₹ 9,378 करोड़) पर किया गया था और शेष ऋण और अग्रिम के भुगतान पर किया गया था। राज्य को 2021-22 के दौरान पहले के उधारों के लिए ₹ 4,247.08 करोड़ का पुनर्भुगतान करना था, जो वर्ष के दौरान राजस्व प्राप्तियों से पूरा किया गया था।

31 मार्च 2022 को समाप्त राज्य के वित्त लेखे के अनुसार, सरकार ने नवम्बर 2000 में राज्य के गठन के बाद से ₹ 2,250.22 करोड़ का निवेश (सरकारी कम्पनी, ग्रामीण बैंक तथा सहकारी संस्थाओं) में किया था। इनके निवेश पर कोई प्रतिफल नहीं होने के बावजूद, राज्य सरकार ने 2021-22 के दौरान इक्विटी के रूप में चार¹⁰ राज्य पी.एस.यू. और दो सहकारिताओं (आदिवासी सहकारी विकास) में ₹ 1,138.57 करोड़ का निवेश किया।

निवेश के अलावा, सरकार द्वारा अपने संस्थाओं को दिए गए ऋण के रूप में एक बड़ी राशि (₹ 24,348 करोड़) मार्च 2022 के अंत तक बकाया थी।

कुल राजकोषीय देनदारियाँ (कुल ऋण) 2020-21 में ₹ 1,07,496 करोड़ से बढ़कर 2021-22 में ₹ 1,10,998 करोड़ हो गई। एम.टी.एफ.पी के लक्ष्य 33 प्रतिशत के विरुद्ध राजकोषीय दायित्व का स.रा.घ.उ. से अनुपात 30.57 प्रतिशत¹¹ था। समग्र बिहार राज्य की राजकोषीय दायित्वों का विभाजन अब तक उत्तराधिकारी राज्यों बिहार और झारखण्ड के बीच नहीं किया गया है।

सरकार ने राज्य आपदा मोचन निधि (एस.डी.आर.एफ) के गठन के पश्चात से कोई ब्याज नहीं दिया, जो 2011-12 से 2021-22 की अवधि के लिए लागू दर पर ₹ 870.85 करोड़ होता है। ब्याज का भुगतान न करने से राज्य के राजस्व घाटे और राजकोषीय घाटे पर प्रभाव पड़ा। आगे, सरकार ने वर्ष के दौरान हास निधि में ₹ 200 करोड़ का अंतरण किया।

¹⁰ झारखंड अन्वेषण एवं खनन कॉर्पोरेशन लिमिटेड: ₹ 1,000 करोड़; झारखंड औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम: ₹ 2 करोड़; झारखंड सेंट्रल रेलवे परियोजना: ₹ 20 करोड़; और झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड: ₹ 87.52 करोड़।

¹¹ यह ऋण भारत सरकार द्वारा जी.एस.टी. क्षतिपूर्ति के कमी के जगह बैंक टू बैंक ऋण ₹ 1,689 करोड़ (2020-21) तथा ₹ 2,484.41 करोड़ (2021-22) को शामिल नहीं करता।

2.9 अनुशंसाएँ

- राज्य सरकार को अपने निवेश और विभिन्न संस्थाओं को दिए गए ऋणों को युक्तिसंगत बनाना चाहिए ताकि निवेश और ऋण पर प्रतिफल कम से कम सरकारी उधार लागत के बराबर हो सके। अन्यथा, निवेश में रिटर्न की नगण्य दर के साथ बढ़ती राजकोषीय देनदारियाँ अवहनीय ऋण की स्थिति को जन्म दे सकती हैं।
- राज्य को एफ.आर.बी.एम. अधिनियम और एम.टी.एफ.पी. विवरणियों में निर्धारित लक्ष्यों के संबंध में अपने वित्तीय प्रदर्शन को बनाए रखने के लिए ठोस प्रयास करने होंगे।

अध्याय-3
बजटीय प्रबंधन

अध्याय 3

बजटीय प्रबंधन

परिचय

यह अध्याय बजटीय प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता और प्रभावशीलता की समीक्षा करता है और पूरक अनुदान एवं सहगामी वित्तीय प्रबंधन सहित आवंटित प्राथमिकताओं का आकलन करता है कि नीतिगत स्तर पर लिया गया निर्णय निधि के विचलन के बिना प्रशासनिक स्तर पर लागू किया गया है। यह विनियोग लेखे की लेखापरीक्षा पर आधारित है और अनुदान के अनुसार विनियोगों का विवरण तथा आवंटित संसाधनों का सेवा प्रदान करने वाले विभागों द्वारा प्रबंधन के तरीकों को प्रस्तुत करता है।

3.1 बजटीय प्रक्रिया

बजट का वार्षिक अभ्यास सार्वजनिक संसाधनों के कुशल उपयोग के लिए दिशानिर्देश का विवरण देने का एक साधन है। सामान्यतः बजट प्रक्रिया वित्त विभाग द्वारा बजट परिपत्र जारी करने के साथ (सामान्यतः प्रत्येक वर्ष अगस्त-सितम्बर में) शुरू होती है, जिसमें चालू वित्तीय वर्ष हेतु पुनरीक्षित अनुमान तथा अगले वित्तीय वर्ष हेतु बजट अनुमान तैयार करने में सभी विभागों द्वारा पालन किए जाने वाले निर्देश शामिल होता है। इसमें बजट अनुमान तैयार करने में एकरूपता हेतु नमूना प्रारूप भी शामिल रहता है। राज्य के बजट निर्माण प्रक्रिया को नीचे चित्र में दर्शाया गया है:




विधायी प्राधिकरण राज्य सरकार द्वारा सभी व्यय के भार के लिए अनिवार्य है। अलग-अलग सरकारी विभागों का मार्गदर्शन करने के लिए, राज्य सरकार ने वित्तीय

नियम बनाए हैं और वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन के लिए प्रावधान किया है जो व्यय की सीमा निर्धारित करते हैं और विनियोग और पुनर्विनियोग पर प्रतिबंध के साथ ऐसे व्यय को स्वीकृत करने के लिए अधिकृत स्तर हैं।

पूरक अनुदानों के अलावा, पुनर्विनियोजन का उपयोग अनुदान के भीतर निधियों के पुनर्आवंटन के लिए भी किया जाता है। पुनर्विनियोजन अनुदान के एक ही खंड (राजस्व-दत्त, राजस्व-प्रभारित, पूंजी-दत्त, पूंजी-प्रभारित) या भारित विनियोग के भीतर किसी अन्य इकाई के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए विनियोग की एक इकाई से बचत का सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्थानांतरण है। बजट के विभिन्न घटकों को चार्ट 3.1 में दर्शाया गया है।

चार्ट 3.1: बजट के अवयव



स्रोत: विनियोग लेखे

विनियोगों की लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि क्या वास्तव में विभिन्न अनुदानों के तहत किया गया व्यय विनियोग अधिनियम के तहत दिए गए प्राधिकरण के अनुसार है और यदि व्यय को संविधान के प्रावधानों के तहत भारित किए जाने की आवश्यकता होती है, तो यह भारित किया जाता है। साथ ही, यह भी पता लगाया जाता है कि क्या इस प्रकार किया गया व्यय कानून, प्रासंगिक नियमों और विनियमों और निर्देशों के अनुरूप है।

3.1.1 वित्तीय वर्ष के दौरान कुल प्रावधानों, वास्तविक संवितरण और बचत का सारांश

दत्तमत/भारित में विभाजन सहित कुल बजट प्रावधान, संवितरण एवं बचत/आधिक्य की सारांशीकृत स्थिति तालिका 3.1 में दी गयी है।

तालिका 3.1: वित्तीय वर्ष के दौरान बजट प्रावधान संवितरण एवं बचत/आधिक्य

(₹ करोड़ में)

व्यय की प्रकृति	कुल बजट		संवितरण		निवल बचत (+)/ आधिक्य (-)	
	दत्तमत	भारित	दत्तमत	भारित	दत्तमत	भारित
(i) राजस्व	76,384.41	6,823.49	57,356.33	6,627.09	19,028.08	196.39
(ii) पूँजीगत	11,573.67	0	9,376.90	0	2,196.77	0
(iii) ऋण एवं अग्रिम तथा अंतर्राज्यीय समायोजन	2,444.49	4,360.13	1,462.98	4,247.08	981.51	113.05
कुल	90,402.57	11,183.62	68,196.21	10,874.17	22,206.36	309.44

वर्ष 2021-22 के दौरान, राजस्व अनुभाग के अधीन 53 दत्तमत अनुदानों एवं पांच विनियोगों में ₹ 19,513.33 करोड़ तथा पूँजीगत अनुभाग के अधीन 35 अनुदानों एवं एक विनियोग में ₹ 3,291.33 करोड़ के बचत के परिणामस्वरूप कुल बचत ₹ 22,515.81 करोड़ (कुल बजट का 22.16 प्रतिशत) था। राजस्व अनुभाग के अधीन एक विनियोग एवं एक अनुदान (13-ब्याज भुगतान एवं 15-पेंशन) में ₹ 288.85 करोड़ का अत्यधिक व्यय हुआ था।

आगे, यह पाया गया कि 2021-22 के दौरान कुल बचत ₹ 22,515.81 करोड़ में से ₹ 15,903.22 करोड़ की बचत 10¹ अनुदानों के अंतर्गत हुई, जिसका कारण समुचित रूप से विनियोग लेखे में नहीं बताए गए। आगे, इन अनुदानों में विगत चार वर्षों के दौरान सतत कुल बचत ₹ 8,138.75 करोड़ से ₹ 14,685.90 करोड़ थी।

यह भी देखा गया कि लगभग सभी बचत मार्च 2022 में अभ्यर्पित की गयी जिससे वित्त विभाग को अन्य जरूरतमंद विभागों को राशि के पुनः आवंटन के लिए कोई समय नहीं बचा, जो बजट प्रबंधन में दक्षता हासिल करने के उद्देश्य को भी विफल करता है।

झारखण्ड सरकार के 2021-22 के विनियोग लेखे के विस्तृत समीक्षण से पता चला कि कुछ मामलों को छोड़कर, योजनाओं/उप-शीर्षों के बजट प्रावधानों के विरुद्ध बचत/आधिक्य का कारण विभागों द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए।

3.1.2 भारत एवं दत्तमत संवितरण

विगत पाँच वर्षों (2017-22) के दौरान भारत एवं दत्तमत में विभाजित कुल वितरणों को तालिका 3.2 में दर्शाया गया है।

¹ 1-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग) (₹ 791.00 करोड़), 10-ऊर्जा विभाग (₹ 1,662.23 करोड़), 18-खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग (₹ 834.03 करोड़), 20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग (₹ 1,644.42 करोड़), 36- पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (₹ 2,151.61 करोड़), 42-ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग) (₹ 2,456.54 करोड़), 55-ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य संभाग) (₹ 1,569.22 करोड़), 56- ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज संभाग) (₹ 1,863.38 करोड़), 59- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक एवं प्रौढ़ शिक्षा संभाग) (₹ 1,668.57 करोड़) एवं 60- महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग (₹ 1,262.22 करोड़)

तालिका 3.2: 2017-18 से 2021-22 के दौरान भारत एवं दत्तमत संवितरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	संवितरण		बचत (+)/आधिक्य (-)	
	दत्तमत	भारत	दत्तमत	भारत
2017-18	60,105.66	7,709.46	14,191.49	154.67
2018-19	57,908.04	8,022.04	18,727.57	1,496.17
2019-20	61,431.27	9,661.98	23,466.38	205.01
2020-21	65,496.72	8,961.87	21,919.51	-100.02
2021-22	68,196.22	10,874.17	22,206.36	309.44

तालिका 3.2 यह दर्शाता है कि 2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष दत्तमत अनुभाग के तहत बजट प्रावधानों का पूर्ण रूप से विभागों द्वारा उपयोग नहीं किया गया परिणामस्वरूप बहुत अधिक बचत हुई। यह भी देखा गया कि सिर्फ 2020-21 को छोड़कर विगत पांच वर्षों (2017-18 से 2021-22) के दौरान भारत अनुभागों के अंतर्गत भी प्रावधानों के एक बड़े हिस्से का उपयोग नहीं किया गया और विभागों द्वारा अभ्यर्पित किया गया।

3.2 विनियोग लेखे

भारत के संविधान की अनुच्छेद 204 एवं 205 के अंतर्गत पारित विनियोग अधिनियम के संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट विभिन्न प्रयोजनों के लिए दत्तमत अनुदान एवं भारत विनियोग की राशि की तुलना में विनियोग लेखे प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के व्यय के लेखे हैं। विनियोग लेखे सकल आधार पर होते हैं। ये लेखे मूल बजट प्रावधान, अनुपूरक अनुदान, अभ्यर्पण और पुनर्विनियोजन को अलग-अलग स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं और बजट के भारत और दत्तमत मदों के संबंध में विनियोग अधिनियम द्वारा अधिकृत विभिन्न निर्दिष्ट सेवाओं पर वास्तविक पूँजीगत एवं राजस्व व्यय को दर्शाते हैं। इस प्रकार, विनियोग लेखे निधियों के उपयोग की जानकारी, वित्त प्रबंधन और बजटीय प्रावधानों की निगरानी की सुविधा प्रदान करते हैं और इसलिए ये वित्त लेखे के पूरक होते हैं।

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोगों की लेखापरीक्षा द्वारा यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है कि विभिन्न अनुदानों के तहत किया गया व्यय विनियोग अधिनियम के अधीन दिए गए प्राधिकरण के अनुसार किया गया है तथा संविधान के प्रावधानों (अनुच्छेद 202) के तहत भारत किए जाने वाले व्यय को भारत किया गया है। यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि किया गया व्यय विधिसंगत, प्रासंगिक नियमों, विनियमों और निर्देशों के अनुरूप है।

3.2.1 बजट प्रावधान के बिना किया गया व्यय

संविधान के अनुच्छेद 204 के प्रावधानों के अनुसार विधि द्वारा पारित विनियोग को छोड़कर राज्य के समेकित निधि से राशि की निकासी नहीं होगी। पुनर्विनियोजन, अनुपूरक अनुदान या विनियोग या राज्य की आकस्मिक निधि से अग्रिम के

अतिरिक्त निधियों के प्रावधान के बिना किसी नई योजना/सेवा पर व्यय नहीं किया जाना चाहिए।

संविधान के अनुच्छेद 115(1)(अ) और 205(1)(अ) के तहत, नई सेवा का अर्थ एक नए नीतिगत निर्णय से होने वाला व्यय है जो एक नई गतिविधि या नये निवेश सहित पूर्व में संसद/राज्य विधानसभा के संज्ञान में नहीं लाया गया था।

‘सेवा के नए साधन’ का अर्थ मौजूदा गतिविधि के महत्वपूर्ण विस्तार के कारण होने वाला अपेक्षाकृत बड़ा व्यय है।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से यह उद्घाटित होता है कि तीन अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत सात मामलों में व्यय बिना बजट प्रावधानों का किया गया। वर्ष के दौरान बिना प्रावधान का कुल व्यय ₹ 1,254.20 करोड़ था। विस्तृत विवरण तालिका 3.3 में दिया गया है।

तालिका 3.3: बजट प्रावधान के बिना व्यय का सारांश

अनुदान/ विनियोजन	व्यय (₹ करोड़ में)	योजनाओं/ उप-शीर्षों की संख्या
1-कृषि, पशुपालन तथा सहकारी विभाग (कृषि संभाग)	0.14	2
14-ऋण की पुर्नअदायगी	1,254.06	5
कुल	1,254.20	7

जैसा कि तालिका 3.3 से देखा जा सकता है, 2021-22 के दौरान बजट प्रावधान के बिना ऋणों के पुनर्भुगतान पर बहुत अधिक व्यय किया गया था। ऋणों की अदायगी पर व्यय प्रतिबद्ध व्यय थे और राज्य से अपेक्षा थी कि वे आकलन तैयार करने के समय वे ऐसे दायित्वों से भली-भांति अवगत होंगे। हालाँकि राज्य द्वारा इन व्ययों को पूरा करने के लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं किये गये थे। अग्रतर, जल संसाधन विभाग में मुख्य शीर्ष 4701 के तहत-मध्यम सिंचाई पर किया गया पूँजीगत व्यय पर बहुत बड़ी राशि लघु शीर्ष 799 के अंतर्गत उंचंत (सस्पेंस) विविध कार्य अग्रिम के रूप में ₹ 102.54 करोड़ का व्यय दिखाया गया है जो लेखा के अंतिम शीर्ष में अंतिम समायोजन के लिए लंबित है।

3.2.2 मुख्य शीर्ष-8443 के अंतर्गत लघुशीर्ष-800 में जमा की गई राशि

वित्त लेखे के विवरण संख्या 21 के सत्यापन के दौरान, यह पाया गया कि प्रत्येक वर्ष मुख्य शीर्ष-8443 के अंतर्गत लघु शीर्ष 800 में एक बड़ी राशि शेष रह जाती है। हालाँकि, 2021-22 में, इस शीर्ष के अंतर्गत जमा राशि काफी घटकर ₹ 0.85 करोड़ हो गई तथा इस शीर्ष से संवितरण बढ़कर ₹ 121.72 करोड़ हो गया, जिससे वर्ष के अंत में ₹ 265.36 करोड़ शेष रह गया। इस शीर्ष में जमा की गई राशि मुख्य रूप से भूमि अधिग्रहण के मुआवजे के लिए आवंटित राशि से संबंधित थी।

दिसम्बर 2019 में, महालेखाकार (लेखा एवं हक.) के परामर्श से, झारखण्ड सरकार ने राज्य प्राधिकारियों को मुख्य शीर्ष 8443 - सिविल जमा के लघु शीर्ष 106 - व्यक्तिगत जमा खाता के तहत संचालित करने का निर्देश दिया गया था। तदनुसार, 24 जिला कोषागारों में जिला भूमि अधिग्रहण अधिकारियों के नाम से पी.डी. खाते खोले गए, लेकिन लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत पूर्व में जमा राशि को पी.डी. खाते में हस्तांतरित नहीं किया गया।

3.2.3 अनावश्यक अनुपूरक अनुदान

बिहार बजट नियमावली (ब.नि.), झारखण्ड द्वारा यथा अंगीकृत, के नियम 117 के अनुसार व्यय के नए विशिष्ट मदों को अथवा दत्तमत अनुदानों में संभावित अधिकता को पूरा करने के लिए वित्त विभाग के परामर्श से अनुपूरक अनुदान प्राप्त किया जाना चाहिए। इसके अलावे, बजट नियमावली के नियम 57 के नीचे की टिप्पणियों के अनुसार, प्राक्कलन तैयार करने हेतु जिम्मेदार अधिकारी को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि व्यय की जा सकने वाली राशि से अधिक का प्रावधान नहीं है।

जैसा कि परिशिष्ट 3.1 में दर्शाया गया है, ₹ 14,627 करोड़ के कुल अनुपूरक बजट प्रावधान में से वर्ष के दौरान 49 मामलों (प्रत्येक मामले में ₹ 0.50 करोड़ या उससे अधिक) में प्राप्त ₹ 8,369.35 करोड़ (57.22 प्रतिशत) का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक/अत्यधिक साबित हुआ क्योंकि अधिकांश मामलों में मूल प्रावधानों के स्तर तक भी व्यय नहीं हुआ था।

3.2.4 अनावश्यक या अत्यधिक पुनर्विनियोजन

‘पुनर्विनियोजन’- का अर्थ एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनियोग की एक ईकाई से उसी अनुदान या भारित विनियोग के दूसरी इकाई के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए बचत का अंतरण है।

अनुदान पंजिकाओं, अभ्यर्पण आदेशों, पुनर्विनियोजन आदेशों इत्यदि के सत्यापन के दौरान यह देखा गया कि 2021-22 के दौरान कई योजनाओं में, अविवेकपूर्ण तरीके से 16 उप-शीर्षों में (परिशिष्ट 3.2) अतिरिक्त धनराशि प्रदान की गई, जो अत्यधिक साबित हुई। इन योजनाओं/उप-शीर्षों के अधीन, बचत के बावजूद, ₹ 419.75 करोड़ की अतिरिक्त धनराशि पुनर्विनियोजन द्वारा प्रदान की गई जिसके परिणामस्वरूप ₹ 472.47 करोड़ की बचत हुई।

3.2.5 अव्ययित राशि एवं अभ्यर्पित विनियोजन तथा/या वृहत बचत/ अभ्यर्पण

अवास्तविक प्रस्तावों एवं खराब निगरानी तंत्र पर आधारित बजटीय आवंटन, बजट प्रावधानों के वृहत बचत की प्रवृत्ति को बढ़ावा देते हैं।

3.2.5.1 ₹ 100 करोड़ या उससे अधिक की बचत

कुल बचत ₹ 22,516 करोड़ में से ₹ 21,122 करोड़ (93.81 प्रतिशत) की बचत 24 अनुदानों² में हुई, प्रत्येक अनुदान में ₹ 100 करोड़ से अधिक (परिशिष्ट 3.3) बचत हुई। इतनी बड़ी राशि के बचत का कारण विभागीय अधिकारियों द्वारा बताया नहीं गया।

इसके अलावे, 2021-22 के दौरान राजस्व अनुभाग के अंतर्गत 14 अनुदानों में बचत ₹ 500 करोड़ या उससे अधिक था और विभागों द्वारा ऐसी बचत के कारण नहीं बताए गये थे। औचित्य के बिना भारी बचत जो अवास्तविक बजट प्रस्तावों, खराब व्यय निगरानी तंत्र, कमजोर योजना कार्यान्वयन क्षमता/विभागों में कमजोर आंतरिक नियंत्रण का सूचक था। विवरण परिशिष्ट 3.4 में दिए गए हैं।

विगत पाँच वर्षों के दौरान सात अनुदानों में 35 प्रतिशत से अधिक की बचत को तालिका 3.4 में दिया गया है।

तालिका 3.4: बजट के 35 प्रतिशत से अधिक अनुपयोग वाले अनुदान/विनियोजन

क्र. सं.	अनुदान	(प्रतिशत में)					वर्षों की संख्या*	बजट 2021-22 (₹ करोड़ में)
		2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22		
राजस्व								
1	1- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	46	53	39	65	23	4	3,306.55
2	26- श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	45	32	50	57	48	4	387.27
3	36- पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	9	25	65	65	73	3	2,625.68
4	42- ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)	40	33	36	30	32	2	7,606.54
5	51- अनु.जा., अनु. जनजाति, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	42	35	30	46	35	4	1,663.03
6	54- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (डेयरी प्रभाग)	43	55	76	47	46	5	181.40
पूँजीगत								
1	26- श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग	56	87	87	58	30	4	74.31
2	60- महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	100	100	98	89	83	5	70.95

*35 प्रतिशत से अधिक की बचत वाले वर्षों की संख्या

ये अनुदान सामाजिक और आर्थिक सेवाओं से संबंधित थे और व्यय विकासात्मक उद्देश्यों के लिए किया जाना था। इसके बावजूद सरकार वर्ष-दर-वर्ष प्रावधानों का उपयोग करने में असमर्थ रही और राज्य के लक्षित लाभुकों को परिकल्पित लाभों से वंचित होना पड़ा। जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, पिछले पांच वर्षों के दौरान अनुदान संख्या 60 के तहत बचत 83 प्रतिशत और 100 प्रतिशत के बीच थी, क्योंकि पुनर्वास केंद्रों, कामकाजी महिला छात्रावासों, आंगनवाड़ी केंद्रों


² इनमें से, 23 अनुदान राजस्व से (₹ 18,649 करोड़), 7 पूँजीगत से (₹ 2,502 करोड़) और 6 दोनों से सम्बंधित हैं

आदि के निर्माण कार्यों के लिए प्रदान की गई धनराशि को बिना कोई कारण बताए वापस कर दिया गया था।


3.2.6 मार्च के अंत में ₹ 10 करोड़ से अधिक निधि का अभ्यर्पण

राज्य के विनियोग लेखों के सत्यापन से यह उद्घटित हुआ कि ₹ 22,516 करोड़ के कुल बचत में से, ₹ 10 करोड़ या उससे अधिक बचत वाले ₹ 22,277 (99 प्रतिशत) की राशि मार्च 2022 के अंत में अभ्यर्पित की गई, इससे सरकार इस राशि को अन्य विकासात्मक योजनाओं पर उपयोग करने से वंचित रह गई जिसका विवरण परिशिष्ट 3.5 में दिया गया है।

चार्ट 3.2: कुल बचत के साथ बचत की प्रतिशतता की समूहीकृत अनुदानों/विनियोगों की संख्या का संवितरण



चार्ट 3.3: 2017-18 से 2021-22 के दौरान बजट उपयोगिता



जैसा कि चार्ट 3.2 में परिलक्षित है, 27 अनुदानों में बचत 10 से 30 प्रतिशत के बीच था जबकि 15 अनुदानों में बचत 30 से 50 प्रतिशत के बीच था। छह अनुदानों में बचत 50 प्रतिशत से अधिक था। आगे, चार्ट 3.3 विगत पाँच वर्षों में बजट आवंटन और इसके उपयोग को दर्शाता है।

3.2.7 आधिक्य व्यय एवं इसका विनियमन

संविधान के अनुच्छेद 205(1)(ब) में प्रावधान है कि यदि किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी सेवा पर खर्च की गई कोई धनराशि उस सेवा पर दी गई राशि से अधिक हो तो राज्यपाल को ऐसे आधिक्य हेतु मांग को राज्य के विधान सभा में प्रस्तुत करना होगा। इसका तात्पर्य यह है कि, राज्य सरकार के लिए यह अनिवार्य है कि उस वित्तीय वर्ष के लिए राज्य विधानसभा द्वारा आधिक्य अनुदान/ विनियोग को विनियमित किया जाये।

अनुदान/विनियोग से आधिक्य संवितरण संविधान के अनुच्छेद 205 का उल्लंघन है जो राज्य विधानमंडल द्वारा आधिक्य अनुदानों के विनियमित करने का प्रावधान देती है। अनुदान से अधिक संवितरण को नियमित करने में विफलता संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है और विधान मंडल के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य को विफल करती है।

3.2.7.1 2021-22 से संबंधित आधिक्य व्यय

वर्ष के लिए प्रावधानों से आधिक्य व्यय न केवल अपेक्षित विधायी संस्वीकृत प्रावधानों का उल्लंघन है बल्कि कमजोर नियोजन का सूचक भी है, जिसे इस उद्देश्य के लिए बनाए गए बजट से व्यय की स्थिति पर नजर रखकर बचा जा सकता है।

जैसा कि विनियोग लेखे में देखा गया वर्ष 2021-22 के दौरान एक विनियोग (13-ब्याज भुगतान) में ₹ 98.89 करोड़ तथा एक अनुदान (15-पेंशन) में ₹ 189.97 करोड़ का आधिक्य व्यय किया गया।

3.2.7.2 विगत वित्तीय वर्षों के आधिक्य व्यय का विनियमन

विस्तारित अवधियों तक रही आधिक्य व्यय कार्यपालिका शक्ति पर विधायी नियंत्रण को कमजोर करती है। वर्ष 2001-02 से 2020-21 तक 11 अनुदानों से संबंधित ₹ 3,473.63 करोड़ की राशि का अनुदान/विनियोग पर अधिक संवितरण को राज्य विधानमंडल द्वारा विनियमित नहीं किया गया जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट 3.6 में वर्णित है।

2000-01 से 2020-21 के दौरान तीन अनुदानों/विनियोगों (13-ब्याज भुगतान, 14- ऋण का पुनर्भुगतान और 15- पेंशन) में ₹ 790.38 करोड़ (22.75 प्रतिशत), ₹ 967.57 करोड़ (27.85 प्रतिशत) और ₹ 1,541.58 करोड़ (44.38 प्रतिशत) से संबंधित कुल आधिक्य व्यय को अब तक विनियमित नहीं किया गया है। राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में बार-बार सूचना देने के बाद भी विगत वर्षों के आधिक्य व्यय को विनियमित नहीं किया गया।

3.2.8 पूँजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु सहायता अनुदान

सहायता अनुदान वह भुगतान है जो एक सरकार द्वारा किसी अन्य सरकार, निकाय, संस्था या व्यक्ति को सहायता, दान या अंशदान के रूप में दी जाती है। सहायता अनुदान परिसंपत्तियों के सृजन सहित किसी संस्था को विशिष्ट उद्देश्य हेतु सहायता देने के लिए दिया जाता है।

2021-22 के दौरान, राज्य के निकायों और प्राधिकरणों को पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए ₹ 5,358.62 करोड़ अनुदान के रूप में दिए गए। हालांकि, राज्य के लेखों में ऐसा अनुदान पूँजीगत व्यय के रूप में इंद्राज नहीं किया गया।

3.3 बजटीय और लेखा प्रक्रिया की पारदर्शिता पर टिप्पणियाँ

3.3.1 बजट अनुमान एवं प्राक्कलन तथा वास्तविकता के बीच अंतर

कर प्रशासन/अन्य प्राप्तियाँ तथा सार्वजनिक व्यय का कुशल प्रबंधन विभिन्न वित्तीय संकेतकों की उपलब्धि के लिए संतुलन बनाए रखता है। यथार्थवादी प्रस्तावों पर आधारित बजटीय आवंटन, एक अच्छा व्यय निगरानी तंत्र, सुदृढ़ योजना कार्यान्वयन क्षमता/ आंतरिक नियंत्रण, विभिन्न विकासात्मक आवश्यकताओं पर धन का इष्टतम उपयोग करते हैं।

तालिका 3.5: वर्ष 2021-22 के दौरान बजट (मूल/अनुपूरक) प्रावधानों के सापेक्ष व्यय की सारांशीकृत स्थिति

(₹ करोड़ में)

	व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान/ विनियोग	कुल	व्यय	निवल बचत	मार्च के दौरान अभ्यर्पण
दत्तमत	राजस्व	68,949.44	7,434.97	76,384.41	57,356.33	19,028.08	सभी अभ्यर्पण मार्च माह में की गई हैं।
	पूँजीगत	9,661.27	1,912.40	11,573.67	9,376.90	2,196.77	
	ऋण एवं अग्रिम	1,571.59	872.90	2,444.49	1,462.98	981.51	
	कुल	80,182.30	10,220.27	90,402.57	68,196.21	22,206.36	
भारित	राजस्व	6,805.57	17.92	6,823.49	6,627.09	196.40	
	पूँजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	लोक ऋण- पुनर्भुगतान	4,289.13	71.00	4,360.13	4,247.08	113.05	
	कुल	11,094.70	88.92	11,183.62	10,874.17	309.45	
सकल योग		91,277.00	10,309.19	1,01,586.19	79,070.38	22,515.81	

स्रोत: विनियोग लेखे

तालिका 3.5 दर्शाता है कि 2021-22 के दौरान ₹ 1,01,586.19 करोड़ के कुल प्रावधान में से राज्य के विभागों द्वारा ₹ 79,070.38 करोड़ व्यय किया गया तथा ₹ 22,515.81 करोड़ (22.16 प्रतिशत) का उपयोग नहीं किया गया। अप्रयुक्त राशि मार्च माह में अभ्यर्पित की गयी।

तालिका 3.6: 2017-22 के दौरान मूल बजट, संशोधित अनुमान एवं वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
मूल बजट	75,673.42	80,200.00	85,429.00	86,370.00	91,277.00
अनुपूरक बजट	6,487.86	5,953.81	9,335.64	9,908.07	10,309.19
संशोधित अनुमान	82,161.28	86,153.82	94,764.64	96,278.07	1,01,586.19
वास्तविक व्यय	67,815.12	65,930.08	71,093.25	74,458.59	79,070.38
बचत	14,346.16	20,223.74	23,671.39	21,819.49	22,515.81
बचत की प्रतिशतता	17.46	23.47	24.98	22.66	22.16

जैसा कि तालिका 3.6 से स्पष्ट है, वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान बजट प्रावधान के एक वृहत हिस्से का उपयोग नहीं किया गया एवं राज्य के विभागीय अधिकारियों द्वारा अभ्यर्पित किया गया। इन बचतों के लिए कोई उपयुक्त कारण भी दर्ज नहीं किये गए थे। प्रत्येक वर्ष ये बचत राज्य के अनुपूरक प्रावधानों से अधिक थी जो अवास्तविक प्रस्तावों के आधार पर, कमजोर व्यय निगरानी तंत्र, कमजोर योजना कार्यान्वयन क्षमता/कमजोर आंतरिक नियंत्रण आदि के आधार पर बजटीय आवंटन के संकेत है।

3.3.2 अनुपूरक बजट एवं अवसर लागत

कभी कभी, अनुपूरक प्रावधान बनाते समय, विभाग विभिन्न योजनाओं/ गतिविधियों के तहत भिन्न-भिन्न प्रयोजनों के लिए वृहत अतिरिक्त माँग को विधानमंडल को सूचित करती है; लेकिन अंततः, वे मूल बजट प्रावधान का भी व्यय करने में असमर्थ होते हैं जिसके कारण वृहत बचत होती है। वहीं, कुछ योजनाएं धन के अभाव में अधूरी रह जाती है। आगे, यह परियोजना लागत में वृद्धि को प्रोत्साहित करती है। बचत के बावजूद अनावश्यक/ अत्यधिक अनुपूरक प्रावधानों के मामले तालिका 3.7 में दिए गए हैं।

तालिका 3.7: बचत के बावजूद अनावश्यक/अत्यधिक अनुपूरक प्रावधान

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान का नाम	मूल आवंटन	अनुपूरक	कुल	व्यय	अनुपयोग निधि
1	1- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	2,970.84	335.71	3,306.55	2,530.48	776.07
2	18- खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	2,034.43	170.55	2,204.98	1,406.67	798.31
3	39-गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग)	1,264.56	446.78	1,711.34	966.61	744.73
4	42-ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)	7,148.89	457.65	7,606.54	5,165.31	2,441.22
5	48-नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग)	2,796.12	158.24	2,954.36	2,440.19	514.17
6	51- अनु. जनजाति, अनु.जा., अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (अनु. जनजाति, अनु.जा., अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण प्रभाग)	1,536.87	126.16	1,663.03	1,080.74	582.28

क्र. सं.	अनुदान का नाम	मूल आवंटन	अनुपूरक	कुल	व्यय	अनुपयोग निधि
7	55-ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य प्रभाग)	1,974.17	20.88	1,995.05	467.27	1,527.78
8	56-ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज प्रभाग)	2,617.21	46.26	2,663.47	803.64	1,859.83
9	58- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (माध्यमिक शिक्षा प्रभाग)	3,000.92	25.00	3,025.92	2,470.32	555.60
10	59- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा प्रभाग)	8,447.83	32.80	8,480.63	6,812.06	1,668.57
11	60- महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	5,253.87	410.90	5,664.77	4,461.58	1,203.19
12	10- उर्जा विभाग	1,762.00	880.95	2,642.95	1,500.09	1,142.86
	कुल	40,807.71	3,111.88	43,919.59	30,104.96	13,814.61

3.3.2.1 कुछ प्रमुख योजनाओं को आवंटित निधियों की अनुपयोगिता

राज्य के विनियोग लेखे की समीक्षा से यह उद्घटित होता है कि कई योजनाएँ, जो बड़े पैमाने पर आम लोगों को लाभ प्रदान करने के लिए लक्षित थीं, के लिए आवंटित राशि में बड़ी बचत हुई थी। योजनाओं को पूर्ण नहीं किए जाने तथा लाभुकों तक अधूरे योजनाओं का लक्षित लाभ नहीं पहुँचाये जाने के परिणामस्वरूप इन योजनाओं में विगत तीन वर्षों में बड़ी बचत हुई। उन योजनाओं में से कुछ को तालिका 3.8 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.8: कुछ प्रमुख योजनाओं के तहत वर्ष-वार बचत

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	योजना/शीर्ष का नाम	2019-20		2020-21		2021-22	
		बजट	बचत	बजट	बचत	बजट	बचत
36- पेयजल एवं स्वच्छता विभाग							
1	4215-01-102-02-ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना	322.55	141.02	207.57	66.52	205.02	57.27
42- ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)							
2	2501-06-101-05-सामान्य के लिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (सी.ए.एस.सी.)	205.21	86.26	300.00	107.71	300.00	100.77
3	2501-06-796-05-सामान्य के लिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (सी.ए.एस.सी.)	150.77	100.81	126.00	25.20	126.00	31.91
51- अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण प्रभाग)							
4	2225-01-789-59-प्रवेश के बाद छात्रवृत्ति	27.00	4.86	27.00	5.05	25.00	18.00
5	2225-01-789-61-प्राथमिक स्कूल छात्रवृत्ति	12.27	7.97	8.00	5.22	6.00	2.79

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजना और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जैसी सामाजिक और आर्थिक सेवाओं के तहत योजनाओं में भारी बचत हुई, जो न केवल बजट प्रक्रिया की प्रभावशीलता का मुद्दा उठाती है बल्कि राज्य की योजनाओं के तहत लाभार्थियों को लाभ से वंचित भी की।

3.3.3 कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए बजट एवं उनकी वास्तविक धनराशि में प्रमुख नीतिगत घोषणाएँ

सरकार द्वारा की गई कई नीतिगत घोषणाओं को कार्यान्वित नहीं किया गया, जिससे लाभुक अपेक्षित लाभ से वंचित रह गए। तथापि, विभागों द्वारा प्रावधानों का उपयोग न किये जाने के कारण नहीं बताये गये। ऐसी योजनाओं में बचत अन्य विभागों को उन निधियों से वंचित कर देती है जिनका वो उपयोग कर सकते थे। 301 मामलों में 100 प्रतिशत प्रावधान (एक करोड़ और उससे अधिक के प्रत्येक मामले) वाले ₹ 4,718.87 करोड़ की राशि अभ्यर्पित की गई जिसके परिणामस्वरूप योजनाओं/कार्यक्रमों को लागू नहीं किया गया जिसका विवरण **परिशिष्ट 3.7** में दिया गया है।


3.4 व्यय का वेग

बिहार बजट नियमावली (झारखण्ड द्वारा यथा अंगीकृत) का नियम 113 बतलाता है कि वित्तीय वर्ष के आखिरी महीनों में व्यय का वेग को सामान्यतः वित्तीय नियमितता का उल्लंघन माना जाएगा। व्यय का एक समान प्रवाह बनाये रखना स्वस्थ सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि यह किसी विशेष महीने में अप्रत्याशित भारी व्यय से उत्पन्न होने वाले किसी विशेष महीने के दौरान राजस्व व्यय के बेमेल होने के कारण राजकोषीय असंतुलन और अस्थायी नकदी संकट को दूर करता है।

यह देखा गया कि मार्च 2022 में मुख्य रूप से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा सामाजिक कल्याण द्वारा ए.सी विपत्र पर ₹ 171.31 करोड़ की निकासी की गई जिसमें ₹ 11.55 करोड़ की निकासी वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन में की गई।

वर्ष 2021-22 के दौरान, कुल व्यय (₹ 79,070 करोड़) में से ₹ 17,661 करोड़ जो 22.34 प्रतिशत था, मार्च 2022 में व्यय किया गया। मार्च में उच्च व्यय प्रतिशतता से स्पष्ट था कि व्यय का एक समान प्रवाह, जो बजटीय नियंत्रण की प्राथमिक आवश्यकता थी, का निर्वहन नहीं किया गया। वित्तीय वर्ष के आखिरी माह में व्यय का वेग वित्तीय नियमावली के विरुद्ध है और लोक धन के दुरुपयोग एवं खराब प्रचलन के जोखिम को बतलाती है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान माहवार प्राप्तियों एवं व्यय को **चार्ट 3.4** में दर्शाया गया है।

चार्ट 3.4: 2020-21 के दौरान राज्य की मासिक प्राप्तियाँ एवं व्यय



आगे यह देखा गया कि 29 प्रमुख शीर्षों के अंतर्गत ₹ 13,170 करोड़ के कुल व्यय के विरुद्ध वर्ष की अंतिम तिमाही में 40 प्रतिशत और उससे अधिक राशि जो ₹ 6,056.57 करोड़ (45.99 प्रतिशत) थी, का व्यय किया गया जैसा कि **परिशिष्ट 3.8** में वर्णित है। इसमें से ₹ 4,645.47 करोड़ (इन शीर्षों के अंतर्गत कुल व्यय का 35.27 प्रतिशत) का व्यय माह मार्च 2022 में किया गया था।

3.5 अनुदान संख्या 55- ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के बजटीय प्रावधान की लेखापरीक्षा

3.5.1 परिचय

झारखण्ड की 75 प्रतिशत जनसंख्या गाँवों में निवास करती है। ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) का प्रथम प्राथमिकता इन गाँवों को सभी मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करना है। विभाग का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण सड़कों और पुलों का उन्नयन, सुदृढीकरण और रख-रखाव करना है।

2021-22 के दौरान विभाग का कुल बजट प्रावधान ₹ 2,678.92 करोड़ था। बजट तथा इसकी उपयोगिता का विवरण **तालिका 3.9** में दिया गया है।

तालिका 3.9: 2021-22 के दौरान बजट प्रावधान, व्यय और बचत का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	पूँजीगत दत्तमत	राजस्व दत्तमत	कुल
मूल अनुदान	679.70	1,974.17	2,653.87
अनुपूरक अनुदान	4.16	20.89	25.05
कुल अनुदान	683.86	1,995.06	2,678.92
व्यय	642.43	467.27	1,109.70
बचत	41.43	1,527.79	1,569.22
अभ्यर्पण	41.43	1,527.79	1,569.22

स्रोत: विनियोग लेखे 2021-22

3.5.2 लेखापरीक्षा के क्षेत्र

ग्रामीण विकास विभाग (आरडीडी) का विभागीय सचिवालय तथा 25 इकाईओं³ का बजटीय प्रक्रिया के लेखा परीक्षा के लिए आठ⁴ जिलों में चयनित किया गया।

लेखापरीक्षा परिणाम

3.5.3 सतत बचत

पिछले चार वर्षों (2018-19 से 2021-22) के दौरान विभाग के बजट तथा व्यय के प्रकृति के रुझान से यह पाया गया कि उन वर्षों में विभाग के पास न केवल सतत बचत था बल्कि बजट प्राक्कलन की तुलना में बचत का प्रतिशत बहुत अधिक था जैसा कि तालिका 3.10 में दिया गया है।

तालिका 3.10: अंतिम चार वर्षों में ग्रा.वि.वि. (आर.डब्ल्यू.ए.) के बचत का रुझान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	शीर्ष	मूल	अनुपूरक	कुल	व्यय	बचत	बचत की प्रतिशतता
2018-19	राजस्व	1,234.97	1,219.08	2,454.05	2,382.27	71.78	07
	पूँजीगत	2,170.80	0.00	2,170.80	1,941.16	229.64	
	कुल	3,405.77	1,219.08	4,624.85	4,323.43	301.42	
2019-20	राजस्व	1,945.38	155.70	2,101.08	950.56	1,150.52	41
	पूँजीगत	2,195.80	0.00	2,195.80	1,574.72	621.08	
	कुल	4,141.18	155.70	4,296.88	2,525.28	1,771.60	
2020-21	राजस्व	1,839.57	0.00	1,839.57	845.62	993.95	39
	पूँजीगत	776.70	105.00	881.70	817.87	63.83	
	कुल	2,616.27	105.00	2,721.27	1,663.49	1,057.78	
2021-22	राजस्व	1,974.17	20.89	1,995.06	467.27	1,527.79	59
	पूँजीगत	679.70	4.16	683.86	642.43	41.43	
	कुल	2,653.87	25.05	2,678.92	1,109.70	1,569.22	

स्रोत: विनियोग लेखे 2018-22

जैसा कि तालिका 3.10 में दिखाया गया है, 2019-20 से 2021-22 के दौरान विभाग के पास लगातार भारी बचत थी। अवधि के दौरान, बचत 39 प्रतिशत से 59 प्रतिशत के बीच थी जो न केवल जिला इकाइयों से वास्तविक आवश्यकताओं को प्राप्त किए बिना विभाग द्वारा बजट तैयार करने का संकेत था बल्कि निधि का उपयोग करने में विभाग की अक्षमता को भी दर्शाता है। भारी धनराशि के अनुपयोग के कारण भी वर्ष के लिए बजट में शामिल राज्य की योजनाओं को पूरा नहीं किया जा सका।

³ अवर सचिव, आरडीडी, रांची और आठ चयनित जिलों में कार्यपालक अभियंता, विशेष प्रमंडल, आरईओ और एनआरईपी के तीन कार्यालय।

⁴ (i) चतरा (ii) धनबाद (iii) दुमका (iv) गिरिडीह (v) गोड्डा (vi) हजारीबाग (vii) रांची (viii) सरायकेला खरसावां

3.5.4 बजट अनुमानों का विलम्ब से प्रस्तुतीकरण

झारखण्ड सरकार (झा.स.) द्वारा अपनाये गये बिहार बजट नियमावली के नियम 62 राज्य के लिए समय पर और सही तरीके से बजट तैयार करने के लिए बजट कलैण्डर प्रदान करता है। वित्त विभाग, झा.स. ने स्थापना व्यय एवं सामान्य बजट का अनुमान/प्राक्कलन प्रस्तुत करने के निर्धारित तिथि (नवम्बर 2020) को झारखण्ड सरकार ने संबंधित मंत्री के अनुमोदन के पश्चात बजट नियमावली के निर्धारित तिथि 01 अक्टूबर के विरुद्ध क्रमशः 21 दिसम्बर 2020 एवं 06 जनवरी 2021 संशोधित किया।

यह पाया गया है कि वित्त विभाग द्वारा निर्धारित लक्षित तिथि के विरुद्ध विभाग ने स्थापना व्यय और सामान्य बजट के लिए बजट अनुमान (ब.अनु.) वित्त विभाग को क्रमशः नौ एवं 49 दिनों की देरी से 30 दिसम्बर 2020 और 24 फरवरी 2021 को प्रस्तुत किया गया। आगे, विभाग के निर्देशानुसार⁵ (04.12.2020) क्षेत्र कार्यालयों द्वारा स्थापना व्यय का बजट प्राक्कलन को प्रस्तुत करने का निर्धारित तिथि 7 दिसम्बर 2020 था।

प्रमंडल/डीडीओ के नमूना जाँच में यह पाया गया कि विभाग को निर्धारित तिथि के विरुद्ध स्थापना व्यय के लिए बजट प्राक्कलन विलम्ब सीमा सात से 154 दिनों में प्रस्तुत किया गया तथा छः डीडीओ के द्वारा स्थापना व्यय हेतु बजट प्राक्कलन प्रस्तुत नहीं किए गए। विवरण तालिका 3.11 में दिया गया है।

तालिका 3.11: क्षेत्र कार्यालयों द्वारा बजट प्राक्कलनों का विलम्ब/गैर-प्रस्तुती

क्र. सं.	जिला का नाम	कार्यालय / संभाग का नाम	जमा करने की तिथि	जमा करने की वास्तविक तिथि	विलम्ब (दिनों में)
1	राँची	अवर सचिव का कार्यालय, ग्रामीण विकास विभाग (कार्य प्रमंडल)	07.12.2020, (द्वारा पत्र सं. 05 (बजट-10)-343/2020 गा.का.वि. 1868	प्रस्तुत नहीं किया है	
		का. अ. का कार्यालय, गा.वि.वि.प्र.		14.12.2020	07
		का. अ. का कार्यालय, गा. का. प्र.		18.12.2020	11
2	हजारीबाग	का. अ. का कार्यालय, रा. गा. नि. का.		प्रस्तुत नहीं किया है	
		का. अ. का कार्यालय, गा.वि.वि.प्र.		24.12.2020	17
		का. अ. का कार्यालय, गा. का. प्र.		14.12.2020	07
3	गिरिडीह	का. अ. का कार्यालय, रा. गा. नि. का.		23.12.2020	16
		का. अ. का कार्यालय, गा.वि.वि.प्र.		21.12.2020	14
		का. अ. का कार्यालय, गा. का. प्र.		19.12.2020	12
4	धनबाद	का. अ. का कार्यालय, रा. गा. नि. का.		प्रस्तुत नहीं किया है	
		का. अ. का कार्यालय, गा.वि.वि.प्र.		17.12.2020	10
		का. अ. का कार्यालय, गा. का. प्र.		23.12.2020	16
5	सरायकेला-खरसांवा	का. अ. का कार्यालय, रा. गा. नि. का.		प्रस्तुत नहीं किया है	
		का. अ. का कार्यालय, गा.वि.वि.प्र.		02.01.2021	26
		का. अ. का कार्यालय, गा. का. प्र.		प्रस्तुत नहीं किया है	
		का. अ. का कार्यालय, रा. गा. नि. का.	10.05.2021	154	

⁵ पत्र सं. 05 (बजट-10) 343/2020 गा.का.वि. 1868

क्र. सं.	जिला का नाम	कार्यालय / संभाग का नाम	जमा करने की तिथि	जमा करने की वास्तविक तिथि	विलम्ब (दिनों में)
6	चतरा	का. अ. का कार्यालय, गा.वि.वि.प्र.		17.12.2020	10
		का. अ. का कार्यालय, गा. का. प्र.		15.12.2020	08
		का. अ. का कार्यालय, रा. गा. नि. का.		प्रस्तुत नहीं किया है	
7	दुमका	का. अ. का कार्यालय, गा.वि.वि.प्र.		17.12.2020	10
		का. अ. का कार्यालय, गा. का. प्र.		17.12.2020	10
		का. अ. का कार्यालय, रा. गा. नि. का.		19.12.2020	12
8	गोड्डा	का. अ. का कार्यालय, गा.वि.वि.प्र.		22.12.2020	15
		का. अ. का कार्यालय, गा. का. प्र.		03.03.2021	86
		का. अ. का कार्यालय, रा. गा. नि. का.		26.04.2021	140

3.5.5 एकल नोडल खाता का प्रभाव

अधिक प्रभावी नकदी प्रबंधन और सार्वजनिक व्यय प्रबंधन में अधिक दक्षता लाने की दृष्टि से भारत सरकार (जुलाई 2021) द्वारा यह निर्णय लिया गया कि सभी राज्य सरकारें और भारत सरकार के मंत्रालय प्रत्येक केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) को लागू करने के लिए एक एकल नोडल खाता (एस.एन.ए.) नामित करेंगे। राज्य सरकार द्वारा सरकारी व्यवसाय करने के लिए अधिकृत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में राज्य स्तर पर प्रत्येक सीएसएस के लिए एसएनए खोला जाना था।

ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य विभाग) के झारखण्ड राज्य ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण (जे.एस.आर.आर.डी.ए.) के अभिलेखों के सत्यापन के दौरान यह पाया गया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हटिया शाखा, राँची में एकल नोडल खाता (एस.एन.ए.) पी.एम.जी.एस.वाई. योजना/कार्यक्रम के लिए खोला गया और सभी शेष ₹ 1,514.29 करोड़ 2021-22 में उस खाते में स्थानांतरित किया गया। खाते का रख-रखाव ओएमएमएस (आनलाइन प्रबंधन, निगरानी और लेखा प्रणाली) में किया गया जो भारत में पीएमजीएसवाई योजना को निगरानी करने का मुख्य तंत्र है। वर्ष 2021-22 के दौरान ₹ 714.04 करोड़ खर्च किया गया जिससे वर्ष के अंत में शेष ₹ 800.25 करोड़ रहा। भारत सरकार को खर्च नहीं किए गए शेष की वापसी इस तर्क पर नहीं की गयी कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के तरफ से इस संबंध में कोई निर्देश प्राप्त नहीं था। हालांकि प्राप्त निर्देशों के अनुसार ग्रामीण विकास मंत्रालय को ₹ 36.56 करोड़ (कुल अर्जित ब्याज ₹ 60.93 करोड़ का 60 प्रतिशत राशि) वापस किया गया।

2021-22 के दौरान, भारत सरकार द्वारा राज्य को निधियां (₹ 950 करोड़) जारी नहीं की गई थी क्योंकि दिशा-निर्देशों में शर्त थी कि पूर्व में जारी की गई निधियों के कम से कम 75 प्रतिशत के उपयोग के बाद ही आगे की राशि निर्गत की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा बजट में उपलब्ध कराए गए ₹ 535 करोड़ की राशि का राज्यांश भी जारी नहीं किया गया।

आगे, जेएसआरआरडीए के लेखाओं के सत्यापन से पता चला कि वर्ष 2020-21 के दौरान अंत शेष ₹ 1,596.25 करोड़ के जगह ₹ 1,514.29 करोड़ दिखाया गया, जिसके लिए कोई कारण नहीं बताया गया था। विवरण तालिका 3.12 में दिया गया है।

तालिका 3.12 जेएसआरआरडीए के एसएनए के समय-वार विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रा. शे.	प्राप्त निधि	ब्याज	अतिरिक्त विविध	कुल निधि	व्यय	शेष	लेखापरीक्षा के अनुसार शेष
2015-16	27.10	890.00	2.21	8.97	928.28	732.05	131.23	196.33
2016-17	131.23	2,083.57	0.00	0.65	2,084.22	948.69	1,135.53	1,331.86
2017-18	1,135.53	922.24	20.14	3.00	2,080.91	1,142.66	938.25	1,134.58
2018-19	938.25	2,231.57	45.49	7.18	3,222.49	1,144.21	2,078.28	2,274.61
2019-20	2,070.00	625.22	66.61	7.51	2,769.34	1,292.20	1,584.45	1,681.75
2020-21	1,584.45	876.37	-357.03	472.05	2,575.84	1,076.89	1,514.29	1,596.25

यह भी देखा गया कि वर्ष 2021-22 के अंत में बैंक की एक ही शाखा में एक अलग खाते में अनुरक्षण निधि के एसएनए में ₹ 348.36 करोड़ भी पड़ा हुआ था, जिसके लिए जेएसआरआरडीए द्वारा कोई कारण नहीं बताया गया था।

3.5.6 परिहार्य अनुपूरक प्रावधान

बिहार बजट नियमावली (झारखण्ड द्वारा अंगीकृत) के नियम 57 के नीचे दिए गए टिप्पणियों के अनुसार अनुमान तैयार करने के लिए जिम्मेदार अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि खर्च किये जाने से अधिक राशि का कोई प्रावधान नहीं है।

लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि वर्ष 2021-22 में 40 योजनाओं (24 राजस्व अंतर्गत व 16 पूंजी अंतर्गत) में से, चार योजनाओं (राजस्व शीर्ष अंतर्गत) को ₹ 381.02 करोड़ के वास्तविक प्रावधानों को उपयोग किए बिना अनुपूरक प्रावधानों के द्वारा अतिरिक्त निधियां प्रदान किए गए। विवरण तालिका 3.13 में दिया गया है।

तालिका 3.13: संपूर्ण बजट प्रावधान की गैर-उपयोगिता एवं अभ्यर्पण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	शीर्ष	उप-शीर्ष	मूल	व्यय	अनुपूरक
1	2515-00-001-27	27- अधीक्षण अभियंता (ग्रामीण कार्य विभाग, क्षेत्रीय स्थापना)	78.29	60.23	0.19
2	2515-00-102-65	65- सड़कों की मरम्मत के लिए पीएमजीएसवाई के तहत जेएसआरआरडीए को अनुदान	140.00	140.00	10.00
3	2515-00-796-65	65- सड़कों की मरम्मत के लिए पीएमजीएसवाई के तहत जेएसआरआरडीए को अनुदान	160.00	160.00	10.00
4	3451-00-090-16	16- ग्रामीण कार्य विभाग	2.73	2.68	0.13
कुल			381.02	362.91	20.32

वर्ष 2021-22 के दौरान ऊपर दिखाए गए तालिका में योजनाओं हेतु ₹ 381.02 करोड़ के वास्तविक प्रावधानों में से, विभाग ने ₹ 362.91 करोड़ का व्यय किया जिससे ₹ 18.11 करोड़ की बचत हुई। आगे, उन योजनाओं को अनुपूरक प्रावधानों के द्वारा ₹ 20.32 करोड़ का अतिरिक्त निधि प्रदान किया गया जो कि बजट नियमावली के प्रावधानों के विरुद्ध था।

आगे, यह भी पाया गया कि दो योजनाओं के अंतर्गत केवल 26 प्रतिशत और 49 प्रतिशत के अनुपूरक प्रावधानों का उपयोग किया गया। विवरण तालिका 3.14 में दिया गया है।

तालिका 3.14 अनुपूरक प्रावधानों के आंशिक उपयोगिता का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	शीर्ष	उप-शीर्ष	मूल	अनुपूरक	अनुपूरक प्रावधानों का आंशिक उपयोग
1	4515-00-103-10	10- मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना	90.00	1.00	0.26 (26%)
2	4515-00-796-10	10- मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना	100.00	1.00	0.49 (49%)
कुल			190.00	2.00	0.75 (38%)

3.5.7 आवश्यकताओं को प्राप्त किए बिना बजट अनुमान तैयार किया गया

बजट नियमावली (ब.नि.) के नियम 65 के अनुसार, नियंत्री अधिकारी (नि.अ.) को संवितरण अधिकारियों (सं.अ.) से प्राप्त बजट का परीक्षण यह देखने के लिए करना चाहिए कि वह सही है, सभी विस्तृत ब्यौरे/स्पष्टीकरण दिए गए हैं एवं दिये गए विस्तृत स्पष्टीकरण पर्याप्त हैं।

लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि ब.नि. के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया था और आम बजट (राज्य, केन्द्र और केन्द्र प्रायोजित योजनाओं) के लिए बजट अनुमान सं.अ. से वास्तविक आवश्यकताओं को प्राप्त/आकलन किये बिना विभाग स्तर पर तैयार किये गये थे, जो कार्य को अन्ततः निष्पादित करने के लिए और निधि का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार है। इस प्रकार, सं.अ. से आवश्यकता प्राप्त किये बिना बजट अनुमान तैयार करना वर्ष 2021-22 के दौरान कुल बजट प्रावधान ₹ 2678.92 करोड़ में से ₹ 1,569.22 करोड़ (59 प्रतिशत) की भारी बचत का एक कारण है।

3.5.8 सम्पूर्ण बजट प्रावधान की अनुपयोगिता एवं अभ्यर्पण

ब.नि. के नियम 57 के नीचे टिप्पणी के अनुसार, आकलन तैयार करने के लिए जिम्मेदार अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए जितना खर्च किया जा सकता है उससे अधिक राशि का कोई प्रावधान नहीं है।

- अभिलेखों की जाँच से यह पता चला कि वर्ष 2021-22 के दौरान, 16 उपशीर्षों के तहत ₹ 1,351.05 करोड़ का बजट प्रावधान विभाग के द्वारा बनाया गया था। तथापि, पूरा राशि विभाग के द्वारा उपयोग में नहीं लाया गया तथा सम्पूर्ण राशि को अभ्यर्पित किया गया, जैसा कि परिशिष्ट 3.9 में दर्शाया गया है।

इसके अलावा, 2021-22 के दौरान विभिन्न उद्देश्यों हेतु प्रदान किए गए सम्पूर्ण बजट राशि ₹ 0.80 करोड़ को अभ्यर्पित किया गया जैसा कि तालिका 3.15 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.15: सम्पूर्ण बजट का अभ्यर्पण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	उद्देश्य	बजट प्रावधान	व्यय
1	पीएमजीएसवाई के सफल कार्यान्वयन के लिए 10 वाहनों की खरीद के लिए और पीआईयू मॉनिटरिंग सेल के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए	0.40	0.00
2	ग्रामीण सड़क योजनाओं और जीआईएस मैपिंग की उचित निगरानी के लिए परामर्शी सेवाओं के लिए	0.10	0.00
3	ग्रामीण संपर्क कार्यक्रम विशेष रूप से पीएमजीएसवाई के बेहतर प्रबंधन और सुदृढीकरण के लिए	0.10	0.00
4	पीएमजीएसवाई के तहत आउटसोर्सिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सहित ग्रामीण सड़कों के निर्माण की जांच और निगरानी के लिए पीआईयू को मजबूत करने के लिए	0.10	0.00
5	राष्ट्रीय प्रशिक्षण नीति, 2012 की तर्ज पर योजनाओं को लागू करने में नई तकनीकों से परिचित कराने और गुणवत्ता बनाए रखने के लिए राज्य प्रशिक्षण के लिए	0.10	0.00
कुल		0.80	0.00

आगे, नमूना जाँच से पता चला कि 2020-21 में ₹ 3.30 करोड़ के सम्पूर्ण प्रावधानों के गैर उपयोगिता के बावजूद ₹ 0.30 करोड़ 2021-22 में छः उपशीर्षों में प्रदान किए गए जो कि उपयोग नहीं किया गया और विभाग के द्वारा अभ्यर्पित किया गया। विवरण तालिका 3.16 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.16: दो क्रमिक वर्षों में निधियों की गैर-उपयोगिता

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	शीर्ष	2020-21 में प्रावधान	2021-22 में प्रावधान	उद्देश्य
1	2515- न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (राज्य योजना)	0.25	0.05	पीआईयू का सुदृढीकरण (001-निदेशन एवं प्रशासन)
2	2515- न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (राज्य योजना)	1.20	0.05	जेएसआरआरडीए का सुदृढीकरण और उन्नयन
3	2515- राज्य प्रशिक्षण नीति (राज्य योजना) के अंतर्गत कार्मिकों/अधिकारियों का प्रशिक्षण	0.20	0.05	003-प्रशिक्षण
4	2515- न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (राज्य योजना)	0.25	0.05	पीआईयू का सुदृढीकरण (796-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना)
5	2515- न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (राज्य योजना)	1.20	0.05	जेएसआरआरडीए का सुदृढीकरण और उन्नयन (796-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना)
6	2515- राज्य प्रशिक्षण नीति (राज्य योजना) के अंतर्गत कार्मिकों/अधिकारियों का प्रशिक्षण	0.20	0.05	प्रशिक्षण (796-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना)
कुल		3.30	0.30	

• नमूना जांच किए गए प्रमंडलों/कार्यालयों में यह देखा गया कि 25 शीर्षों/उपशीर्षों के अंतर्गत किए गए ₹ 8.58 लाख के संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया और वित्तीय वर्ष के अंत में अभ्यर्पित कर दिया गया जैसा कि तालिका 3.17 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.17: सम्पूर्ण बजट प्रावधान का गैर उपयोगिता और अभ्यर्पण

(₹ लाख में)

क्र.सं.	जिले का नाम	कार्यालयों/प्रमंडलों का नाम	इकाईओं की संख्या जहाँ अभ्यर्पण किये गए	आवंटन	व्यय	अभ्यर्पण
1	राँची	अवर सचिव का कार्यालय, ग्रामीण विकास विभाग (कार्य प्रमंडल)	04	4.50	0.00	4.50
		का. अभि. का कार्य., ग्रा. वि. वि. प्र.	03	0.82	0.00	0.82
		का. अभि. का कार्य., ग्रा. का. प्र.	01	0.05	0.00	0.05
2	हजारीबाग	का. अभि. का कार्य., ग्रा. वि. वि. प्र.	02	0.68	0.00	0.68
3	गिरिडीह	का. अभि. का कार्य., ग्रा. वि. वि. प्र.	02	0.17	0.00	0.17
4	धनबाद	का. अभि. का कार्य., रा. ग्रा. नि. यो.	01	0.03	0.00	0.03
5	सरायकेला-खरसावाँ	का. अभि. का कार्य., ग्रा. वि. वि. प्र.	04	1.11	0.00	1.11
6	चतरा	का. अभि. का कार्य., ग्रा. वि. वि. प्र.	01	0.17	0.00	0.17
		का. अभि. का कार्य., रा. ग्रा. नि. यो.	01	0.03	0.00	0.03
7	दुमका	का. अभि. का कार्य., ग्रा. वि. वि. प्र.	01	0.30	0.00	0.30
		का. अभि. का कार्य., ग्रा. का. प्र.	01	0.20	0.00	0.20
		का. अभि. का कार्य., रा. ग्रा. नि. यो.	01	0.04	0.00	0.04
8	गोड्डा	का. अभि. का कार्य., ग्रा. वि. वि. प्र.	01	0.05	0.00	0.05
		का. अभि. का कार्य., ग्रा. का. प्र.	01	0.30	0.00	0.30
		का. अभि. का कार्य., रा. ग्रा. नि. यो.	01	0.03	0.00	0.03
कुल			25	8.58	0.00	8.58

प्रावधानों की अनुपयोगिता एवं बिना कारण बताए उसका अभ्यर्पण विभाग द्वारा बजट नियमावली के प्रावधानों एवं वित्त विभाग द्वारा निर्गत निर्देशों का अनुपालन किये बिना अनुचित अनुमान का द्योतक था। बड़ी बचत से बचा जा सकता था यदि विभाग ने वित्त विभाग द्वारा जारी प्रारूप (बजट लेनदेन का व्यापक परिव्यय) में व्यय का वास्तविक अनुमान प्रस्तुत किया होता।

3.5.9 वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन में निधि का अभ्यर्पण

बजट नियमावली के नियम 112 के अनुसार, सभी प्रत्याशित बचतों को वर्ष के अंत तक प्रतीक्षा किए बिना, जैसे ही उनका अनुमान लगाया जाता है, तुरंत सरकार को सौंप दिया जाना चाहिए। संभावित भविष्य की अधिकता के लिए कोई बचत रिजर्व में नहीं रखी जानी चाहिए। आगे, नियम 135 के अनुसार, लक्ष्य संशोधित अनुदान के भीतर व्यय को ठीक रखने का होना चाहिए। समर्पण, आम तौर पर 28 फरवरी और 15 मार्च के बीच किया जाता है, दस मासिक आंकड़ों का सावधानीपूर्वक अध्ययन और व्यय की प्रगति पर नजर रखने से एक नियंत्रक अधिकारी को उचित सटीकता के साथ अपनी अंतिम आवश्यकताओं को ठीक करने में सक्षम होना चाहिए।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि ₹ 2,678.92 करोड़ (पूँजीगत शीर्ष के अंतर्गत ₹ 683.86 करोड़ तथा राजस्व शीर्ष के अंतर्गत ₹ 1,995.06 करोड़) के बजट प्रावधान के विरुद्ध ₹ 1,569.22 करोड़ (पूँजीगत शीर्ष के अंतर्गत ₹ 41.43 करोड़

तथा राजस्व शीर्ष के तहत ₹ 1,527.79 करोड़) के विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष के अंत में अभ्यर्पित कर दिया गया।

आगे, नमूना जाँच किए गए प्रमंडलों के अभिलेखों की जाँच में यह पाया गया कि व्यय की प्रत्याशा और निधि के विलम्ब से आवंटन जैसे कारणों पर वित्तीय वर्ष के अंत में ₹ 1.64 करोड़ (60 उप-शीर्षों में ₹ 2.72 करोड़ के कुल प्रावधानों का 61 प्रतिशत) का समर्पण किया गया था जैसा कि **परिशिष्ट 3.10** में दर्शाया गया है।

जवाब में यह कहा गया कि निधि का विलंब से आवंटन एवं व्यय की प्रत्याशा में, कोषागारों में तकनीकी समस्याओं आदि के कारण इसे पूर्व में अभ्यर्पित नहीं किया गया था। वित्तीय वर्ष के अंत में अभ्यर्पण, सरकार के लिए अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं पर इसके उपयोग के लिए कोई गुंजाईश नहीं छोड़ता है जो निधि की कमी के कारण अधूरी रह गई थी।

3.5.10 व्यय का वेग

बजट नियमावली के नियम 113 के अनुसार, विशेष रूप से वित्तीय वर्ष के अंतिम महीनों में व्यय के वेग को सामान्यतः वित्तीय नियमितता का उल्लंघन माना जाएगा। इसलिए, विशेष रूप से अंतिम महीने में व्यय के वेग से बचना चाहिए।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि कुल व्यय ₹ 1,109.70 करोड़ में से ₹ 235.06 करोड़ (21 प्रतिशत) मार्च 2022 के माह में व्यय किया गया। जाँच से आगे पता चला कि वर्ष के दौरान 40 उप शीर्षों में से चार में, मार्च माह में कुल व्यय का 49 से 83 प्रतिशत के बीच रहा। आगे प्रमंडलीय/डीडीओ के नमूना जाँच में पाया गया कि मार्च माह में विभिन्न शीर्ष के अंतर्गत व्यय 30 से 100 प्रतिशत के बीच रहा जैसा कि **परिशिष्ट 3.11** में दर्शाया गया है।

3.5.11 विभागीय व्यय आँकड़ों का असमाशोधन

बजट नियमावली के नियम 134 में यह अपेक्षित है कि नियंत्री अधिकारी को व्यय तथा प्राप्तियों के गलत वर्गीकरण की संभावनाओं से बचने के लिए मासिक आधार पर प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) की बहियों के साथ विभागीय लेखाओं को समाशोधन करने की व्यवस्था करनी चाहिए।

वर्ष 2021-22 के दौरान लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि ₹ 1,109.70 करोड़ में से ₹ 562.14 करोड़ की राशि से विभाग के नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्रधान महालेखाकार (ले. एवं हक.) की बहियों के साथ समाशोधित नहीं किया गया था जैसा कि **तालिका 3.18** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.18: विभागीय व्यय के असमाशोधन का विस्तृत विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	कुल व्यय (विनियोग लेखे के अनुसार)	समाशोधित राशि	असमाशोधित राशि
1	2505	11.17	0.20	10.97
2	2515	453.42	13.91	439.51
3	3451	2.68	0.00	2.68
4	4515	642.43	533.45	108.98
कुल		1,109.70	547.56	562.14

आगे, नमूना जांचित प्रमंडलों/डीडीओ में वर्ष 2021-22 के दौरान कुल ₹ 54.25 करोड़ में से ₹ 47.69 करोड़ राशि को स्थापना शीर्ष के अंतर्गत समाशोधित नहीं किया गया जैसा कि तालिका 3.19 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.19: विभागीय व्यय आँकड़े का असमाशोधन

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	जिले का नाम	कार्यालयों/प्रमंडलों का नाम	कुल व्यय	समाशोधित राशि	असमाशोधित राशि
1	राँची	अवर सचिव का कार्यालय, ग्रामीण विकास विभाग (कार्य प्रमंडल)	3.84	0.00	3.84
		का. अभि. का कार्य., ग्रा. वि. वि. प्र.	3.61	0.00	3.61
		का. अभि. का कार्य., ग्रा. का. प्र.	3.83	0.00	3.83
		निदेशक का कार्य., रा. ग्रा. नि. यो.	1.52	0.00	1.52
2	गिरिडीह	का. अभि. का कार्य., ग्रा. वि. वि. प्र.	2.32	0.00	2.32
		का. अभि. का कार्य., ग्रा. का. प्र.	2.81	0.00	2.81
		का. अभि. का का, रा. ग्रा. नि. यो.	0.39	0.00	0.39
3	हजारीबाग	का. अभि. का कार्य., ग्रा. वि. वि. प्र.	2.69	0.00	2.69
		का. अभि. का कार्य., ग्रा. का. प्र.	2.42	0.00	2.42
		का. अभि. का कार्य., रा. ग्रा. नि. यो.	0.41	0.00	0.41
4	धनबाद	का. अभि. का कार्य., ग्रा. वि. वि. प्र.	2.12	0.00	2.12
		का. अभि. का कार्य., ग्रा. का. प्र.	2.59	0.00	2.59
		का. अभि. का कार्य., रा. ग्रा. नि. यो.	0.35	0.00	0.35
5	सरायकेला-खरसावाँ	का. अभि. का कार्य., ग्रा. वि. वि. प्र.	2.83	2.07	0.76
		का. अभि. का कार्य., ग्रा. का. प्र.	1.27	0.00	1.27
		का. अभि. का कार्य., रा. ग्रा. नि. यो.	0.27	0.11	0.16
6	चतरा	का. अभि. का कार्य., ग्रा. वि. वि. प्र.	1.67	0.00	1.67
		का. अभि. का कार्य., ग्रा. का. प्र.	1.33	0.00	1.33
		का. अभि. का कार्य., रा. ग्रा. नि. यो.	0.44	0.00	0.44
7	दुमका	का. अभि. का कार्य., रा. ग्रा. नि. यो.	0.28	0.00	0.28
		का. अभि. का कार्य., ग्रा. वि. वि. प्र.	2.73	0.00	2.73
		का. अभि. का कार्य., ग्रा. का. प्र.	0.16	0.00	0.16
8	गोड्डा	का. अभि. का कार्य., ग्रा. वि. वि. प्र.	10.22	6.38	3.84
		का. अभि. का कार्य., ग्रा. का. प्र.	2.77	0.00	2.77
		का. अभि. का कार्य., रा. ग्रा. नि. यो.	1.38	0.00	1.38
कुल			54.25	8.56	45.69

महालेखाकार (ले. एवं हक.) के बहियों से आँकड़ों का असमाशोधन न सिर्फ नियंत्रक अधिकारी द्वारा वित्तीय नियमों का अवहेलना/उल्लंघन को दर्शाता है बल्कि व्यय और पावती के गलत वर्गीकरण के खतरा को बताता है।

3.5.12 विविध योग के रूप में ठेकेदारों को अनियमित भुगतान

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के लिए राष्ट्रीय ईमार्ग (पीएमजीएसवाई के तहत ग्रामीण सड़कों के इलेक्ट्रॉनिक रखरखाव) के उपयोगकर्ता नियमावली के अनुसार, भारत सरकार के लेखा अधिकारी (ले.अ.) उसी के लिए टिप्पणी देकर अनुमोदित राशि में विविध योग या कटौती के लिए अभ्युक्ति देकर प्रविष्टि कर सकता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि पी.एम.जी.एस.वाई. के तहत ग्रामीण सड़को के रखरखाव के लिए ई-मार्ग प्रणाली द्वारा 16 प्रमण्डलों में से पांच में ₹ 135.84 लाख को अनुमोदित किया जबकि ₹ 1.46 लाख के विविध कटौती करने के बाद ठेकेदार को ₹ 226.88 लाख भुगतान किया गया तथा दिशा-निर्देशों में अपेक्षित कोई उचित कारण बताये बिना अनुमोदित राशि (₹ 135.84 लाख) से ₹ 92.50 लाख की विविध वृद्धि की गयी। अतः विविध योग के रूप में ठेकेदार को ₹ 92.50 लाख की राशि का अनियमित भुगतान किया गया। विवरण तालिका 3.20 में दिया गया है।

तालिका 3.20: विविध योग के रूप में भुगतान का विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	प्रमंडल/कार्यालय का नाम	कुल व्यय	ई-मार्ग द्वारा अनुमोदित	विविध योग	टिप्पणी
1	का. अभि. का कार्य., गा. वि. वि. प्र., गिरिडीह	32.98	25.18	7.80	
2	का. अभि. का कार्य., गा. का. प्र., गिरिडीह	101.31	75.30	26.01	
3	का. अभि. का कार्य., गा. वि. वि. प्र., हजारीबाग	33.69	24.01	9.68	
4	का. अभि. का कार्य., गा. का. प्र., हजारीबाग	11.15	10.71	1.90	1.46 (विविध कटौती)
5	का. अभि. का कार्य., गा. का. प्र., गोड्डा	47.75	0.64	47.11	
कुल		226.88	135.84	92.50	

जवाब में कार्यपालक अभियंता ने कहा कि मुख्य अभियंता, जे.एस.आर.आर.डी.ए के निर्देशानुसार इनके करार मूल्य को प्राप्त करने के लिए विविध योग के रूप में ठेकेदारों को राशि भुगतान किया गया।

ठेकेदारों को ई-मार्ग प्रणाली में बिना कारण दर्ज किये ₹ 92.50 लाख का अतिरिक्त भुगतान किया गया जो कि वित्तीय औचित्य के विरुद्ध था और सरकारी धन के दुरुपयोग की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

3.5.13 ई मार्ग प्रणाली के बजाय चेक के माध्यम से भुगतान

दिशानिर्देशों के अनुसार पी.एम.जी.एस.वाई. के तहत रखरखाव कार्य के भुगतान दिनांक 01.04.2020 से ई मार्ग प्रणाली द्वारा किया जाना अनिवार्य था। ठेकेदारों को मासिक विपत्र (वेब आधारित सॉफ्टवेयर यूटिलिटी ई मार्ग पर) अगले माह के 10^{वें} दिन तक प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी तथा यदि ठेकेदारों से किसी महीने

का विपत्र नहीं प्राप्त किया गया तो उनका भुगतान प्राप्त करने का अधिकार को जब्त किया जाना था तथा ठेकेदार को कोई भुगतान नहीं किया जाना था।

जाँच से पता चला कि पी.एम.जी.एस.वाई रखरखाव निधि से ठेकेदार को बिना ई-मार्ग प्रणाली को उपयोग किए हुए ₹ 13.14 करोड़ का भुगतान किया गया अर्थात् ठेकेदारों को चेक से भुगतान किया गया जो कि दिशानिर्देश के विरुद्ध था। भुगतान का विवरण तालिका 3.21 में दिया गया है।

तालिका 3.21: ई-मार्ग का उपयोग किए बिना ठेकेदारों को भुगतान की गई राशि का विवरण

क्र. सं.	प्रमण्डल का नाम	भुगतान राशि (₹ करोड़ में)	
		पी.एम.जी.एस.वाई रखरखाव निधि के अंतर्गत	तक भुगतान
1	का. अभि. का कार्य., ग्रा. का. प्र., राँची	2.13	मार्च 22
2	का. अभि. का कार्य., ग्रा. वि. वि. प्र., गिरिडीह	0.11	मार्च 22
3	का. अभि. का कार्य., ग्रा. का. प्र., गिरिडीह	0.66	जून 21
4	का. अभि. का कार्य., ग्रा. वि. वि. प्र., हजारीबाग	0.23	मार्च 22
5	का. अभि. का कार्य., ग्रा. का. प्र., हजारीबाग	0.59	अगस्त 21
6	का. अभि. का कार्य., ग्रा. का. प्र., धनबाद	0.05	जून 21
7	का. अभि. का कार्य., ग्रा. वि. वि. प्र., सरायकेला-खरसावाँ	0.14	जून 21
8	का. अभि. का कार्य., ग्रा. का. प्र., सरायकेला-खरसावाँ	1.54	फरवरी 22
9	का. अभि. का कार्य., ग्रा. का. प्र., चतरा	0.53	सितम्बर 21
10	का. अभि. का कार्य., ग्रा. वि. वि. प्र., दुमका	0.24	सितम्बर 21
11	का. अभि. का कार्य., ग्रा. का. प्र., दुमका	2.90	अक्टूबर 21
12	का. अभि. का कार्य., ग्रा. का. प्र., गोड्डा	4.02	फरवरी 22
कुल		13.14	

जवाब में कार्यपालक अभियंता (दुमका एवं हजारीबाग) ने बताया कि मुख्य अभियंता, जेएसआरआरडीए के निर्देश पर 01.04.2020 से पहले आवंटित कार्यों के लिए ठेकेदारों को भुगतान किया गया था।

उत्तर संतोषजनक नहीं हैं क्योंकि सभी भुगतान भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार 01.04.2020 के बाद ईमार्ग के माध्यम से अनिवार्य रूप से किए जाने थे, जिसका पालन नहीं किया गया था।

3.5.14 एकल नोडल खाता में अवरुद्ध निधि - ₹ 1,148.61 करोड़

विनियोग अधिनियम के अनुसार, ट्रेजरी से आहरित की गई निधि का उपयोग वित्तीय वर्ष के अन्दर कर लेना चाहिए। अग्रतर, झारखण्ड कोषागार संहिता (जेटीसी) का नियम 174 कहता है कि मांग की प्रत्याशा में या बजट अनुदानों की व्ययगतता को रोकने के लिए कोषागार से कोई पैसा आहरित नहीं किया जायगा। यदि विशेष परिस्थितियों में, सक्षम प्राधिकारी के आदेश के तहत अग्रिम रूप से धन आहरित किया जाता है तो इस प्रकार आहरित की गई अव्ययित शेष राशि को अगले बिल में या चालान के साथ जल्द से जल्द संभव अवसर पर और किसी भी मामले में

वित्तीय वर्ष के अंत से पहले, जिसमें राशि निकाली जाती है, कोषागार में वापस कर दिया जाना चाहिए।

नमूना जाँच के दौरान, यह पाया गया कि 16 प्रमंडलों में से 13 में पी.एम.जी.एस.वाई कार्यक्रम निधि के तहत ₹ 67.96 करोड़ और पी.एम.जी.एस. वाई रखरखाव निधि के तहत ₹ 3.20 करोड़ (कुल ₹ 71.16 करोड़) का उपयोग नहीं किया गया था और एकल नोडल खाता में अवरुद्ध किया गया था, जहाँ जे.एस.आर.आर.डी.ए. में कुल बकाया शेष ₹ 1,148.61 करोड़ (पी.एम.जी.एस.वाई कार्यक्रम निधि के तहत ₹ 800.25 करोड़ और पी.एम.जी.एस.वाई रखरखाव निधि के तहत ₹ 348.36 करोड़) था। विवरण तालिका 3.22 में दिया गया है।

तालिका 3.22: बैंक खातों में अवरुद्ध निधि का ब्यौरा

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण का नाम	बैंक खातों में अवरुद्ध राशि		
		योजना निधि	रखरखाव निधि	कुल
1	कार्य., ग्रा. का. प्र., राँची	0.39	0.43	0.82
2	कार्य., ग्रा. वि. वि. प्र., गिरिडीह	0.84	0.02	0.86
3	कार्य., ग्रा. का. प्र., गिरिडीह	15.42	0.61	16.03
4	का. अभि. का कार्य., ग्रा. वि. वि. प्र., हजारीबाग	2.56	0.06	2.62
5	का. अभि. का कार्य., ग्रा. का. प्र., हजारीबाग	2.41	0.60	3.01
6	का. अभि. का कार्य., ग्रा. का. प्र., धनबाद	0.01	0.29	0.30
7	का. अभि. का कार्य., ग्रा. वि. वि. प्र., सरायकेला-खरसावाँ	1.90	0.23	2.13
8	का. अभि. का कार्य., ग्रा. का. प्र., सरायकेला-खरसावाँ	5.77	0.20	5.97
9	का. अभि. का कार्य., ग्रा. वि. वि. प्र., चतरा	5.17	0.30	5.47
10	का. अभि. का कार्य., ग्रा. का. प्र., चतरा	31.59	0.04	31.63
11	का. अभि. का कार्य., ग्रा. वि. वि. प्र., दुमका	0.05	0.27	0.32
12	का. अभि. का कार्य., ग्रा. का. प्र., दुमका	1.51	0.15	1.66
13	का. अभि. का कार्य., ग्रा. वि. वि. प्र., गोड्डा	0.34	0.00	0.34
कुल		67.96	3.20	71.16

इस प्रकार, ₹ 71.16 करोड़, जिसकी तत्काल आवश्यकता नहीं थी, जेटीसी कोड के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए कोषागार से 13 नमूना जांच की गई इकाइयों द्वारा आहरित कर एसएनए (बैंक खाते) में जमा करा दिया गया।

3.5.15 अन्य आपत्तियाँ

• माप पुस्तिका (एम बी) का संधारण नहीं किया जाना

जे.पी.डब्ल्यू.ए. कोड (नियम 244) में प्रावधान के अनुसार माप पुस्तिका को एक महत्वपूर्ण अभिलेख के रूप में देखना चाहिए क्योंकि यह सभी लेखा मात्राओं का आधार होता है, चाहे कार्य दैनिक मजदूरों द्वारा किया गया हो, या टुकड़ों में या संविदा में, या फिर प्राप्त किए गए सामान जिसे गिना गया हो या तौला गया हो। कार्य का विवरण स्पष्ट होना चाहिए ताकि आसानी से पहचान और जांच की जा सके।

लेखापरीक्षा ने पाया कि पी.एम.जी.एस.वाई. रख-रखाव निधि के तहत ₹ 4.39 करोड़ ठेकेदारों को ई मार्ग के द्वारा बिना माप पुस्तिका में दर्ज किए हुए कार्य समाप्ति के पांच वर्षों तक भुगतान किया गया जैसा कि तालिका 3.23 में दिया गया है।

तालिका 3.23: माप पुस्तिका के संधारण के बिना किये गए भुगतान का ब्यौरा

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	प्रमंडल का नाम	कार्य मूल्य	टिप्पणी
1	का. अभि. का कार्य., ग्रा. वि. वि. प्र., गिरिडीह	0.42	माप पुस्तिका संधारित नहीं
2	का. अभि. का कार्य., ग्रा. वि. वि. प्र., चतरा	0.17	माप पुस्तिका संधारित नहीं
3	का. अभि. का कार्य., ग्रा. का. प्र., चतरा	1.43	माप पुस्तिका संधारित नहीं
4	का. अभि. का कार्य., ग्रा. वि. वि. प्र., दुमका	0.29	माप पुस्तिका संधारित नहीं
5	का. अभि. का कार्य., ग्रा. का. प्र., दुमका	1.97	माप पुस्तिका संधारित नहीं
कुल		4.39	

ऐसे महत्वपूर्ण अभिलेखों का अनुरक्षण न करना एक गंभीर अनियमितता थी। एम.बी. के अभाव में, अवधि के दौरान किये गए कार्य की मात्रा सुनिश्चित करना संभव नहीं था।

• रोकड़ बही का गैर रख-रखाव

जे.टी.सी. के नियम 19 के नीचे टिप्पणी के अनुसार कोषागार से संबंधित लेन-देन का पूरा रिकार्ड लेखाकार की रोकड़ बही में या तो मैनुअल रजिस्टर में या कम्प्यूटर सिस्टम पर रखा जाएगा। आगे, वित्त प्रभाग, योजना सह वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार के निर्देशानुसार (06.11.2019) प्रत्येक सरकारी कार्यालय में रोकड़ बही का संधारण एवं अधतन किया जाना चाहिए। रोकड़ बही का शेष प्रत्येक माह प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल-रांची, हजारीबाग एवं दुमका द्वारा स्थापना व्यय के संबंध में रोकड़ बही (सीबी) का संधारण/लेखन नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा उठाई गई आपत्ति के बाद रोकड़ बही का रख-रखाव कार्यपालक अभियंता, आरडीएसडी, रांची द्वारा किया गया, जबकि लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के बावजूद हजारीबाग एवं दुमका प्रमंडलों द्वारा इसका संधारण/लेखन नहीं किया गया।

रोकड़ बही का अनुरक्षण न करना एक गंभीर अनियमितता थी और जे.टी.सी. के प्रावधानों के विरुद्ध थी। इसके अलावा, सरकारी धन के दुरुपयोग की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

• बकाया प्रेषण

जे.टी.सी. के नियम 42 के अनुसार प्राप्त सरकारी खाते में नकद, चेक, बैंक भुगतान आदेश, बैंक क्रेडिट चालान या नेट बैंकिंग/ई-रसीद सुविधा के माध्यम से भेजी जानी चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना-जांच किए गए प्रमंडलों में पी.एम.जी.एस.वाई कार्यक्रम निधि (₹ 1.90 करोड़) और अनुरक्षण निधि (₹ 0.04 करोड़) की राशि की कुल प्राप्तियां ₹ 1.94 करोड़ जैसा कि तालिका 3.24 में दिखाया गया है, जिन्हें क्रमशः ऑनलाइन प्रबंधन, निगरानी और लेखा प्रणाली (ओ.एम.एम.ए.एस) और पी.एम.जी.एस.वाई (ई-मार्ग) पोर्टल पर बकाया राशि के रूप में दिखाया गया था, को अक्टूबर 2022 तक सरकारी खाते में जमा नहीं किया गया था।

तालिका 3.24: बकाया प्रेषण का ब्यौरा

क्र.सं.	प्रमंडलो का नाम	बकाया प्रेषण की राशि (₹ लाख में)	
		योजना निधि	रखरखाव निधि
1	का. अभि. का कार्य., गा. वि. वि. प्र., हजारीबाग	90.32	0.00
2	का. अभि. का कार्य., गा. वि. वि. प्र., गिरिडीह	28.71	0.00
3	का. अभि. का कार्य., गा. वि. वि. प्र., सरायकेला	12.78	0.00
4	का. अभि. का कार्य., गा. का. प्र., चतरा	27.39	0.00
5	का. अभि. का कार्य., गा. वि. वि. प्र., दुमका	29.24	0.00
6	का. अभि. का कार्य., गा. का. प्र., सरायकेला	-	0.78
7	का. अभि. का कार्य., गा. का. प्र., चतरा	-	0.04
8	का. अभि. का कार्य., गा. का. प्र., दुमका	-	3.57
9	का. अभि. का कार्य., गा. वि. वि. प्र., गोड्डा	1.73	0.00
10	का. अभि. का कार्य., गा. का. प्र., गोड्डा	-	0.03
कुल		190.17	4.42

इसके अलावा, चार प्रमंडलों में पीएमजीएसवाई कार्यक्रम निधियों का बकाया प्रेषण शेष ओएमएमएस (₹ 67.74⁶ करोड़) में नकारात्मक के रूप में दिखाया गया था। कार्यपालक अभियंता इसके लिए कोई कारण बताने में सक्षम नहीं थे और कहा कि मामले की जांच की जाएगी और निष्कर्षों को लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा। जबाब (अक्टूबर 2022 तक) प्रतीक्षित है।

• रोकड़ बही शेष में विसंगति

पी.एम.जी.एस.वाई कार्यक्रम निधि के अंतर्गत 16 में से 11 प्रमंडलों की नमूना जांच से पता चला कि रोकड़ बही में अंत शेष ₹ 60.50 करोड़ थी जबकि ओ.एम.एम.एस के अनुसार अंत शेष ₹ 83.76 करोड़ था। पी.एम.जी.एस.वाई अनुरक्षण निधि के अंतर्गत भी रोकड़ बही में अंतिम शेष ₹ 2.24 करोड़ था जबकि, ओ.एम.एम.एस के अनुसार अंतिम शेष ₹ 3.49 करोड़ था। विवरण तालिका 3.25 में दर्शाया गया है।

⁶ (i) गा. का. प्र., सरायकेला-खरसावाँ: ₹ 980.94 लाख, (ii) गा. का. प्र., चतरा: ₹ 1,854.41 लाख और (iii) गा. का. प्र., दुमका: ₹ 1,348.06 लाख

तालिका 3.25: रोकड़ बही में शेष का ब्यौरा

(₹ लाख में)

क्र. सं.	प्रमंडलो का नाम	पीएमजीएसवाई कार्यक्रम निधि का अन्तशेष		पीएमजीएसवाई रखरखाव निधि का अन्तशेष	
		रोकड़ बही के अनुसार	ओ.एम.एम.ए.एस के अनुसार	रोकड़ बही के अनुसार	ओ.एम.एम.ए.एस के अनुसार
1	का. अभि. का कार्य., ग्रा. वि. वि. प्र., गिरिडीह	84.12	158.72	1.72	1.67
2	का. अभि. का कार्य., ग्रा. का. प्र., गिरिडीह	1,542.00	1,218.70	61.45	69.22
3	का. अभि. का कार्य., ग्रा. वि. वि. प्र., हजारीबाग	255.63	255.63	6.35	3.40
4	का. अभि. का कार्य., ग्रा. का. प्र., हजारीबाग	241.08	241.08	59.79	4.01
5	का. अभि. का कार्य., ग्रा. का. प्र., धनबाद	1.03	2.71	28.66	0.88
6	का. अभि. का कार्य., ग्रा. का. प्र., सरायकेला-खरसावाँ	576.90	296.85	19.96	16.89
7	का. अभि. का कार्य., ग्रा. का. प्र., चतरा	3,159.45	3,146.94	4.30	10.41
8	का. अभि. का कार्य., ग्रा. वि. वि. प्र., दुमका	4.69	2,725.61	26.98	54.13
9	का. अभि. का कार्य., ग्रा. का. प्र., दुमका	151.36	123.29	15.39	63.14
10	का. अभि. का कार्य., ग्रा. वि. वि. प्र., गोड्डा	33.69	39.32	0.00	0.00
11	का. अभि. का कार्य., ग्रा. का. प्र., गोड्डा	0.00	166.99	0.00	125.67
कुल		6,049.95	8,376.14	224.15	349.18

जवाब में, सम्बंधित प्रमंडलो के कार्यपालक अभियंता ने बताया कि विभागीय स्तर पर तकनीकी विशेषज्ञ से परामर्श कर मामले की जाँच की जाएगी और निष्कर्षों से लेखापरीक्षा को अवगत कराया जायेगा।

• **अपूर्ण कार्य**

ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण सड़कों एवं पुलों का उन्नयन एवं सुदृढीकरण एवं उनका अनुरक्षण करना है। गरीबी उन्मूलन के लिए सभी मौसम सड़कों को माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के कनेक्टिविटी का एक प्रभावी तरीका है।

नमूना जाँच किए गए 16 प्रमंडलों में से 11 यह पाया गया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई) के अंतर्गत पांच कार्य तथा मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना (एमएमजीएसवाई) के अंतर्गत 43 कार्य नियत समय पर पूरे नहीं किए गए थे। विवरण तालिका 3.26 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.26: अपूर्ण कार्य का ब्यौरा

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	जिला का नाम	प्रमंडल का नाम	योजना का नाम	कार्य की संख्या	कार्य समाप्ति की तिथि	मार्च 22 तक व्यय	मार्च 22 तक भौतिक प्रगति
1	रांची	का. अभि. का कार्य., गा. वि. वि. प्र.	एमएमजीएसवाई	03	08.09.2020 से 09.10.2021	5.85	30 से 80 %
		का. अभि. का कार्य., गा. का. प्र.	पी.एम.जी.एस.वाई	05	09.08.2019 से 27.06.2021	3.17	95 %
			एमएमजीएसवाई	04	30.05.2018 से 13.08.2021	6.94	76 से 95 %
2	गिरिडीह	का. अभि. का कार्य., गा. वि. वि. प्र.	एमएमजीएसवाई	05	13.07.2018 से 13.01.2022	14.56	60 से 98 %
		का. अभि. का कार्य., गा. का. प्र.	एमएमजीएसवाई	03	06.10.2020 से 30.10.2020	2.42	80 से 92 %
3	हजारीबाग	का. अभि. का कार्य., गा. वि. वि. प्र.	एमएमजीएसवाई	05	27.07.2016 से 30.10.2021	23.40	35 से 82 %
		का. अभि. का कार्य., गा. का. प्र.	एमएमजीएसवाई	04	04.03.2019 से 23.10.2020	4.01	20 से 85 %
4	धनबाद	का. अभि. का कार्य., गा. का. प्र.	एमएमजीएसवाई	01	30.11.2019	0.71	90 %
5	सरायकेला -खरसावाँ	का. अभि. का कार्य., गा. वि. वि. प्र.	एमएमजीएसवाई	04	14.06.15 से 30.12.2021	26.46	50 से 97 %
		का. अभि. का कार्य., गा. का. प्र.	एमएमजीएसवाई	06	31.10.2018 से 18.05.2021	05.26	45 से 95 %
6	चतरा	का. अभि. का कार्य., गा. का. प्र.	एमएमजीएसवाई	02	17.10.2019 एवं 10.07.2020	0.98	50 एवं 80 %
7	दुमका	का. अभि. का कार्य., गा. का. प्र.	एमएमजीएसवाई	02	29.01.2020 से 16.01.2019	2.18	65 एवं 66 %
8	गोड्डा	का. अभि. का कार्य., गा. वि. वि. प्र.	एमएमजीएसवाई	01	15.01.2022	3.88	82 %
		का. अभि. का कार्य., गा. का. प्र.	एमएमजीएसवाई	03	21.02.2019 से 23.08.2020	5.37	35 से 85 %
कुल				48		105.19	

बजट प्रावधान के बावजूद कार्य समय पर पूर्ण नहीं होने के कारण न केवल समय अधिक लगता है बल्कि हितग्राहियों को इच्छा लाभ से भी वंचित रखता है।

सम्बंधित प्रमंडलो के प्रभारी कार्यपालक अभियंता ने बताया कि वन स्वीकृति प्राप्त करने में विलम्ब, स्थानीय बाधा एवं कोविड-19 महामारी के कारण कार्य समय पर पूर्ण नहीं हो सका। आगे यह कहा गया कि कार्य में विलम्ब करने वाले अन्य ठेकेदारों को पत्र जारी कर दिए गए हैं।

• बजट भाषण में घोषित योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं किया जाना

वर्ष 2021-22 के विभाग के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि 2021-22 के दौरान पूर्ण होने वाले बजट भाषण में घोषित तीन योजनाओं के तहत भौतिक उपलब्धियों 33 से 63 प्रतिशत के बीच ही थी। विवरण तालिका 3.27 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.27: बजट भाषण में घोषित योजना का भौतिक एवं वित्तीय प्रगति

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	योजना का नाम	बजट भाषण के अनुसार लक्ष्य (कि.मी. में)	उपलब्धि (कि.मी. में)	उपलब्धि	बजट प्रावधान	व्यय
1	पी.एम.जी.एस.वाई सड़कें	621	389	63 %	1,000.00	714.04 [#]
		104	26	25 %		
2	आरसीपीएलडब्ल्यूए सड़कें	444	145	33 %	485.00	79.54
3	राज्य प्रायोजित योजना-सड़कें	2000	708.92	35 %	400.00	238.08
कुल		3,169	1,268.92	40 %	1,885.00	1,031.66 (55 %)

पूर्व शेष से व्यय

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, बजट प्रावधान ₹ 885 करोड़ के विरुद्ध इन योजनाओं पर व्यय क्रम संख्या दो एवं तीन के सापेक्ष ₹ 317.62 करोड़ (36 प्रतिशत) दर्शाया गया तथा वर्ष के दौरान योजनाएँ अधूरी रहीं। वर्ष 2021-22 के दौरान पीएमजीएसवाई पर बजट प्रावधान अप्रयुक्त रहा और विभाग द्वारा वापस कर दिया गया।

3.6 अनुदान संख्या 39 - गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग) के बजटीय प्रावधान की लेखापरीक्षा

3.6.1 परिचय

झारखण्ड ऐतिहासिक रूप से विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक और मानवीय आपदाओं से प्रभावित रहा है। झारखण्ड सरकार ने राज्य स्तर पर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और 24 जिलों में जिला स्तर पर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बनाकर राज्य में आपदाओं के जोखिम को कम करने के लिए अपनी शमन, तैयारी और प्रतिक्रिया, पुनर्प्राप्ति और पुनर्वास रणनीतियों को मजबूत करने के लिए कदम उठाए हैं।

उपरोक्त दायित्वों को पूरा करने के लिए, राज्य सरकार ने इस विभाग को वर्ष 2021-22 के दौरान ₹ 1,711.34 करोड़ का बजट उपलब्ध कराया था जिसका विवरण उपयोगिता के साथ तालिका 3.28 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.28: 2021-22 के दौरान बजट प्रावधान, व्यय और बचत का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	पूँजीगत दत्तमत	राजस्व दत्तमत	कुल
मूल अनुदान	00	1,264.56	1,264.56
अनुपूरक अनुदान	00	446.78	446.78
कुल अनुदान	00	1,711.34	1,711.34
व्यय	00	966.61	966.61
बचत	00	744.73	744.73
अभ्यर्पण	00	744.62	744.62
अधिक व्यय	00	00	00

स्रोत : वर्ष 2021-22 के लिए झारखण्ड सरकार के विनियोग लेखे

3.6.2 लेखापरीक्षा का दायरा

विभागीय सचिवालय, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग) और आठ⁷ जिलों का चयन बजटीय प्रक्रिया की लेखापरीक्षा के लिए किया गया था।

3.6.3 सतत बचत

पिछले चार वर्षों (2018-19 से 2021-22) के दौरान बजट और व्यय के संबंध में विभाग के दस्तावेजों की समीक्षा की प्रवृत्ति का विश्लेषण करने से पता चला कि इस अवधि के दौरान विभाग के पास न केवल सतत बचत थी बल्कि बजट अनुमानों की तुलना में बचत का प्रतिशत भी बहुत अधिक थी। विवरण तालिका 3.29 में दिया गया है।

तालिका 3.29: गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग) में पिछले चार वर्षों के दौरान बचत की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

वर्ष		मूल	अनुपूरक	कुल	वास्तविक व्यय	बचत	बचत की प्रतिशतता
2018-19	राजस्व	713.08	195.06	908.14	470.33	437.81	48.21
	पूँजीगत	00	00	00	00	00	
	कुल	713.08	195.06	908.14	470.33	437.81	
2019-20	राजस्व	718.82	407.88	1126.70	437.42	689.28	61.18
	पूँजीगत	00	00	00	00	00	
	कुल	718.82	407.88	1,126.70	437.42	689.28	
2020-21	राजस्व	985.12	912.50	1,897.61	1,375.94	521.67	27.49
	पूँजीगत	00	00	00	00	00	
	कुल	985.12	912.50	1,897.61	1,375.94	521.67	
2021-22	राजस्व	1,264.56	446.78	1,711.34	966.61	744.73	43.52
	पूँजीगत	00	00	00	00	00	
	कुल	1,264.56	446.78	1,711.34	966.61	744.73	

स्रोत : विनियोग लेखे 2018-22

जैसा कि उपरोक्त तालिका में दर्शाया गया है, वर्ष 2020-21 को छोड़कर, विभाग की बचत 40 प्रतिशत से अधिक थी। यह न केवल निधि का उपयोग करने में विभाग की अक्षमता का धोतक था बल्कि इसके परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान बजट में सम्मिलित राज्य की योजनाएँ निधियों की उपलब्धता के बावजूद भी पूर्ण नहीं हुईं।

3.6.4 बजट अनुमान प्रस्तुत करने में विलंब

अभिलेखों की जांच से पता चला कि बजट नियमावली के नियम 62 में दी गयी समय सीमा का विभाग द्वारा पालन नहीं किया गया था और 21 दिसम्बर 2020 की लक्ष्य तिथि के विरुद्ध आपदा प्रबंधन प्रभाग ने स्थापना के बजट अनुमान (बी.ई) वित्त विभाग को 19 जनवरी 2021 अर्थात् 29 दिनों के विलम्ब से प्रस्तुत किए।

⁷ i) रांची ii) चाईबासा iii) जमशेदपुर iv) बोकारो v) पलामू vi) दुमका vii) देवघर एवं viii) गुमला

बजट कैलेंडर का अनुपालन न करने से न केवल बजट अनुमानों की तैयारी की समय-सारणी प्रभावित होती है बल्कि विभिन्न स्तरों पर इसके संवीक्षा के लिए आवश्यक समय भी कम हो जाता है।

3.6.5 वास्तविक आवश्यकताओं का आकलन किए बिना तैयार किए गए अनुमान

बजट नियमावली (ब.नि.) के नियम 65 के अनुसार नियंत्रण अधिकारी (नि.अ.) को संवितरण अधिकारियों (सं.अ.) से प्राप्त बजट की जांच करनी चाहिए ताकि यह देखा जा सके कि वे सही हैं, सभी विवरण और स्पष्टीकरण दिए गए हैं, और स्पष्टीकरण पर्याप्त है।

यह देखा गया कि बी.एम के नियम 65 के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया था और सामान्य बजट (राज्य, केन्द्र और केंद्र प्रायोजित योजनाओं) और स्थापना व्यय के लिए बजट अनुमान सं.अ. से वास्तविक आवश्यकताओं को प्राप्त/आकलन किए बिना विभाग स्तर पर तैयार किए गए थे जो अंततः कार्य को निष्पादित और निधि का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार है।

सं.अ. से बिना आवश्यकता प्राप्त किए बजट तैयार करना वर्ष 2021-22 के दौरान कुल प्रावधान ₹ 1,711.34 करोड़ में से ₹ 744.73 करोड़ (43.52 प्रतिशत) के भारी बचत का एक कारण था।

3.6.6 विभागीय व्यय के आँकड़े का असमाशोधन

बजट नियमावली के नियम 134 में यह अपेक्षित है कि व्यय एवं प्राप्तियों के गलत वर्गीकरण की संभावना से बचने के लिए नियंत्रक अधिकारी को मासिक आधार पर विभागीय लेखाओं का प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) के बहियों से समाशोधन करने के व्यवस्था करनी चाहिए।

यह देखा गया कि वर्ष 2021-22 के दौरान कि ₹ 966.61 करोड़ के कुल व्यय में से ₹ 964.50 करोड़ के व्यय की राशि को प्रधान महालेखाकार (ले.एवं ह.) के बहियों के साथ विभाग के नियंत्रक अधिकारी द्वारा समाशोधन नहीं किया गया जैसा कि तालिका 3.30 में विवरणित है।

तालिका 3.30: विभागीय व्यय के असमाशोधन का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	कुल व्यय (विनियोग लेखे के अनुसार)	समाशोधित राशि	असमाशोधित राशि
1	2245	966.61	2.11	964.50
2	2235			
कुल		966.61	2.11	964.50

3.6.7 परिहार्य पूरक प्रावधान

बजट नियमावली के नियम 57 के नीचे टिप्पणी के अनुसार, आकलन तैयार करने वाले जिम्मेवार अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जो खर्च किया जा

सकता है, उससे अधिक राशि का कोई प्रावधान नहीं है। यह देखा गया कि वर्ष 2021-22 के दौरान तीन उपशीर्षों में कुल मूल अनुदान राशि ₹ 0.80 करोड़ थी, जिसमें से मात्र ₹ 0.01 करोड़ विभाग द्वारा व्यय किया गया। मूल अनुदान से ₹ 0.79 करोड़ के बचत के बावजूद ₹ छः करोड़ का पूरक अनुदान उपलब्ध कराया गया जो अनावश्यक साबित हुआ। इसी प्रकार एक उपशीर्ष में कुल मूल अनुदान राशि ₹ 295 करोड़ तथा पूरक अनुदान राशि ₹ 195 करोड़ (प्रथम अनुपूरक ₹ 95 करोड़ एवं द्वितीय अनुपूरक ₹ 100.00 करोड़) उपलब्ध कराया गया जिसके विरुद्ध ₹ 340.32 करोड़ व्यय किया गया। परिणामस्वरूप ₹ 149.68 करोड़ की बचत हुई जो अनुपूरक प्रावधान निधि का परिहार्य होना दर्शाता है। विवरण तालिका 3.31 में दिया गया है।

तालिका 3.31: परिहार्य पूरक प्रावधान का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	शीर्ष	मूल अनुदान	पूरक	व्यय	बचत
1	2245-02-101-03	0.50	2.00	0.01	2.49
2	2245-02-104-01	0.00	2.00	0.00	2.00
3	2245-02-112-01	0.30	2.00	0.00	2.30
4	2245-80-102-01	295.00	195.00	340.32	149.68
	कुल	295.80	201.00	340.33	156.47

3.6.8 वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन अभ्यर्पण

यह देखा गया कि गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग) ने बजट नियमावली के नियम 112 का पालन नहीं किया और ₹ 744.62 करोड़ (मुख्य शीर्ष 2235 के तहत ₹ 6.70 करोड़ तथा मुख्य शीर्ष 2245 के तहत ₹ 737.92 करोड़) 31 मार्च 2022 तक ₹ 1,711.34 करोड़ (ट्रेज़री एम.आई.एस. के अनुसार) के प्रावधानों के विरुद्ध समर्पण कर दिया जैसा कि परिशिष्ट 3.12 में दिया है, जो अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं पर निधियों के उपयोगिता के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ता है।

3.6.9 राज्य द्वारा एसडीएमएफ दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन न करना

राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि (एसडीएमएफ) के गठन न होने से भारत सरकार से ₹ 113.25 करोड़ की अप्राप्ति

एसडीएमएफ दिशानिर्देश की धारा 7.1 के अनुसार, राज्य सरकार को मुख्य शीर्ष-8121 सामान्य और आरक्षित निधि- 130 राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि (एसडीएमएफ) के तहत राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष (एसडीएमएफ) का गठन करना आवश्यक था।

यह देखा गया कि एसडीएमएफ का गठन ही नहीं किया गया था और इस संबंध में दिशानिर्देशों के प्रावधानों का अक्टूबर 2022 तक पालन नहीं किया गया था।

एस.डी.एम.एफ में आवश्यक राशि को एस.डी.आर.एफ. शीर्ष 8121-122 के तहत जमा किया गया था।

आगे, पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर वर्ष 2021-22 से एसडीएमएफ के अलग से आवंटन किया जाना था। वर्ष 2021-22 के दौरान केंद्र सरकार को ₹ 113.25 करोड़ और राज्य सरकार को अपने हिस्से का ₹ 37.75 करोड़ एसडीएमएफ को जारी करना था। न तो केंद्र सरकार और न ही राज्य का अंश जारी किया गया था। अतः एसडीएमएफ के गठन ना होने के कारण केंद्रीय हिस्सा के रूप में ₹ 113.25 करोड़ की राशि का लाभ राज्य को प्राप्त नहीं हुआ।

3.6.10 लेन देन की प्रविष्टि न करने के कारण रोकड़ बही और बैंक खाते के आँकड़ों में भारी अंतर

कार्यालय जिला नजारत, डिप्टी कलेक्टर (एनडीसी), रांची के अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि 31 मार्च 2021 को सामान्य रोकड़ बही के अनुसार शेष राशि ₹ 45,43,20,103.48 थी। हालाँकि, बैंक खाते में शेष राशि ₹ 7,52,84,156.50 थी तथा दोनों का अंतर ₹ 37,90,35,946.98 था। इसके अलावा, यह देखा गया कि एनडीसी कार्यालय के कैश बुक में ₹ 28,44,19,477 के बिना पारित वाउचर और ₹ 9,45,78,206.01 अग्रिम के (कुल ₹ 37,89,97,683.01) थे। इसलिए, बेहिसाब वाउचरों और अग्रिमों को खाते में लेने के बाद 31 मार्च 2021 को बैंक खाते और कैश बुक के बीच ₹ 38,263.97 का अंतर था। यह भी देखा गया कि कार्यालय द्वारा वर्ष 2021-22 के रोकड़ बही का रख-रखाव नहीं किया गया था। रोकड़ बही का रख-रखाव न करना न केवल वित्तीय नियमों के घोर उल्लंघन का मामला है बल्कि इसमें सार्वजनिक धन के दुरुपयोग और अस्वास्थ्यकर प्रथाओं का जोखिम भी शामिल है। इस संबंध में एन.डी.सी. कार्यालय द्वारा कोई कारण नहीं बताया गया। 31 मार्च 2021 तक एनडीसी के नकद शेष का विवरण **परिशिष्ट 3.13** में दिया गया है।

3.6.11 ₹ 1,85,290 का संदिग्ध दुर्विनियोजन

कोविड-19 महामारी के दौरान, जिले में पिक-अप वैन, मिनी ट्रक और कारों जैसे वाहनों का उपयोग प्रबंधन उद्देश्यों जैसे मजदूरों के परिवहन, अधिकारियों द्वारा निगरानी आदि के लिए किया गया था। कार्यालय जिला नजारत, डिप्टी कलेक्टर (एनडीसी) रांची और बोकारो कार्यालय के वाउचरों की क्रॉस-चेक भारत सरकार के वाहन एप्लीकेशन के साथ करने पर यह उद्घाटित हुआ कि वाउचर में पिक-अप वैन, मिनी ट्रक और कार के रूप में दावा किए गए वाहन वास्तव में दो पहिया वाहन थे। हालांकि, संबंधित डीटीओ को वाहनों के प्रकारों के आगे सत्यापन और प्रमाणीकरण के लिए अनुरोध भेजा गया है, जिसकी प्रतीक्षा की जा रही है। लेखापरीक्षा के दौरान इंगित किए गए वाहनों का विवरण निम्नानुसार था:

(i) बोकारो जिले के प्रत्येक प्रखंड एवं पंचायत को कोविड-19 प्रबंधन हेतु राहत सामग्री पहुँचाने में प्रयुक्त वाहनों को दिनांक 25.04.2020 को वाउचर संख्या 10/2020-21 के माध्यम से ₹ 2,32,900.00 का भुगतान किया गया, जिसमें ₹ 35,880 के वाउचर संदिग्ध प्रतीत हो रहे थे। संदिग्ध वाहनों और किए गए भुगतान का विवरण तालिका 3.32 में दिया गया है।

तालिका 3.32: वाहनों और किए गए भुगतान का विवरण

वाहन संख्या	अभिध्वज पर अंकित वाहन प्रकार	एम- परिवहन साईट पर वाहन	उपयोग की अवधि	भुगतान की गयी राशि (₹ में)
जेएच09एक्यू1600	पिक-अप वाहन	स्प्लेंडर	मार्च एवं अप्रैल 2020	7,860
जेएच09एएफ7264	पिक-अप वाहन	टी.वी.एस. अपाचे	मार्च 2020	3,930
जेएच09एके0178	पिक-अप वाहन	पल्सर	मार्च 2020	3,930
जेएच09एटी2706	टाटा 407	ग्लैमर	मार्च 2020	4,410
जेएच09एएम3175	टाटा 1109	प्लेटिना	मार्च 2020	6,750
जेएच09एल8476	टाटा 1109	मोटर साइकिल	अप्रैल 2020	9,000
कुल				35,880

(ii) राँची जिले के प्रत्येक प्रखंड एवं पंचायत में कोविड-19 प्रबंधन हेतु राहत सामग्री पहुँचाने वाले वाहनों के भुगतान के वाउचर ₹ 1,49,410 संदिग्ध पाये गये। वाहनों और किए गए भुगतान का विवरण तालिका 3.33 में दिया गया है।

तालिका 3.33: वाहनों और किए गए भुगतान का विवरण

क्र. सं.	वाहन संख्या	वाहन प्रकार	एम- परिवहन साईट पर वाहन	उपयोग की अवधि	दिनों की संख्या	प्रति दिन की दर	भुगतान की गयी राशि
1	जेएच01एबी8886	मारुती डिजायर	मोटर साइकिल	24.03.20 से 11.06.20	80	1,360	1,08,800
2	जेएच05एच2200	क्वालिस	मोटर साइकिल	01.08.21 से 31.08.21	31	1,310	40,610
कुल							1,49,410

चूंकि, वाउचरों में दावा किए गए वाहनों के विनिर्देश सही नहीं थे, ₹ 1,85,290 (₹ 35,880 और ₹ 1,49,410) की राशि के सरकारी धन के संदिग्ध दुर्विनियोजन से इंकार नहीं किया जा सकता था। विभाग पूरे राज्य में समान मामलों की समीक्षा और कार्रवाई कर सकता है।

3.6.12 अन्य बिंदु

3.6.12.1 अस्पतालों में ऑक्सीजन प्रवाह संयंत्र के लिए पाइपलाइन तथा डीजी सेट की विलंब से स्थापना - ₹ 1.64 करोड़

महामारी कोविड-19 के नियंत्रण के लिए गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग) झारखण्ड, रांची ने पूर्वी सिंहभूम जिले को ₹ 3.00 करोड़ (मई 2021) आवंटित किया।

जिला नजारत डिप्टी कलेक्टर (एन.डी.सी), पूर्वी जमशेदपुर के कार्यालय में अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि कोविड-19 महामारी रोगियों के उपचार के लिए पी.एस.ए ऑक्सीजन संयंत्र के लिए डी.जी. सेट की स्थापना का कार्य और ऑक्सीजन के प्रवाह के लिए पाइपलाइनों की स्थापना का कार्य पूर्वी सिंहभूम जिले के अस्पतालों के वार्डों में शुरू किया गया। पाइपलाइनों और ऑक्सीजन की आपूर्ति और डी.जी. सेटों की स्थापना के लिए आवंटित कार्य, कार्य सौंपे जाने (मई 2021) के तीन दिनों के भीतर पूरा किया जाना था। यह देखा गया कि ऑक्सीजन प्रवाह के लिए पाइपलाइन स्थापना और डी.जी. सेट की स्थापना का कार्य तीन महीने की देरी से हुआ और कोविड-19 महामारी के नियंत्रण के बाद नवंबर 2021 में पूरा हुआ। स्थापना में देरी के कारण, कोविड-19 रोगियों को इच्छित लाभ प्रदान नहीं किया जा सका।

जिलों के चिकित्सालयों में पाइपलाइन एवं डी.जी.सेट लगाने का विवरण तालिका 3.34 में दिया गया है।

तालिका 3.34: पाइपलाइन और डी.जी. सेटों की स्थापना का विवरण

बिल न. और तिथि	अस्पताल का नाम	कार्य	एजेंसी का नाम	समाप्ति की तिथि	राशि	देरी (दिन में)
271/21-22	सीएचसी मुसाबनी	केंद्रीकृत	श्री फैशन, बिस्टूपुर	23.10.21	23,95,790	47 से 51
24.11.21	सीएचसी चाकुलिया	ऑक्सीजन		01.11.21		
	सीएचसी धालभूमगढ़	पाइपलाइन		27.10.21		
285/21-22	सीएचसी बहरागोड़ा	केंद्रीकृत	श्री फैशन, बिस्टूपुर	27.10.21	36,91,940	18 से 51
	सीएचसी पटमदा	ऑक्सीजन		23.10.21		
	सीएचसी जुगसलाई	पाइपलाइन		24.09.21		
308/21-22 08.12.21	सीएचसी चाकुलिया	डीजी सेट	कमल इंटरप्राइजेज	26.11.21	11,21,000	-
185/21-22 09.09.21	सीएचसी घाटशिला	डीजी सेट	कमल इंटरप्राइजेज	24.08.21	43,98,080	10
	एसएच जमशेदपुर		कमल इंटरप्राइजेज	17.08.21		
	सीएचसी घाटशिला	केंद्रीकृत ऑक्सीजन पाइपलाइन	श्री फैशन, बिस्टूपुर	23.08.21		
409/21-22 02.02.22	एसएच जमशेदपुर	डीजी सेट	कमल इंटरप्राइजेज	20.01.21	5,15,000	-
519/21-22 12.03.22	एसएच जमशेदपुर	केंद्रीकृत ऑक्सीजन पाइपलाइन	श्री फैशन, बिस्टूपुर	11.06.21	42,79,340	72
				30.08.21		
				30.08.21		
कुल योग					1,64,01,150	

अग्रतर, ऊपर दर्शाई गयी देरी की अवधि के दौरान झारखण्ड में कोविड-19 महामारी की स्थिति तालिका 3.35 में दिया गया है।

तालिका 3.35: झारखण्ड में कोविड-19 महामारी की स्थिति

तिथि	कोविड मरीजों की संख्या	ठीक हुए मरीजों की संख्या	मृतकों की संख्या
05.05.2021	2,57,345	1,94,433	3,205
17.08.2021	3,47,620	3,42,253	5,131
24.09.2021	3,48,162	3,42,964	5,133
23.10.2021	3,48,562	3,43,244	5,135
26.11.2021	3,49,184	3,43,935	5,140

स्रोत: आरोग्य सेतु ऐप

कोविड-19 के अनियंत्रित प्रसार तथा उससे होने वाली मौतों की गंभीरता को देखते हुए उन सभी संयंत्रों को निर्धारित समय में तत्काल स्थापित किया जाना था। हालांकि, पूर्वी सिंहभूम के विभिन्न अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट, पाइपलाइन, डीजी सेट आदि लगाने में देरी के कारण लाभार्थियों को अपेक्षित लाभ नहीं मिल सका।

3.6.12.2 निष्फल व्यय- ₹ 11.21 लाख

04.08.2022 को पूर्वी सिंहभूम जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बहरागोड़ा, चाकुलिया एवं धालभूमगढ़ के सत्यापन में पाया गया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चाकुलिया में ₹ 11.21 लाख की लागत से स्थापित डीजी सेट का उपयोग नहीं किया गया था, क्योंकि नये स्थापित 500 एलएमपी ऑक्सीजन संयंत्र चालू नहीं था। ऑपरेटर द्वारा यह कहा गया था कि ऑक्सीजन संयंत्र का कभी उपयोग नहीं किया गया था। इस प्रकार सीएचसी चाकुलिया के डीजी सेटों पर किया गया ₹ 11.21 लाख का व्यय निष्फल रहा।

आगे, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, चाकुलिया में ऑक्सीजन पाइप लाइन लगाने का प्रमाण पत्र प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा दिया जाना था, इसके बजाय प्रखंड लेखा प्रबंधक (बीएएम), चाकुलिया (नवंबर 2021) द्वारा दिया गया, जो प्रमाण पत्र देने के लिए अधिकृत नहीं था।

3.6.12.3 रोकड़ बही का गैर-रख-रखाव

जिला नजारत उप-समाहर्ता, पूर्वी सिंहभूम के कार्यालय में आपदा प्रबंधन के ₹ 1,10,56,000 की राशि के आवंटन एवं उप-आवंटन से संबंधित अभिलेखों की जांच में पाया गया कि जिला आपूर्ति अधिकारी पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को निम्न उप-आवंटन (विवरण तालिका 3.36 में दिया गया है) किया गया था।

तालिका 3.36: डी.एस.ओ. पूर्वी सिंहभूम को उप-आवंटित राशि

क्र.सं.	कार्यालय	उप-आवंटित राशि	
		आवंटन आदेश संख्या	राशि (₹ में)
1	जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर	971/रा. तिथि 24.04.2020	34,16,000
2		1125/रा. तिथि 08.05.2020	14,70,000
3		1252/रा. तिथि 02.06.2020	20,00,000
4		1856/रा. तिथि 25.07.2020	17,70,000
5		2071/रा. तिथि 10.08.2020	19,20,000
6		4303/रा. तिथि 04.11.2020	4,80,000
कुल			1,10,56,000

उपरोक्त वर्णित उप-आवंटित राशि को जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर द्वारा व्यय किया गया परन्तु राशि को ना तो आपदा प्रबंधन से संबंधित जिला आपूर्ति पदाधिकारी के रोकड़ बही के प्राप्ति पक्ष में दर्ज किया गया और ना ही व्यय के पक्ष में प्रविष्टियां की गयी।

इसी प्रकार उप-समाहर्ता, दुमका द्वारा नजारत उप समाहर्ता दुमका के कार्यालय को आपदा प्रबंधन निधि के आवंटन एवं उप-आवंटन राशि ₹ 96.00 लाख के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि प्रविष्टियां ना ही रोकड़ बही के प्राप्ति पक्ष में दर्ज किया गया और ना ही व्यय के पक्ष में की गयी थी। विवरण तालिका 3.37 में दिया गया है।

तालिका 3.37: उप-आवंटित राशि (एन.डी.सी, दुमका)

क्र. सं.	कार्यालय	उप-आवंटित राशि		
		आवंटन आदेश संख्या	राशि (₹ में)	उपलब्ध उपयोगिता प्रमाण पत्र
1	जिला नजारत उप-समाहर्ता	53/जी.आ.प्र.को. दुमका /15.05.21	15,00,000	15,00,000
2	का कार्यालय, दुमका	168/जी.आ.प्र.को. दुमका /14.12.21	81,00,000	52,61,195
कुल			96,00,000	67,61,195

रोकड़ बही में लेन-देनों की प्रविष्टि न करना एक गंभीर अनियमितता थी तथा गबन/दुर्विनियोजन की संभावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता है।

3.6.12.4 आवश्यकता के बावजूद निधि का अभ्यर्षण: ₹ 3.26 करोड़

जिला नजारत, उप-समाहर्ता (एन.डी.सी) के कार्यालय, रांची के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि 2021-22 के दौरान, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, रांची ने प्राकृतिक आपदा (कोविड-19) से प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजा के लिए ₹ 7,92,50,000 (दिसम्बर 2021) आवंटित किया गया। यह देखा गया कि 1,607 मृतक व्यक्तियों में से 343 के निकटतम परिजनों को ₹ 4,66,50,000 का मुआवजा दिया गया था और शेष ₹ 3,26,00,000 विभाग द्वारा मार्च 2022 में वापस कर दिए गए थे।

निधियों की उपलब्धता के बावजूद मृत व्यक्तियों के निकट संबंधियों को मुआवजे का भुगतान न किया जाना विभाग द्वारा समय पर निधियों के उपयोग में असमर्थता दर्शाता है।

3.7 निष्कर्ष

वर्ष 2021-22 के दौरान अनुदानों के अंतर्गत ₹ 22,515.81 करोड़ (कुल बजट का 22.16 प्रतिशत) की कुल बचत अनुचित बजट अनुमान का सूचक थी। इसके अलावा, इन अनुदानों में पिछले चार वर्षों में से प्रत्येक के दौरान कम से कम ₹ 8,138.75 करोड़ की सतत कुल बचत हुई थी।

वर्ष के दौरान 49 मामलों (प्रत्येक मामले में ₹ 0.50 करोड़ या अधिक) में कुल ₹ 8,369.35 करोड़ (57.22 प्रतिशत) के पूरक प्रावधान अनावश्यक साबित हुए क्योंकि व्यय मूल प्रावधानों के स्तर तक भी नहीं आया।

वर्ष 2001-02 से 2020-21 तक के अनुदान/विनियोग से अधिक राशि के ₹ 3,473.63 करोड़ के अधिक संवितरण को राज्य विधानमंडल द्वारा अभी तक नियमित नहीं किया गया है। इसके अलावा, 2021-22 के दौरान एक विनियोग (13-ब्याज भुगतान) और एक अनुदान (15-पेंशन) में ₹ 288.86 करोड़ का अधिक व्यय किया गया।

3.8 अनुशंसाएँ

- सरकार को अपनी बजटीय धारणाओं में अधिक यथार्थवादी होना चाहिए और बचत को कम करने के लिए कुशल नियंत्रण तंत्र सुनिश्चित करना चाहिए।
- सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि व्यय विधानमंडल द्वारा प्राधिकृत राशि से अधिक न हो। इसके अलावा, पिछले वर्षों के अतिरिक्त व्यय को नियमित करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।
- ग्रामीण विकास विभाग और गृह, कारा और आपदा प्रबंधन विभाग को बजट के उचित कार्यान्वयन और निगरानी को लागू करने के लिए उपयुक्त तंत्र स्थापित करना चाहिए ताकि बचत कम हो, अनुदान/विनियोग के भीतर बड़ी बचत को नियंत्रित किया जा सके और प्रत्याशित बचत की पहचान हो सके और निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर अभ्यर्पित किया जा सके।

अध्याय-4

लेखाओं की गुणवत्ता और वित्तीय
प्रतिवेदन व्यवहार

अध्याय 4

लेखाओं की गुणवत्ता और वित्तीय प्रतिवेदन व्यवहार

यह अध्याय पूर्णता, पारदर्शिता, माप और प्रकटीकरण के संबंध में निर्धारित वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं और निर्देशों के साथ अपने वित्तीय प्रतिवेदन व्यवहारों में राज्य सरकार के लेखों की गुणवत्ता और अनुपालन का एक विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है।

प्रासंगिक और विश्वसनीय जानकारी के साथ एक सुदृढ़ आंतरिक वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली राज्य सरकार के कुशल और प्रभावी शासन में महत्वपूर्ण योगदान देती है। इस प्रकार, वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं और निर्देशों के अनुपालन के साथ-साथ उस अनुपालन की स्थिति पर समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण प्रतिवेदन सुशासन की विशेषताओं में से एक है। अनुपालन और नियंत्रण पर प्रतिवेदन, यदि प्रभावी और संक्रियात्मक हो, तो रणनीतिक योजना और निर्णय लेने सहित सरकार को अपने बुनियादी जिम्मेदारियों को पूरा करने में सहायता करती है।

4.1 राज्य की संचित निधि या लोकलेखा निधि के बाहरी निधि

अनुच्छेद 267 के प्रावधानों के अधीन अनुच्छेद 266 (1) यह प्रावधान करता है कि राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, कोषागार विपत्र द्वारा निर्गत उस सरकार द्वारा जुटाए गए सभी ऋण, ऋण या अर्थोपाय अग्रिम और ऋण के पुनर्भुगतान से सरकार को प्राप्त सभी रकम राज्य के संचित निधि के नामित होने के लिए एक संचित निधि गठित की जाएगी।

4.1.1 श्रम उपकर

श्रम और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियम, 1998 की धारा 5 के अनुसार, ठेकेदारों से श्रम उपकर के रूप में एकत्र की गई राशि को श्रम कल्याण बोर्ड को हस्तांतरित किया जाना आवश्यक है।

वित्त लेखे के अनुसार, 2021-22 के दौरान, सरकार ने श्रम उपकर के रूप में ₹ 54.86 करोड़ एकत्र किये। इसके अलावा 2021-22 तक सरकारी परियोजनाओं को निष्पादित करने वाले ठेकेदारों से उपकर के रूप में एकत्रित ₹ 664.19 करोड़ को श्रम कल्याण बोर्ड निधि में मार्च 2022 के अंत तक स्थानांतरित नहीं किया गया था, जिससे संबंधित वर्षों (2008-2022) के दौरान राजस्व अधिशेष में अत्योक्ति तथा राज्य के राजकोषीय घाटे में न्यूनोक्ति हुई। हालांकि ₹ 154.00 करोड़ राज्य सरकार द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष के पश्चात् जून 2022 में बोर्ड को हस्तांतरित किए गए थे।

तालिका 4.1: सरकार को प्राप्त श्रम उपकर

(₹ करोड़ में)

वर्ष	उपकर के रूप में प्राप्त राशि
2016-17 तक	312.90
2017-18	80.77
2018-19	79.81
2019-20	76.70
2020-21	59.15
2021-22	54.86
कुल	664.19

यह देखा गया कि श्रम कल्याण बोर्ड ने केवल 2012-13 तक के अपने लेखों को अंतिम रूप दिया। 2021-22 तक बोर्ड द्वारा प्रस्तुत निधि की प्राप्तियाँ और उपयोगिताएँ तालिका 4.2 में दर्शाई गयी है।

तालिका 4.2: बोर्ड द्वारा प्राप्त राशियों का विवरण और इसकी उपयोगिता

(₹ करोड़ में)

वर्ष	सरकार द्वारा प्रदान की गयी राशि	बोर्ड द्वारा प्राप्त प्रत्यक्ष उपकर	कुल प्राप्त	बोर्ड द्वारा योजनाओं पर व्यय ¹	स्थापना पर व्यय राशि	कुल व्यय	अनुपयोगी शेष राशि
(1)	(2)	(3)	{{(2+3)=4}}	(5)	(6)	{{(5+6)=7}}	{{(4-7)=8}}
2015-16 तक	5.08	252.16	257.24	104.08	1.66	105.74	151.50
2016-17	0.00	70.26	70.26	48.33	1.29	49.62	20.64
2017-18	0.00	74.01	74.01	41.64	0.90	42.54	31.47
2018-19	0.00	90.19	90.19	59.19	0.89	60.08	30.10
2019-20	0.00	120.00	120.00	75.78	0.83	76.61	43.40
2020-21	0.00	171.65	171.65	101.30	1.60	102.90	68.75
2021-22	0.00	124.31	124.31	101.64	2.23	103.87	20.44
कुल	5.08	902.58	907.66	531.96	9.40	541.36	366.36

स्रोत: झारखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड।

2009-10 से 2021-22 के दौरान, ₹ 531.96 करोड़ कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च किए गए, जबकि ₹ 9.40 करोड़ स्थापना पर व्यय किए गए। बोर्ड ने उपलब्ध धन का केवल 59.64 प्रतिशत ही उपयोग किया।

4.2 गैर-बजट उधार

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पी.एस.यू.) एवं विशेष प्रयोजन साधन (एस.पी.वी.) द्वारा गैर-बजट उधार या तो स्पष्ट भुगतान या प्रत्याभूतियाँ होते हैं और ये राज्य के आकस्मिक दायित्व होते हैं। राज्य द्वारा प्रदत्त सूचना अनुसार 2021-22 के दौरान राज्य के पी.एस.यू./ एस.पी.वी. द्वारा ऐसी कोई गैर-बजट उधारी नहीं की गई।

¹ झारखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड दिनांक 10.11.2022 को प्रदान किए गए विवरणी के अनुसार कल्याण बोर्ड के तहत 26 योजनाएँ चल रही हैं।

4.3 राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को प्रत्यक्षतः हस्तांतरित धनराशि

केन्द्र सरकार विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों/गैर-सरकारी संगठनों को प्रत्यक्ष रूप से पर्याप्त धन/कोष हस्तांतरित करती है।

31 मार्च 2014 तक, केन्द्र सरकार ने सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को, जिन्हें महत्त्वपूर्ण माना गया, सीधे वृहत मात्रा में निधि हस्तांतरित की थी। जैसा कि इन निधियों को राज्य के बजट/राज्य कोषागार प्रणाली में नहीं लिया गया था, इन निधियों के व्यय के प्रवाह को राज्य के वित्त लेखे में नहीं दर्शाया जा सका। इस प्रकार, उस सीमा तक, वित्त लेखे से लिए गए राज्य की प्राप्तियों तथा व्यय के साथ-साथ अन्य राजकोषीय चर/मापदंड सम्पूर्ण तस्वीर प्रस्तुत नहीं करते।

2014-15 के दौरान, भारत सरकार ने केन्द्र प्रायोजित योजनाओं/अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से संबंधित समस्त सहायता को राज्य के संचित निधि के द्वारा जारी करने का निर्णय लिया, जिसके परिणामस्वरूप कार्यकारी एजेंसी को निधि के प्रत्यक्ष हस्तांतरण में 2013-14 में ₹ 2,601.80 करोड़ के सापेक्ष 2014-15 में ₹ 130.92 करोड़ की कमी आयी। हालांकि यह बाद के वर्षों में कार्यकारी एजेंसी को निधि का प्रत्यक्ष हस्तांतरण निधि का भाग सतत रूप से बढ़ता रहा।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत, ₹ 1,940.59 करोड़ का केंद्रीय हिस्सा सीधे कार्यान्वयन एजेंसियों को स्थानांतरित कर दिया गया था। यह कुल राजस्व प्रप्तियों (₹ 69,722 करोड़) और राजस्व व्यय (₹ 62,778 करोड़) का क्रमशः 2.78 और 3.09 प्रतिशत था। राज्य की संचित निधि के बिना अंतरित निधियों को कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे हस्तांतरण, न केवल उस सीमा तक राज्य के बजट और व्यय को संकुचित किया (₹ 1,940.59 करोड़), बल्कि यह भी निहित है कि बनाई गई संपत्ति और लोगों के लिए विस्तारित लाभों की लागत राज्य के खातों में परिलक्षित नहीं हुए।

वर्ष 2021-22 के दौरान जल जीवन मिशन/राष्ट्रीय पेयजल मिशन, महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी कार्यक्रम, खादान्नों की राज्य के अंतर्गत आवाजाही और राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम (एन.एफ.एस.ए.) के तहत एफ.पी.एस डीलरो के मार्जिन आदि योजनाओं सहित राशि सीधे कार्यान्वयन एजेंसियों को हस्तांतरित कर दी गई थी।

कुछ प्रमुख एजेंसियों को हस्तांतरित निधि का विवरण तालिका 4.3 में दिया गया है।

तालिका 4.3: भारत सरकार द्वारा सीधे राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को हस्तांतरित की गई निधि

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	भारत सरकार के योजनाओं के नाम	कार्यान्वयन एजेंसियों के नाम	2021-22 में भारत सरकार द्वारा जारी राशि
1	राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी योजना	झारखण्ड राज्य ग्रामीण नियोजन गारंटी कौंसिल	720.84
2	जल जीवन मिशन	झारखण्ड राज्य जल तथा स्वच्छता मिशन	512.22
3	एनएफएसए के तहत खाद्य तथा अनाज का अंतर्राज्यीय आवाजाही	झारखण्ड राज्य खाद्य तथा जनापूर्ति निगम	282.50
4	मवेशी स्वास्थ्य तथा रोग नियंत्रण	मवेशी तथा भैसा विकास के लिए झारखण्ड राज्य कार्यकारी एजेंसी	64.16
5	सामर्थ्य- लिंग बजट शोध कौशल प्रशिक्षण	महिला बाल विकास तथा सोसायटी	58.39
6	एमपीएलएडी	उपायुक्त / जिला मजिस्ट्रेट	39.50
7	चीनी सब्सिडी	झारखण्ड राज्य खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति निगम	38.43
8	अन्य	विभिन्न एजेंसियाँ	224.55
कुल			1,940.59

स्रोत: राज्य लेखा (2021-22) के लिए लेखा-महानियंत्रक के सार्वजनिक/लोक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पी.एफ.एम.एस.) पोर्टल

चूंकि ये धनराशि राज्य के बजट के माध्यम से नहीं गुजरती है, अतः ये राज्य सरकार के लेखों में परिलिखित नहीं होती है। ये स्थानांतरण वित्त लेखों के खंड II के परिशिष्ट VI में प्रदर्शित किए जाते हैं।

4.4 स्थानीय निकाय निधि जमा

राज्य पंचायती राज अधिनियमों में प्रावधान है कि जिला परिषद (जेड.पी) पंचायत समिति (पी.एस) और ग्राम पंचायत (जी.पी) क्रमशः जेडपी निधि, पी.एस निधि और जी.पी निधि (मुख्य शीर्ष 8448 के अंतर्गत स्थानीय निधियों की जमा - 109- पंचायत निकाय निधियों के अंतर्गत) का संधारण करेगी जिसमें अधिनियम के तहत प्राप्त या वसूली योग्य सभी धन और पी.आर.आई. द्वारा अन्यथा प्राप्त सभी धन शामिल होंगे, जैसे केंद्रीय वित्त आयोग और राज्य सरकार से राज्य वित्त आयोग पुरस्कार के हिस्से के रूप में प्राप्त अनुदान और स्वयं का राजस्व, जिसमें कर और पंचायत की गैर-कर प्राप्तियां शामिल है। अधिनियमों में यह भी परिकल्पना की गई है कि नगरपालिका कोष नगरपालिका द्वारा संधारित किया जाना है। इस अधिनियम के तहत प्राप्त या वसूली योग्य सभी धन और नगर पालिकाओं द्वारा प्राप्त अन्य सभी धन प्रमुख शीर्ष 8448-स्थानीय निधियों का जमा-102 नगरपालिका निधि के तहत नगरपालिका निधि में रखा जाता है। विवरण तालिका 4.4 में दिया गया है।

तालिका 4.4: स्थानीय निकाय निधि जमा

(₹ करोड़ में)

वर्ष		2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	
पंचायती राज संस्थाएँ	(8448-109)	प्रारंभिक शेष	212.71	309.67	364.38	338.12	351.01
		प्राप्तियाँ	181.74	128.99	124.60	100.19	90.78
		व्यय	84.78	74.28	150.86	87.30	109.67
		अंत शेष	309.67	364.38	338.12	351.01	332.12
शहरी स्थानीय निकाय	(8448-102)	प्रारंभिक शेष	2,003.17	1,870.03	1,959.09	2,077.75	2,341.87
		प्राप्तियाँ	1,122.21	915.05	1,252.93	1,204.29	543.41
		व्यय	1,255.35	825.99	1,134.27	940.17	1,422.14
		अंत शेष	1,870.03	1,959.09	2,077.75	2,341.87	1,463.14

स्रोत: संबन्धित वर्षों के वित्त लेखे।

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, इन लेखा शीर्षों से यू.एल.बी और पी.आर.आई. द्वारा व्यय अधिकतर वर्षों में, वर्ष 2020-21 तक से प्राप्तियों की तुलना में बहुत कम था। हालाँकि, 2021-22 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में व्यय में वृद्धि हुई, जहाँ सरकार के द्वारा प्रदान की गयी निधि में अत्यधिक कमी आई, जो वित्तीय वर्ष के अंत में कम शेष का कारण था।


4.5 उपयोगिता प्रमाण पत्र के प्रस्तुतीकरण में विलंब

झारखण्ड कोषागार संहिता (जे.टी.सी.) में प्रावधान है कि विभागीय अधिकारियों को अनुदान ग्राहियों से उपयोगिता प्रमाण पत्र (उ.प्र.प.) प्राप्त करना चाहिए और सत्यापन के बाद अनुदान के आहरण के 12 महीने के भीतर प्रधान महालेखाकार (ले. व. हक.) झारखण्ड को अग्रेषित करना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने देखा कि 2020-21 तक दिए गए अनुदान के संबंध में देय कुल ₹ 1,03,459.14 करोड़ के 39,064 उ.प्र.प. मार्च 2022 के अंत तक बकाया थे।

2020-21 तथा 2021-22 के दौरान, ₹ 20,077.67 करोड़ और ₹ 19,629.95 करोड़ के कुल सहायता अनुदान में से क्रमशः ₹ 6,369.87 करोड़ और ₹ 5,358.62 करोड़ की राशि पूँजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए निकायों और प्राधिकरणों को दी गई थी। हालाँकि, पूँजीगत संपत्ति के निर्माण के संबंध में उ.प्र.प. अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया था। इसलिए, पूँजीगत संपत्ति के निर्माण को सुनिश्चित नहीं किया जा सका। इन उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का एक महत्वपूर्ण भाग पाँच विभागों के विरुद्ध बकाया था जो चार्ट 4.1 में दर्शाया गया है।

चार्ट 4.1: प्रमुख अनुदानों के संबंध में बकाया उ.प्र.प.



31 मार्च, 2022 तक बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों (उ.प्र.प.) की संख्या और राशि तालिका 4.5 में दर्शायी गयी है।

तालिका 4.5: उपयोगिता प्रमाण-पत्र के प्रस्तुतीकरण का बकाया

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष		वृद्धि		समाशोधन		विलंब प्रस्तुति	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2017-18 तक	21,399	39,115.53	4,219	19,545.33	515	6,114.69	25,103	52,546.17
2018-19	25,103	52,546.17	4,483	17,435.44	228	278.62	29,358	69,702.99
2019-20	29,358	69,702.99	4,749	18,734.70	90	390.21	34,017	88,047.48
2020-21*	34,017	88,047.48	5,075	15,806.55	28	394.89	39,064	1,03,459.14

*2020-21 के दौरान संवितरित किए गए जी.आई.ए. के लिए यू.सी. 2021-22 के अवधि के लिए देय हुए।

बकाया उ.प्र.प. की संख्या और राशि का वर्षवार ब्यौरा तालिका 4.6 में दिया गया है।

तालिका 4.6: बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र का वर्ष-वार विभाजन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	उपयोगिता प्रमाणपत्र की संख्या	राशि
2010-11 तक	2,191	966.09
2011-12	494	273.38
2012-13	936	1,135.61
2013-14	1,320	1,504.44
2014-15	2,134	5,354.78
2015-16	8,902	9,573.72
2016-17	4,868	14,497.51
2017-18	3,968	18,591.87
2018-19	4,441	17,044.72
2019-20	4,735	18,710.47
2020-21	5,075	15,806.55
कुल	39,064	1,03,459.14

जी.आई.ए विपत्रों के विरुद्ध उ.प्र.प. की अप्राप्ति, वांछित उद्देश्य के लिए अनुदानों के उपयोग को समय पर जमा करना सुनिश्चित करने के, विभागीय अधिकारियों की नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करने में विफलता को इंगित करती है। उ.प्र.प. के अधिक लम्बित होने से धन के गबन और धोखाधड़ी का जोखिम रहता

है। उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करने का कारण विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया।

4.5.1 अनुदान के विरुद्ध बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र

जे.टी.सी. में वर्णित है कि विभागीय अधिकारियों द्वारा अनुदानग्राहियों से उपयोगिता प्रमाण पत्र (उ.प्र.प.) प्राप्त किया जाना है और सत्यापन के पश्चात, अनुदान निकासी के दिन से 12 महीने के भीतर प्रधान महालेखाकार (ले. व. हक.) झारखण्ड को अग्रेषित करना है।

ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य प्रमंडल) झारखण्ड सरकार की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि मुख्य शीर्ष 2515 के तहत, ₹ 1,850.18 (2019-20 तक ₹ 1,020.12 करोड़ और 2020-21 के लिए ₹ 830.06 करोड़) की निकासी की गयी थी, जिसके लिए 31 मार्च 2021 तक 26 उ.प्र.प. समर्पित करने की आवश्यकता थी।

आगे, मुख्य शीर्ष 2515 के अंतर्गत 26 अनुदानों में से 12 की संवीक्षा से पता चला कि एजेंसी (जे.एस.आर.आर.डी.ए) द्वारा राशि ₹ 1,288.98 करोड़ की पांच उ.प्र.प. विभाग को भेजी गई थी, जिसे विभाग द्वारा सत्यापन के बाद प्रधान महालेखाकार (ले. व. हक.) को अग्रेषित की जानी थी। शेष ₹ 561.20 करोड़ राशि की 21 जी.आई.ए. का उ.प्र.प. एजेंसी द्वारा विभाग को प्रस्तुत नहीं किया गया था। जे.एस.आर.आर.डी.ए और विभाग द्वारा उ.प्र.प. का अप्रस्तुतीकरण का कारण नहीं बताया गया।

इतनी लंबी अवधि के लिए उ.प्र.प. का लम्बित होना न केवल अप्रभावी आंतरिक नियंत्रण तंत्र और विभाग की खराब निगरानी का सूचक था बल्कि सार्वजनिक धन के दुरुपयोग के जोखिम को भी दर्शाता है।

4.6 संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र

झारखण्ड कोषागार संहिता (जे.टी.सी.), 2016 यह निर्धारित करता है कि जब बिना संलग्न वाउचर के संक्षिप्त आकस्मिक (ए.सी.) विपत्रों पर कोषागार से अग्रिम के रूप में आकस्मिक निधि आहरित की जाती है, तो उप-वाउचर से समर्थित और नियंत्रक अधिकारी (सी.ओ.) द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित संबंधित विस्तृत आकस्मिक (डी.सी.) विपत्र को ए.सी. विपत्र के आहरण की तिथि से छः माह के भीतर प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। 31.03.2022 तक लंबित डी.सी. विपत्रों की वर्ष-वार विवरण तालिका 4.7 में दी गयी है।

तालिका 4.7: ए.सी. विपत्रों के विरुद्ध डी.सी. विपत्रों के जमा करने की वर्ष-वार प्रगति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	लंबित ए सी विपत्र		जमा डी सी विपत्र		शेष राशि	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2000-2001	1331	149.96	459	84.82	872	65.14
2001-2002	5493	506.18	2933	318.74	2560	187.44
2002-2003	3846	408.07	2459	306.78	1387	101.29
2003-2004	7640	619.55	5532	505.65	2108	113.90
2004-2005	6664	1,171.01	5095	1,018.00	1569	153.02
2005-2006	6145	1,084.18	4941	872.71	1204	211.47
2006-2007	6053	1,502.66	4774	1,220.40	1279	282.26
2007-2008	6862	1,796.19	5630	1,367.48	1232	428.71
2008-2009	4747	2,937.18	3529	2,369.62	1218	567.56
2009-2010	2087	996.69	1120	724.88	967	271.82
2010-2011	1891	824.63	891	589.46	1000	235.18
2011-2012	1077	1,611.15	602	1,438.20	475	172.95
2012-2013	545	924.98	351	774.00	194	150.98
2013-2014	468	666.82	263	585.10	205	81.72
2014-2015	550	721.23	285	464.12	265	257.11
2015-2016	806	1,224.90	393	831.19	413	393.71
2016-2017	459	1,267.80	190	989.93	269	277.87
2017-2018	335	1,209.12	120	980.84	215	228.28
2018-2019	243	1,061.32	82	883.15	161	178.17
2019-2020	330	2,168.00	103	1,797.41	227	370.59
2020-2021	357	1,911.16	49	1,009.05	308	902.11
2021-2022*	88	1,121.87	10	658.70	78	463.17
कुल	58,017	25,884.67	39,811	19,790.22	18,206	6,094.45

* सितंबर 2021 तक आहरित किए गए के एसी बिलों को लिया गया है।

राज्य के 14 विभागों ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 246 संक्षिप्त आकस्मिक (ए.सी) विपत्रों पर ₹ 2,668.28 करोड़ आहरित किए। सितंबर 2021 तक 246 ए.सी विपत्रों में से ₹ 1,121.87 करोड़ के 88 ए.सी विपत्र की निकासी की गयी थी जिनके जमा करने की नियत तिथि मार्च 2022 थी। 88 एसी विपत्र के विरुद्ध केवल ₹ 658.70 करोड़ के 10 डी.सी विपत्र देय तिथि से पहले जमा किए गए तथा ₹ 463.17 करोड़ के शेष 78 ए.सी विपत्र जमा करने के लिए लंबित रह गए।


इस बात का कोई आश्वासन नहीं है कि ₹ 463.17 करोड़ की शेष राशि वास्तव में वित्तीय वर्ष के दौरान उस उद्देश्य के लिए खर्च की गई है जिसके लिए इसे विधानमंडल द्वारा स्वीकृत/प्राधिकृत किया गया था। यह वर्ष 2021-22 के व्यय का संभावित अत्योक्ति हो सकता है।

इसके अतिरिक्त, 2021-22 तक आहरित ₹ 5,631.28 करोड़ राशि के 18,128 ए.सी विपत्र भी 31 मार्च 2022 तक बकाया थे। अग्रिमों के आहारण और लेखों में नहीं लिए जाने से अपव्यय/दुरुपयोग/कदाचार आदि की संभावना बढ़ जाती है।

2021-22 में आहरित कुल ए.सी विपत्रों में से ₹ 171.31 करोड़ के ए.सी विपत्रों को मार्च 2022 में आहरित किया गया था। मार्च में एसी विपत्र के माध्यम से व्यय इंगित करता है कि आहरण मुख्य रूप से बजट को निःशेष करने के लिए किया गया था और यह अपर्याप्त बजटीय नियंत्रण को दर्शाता है।

अधिकतम लंबित राशि वाले विभागों का डीसी विपत्रों के साथ तुलनात्मक विवरण चार्ट 4.2 एवं तालिका 4.8 में दिया गया है।

चार्ट 4.2: प्रमुख विभागों के संदर्भ में लंबित डी.सी. विपत्र



तालिका 4.8: पांच प्रमुख विभागों में लंबित डी.सी. विपत्रों का वर्षवार विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	ग्रामीण विकास विभाग		चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग		कृषि, पशुपालन और सहकारिता विभाग		महिला, बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग		स्वास्थ्य, गृह, जेल और आपदा प्रबंधन विभाग	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2000-2001	272	15.85	86	0.04	3	0.00	0	0	57	0.11
2001-2002	297	29.43	502	15.31	159	0.70	352	12.66	205	4.64
2002-2003	218	40.45	209	2.67	134	2.81	183	14.37	131	2.84
2003-2004	206	38.90	79	5.65	105	1.56	658	26.12	215	8.28
2004-2005	163	53.86	114	27.66	102	0.89	336	20.03	102	7.19
2005-2006	101	51.14	123	20.37	98	9.06	199	51.04	136	3.42
2006-2007	109	35.37	153	50.53	66	8.80	206	87.39	140	6.02
2007-2008	184	33.97	112	116.02	60	12.92	191	64.71	90	2.64
2008-2009	205	54.50	72	82.47	56	47.35	207	54.48	147	10.22
2009-2010	188	54.90	51	64.11	18	1.08	295	45.53	142	22.77
2010-2011	183	85.68	7	0.62	21	2.04	333	37.67	68	30.75
2011-2012	97	63.85	16	0.80	40	5.93	41	5.06	32	7.88
2012-2013	85	79.55	3	0.10	9	6.95	26	30.12	6	0.16
2013-2014	106	30.30	17	30.12	6	2.07	10	0.18	6	0.56
2014-2015	138	121.68	8	18.96	7	2.47	7	0.09	13	33.77
2015-2016	195	160.70	18	39.59	80	16.51	10	83.72	29	31.08
2016-2017	120	51.40	9	8.32	16	4.72	0	0.00	24	29.65
2017-2018	121	48.79	3	2.49	8	2.01	0	0.00	24	35.89
2018-2019	122	49.99	3	4.44	1	0.00	1	0.45	8	45.10
2019-2020	134	80.86	1	0.44	5	140.00	0	0.00	65	123.69
2020-2021	260	228.26	5	356.50	9	25.73	1	0.15	17	202.48
2021-2022	166	315.20	39	454.36	9	584.05	5	14.16	3	22.67
कुल	3670	1,724.63	1,630	1,301.57	1,012	877.65	3,061	547.93	1,660	631.81

जैसा कि तालिका 4.8 से देखा जा सकता है, 2000-01 से आहरित ए.सी. बिल इतनी लंबी अवधि बीत जाने के बाद समाशोधन के लिए लंबित थे, यह एक गंभीर अनियमितता थी और सरकारी धन के दुरुपयोग से इंकार नहीं किया जा सकता है। इसके लिए लंबित डीसी विपत्रों को नियमित करने और निपटाने के लिए सरकार की त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता है।

4.6.1 पूँजीगत कार्य के लिए ए.सी विपत्र पर निधियों का आहरण

झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 318 के अनुसार, केवल आकस्मिक प्रकृति के व्यय के उद्देश्य से एसी विपत्रों का आहरण किया जाना चाहिए और पूँजीगत कार्यों के लिए एसी विपत्रों पर धन निकासी की अनुमान्य नहीं है।

ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के अभिलेखों की जाँच के क्रम में यह देखा गया कि भूमि अधिग्रहण और सड़क एवं पुल निर्माण के लिए क्रमशः ₹ एक करोड़ और ₹ 114.52 करोड़ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई) के अंतर्गत स्वीकृत किए गए थे। अवर सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, रांची, झारखण्ड ने ₹ 115.52 करोड़ (मार्च 2012 से दिसम्बर 2015) ए.सी विपत्रों पर आहरित किया था और झारखण्ड राज्य ग्रामीण सड़क विभाग प्राधिकार (जे.एस.आर.आर.डी.ए) को कार्य संपादित करने के लिए स्थानांतरित किया। वर्षवार निकासी विवरण तालिका 4.9 में दिया गया है।

तालिका 4.9: पूँजीगत कार्यों के लिए एसी विपत्रों का विवरण

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	मुख्य शीर्ष	टी. भी. संख्या	ए.सी विपत्र दिनांक	ए.सी विपत्र की राशि	लंबित डी.सी विपत्र की राशि
2011-2012	4515	0030	31-03-2012	10.00	0.00
2012-2013	4515	00001	01-03-2013	14.00	0.00
2012-2013	4515	00002	01-03-2013	3.50	0.00
2012-2013	4515	00003	01-03-2013	17.50	0.00
2014-2015	4515	00001	02-02-2015	10.00	0.00
2014-2015	4515	00001	10-07-2014	39.52	0.00
2014-2015	4515	00010	09-03-2015	0.50	0.50
2014-2015	4515	00001	09-03-2015	0.50	0.50
2015-2016	4515	00004	23-12-2015	10.00	10.00
2015-2016	4515	00017	23-12-2015	10.00	10.00
कुल				115.52	21.00

स्रोत : वी.एल.सी. आंकड़ा , प्रधान महालेखाकार (ले. एवं ह.) का कार्यालय झारखण्ड .

ए.सी विपत्रों पर पूँजीगत कार्यों का निष्पादन कोषागार संहिता के प्रावधानों के विरुद्ध था और विभाग द्वारा इससे बचा जाना चाहिए था। पूँजीगत कार्यों को पूरा करने के लिए अग्रिम के रूप में बड़ी धनराशि प्रदान करने से न केवल सार्वजनिक धन के दुरुपयोग को जोखिम होता है बल्कि इसके परिणामस्वरूप लंबे समय तक बड़ी राशि भी सरकार के नियंत्रण के बाहर रहती है।

यह भी देखा गया कि मार्च 2015 में दो किशतों में विभाग द्वारा भूमि अधिग्रहण के लिए प्रदान की गई ₹ एक करोड़ की राशि भूमि अधिग्रहण अधिकारियों को स्थानांतरित की जानी चाहिए थी लेकिन जे.एस.आर.आर.डी.ए के लेखा शेष में सात वर्ष से अधिक समय तक निष्क्रिय रूप से रखा गया था।

विभाग का उत्तर (दिसंबर 2022 तक) प्रतीक्षित है।

4.6.2 डीसी विपत्रों का अप्रस्तुतिकरण - ₹ 133.00 करोड़

झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 194 के अनुसार नियंत्री अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित उप वाउचरों के साथ समर्थित डीसी विपत्र प्रधान महालेखाकार (ले.व.हक.) को छह महीने के अन्दर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। इस अवधि की सामाप्ति के बाद कोई ए.सी. विपत्र पर निकासी तब तक नहीं की जा सकती जब तक पूर्व के विपत्रों का विस्तृत विपत्र प्रस्तुत नहीं किया जाये।

प्रधान महालेखाकार (ले.व.हक.) के कार्यालय के वाउचर लेवल कम्ययूटीकरण (वीएलसी) आंकड़ा के अनुसार, 2012-13 से 2015-16 की अवधि के दौरान अनुदान संख्या 55 के तहत मुख्य शीर्ष 3054 और 4515 में एसी विपत्रों के माध्यम से ₹ 133 करोड़ आहरित किए गए थे, लेकिन डीसी विपत्र जमा नहीं किए गए। विवरण तालिका 4.10 में दिया गया है।

तालिका 4.10: लंबित डीसी विपत्रों का विवरण

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	मुख्या शीर्ष	टी. भी. संख्या	ए.सी विपत्र दिनांक	ए.सी विपत्र की राशि	लंबित डी.सी विपत्र	डी. डी. ओ. कोड
2012-13	3054	00001	52/12-13	07.02.2013	52.00	PRJSES042
2014-15	3054	00001	02/14-15	19.12.2014	60.00	PRJORD002
2014-15	4515	00010	07/14-15	09.03.2015	0.50	PRJORD002
2014-15	4515	00001	08/14-15	09.03.2015	0.50	PRJORD002
2015-16	4515	00004	14/15-16	23.12.2015	10.00	PRJSES042
2015-16	4515	00017	13/15-16	23.12.2015	10.00	PRJSES042
कुल					133.00	

यह देखा गया कि पूर्व में आहरित ए.सी विपत्र के विरुद्ध डी.सी विपत्र प्रस्तुत किए बिना बार-बार ए.सी विपत्रों की निकासी की गयी। जे.एस.आर.आर.डी.ए. द्वारा अभिलेखों के अनुचित रख-रखाव के कारण लेखापरीक्षा के दौरान कार्य पर स्वीकृत-वार व्यय को सुनिश्चित नहीं किया जा सका। लंबी अवधि के लिए ₹ 133 करोड़ की राशि के डी.सी विपत्रों को जमा न करना एक गंभीर अनियमितता है और इसमें सार्वजनिक धन के दुरुपयोग के जोखिम की संभावना सन्निहित है।

4.6.3 वित्तीय वर्ष के अंत में एसी विपत्रों का आहरण

विनियोग अधिनियम के प्रावधान के अनुसार कोषागार से आहरित धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष के अन्दर किया जाना चाहिये। अग्रतर झारखण्ड कोषागार

संहिता के नियम 300 में प्रावधान है कि कोषागार से कोई धनराशि तब तक आहरित नहीं की जानी चाहिये जब तक कि तत्काल भुगतान की आवश्यकता न हो। आगे, कोषागार से मांग की प्रत्याशा में अग्रिम की निकासी कार्य के निष्पादन, जिसमें अधिक समय लगने की संभावना है, के लिए विनियोग को समयवाधिता से बचाव के लिए नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही, मार्च के अंतिम सप्ताह में कोषागार से धनराशि आहरित करते समय, डी.डी.ओं को यह प्रमाणित करना आवश्यक है कि आहरित सभी धनराशि का भुगतान वित्तीय वर्ष के अन्दर कर दिया जाएगा।

ग्रामीण विकास विभाग की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि 2000-15 की अवधि में मार्च माह में 26 ए.सी. विपत्रों पर ₹ 48.09 करोड़ का आहरण किया गया था जिसका विवरण तालिका 4.11 में दिया गया है।

तालिका 4.11: वित्तीय वर्ष के अंत में आहरित ए.सी विपत्रों का विवरण
(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	वर्ष	मुख्या शीर्ष	ए.सी विपत्र
1	2000-01	2515	81,258
2	2003-04	2515	58,86,000
3	2005-06	2515	1,19,80,000
4	2010-11	2515	30,00,000
5	2011-12	4515	10,00,00,000
6	2012-13	4515	35,00,00,000
7	2014-15	4515	1,00,00,000
कुल			48,09,47,258

प्रत्येक वर्ष मार्च के महीने में ए.सी विपत्र पर निधि का आहरण, निधि की व्यपगतता से बचने के लिए न केवल बजटीय नियंत्रण प्रणाली की विफलता है बल्कि इसमें सार्वजनिक धन के दुरुपयोग का जोखिम भी शामिल है। विवरण परिशिष्ट 4.1 में दिया गया है।

इसी प्रकार, गृह, जेल एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग) के लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि 2021-22 तक एसी विपत्रों पर आहरित ₹ 1,225.63 करोड़ में से अक्टूबर 2022 तक विभाग द्वारा ₹ 109.52 करोड़ के डीसी विपत्र जमा नहीं किये गये, दिनांक 20.06.2022 तक लंबित डी.सी विपत्रों का वर्षवार विवरण तालिका 4.12 में दिया गया है।

तालिका 4.12: लंबित डी.सी विपत्रों का वर्षवार विवरण

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	वर्ष	ए.सी. विपत्रों की संख्या	राशि	डी.सी. विपत्रों की संख्या	राशि	लंबित ए.सी. विपत्र	राशि
2245	2019-20 तक	807	712.84	472	632.04	335	80.80
	2020-21	5	310.67	4	299.56	1	11.11
	2021-22	2	205.12	1	187.51	1	17.61
कुल		814	1,228.63	477	1,119.11	337	109.52

अग्रतर, एनडीसी, बोकारो के अभिलेखों की जांच से पता चला कि एनडीसी, बोकारो द्वारा संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों पर वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन, विनियोग अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध, ₹ 50 लाख का आहरण किया गया था। ए.सी. विपत्रों के विरुद्ध डीसी विपत्र अक्टूबर 2022 तक जमा नहीं किए गए थे।

4.7 स्थानीय निधियों की जमा

झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 के अनुसार, कोषागार से राशि तब तक आहरित नहीं की जानी चाहिए जब तक कि यह त्वरित भुगतान के लिए आवश्यक न हो।

वित्त लेखों और वाउचर स्तरीय कम्प्यूटीरीकरण (वीएलसी) आंकड़ा की समीक्षा से पता चला कि वर्ष 2021-22 के लिए प्रमुख लेखा शीर्ष 8448 स्थानीय निधियों के जमा के तहत लघु शीर्षों में लेन-देन से संबंधित 172 खाते 31 मार्च 2022 तक राज्य सरकार के विभिन्न एजेंसियों द्वारा संचालित थे।

शेष राशि का वर्षवार विवरण तालिका 4.13 में दिया गया है।

तालिका 4.13: स्थानीय निधियों की जमा का वर्षवार विच्छेद

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	प्राप्तियाँ	संवितरण	अंत शेष
2017-18	9,488.40	12,694.02	8,979.76	13,202.66
2018-19	13,202.66	9,875.32	8,730.74	14,347.24
2019-20	14,347.24	10,447.62	11,088.27	13,706.59
2020-21	13,706.59	12,279.45	9,683.19	16,302.85
2021-22	16,302.85	10,246.04	11,022.02	15,526.87

तालिका 4.13 से यह स्पष्ट है कि 2017-18, 2018-19 और 2020-21 के दौरान व्यय प्राप्तियों के मुकाबले कम था जिसके कारण इन वर्षों में अंत शेष में वृद्धि हुई।

2021-22 के दौरान, संवितरण प्राप्तियों से ₹ 775.98 करोड़ अधिक हुआ, जिससे वर्ष के अंत में शेष में कमी आई। आगे, उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि मार्च 2022 को ₹ 15,526.87 करोड़ की एक बड़ी राशि सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण से बाहर थी।

अग्रतर, झारखण्ड वित्तीय नियमावली के नियम 343 में प्रावधान है कि यदि किसी अनुदान को व्यय करने की समय सीमा स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी द्वारा निर्धारित नहीं की गयी है तो उस राशि को उचित समय में निर्धारित उद्देश्य पर व्यय किया जाना चाहिए। यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि अनुदान का कोई भाग तत्काल व्यय के लिए आवश्यक न हो तो उसे सरकार को अभ्यर्पित कर दिया जाना चाहिए।

जिला परिषदों के लेखाओं की नमूना जांच में पाया गया कि छ: प्रशासकों ने उक्त नियमों का पालन नहीं किया तथा ₹ 51.83 करोड़ की अव्ययित निधि को “8448-

स्थानीय निधि जमा के तहत 109-पंचायत निकाय निधि," में तीन वर्षों से अधिक समय से अवरुद्ध रखा, जैसा कि तालिका 4.14 विवरण में दिया गया है।

तालिका 4.14: तीन वर्षों से अधिक समय से अवरुद्ध राशि

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	तीन वर्षों से अधिक समय से अव्ययित राशि
1	जिला परिषद्, लातेहार	6.25
2	जिला परिषद्, हजारीबाग	20.59
3	जिला परिषद्, गढ़वा	8.32
4	जिला परिषद्, लोहरदगा	4.73
5	जिला परिषद्, गोड्डा	8.07
6	जिला परिषद्, खूंटी	3.87
कुल		51.83

वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले लंबे समय तक लेखाओं में पड़ी अव्ययित शेष राशि समेकित निधि में स्थानांतरित नहीं किया जाना न केवल वित्तीय नियमों के प्रावधानों के विरुद्ध था बल्कि इसमें सार्वजनिक धन के दुरुपयोग, धोखाधड़ी और दुर्विनियोजन का जोखिम भी शामिल था।

4.8 व्यक्तिगत जमा खाता

झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 328 से 330 में प्रावधान है कि जहाँ लोकहित में अधिक व्यय की आवश्यकता हो जो सामान्य कोषागार पद्धति द्वारा संभव नहीं हो सरकारी सेवक द्वारा विशेष मामलों में व्यक्तिगत जमा (पी.डी.ए.) खाते का उपयोग किया जा सकता है। वित्त विभाग की सहमति तथा महालेखाकार (ले.व.ह) द्वारा अधिकृत किये बिना कोषागारों में कोई व्यक्तिगत जमा खाते (पी.डी.ए.) नहीं खोले जा सकते हैं। पी.डी. लेखें विशिष्ट उद्देश्यों के लिए और वित्त विभाग के प्राधिकार के अनुसार निर्दिष्ट अवधि के लिए आवश्यक धन जमा करने के लिए खोले जाते हैं। वित्त विभाग प्राधिकार पत्र में एक तारीख निर्दिष्ट करता है जिसके लिए खाता को खोला जाना है। ऐसी तारीख की समाप्ति के पश्चात्, कोषागार पदाधिकारी वित्त विभाग के साथ-साथ महालेखाकार (ले.ह.) की पूर्व अनुमति के बिना खाते को बंद कर देता है। खाताधारक जैसेकि लेखे का प्रशासक, वित्त विभाग के साथ-साथ प्रधान महालेखाकार (ले. व हक.) को सूचित करते हुए कोषागार पदाधिकारी द्वारा खाते को बंद करते समय बकाया राशि कोषागार में जमा किया जाना चाहिए।

वित्त विभाग ने सभी जिलों के कोषागार पदाधिकारियों को जिला भू-अर्जन अधिकारियों के नाम से दिसम्बर 2019 माह में पी.डी. खाते खोलने के निर्देश दिये। तदनुसार, भूमि अधिग्रहण क्षतिपूर्ति निधि जमा करने के लिए 24 पी.डी. खाता खोले गए। ये सभी खाते चालू अवस्था में हैं और वर्ष 2021-22 के दौरान ₹ 1,746.53 करोड़ की प्रारंभिक शेष में ₹ 606.52 करोड़ की राशि जोड़ी गई थी। इन पी.डी. खातों में कुल जमा राशि में से वर्ष के दौरान ₹ 334.91 करोड़ का

वितरण किया गया और वित्तीय वर्ष के अंत में ₹ 2,018.13 करोड़ की राशि खातों में शेष रह गयी।

4.9 लघुशीर्ष 800 का अविवेकपूर्ण उपयोग

‘अन्य प्राप्तियों’ और ‘अन्य व्यय’ से संबंधित लघु शीर्ष 800 को केवल तभी संचालित किया जाना चाहिए जब खातों में उपयुक्त लघु शीर्ष प्रदान नहीं किया गया हो। लघु शीर्ष 800 के नियमित संचालन को हतोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि यह लेखाओं को अपारदर्शी बनाता है।

37 मुख्य शीर्षों में कुल प्राप्तियों ₹ 30,187.86 करोड़ में से ₹ 1,414.30 करोड़ (4.68 प्रतिशत) ‘लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियाँ’ के अंतर्गत बुक किया गया। आगे, जैसा कि तालिका 4.15 में दर्शाया गया है, वर्ष 2021-22 दौरान ₹ 864.93 करोड़ की कुल प्राप्तियों के विरुद्ध ₹ 819.17 करोड़ की राशि 13 मुख्य शीर्षों में लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत बुक किए गए थे जो 60 प्रतिशत से अधिक थे।

तालिका 4.15: वित्तीय वर्ष के दौरान लघु शीर्ष 800- अन्य प्राप्तियाँ के अधीन दर्ज किए गए महत्वपूर्ण प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	मुख्य शीर्ष	विवरण	कुल प्राप्ति	'800' में बुक किया गया	कुल प्राप्तियों का प्रतिशत
1	0801	उर्जा	47.91	47.91	100.00
2	0059	लोक निर्माण	16.69	16.69	100.00
3	0852	उद्योग	9.67	9.67	100.00
4	0220	सूचना तथा प्रचार प्रसार	0.02	0.02	100.00
5	0075	विविध सामान्य सेवा	482.68	482.39	99.94
6	0071	पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	3.32	3.31	99.70
7	1456	जन आपूर्ति	131.76	130.74	99.23
8	0702	लघु सिंचाई	1.6	1.55	96.88
9	0215	जलापूर्ति एवं स्वच्छता	9.69	9.04	93.29
10	0701	मध्यम सिंचाई	42.21	37.89	89.77
11	0070	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	107.39	72.66	67.66
12	0210	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	8.78	5.35	60.93
13	0235	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	3.21	1.95	60.75
कुल			864.93	819.17	94.71

4.10 जमा, प्रेषण, उंचत तथा ऋण मुख्य शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेष

उंचत शीर्ष तब संचालित किए जाते हैं जब सूचना की प्रकृति की कमी या अन्य कारणों से प्राप्तियों और भुगतानों के लेन-देन खाते के अंतिम शीर्ष में दर्ज नहीं किये जा सकते हैं। इन लेखा शीर्षों को अंततः नकारात्मक डेबिट या नकारात्मक क्रेडिट द्वारा निष्पादित किया जाता है, जब उनके अंतर्गत राशियों को उनके

संबंधित अंतिम लेखा शीर्ष में दर्ज किया जाता है। वर्ष के अंत में शेष उचंत शेष राशि उस वर्ष के सरकार की प्राप्तियों और व्यय के सटीक प्रतिबिम्ब पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। राज्य के उचंत शेषों की स्थिति तालिका 4.16 में दर्शाई गई हैं।

तालिका 4.16: उचंत शीर्ष- 8658 के तहत शेष की स्थिति

(₹ करोड़ में)

लघु शीर्ष के नाम	2018-19		2019-20		2020-21		2021-22	
	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट
101-वेतन एवं लेखा कार्यालय उचंत	150.67	138.66	307.17	309.99	437.28	438.51	557.75	557.26
शुद्ध	डेबिट. 12.01		क्रेडिट. 2.82		क्रेडिट.1.23		डेबिट. 0.49	
102-उचंत लेखा (सिविल)	28.67	23.33	34.22	26.72	41.87	40.83	93.21	122.57
शुद्ध	डेबिट. 5.34		डेबिट. 7.50		डेबिट. 1.04		क्रेडिट. 29.36	

तालिका 4.17: प्रेषण शीर्ष-8782 के अंतर्गत शेष की स्थिति

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष 8782- नकद प्रेषण								
	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट
102-पी.डब्ल्यू प्रेषण	37,102.27	37,220.48	47,673.35	47,785.76	55,208.80	55,332.72	62,735.61	62,817.53
शुद्ध	क्रेडिट. 118.21		क्रेडिट 112.41		क्रेडिट 123.92		क्रेडिट 81.92	
103-वन प्रेषण	1,291.04	1,291.68	1,831.09	1,832.93	2,394.30	2,404.06	3,035.51	3,078.97
शुद्ध	क्रेडिट 0.64		क्रेडिट 1.84		क्रेडिट 9.76		क्रेडिट 43.46	

स्रोत : झारखण्ड सरकार का वित्त लेखा

इन शीर्षों के तहत शेष राशि के निहितार्थ नीचे बताए गए हैं:

• वेतन एवं लेखा कार्यालय (पी.ए.ओ.) उचंत

इस शीर्ष के तहत बकाया डेबिट शेष उन भुगतानों का प्रतिनिधित्व करता है जो केन्द्र सरकार के विभागों के पी.ए.ओ. की ओर से प्रधानमहालेखाकार (ले. ह.) झारखण्ड द्वारा भुगतान किए गए, जिसका वापस किया जाना शेष है। बकाया क्रेडिट शेष राज्य सरकार की ओर से पी.ए.ओ. द्वारा किए गए भुगतान का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसे प्रधान महालेखाकार (ले. व हक.) के द्वारा अभी तक समायोजित करना बाकी है। यह देखा गया कि निवल शेष 2018-19 में क्रेडिट शेष ₹ 12.01 करोड़ से बदलकर 2021-22 में ₹ 0.49 करोड़ डेबिट शेष हो गया। इस शीर्ष (₹ 0.49 करोड़) के तहत शुद्ध डेबिट शेष के निपटान पर, राज्य सरकार का नकद शेष इस स्तर तक बढ़ जाएगा। हालांकि, इस शीर्ष के अंतर्गत बचा हुआ उचंत शेष नगण्य था।

• उचंत लेखा (सिविल)

इस लघु शीर्ष का उपयोग प्राप्तियों (क्रेडिट) तथा होने वाले व्यय (डेबिट) को बुक करने के लिए किया जाता है, जो प्रधान महालेखाकार (ले. व हक.) द्वारा सहायक दस्तावेजों की प्राप्ति पर निष्पादित की जाती है। इस मद के निष्पादन पर नकद

शेष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 2018-19 से 2021-22 के दौरान इस उंचत शीर्ष के तहत निवल शेष राशि ₹ 5.34 करोड़ के डेबिट से ₹ 29.36 करोड़ के क्रेडिट बीच दोलित रहा।

अधिकारियों तथा लेखा अधिकारियों के खातों के बीच नकद प्रेषण और समायोजन की समीक्षा से पता चला कि मार्च 2022 के अंत में ₹ 125.38 करोड़ की क्रेडिट शेष पारगमन में था।

4.11 विभागीय आंकड़ों का असमाशोधन

बजट अनुदानों के अन्दर व्यय पर प्रभावी नियंत्रण और उनके लेखाओं की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए विभागों के नियंत्रक अधिकारियों को सक्षम बनाने हेतु राज्य वित्तीय नियम निर्धारित करता है कि वित्तीय वर्ष के दौरान उनकी बही खातों में दर्ज प्राप्तियों और व्यय को प्रधान महालेखाकार (ले.व.हक.) की बही खातों में दर्ज आंकड़ों से प्रत्येक माह समाशोधित किया जाना चाहिए।


बजट नियमावली के नियम 134 में यह अपेक्षित है कि व्यय एवं प्राप्तियों के गलत वर्गीकरण से बचने के लिए नियंत्री अधिकारी को मासिक आधार पर प्रधान महालेखाकार (ले.व.हक.) की बही खातों के साथ विभागीय लेखाओं का मिलान करने की व्यवस्था करनी चाहिए।

प्रत्येक वर्ष, प्रधान महालेखाकार (ले.व.हक.) बजट नियंत्रण अधिकारियों को झारखण्ड बजट नियमावली की आवश्यकताओं पर प्रधान महालेखाकार (ले.व.हक.) की पुस्तकों के साथ प्राप्तियों और व्यय के मासिक और त्रैमासिक आंकड़ों का मिलान करने के लिए बारम्बार कहते रहे।

प्रधान महालेखाकार (ले.व.हक.) की पुस्तकों के साथ राज्य की प्राप्तियों और संवितरण के असमाशोधन की नियमित रिपोर्टिंग के बाद, 2021-22 के दौरान यह बदलाव देखा गया कि, विभागीय अधिकारियों के द्वारा जहां 2020-21 में 98.24 प्रतिशत के विरुद्ध राज्य की कुल प्राप्तियों (₹ 80,853.46 करोड़) का 99.40 प्रतिशत (₹ 80,370.45 करोड़) प्रधान महालेखाकार (ले. व हक.) की बही खातों के साथ समाशोधित किया गया था। इसी प्रकार, विभागीय अधिकारियों द्वारा वर्ष 2020-21 में 84.38 प्रतिशत के विरुद्ध वर्ष 2021-22 के दौरान कुल व्यय राशि ₹ 77,864.88 करोड़ का 95.70 प्रतिशत (₹ 74,516.68 करोड़) का समाशोधन किया गया।

चूंकि राशि का मिलान वार्षिक लेखाओं में प्राप्तियों एवं व्यय के आंकड़ों का उचित आश्वासन प्राप्त करने का एक प्रमुख स्रोत है, अतः 100 प्रतिशत समाशोधन किया जाना चाहिए। समाशोधन की वर्षवार स्थिति चार्ट 4.3 में दर्शाई गई है।

चार्ट 4.3: 2019-20 से 2021-22 के तीन वर्षों के दौरान समाशोधन की स्थिति



4.12 नकद शेष का समाशोधन

प्रधान महालेखाकार (ले.व.हक.) के बही खातो में दर्ज राज्य के नकद शेष तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित नकद शेष के बीच कोई अंतर नहीं होना चाहिए। लेखों में दर्शाए गए आंकड़ों {₹ 149.37 करोड़ (डेबिट)} और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित आंकड़ों {₹ 13.05 करोड़ (डेबिट)} के बीच ₹ 162.42 करोड़ (निवल डेबिट) का अंतर था। वर्ष 2021-22 के लिए ₹ 162.42 करोड़ (निवल डेबिट) के अंतर को प्रधान महालेखाकार, झारखण्ड द्वारा समाशोधन और आवश्यक सुधार के लिए आर.बी.आई. रांची से संपर्क किया गया है।

4.13 लेखा मानकों का अनुपालन

भारत के संविधान के अनुच्छेद 150 के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति, संघ और राज्यों के लेखों के प्रारूप भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श से निर्धारित कर सकते हैं। आगे, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ने सरकारी लेखांकन और वित्तीय प्रतिवेदन के लिए मानक तैयार करने, जवाबदेही तंत्र को बढ़ाने के लिए 2002 में एक सरकारी लेखांकन मानक सलाहकार बोर्ड (जी.ए.एस.ए.बी.) की स्थापना की। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श से, भारत के राष्ट्रपति ने अब तक तीन भारतीय सरकारी लेखांकन मानक (आई.जी.ए.एस.) अधिसूचित किए हैं।

तालिका 4.18: लेखा मानकों का अनुपालन

क्र. सं.	लेखांकन मानक	आई.जी.ए.एस. का सार	राज्य सरकार द्वारा अनुपालन	कमी का प्रभाव
1.	आई.जी.ए.एस.-1 सरकार द्वारा दी गई गारंटियाँ - प्रकटीकरण आवश्यकताएँ	इस मानक का उद्देश्य संघ, राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश (विधान सभा सहित) द्वारा दी गई गारंटियों के संबंध में इस तरह की गारंटियों को एकरूप और पूर्ण प्रकटीकरण सुनिश्चित करने के लिए संबंधित वित्तीय विवरणी में प्रकटीकरण मानदंड निर्धारित करना है।	अनुपालन किया गया (वित्त लेखा के विवरणी-9 और 20)	कोई कमी नहीं
2.	आई.जी.ए.एस.-2 सहायता अनुदान का लेखांकन एवं वर्गीकरण	इस मानक को अनुदानग्राही के साथ साथ अनुदानदाता (गारंटर) के रूप में सरकार के वित्तीय विवरणी में सहायता-अनुदान के लेखांकन और वर्गीकरण के सिद्धांत निर्धारित करना है। यह मानक सरकार के वित्तीय विवरणी में उचित माध्यम से सहायता-अनुदान के लेखांकन और वर्गीकरण के उचित सिद्धांतों के निर्धारण का लक्ष्य रखता है।	अनुपालन किया गया (वित्त लेखा का विवरणी 10)	कोई कमी नहीं
3.	आई.जी.ए.एस.-3 सरकार द्वारा दी गई ऋण एवं अग्रिम	इस मानक का उद्देश्य पूर्ण, सटीक और एक समान लेखांकन प्रथाओं को सुनिश्चित करने तथा सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं के अनुरूप सरकार द्वारा दिये गए ऋण और अग्रिम पर पर्याप्त प्रकटीकरण सुनिश्चित करने के लिए संघ और राज्य सरकारों द्वारा इनके अपने वित्तीय विवरणों में लिए गए ऋण और अग्रिमों की मान्यता, माप, मूल्यांकन और प्रतिवेदन के मानदंडों को दिखाना है।	आंशिक अनुपालन किया गया (वित्त लेखा का विवरणी 7 एवं 18) प्रचलित और असाधारण लेन-देन में ऋण के रूप में स्वीकृत ऋण के मामलों के संबंध में प्रकटीकरण नहीं किया गया था।	अतिदेय ऋणों की वास्तविक राशि और समय, जब तक ऋण का भुगतान किया जाना है, का पता नहीं लगाया जा सका

4.14 स्वायत्त निकायों के लेखों/पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण

सी.ए.जी. के डी.पी.सी. अधिनियम की धारा 19(3) के अनुसार, राज्यपाल/प्रशासक, लोकहित में राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश, जैसा भी मामला हो, के विधान मण्डल द्वारा बनाए गए कानून द्वारा स्थापित निगम के खातों का लेखापरीक्षा करने का अनुरोध सी.ए.जी. से कर सकते हैं, और जहाँ इस तरह का अनुरोध किया गया है, सी.ए.जी. को ऐसे निगम के खातों का लेखापरीक्षा करने और इस तरह के लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए, ऐसे निगम की बही-खाता और लेखों तक पहुँच का अधिकार होगा।

धारा 19 के परे, जहाँ किसी भी प्राधिकरण या निकाय के खातों का लेखापरीक्षा किसी कानून के तहत अथवा द्वारा सी.ए.जी. को नहीं सौंपा गया है, वह, यदि इस प्रकार का अनुरोध राष्ट्रपति द्वारा, या राज्य के राज्यपाल द्वारा या विधान सभा वाले केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक द्वारा, जैसा भी मामला हो, किया गया हो, तो ऐसे निकाय या प्राधिकरण को खातों/लेखों का लेखापरीक्षा ऐसे नियम एवं शर्तों पर करेगा जैसा कि उनके और संबंधित सरकार के बीच सहमति हुई हो, और इस तरह के लेखापरीक्षा के उद्देश्य के लिए, उस निकाय या प्राधिकरण की बही-खाता और लेखों तक पहुँच का अधिकार होगा (धारा 20)।

निकाय या प्राधिकरणों के बकाया लेखे

सी.ए.जी. के (डी.पी.सी) अधिनियम, 1971 की धारा 19 और 20 के लेखापरीक्षा के तहत राज्य में 11 प्रतिवेदित स्वायत्त निकायों से संबंधित लेखा और लेखापरीक्षा की स्थिति का प्रस्तुतीकरण तालिका 4.19 में दिया गया है।

तालिका 4.19: लेखा के प्रस्तुतीकरण का विवरण और स्वायत्त निकायों के लेखापरीक्षा की स्थिति

क्रम सं.	निकाय/प्राधिकरण के नाम	वर्ष जब तक लेखे प्रस्तुत किए गए	तक निर्गत एस.ए.आर.	विधानमंडल में एस.ए.आर. का उपस्थापन	टिप्पणियाँ
1	झारखण्ड राज्य न्यायिक सेवा प्राधिकरण (झालसा)	2018-19	2018-19	सूचित नहीं किया गया	वर्ष 2019-20 से 2021-22 के लिए वार्षिक लेखा प्राप्त नहीं किए गए हैं।
2	झारखण्ड राज्य विद्युत विनियामक आयोग (जे.एस.ई.आर.सी)	2011-12	2011-12	03.03.2014	लेखे का प्रारूप तथा निधि नियम के अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण लेखे का लेखापरीक्षा रोक दिया गया।
3	झारखण्ड राज्य राजमार्ग प्राधिकरण (एस.एच.ए.जे.)	2020-21	2020-21	सूचित नहीं किया गया	एनट्रस्टमेंट के बाद लेखापरीक्षा पूरा किया गया और एस.ए.आर. वर्ष 2011-12 से 2020-21 अवधि के लिए 26 नवम्बर, 2021 को जारी किया गया।
4	राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स)	2002-03 से 2009-10	डी.पी.सी. एक्ट, 1971 की धारा 19(3) के तहत एनट्रस्टमेंट की कमी के कारण लेखे की लेखापरीक्षा की शुरुआत अभी तक नहीं की गई है।		
5	राष्ट्रीय अध्ययन एवं विधि अनुसंधान विश्वविद्यालय (एन.यू.एस. आर. एल.), राँची	2016-17	2012-16 की अवधि के लिए एनट्रस्टमेंट प्राप्त किया गया, लेकिन सत्यापित लेखा प्राप्त नहीं होने के कारण लेखापरीक्षा शुरू नहीं हो सकी।		
6	बिरसा कृषि विश्व विद्यालय	कोई लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया	एनट्रस्टमेंट प्राप्त किया गया, लेकिन आज तक कोई लेखा प्राप्त नहीं किया गया है।		
7	राँची तंत्रिका मनोरोग एवं संबद्ध आयुर्विज्ञान (रिनपास)	कोई लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया	न एनट्रस्टमेंट और न ही लेखा प्राप्त किया गया है।		
8	झारखण्ड हाउसिंग बोर्ड राँची	कोई लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया	न एनट्रस्टमेंट और न ही लेखा प्राप्त किया गया है।		
9	प्रतिपूरक वनीकरण प्रबंधन और नियोजन प्राधिकरण	कोई लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया	न एनट्रस्टमेंट और न ही लेखा प्राप्त किया गया है।		
10	बाबा बैद्यनाथ धाम-बासुकीनाथ तीर्थ क्षेत्र विकास प्राधिकरण	कोई लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया	29.11.2022 को पाँच लेखांकन वर्षों के लिए एनट्रस्टमेंट प्राप्त हुआ। लेखाओं की प्रतिकक्षा है।		
11	झारखण्ड अक्षय उर्जा विकास एजेंसी	कोई लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया	न एनट्रस्टमेंट और न ही लेखा प्राप्त किया गया है।		

सक्रिय अनुसरण के बावजूद झालसा के लेखापरीक्षित लेखे के संबंध में एस.ए.आर. के उपस्थापन संबंधित जानकारी सूचित नहीं की गई है। यद्यपि, लेखापरीक्षा ने उपरोक्त तालिका में उल्लिखित चार निकायों (क्र. सं. 6 से 11) के लेखों को प्रस्तुत करने के लिए संबंधित प्राधिकरणों के साथ नियमित रूप से बात की गयी,

लेकिन शुरूआत से ही इनके लेखे लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत नहीं किये गए। हालाँकि, इन निकायों की अनुपालन लेखापरीक्षा नियमित रूप से संचालित किए जा रहे हैं।

आगे, राज्य के 11 प्रतिवेदित स्वायत्त निकायों के प्रेषण हेतु बकाया लेखों का विवरण तालिका 4.20 में दी गयी है।

तालिका 4.20: 31 मार्च 2022 तक जमा करने के लिए देय खातों की संख्या

क्रम सं.	निकाय/प्राधिकरण के नाम	वर्ष से लंबित खाते	वित्तीय वर्ष 2021-22 तक लंबित खातों की संख्या
1	झारखण्ड राज्य राजमार्ग प्राधिकरण (एस.एच.ए.जे.)	2021-22	01
2	झारखण्ड राज्य न्यायिक सेवा प्राधिकरण (झालसा)	2019-20	03
3	झारखण्ड राज्य विद्युत विनियामक आयोग (जे.एस.ई.आर.सी)	2012-13	10
4	राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स)	2010-11	12
5	राष्ट्रीय अध्ययन एवं विधि अनुसंधान विश्वविद्यालय (एन.यू.एस. आर. एल.), राँची	2010-11	12
6	बिरसा कृषि विश्व विद्यालय	2006-07	16
7	झारखण्ड हाउसिंग बोर्ड राँची	2001-02	20
8	प्रतिपूरक वनीकरण प्रबंधन और नियोजन प्राधिकरण	2009-10	13
9	झारखण्ड अक्षय उर्जा विकास एजेंसी	2016-17	6
10	राँची तंत्रिका मनोरोग एवं संबद्ध आयुर्विज्ञान (रिनपास)	सरकार से एनट्रस्टमेंट की प्रतिक्षा है।	
11	बाबा बैद्यनाथ धाम- बासुकीनाथ तीर्थ क्षेत्र विकास प्राधिकरण	29.11.2022 को पांच वर्षों के लिए एनट्रस्टमेंट प्राप्त हुआ।	

4.15 निकायों और प्राधिकरणों को दिए गए अनुदानों/ऋणों के विवरणों का अप्रस्तुतीकरण

निकायों एवं प्राधिकरणों जिन्हें समेकित निधि से ऋणों या अनुदानों के माध्यम से पर्याप्त रूप से वित्तपोषित किया जाता है या जो विशिष्ट उद्देश्यों के लिए ऐसे ऋण या अनुदान प्राप्त करते हैं, उन्हें सी.ए.जी द्वारा लेखापरीक्षा किया जाता है। अभी तक, राज्य में 75 ऐसे प्रतिवेदित निकाय एवं प्राधिकरण हैं।

संवीक्षा से पता चला कि 75 निकायों/प्राधिकरणों में से, किसी भी निकाय/प्राधिकरण ने अक्टूबर 2022 तक अपने अद्यतन खाते प्रस्तुत नहीं किए, जबकि पाँच² निकायों/प्राधिकरणों ने शुरूआत से अपना लेखा लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया। 70 निकायों एवं प्राधिकरणों का लेखापरीक्षा पूरा कर लिया गया है जैसा कि परिशिष्ट 4.2 में वर्णित है।

आगे, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 14 एवं 15 के तहत सरकार/ विभागाध्यक्ष को लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है:

² (i) झारखण्ड राज्य हिन्दू धर्म ट्रस्ट परिषद (ii) कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड (iii) झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्, राँची (iv) सरकारी प्रेस (v) वन विकास प्राधिकरण

- विभिन्न संस्थानों को दी गई वित्तीय सहायता के बारे में विस्तृत जानकारी,
- जिस उद्देश्य के लिए सहायता स्वीकृत की गई है, और
- संस्थानों का कुल व्यय

हालाँकि, राज्य के किसी भी विभाग ने प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को अक्टूबर 2022 तक ऐसा कोई आँकड़ा उपलब्ध नहीं कराया था।

4.16 दुरुपयोग, हानि, चोरी इत्यादि

झारखण्ड वित्तीय नियमावली के नियम 31 में उल्लेखित है कि गबन या अन्य प्रकार से लोक धन, सरकारी राजस्व भंडारों या अन्य सम्पत्ति के नुकसान के बारे में कार्यालय द्वारा उच्चतर अधिकारी, वित्त विभाग के साथ-साथ प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड को तुरंत सूचित किया जाना चाहिए। यहाँ तक कि जब ऐसे नुकसान की प्रतिपूर्ति इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा कर दी गई हो तो भी इसे सूचित करना अपेक्षित है। जैसे ही संदेह होता है कि हानि हुई है, ऐसी सूचना प्रस्तुत की जानी चाहिए तथा पूछताछ के आधार पर विलम्ब नहीं की जानी चाहिए। प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) ने सूचित किया है कि राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय को कोई सूचना अग्रेषित नहीं की गई है।

4.17 राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्रवाई

प्रत्येक राज्य में, पी.ए.सी./वित्त विभाग को विधान मण्डल में प्रतिवेदन के उपस्थापन के एक महीने के भीतर सम्बंधित विभागों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रस्तुत कंडिका पर एक स्वप्रेरित व्याख्यात्मक टिप्पणी (ई.एन.) प्रदान करने की आवश्यकता होती है। सम्बंधित विभागों को प्रतिवेदन उपस्थापन के तीन महीने के भीतर महालेखाकार को (पी.ए.सी. को विवीक्षा एवं अग्रतर संचरण हेतु) की गई कार्रवाई पर टिप्पणी (ए.टी.एन.) प्रदान करने की आवश्यकता होती है।

वर्ष 2011-12 के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिका 2.4.4 में प्रावधानों से आधिक्य व्यय ₹ 8,120.12 करोड़ (पिछले वर्षों से संबंधित) को लेखंकित किया गया था जिसको राज्य विधानमंडल द्वारा लोक लेखा समिति (पी.ए.सी.) की सिफारिश पर विनियमित (13.01.2014) किया गया था। उस तारीख के बाद प्रावधानों पर किसी आधिक्य व्यय को विनियमित नहीं किया गया, क्योंकि इस संबंध में पी.ए.सी. द्वारा कोई सिफारिश नहीं की गई। राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सन्निहित अन्य कोई कंडिका पर दिसम्बर 2022 तक लोक लेखा समिति में चर्चा नहीं की गयी।

4.18 निष्कर्ष

मार्च 2022 तक एकत्रित ₹ 664.19 करोड़ राशि का श्रम उपकर को 2021-22 के दौरान श्रम कल्याण बोर्ड में स्थानांतरित नहीं किया गया जिससे संबंधित वर्षों के

दौरान (2008-22) राजस्व अधिशेष में अत्योक्ति हुई और राजकोषीय घाटे में न्यूनोक्ति हुई। जून 2022 यथा वित्तीय वर्ष के पश्चात् राज्य द्वारा ₹ 154 करोड़ बोर्ड को हस्तांतरित किया गया।

31 मार्च 2022 तक, ₹ 1,03,459.14 करोड़ राशि के 39,064 उपयोगिता प्रमाणपत्र (यू.सी) बकाया थे।

31 मार्च 2022 तक ₹ 6,094.45 करोड़ की राशि के 18206 ए.सी. विपत्रों के विरुद्ध डी.सी. विपत्र बकाया थे।

अव्ययित शेष राशि (₹ 2018.13 करोड़) का लम्बे समय तक पी.डी. खाते में पड़े रहना तथा समेकित निधि में हस्तांतरित नहीं होना न केवल वित्तीय नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन है बल्कि लोक निधि के दुरुपयोग, गबन तथा दुर्विनियोजन के जोखिम को बढ़ाता है।

4.19 अनुशंसाएँ

- झारखण्ड सरकार को यथासंभव श्रमिक कल्याण बोर्ड को श्रम उपकर का सम्पूर्ण हस्तांतरण सुनिश्चित करना चाहिए ताकि बोर्ड भवन निर्माण एवं अन्य दूसरे निर्माण कर्मियों की कार्य स्थिति के विकास एवं इन्हें पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करने के लक्ष्य को पूरा कर सके।
- वित्त विभाग को निर्धारित समय सीमा के अन्दर लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्रों (यू.सी.) को जमा करने के लिए पहल करनी चाहिए। अनुदान जारी करने वाले प्रशासनिक विभाग को अनुदान आदेशों में निर्धारित समय से अधिक समय से लम्बित उपयोगिता प्रमाण-पत्रों को एकत्रित करने के लिए जिम्मेवार ठहराया जाना चाहिए। वित्त विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि व्यतिक्रमी अनुदानग्राही को आगे अनुदान जारी नहीं हो। सरकार को ऐसे अधिकारियों पर उचित कार्रवाई की पहल करनी चाहिए, जो उपयोगिता प्रमाण-पत्र समय पर प्रस्तुत न करते हों।
- वित्त विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निर्धारित समय से अधिक समय से लम्बित सभी ए.सी. विपत्र एक समयबद्ध तरीके से समायोजित हो तथा यह भी सुनिश्चित करें कि ए.सी. विपत्रों का आहरण सिर्फ बजट को समाप्त होने से बचने के लिए न हो।
- वित्त विभाग को सभी पी.डी. खातों की समीक्षा करनी चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन पी.डी. खातों में रखी गयी सभी अनावश्यक राशियाँ तत्काल समेकित निधि में जमा करायी जाए। अग्रतर, वित्त विभाग को वित्तीय नियमावलियों में सन्निहित निर्देशों को दुहराने और नियमावली का अनुसरण करने में विफल रहने वाले विभागीय अधिकारियों के विरुद्ध समुचित कार्रवाई सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

अध्याय-5

सामान्य प्रयोजन वित्तीय रिपोर्टिंग

अध्याय 5

सामान्य प्रयोजन वित्तीय रिपोर्टिंग

5.1 परिचय

यह अध्याय सरकारी कंपनियों और सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों के वित्तीय प्रदर्शन का सारांश प्रस्तुत करता है। इस अध्याय में, राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (एसपीएसई) में वे सरकारी कंपनियां शामिल हैं जिनमें राज्य सरकार की प्रत्यक्ष हिस्सेदारी 51 प्रतिशत या उससे अधिक है और ऐसी सरकारी कंपनियों की सहायक कंपनियां हैं। राज्य सरकार द्वारा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वामित्व या नियंत्रित अन्य कंपनियां भी हैं जिनको राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के रूप में बाँटा गया है।

एक सरकारी कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (45) में वैसी कंपनी के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें कम से कम 51 प्रतिशत प्रदत्त शेयर पूंजी राज्य सरकार, या किसी राज्य सरकार/ सरकार के पास, या आंशिक रूप से राज्य सरकार द्वारा और आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों के पास होती है तथा इसमें वैसी कंपनी भी शामिल है, जो ऐसी सरकारी कंपनी की सहायक कंपनी है।

इसके अलावा, कोई अन्य कंपनी केंद्र सरकार, या किसी राज्य सरकार या सरकारों द्वारा, या आंशिक रूप से केंद्र सरकार द्वारा और आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा स्वामित्व या नियंत्रित, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस अध्याय में सरकार द्वारा नियंत्रित कंपनी के रूप में परिभाषित है।

राज्य में 31 मार्च 2022 तक एसपीएसई की कुल संख्या 31 है। पिछले तीन वर्षों यानी 2019-20 से 2021-22 के दौरान नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखों के आधार पर, 16 एसपीएसई (15 सरकारी कंपनियां और एक सरकार नियंत्रित अन्य कंपनी) को इस अध्याय में शामिल किया जा रहा है।

5.2 शासनादेश

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) से 143(7) के प्रावधानों के साथ पठित सीएजी (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 और उसके अधीन बनाए गए विनियम के तहत सीएजी द्वारा सरकारी कंपनियों और सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों की लेखापरीक्षा की जाती है। कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत, सीएजी चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को कंपनियों के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त करता है और जिस तरीके से खातों की लेखापरीक्षा की जानी है उस पर निर्देश देता है। इसके अलावा, सीएजी को पूरक लेखापरीक्षा करने का अधिकार है। कुछ सांविधिक निगमों को शासित करने वाली विधियों के लिए आवश्यक है कि उनके खातों की लेखापरीक्षा केवल सीएजी द्वारा की जाए।

5.3 इस अध्याय में क्या है

यह अध्याय राज्य सरकार की कंपनियों और सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों के वित्तीय प्रदर्शन की एक समग्र तस्वीर देता है जैसा कि उनके खातों से पता चलता है।

5.4 एसपीएसई की संख्या

31 मार्च 2022 तक, सीएजी के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत 31 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम थे। इनमें 30 राज्य सरकार की कंपनियां और एक राज्य सरकार नियंत्रित अन्य कंपनी शामिल हैं। इस अध्याय के अंतर्गत आने वाले एसपीएसई को तालिका 5.1 में दी गई है।

तालिका 5.1: इस अध्याय में शामिल एसपीएसई की प्रकृति

एसपीएसई की प्रकृति	कुल संख्या	एसपीएसई की संख्या जिनके खाते रिपोर्टिंग अवधि के दौरान प्राप्त हुए				इस अध्याय में शामिल नहीं किये गये एसपीएसई की संख्या
		2021-22 तक खाते	2020-21 तक खाते	2019-20 तक खाते	कुल	
क्रियाशील सरकारी कंपनियाँ ¹	27	1	5	6	12	15
क्रियाशील सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियाँ	1	0	1	0	1	0
कुल क्रियाशील एसपीएसई	28	1	6	6	13	15
अक्रियाशील सरकारी कंपनियाँ	3	1	2	0	3	0
कुल अक्रियाशील एसपीएसई	3	1	2	0	3	0
कुल	31	2	8	6	16	15

स्रोत: 30 सितम्बर 2022 को एसपीएसई के नवीनतम अंतिम रूप दिए गए खाते

2021-22 के दौरान सीएजी की लेखापरीक्षा के दायरे में राज्य सरकार की कंपनियों/राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों का विवरण परिशिष्ट 5.1 में दिया गया है। इस अध्याय में 15 एसपीएसई समाविष्ट नहीं हैं जिनके खाते तीन साल से अधिक समय से बकाया हैं। इन एसपीएसई को परिशिष्ट 5.2 में दर्शाया गया है।

16 एसपीएसई में से दो एसपीएसई ने वर्ष 2021-22 के लिए अपने खातों को अंतिम रूप दिया, आठ एसपीएसई ने वर्ष 2020-21 के लिए खातों को अंतिम रूप दिया और छह एसपीएसई ने वर्ष 2019-20 के लिए अपने खातों को (30 सितम्बर 2022 तक) अंतिम रूप दिया। एसपीएसई के वित्तीय प्रदर्शन का परिणाम/ सारांश 2021-22 के लिए तालिका 5.2 में दिया गया है।

¹ सरकारी सार्वजनिक उपक्रमों में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139(5) और 139(7) में निर्दिष्ट सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियां शामिल हैं।

तालिका 5.2: 16 एसपीएसई के वित्तीय प्रदर्शन का सारांश

विवरण	ब्यौरा
एसपीएसई की कुल संख्या	31
इस अध्याय में शामिल एसपीएसई	16
चुकता पूंजी (एसपीएसई)	₹ 4,433.97 करोड़
दीर्घावधि ऋण (एसपीएसई)	₹ 19,095.16 करोड़
शुद्ध लाभ (10 एसपीएसई)	₹ 23.35 करोड़
शुद्ध हानि (5 एसपीएसई)	- ₹ 2,707.78 करोड़
शून्य लाभ/हानि (1 एसपीएसई)	0
घोषित लाभांश (एसपीएसई)	शून्य
कुल संपत्ति (एसपीएसई)	₹ 45,633.99 करोड़
कारोबार (एसपीएसई)	₹ 5,045.76 करोड़
निवल मूल्य (एसपीएसई)	- ₹ 6,366.87 करोड़

स्रोत: 30 सितम्बर 2022 को नवीनतम अंतिम रूप दिए गए खाते

इस अध्याय में समाहित 16 एसपीएसई के कारोबार का सकल राज्य घरेलु उत्पाद से अनुपात राज्य की अर्थव्यवस्था में एसपीएसई के व्यावसायिक गतिविधियों की सीमा को दर्शाता है। विवरण तालिका 5.3 में दर्शाया गया है।

तालिका 5.3: राज्य एसपीएसई के कारोबार के सापेक्ष झारखण्ड के सकल राज्य घरेलु उत्पाद

(₹ करोड़ में)

विवरण	2019-20	2020-21	2021-22
कारोबार	5,553.53	5,042.14	5,045.76
पिछले वर्ष की तुलना में कारोबार में प्रतिशत बदलाव	26.16	-9.21	0.07
झारखण्ड के सकल राज्य घरेलु उत्पाद	3,21,157	3,17,079	3,63,085
कारोबार से झारखण्ड के सकल राज्य घरेलु उत्पाद की प्रतिशतता	1.73	1.59	1.39

स्रोत: झारखण्ड राज्य के अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय के अनुसार कार्यात्मक एसपीएसई और जीएसडीपी के आंकड़ों के कारोबार के आधार पर संकलित

16 एसपीएसई का टर्नओवर 2019-20 में ₹ 5,553.53 करोड़ से घटकर 2021-22 में ₹ 5,045.76 करोड़ हो गया। जैसा कि तालिका 5.3 में दर्शाया गया है, पिछले तीन वर्षों के दौरान कारोबार वृद्धि पिछले वर्षों की तुलना में -9.21 प्रतिशत और 26.16 प्रतिशत के बीच रही।

5.5 सरकारी कंपनियों एवं सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी में निवेश

31 मार्च 2022 के अंत में 30 सरकारी कंपनियों और सरकार द्वारा नियंत्रित एक अन्य कंपनी में इक्विटी और ऋण में निवेश की राशि तालिका 5.4 में दी गई है।

तालिका 5.4: सरकारी कंपनियों और अन्य में इक्विटी में निवेश और ऋण

(₹ करोड़ में)

निवेश के स्रोत	31 मार्च 2021 तक			31 मार्च 2022 तक		
	इक्विटी	दीर्घावधि के ऋण	कुल	इक्विटी	दीर्घावधि के ऋण	कुल
राज्य सरकार	5,223.92	17,053.97	22,277.89	5,320.82	17,615.84	22,936.66
अन्य (सरकारी कंपनियों सहित)	17.46	1,755.03	1,772.49	22.34	1,855.74	1,878.08
कुल निवेश	5,241.38	18,809.00	24,050.38	5,343.16	19,471.58	24,814.74
कुल निवेश में राज्य सरकार के निवेश का प्रतिशत	99.67	90.67	92.63	99.58	90.47	92.43

स्रोत: एसपीएसई द्वारा प्रदान की गई जानकारी

सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी (झारखण्ड रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड) में राज्य सरकारों एवं अन्य द्वारा वर्ष 2021-22 तक, ₹ 19.80 करोड़ के पूंजी निवेश को उपरोक्त तालिका में शामिल किया गया है।

5.6 एसपीएसई में इक्विटी होल्डिंग

2021-22 के दौरान, 31 एसपीएसई में अंकित मूल्य पर कुल इक्विटी होल्डिंग में ₹ 101.78 करोड़ की शुद्ध वृद्धि दर्ज की गई। राज्य सरकार द्वारा एसपीएसई में इक्विटी में निवेश 2019-20 में ₹ 4,610.86 करोड़ से बढ़कर 2021-22 में ₹ 5,343.16 करोड़ हो गया, जिसमें से जेबीवीएनएल और जेयूएसएनएल क्रमशः ₹ 3,195.83 करोड़ और ₹ 1,598.96 करोड़ लेखाबद्ध किया गया।

5.7 राज्य सरकार की कंपनियों को दिए गए ऋण

31 एसपीएसई में से, 21 एसपीएसई के पास 31 मार्च 2022 को कोई दीर्घकालिक ऋण नहीं था। 10 एसपीएसई के पास ₹ 19,471.58 करोड़ के दीर्घकालिक ऋण बकाया थे जैसा कि तालिका 5.5 में वर्णित है।

तालिका 5.8: 10 एसपीएसई में बकाया दीर्घकालिक ऋण

(₹ करोड़ में)

	2019-20	2020-21	2021-22
राज्य सरकार	13,569.42	17,053.93	17,615.84
केंद्र सरकार	1,192.76	1,233.36	1,334.07
अन्य	488.29	487.56	521.67
कुल दीर्घकालिक ऋण	15,250.47	18,774.85	19,471.58

स्रोत: एसपीएसई द्वारा प्रदान की गई जानकारी।

5.8 राज्य डिस्कॉम द्वारा बिजली खरीद के बकाया का राज्य के वित्त पर प्रभाव

भारत सरकार, झारखण्ड सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच त्रिपक्षीय समझौते (टीपीए) (25.11.2016) के अनुसार, राज्य सरकार ने राज्य डिस्कॉम के भुगतान दायित्वों के निर्वहन के लिए उत्तरदायित्व ग्रहण करने पर सहमति व्यक्त की थी,

बिजली की आपूर्ति के लिए, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू) के साथ हस्ताक्षर किए गए समझौते से उत्पन्न होने वाली चूक की स्थिति में। बिलिंग की तारीख से 90 दिनों की अवधि के बाद देय राशि के लिए भारत सरकार द्वारा डिस्कॉम की ओर से किसी सीपीएसयू को भुगतान की गई राशि के मामले में, इस तरह की बकाया राशि राज्य सरकार से भारत सरकार द्वारा स्वीकार्य दर पर ब्याज सहित वसूल की जाएगी।

झारखण्ड में, राज्य के स्वामित्व वाली केवल एक डिस्कॉम है, अर्थात् झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल)। बिजली की खरीद और पिछले पांच वर्षों के लिए राज्य पीएसयू और केंद्रीय पीएसयू से जेबीवीएनएल की बिजली खरीद का बकाया तालिका 5.6 में दिया गया है।

तालिका 5.6: बिजली खरीद (पीपी) के कारण जेबीवीएनएल की देनदारियां

वर्ष	विवरण	₹ करोड़ में			पीपी के संदर्भ में देनदारियों का वर्ष-वार सीबी (प्रतिशत में)
		राज्य के पीएसयू	केंद्र के पीएसयू	कुल	
2017-18	प्रारंभिक शेष	2,712.62	2,441.73	5,154.35	94.20
	बिजली क्रय	877.03	5,060.39	5,937.42	
	भुगतान एवं समायोजन	875.98	4,622.87	5,498.85	
	अंत शेष	2,713.68	2,879.25	5,592.93	
2018-19	प्रारंभिक शेष	2,713.68	2,879.25	5,592.93	111.21
	बिजली क्रय	823.74	4,791.36	5,615.09	
	भुगतान एवं समायोजन	569.76	4,393.60	4,963.36	
	अंत शेष	2,967.65	3,277.01	6,244.66	
2019-20	प्रारंभिक शेष	2,967.65	3,277.01	6,244.66	128.06
	बिजली क्रय	216.68	5,989.32	6,205.99	
	भुगतान एवं समायोजन	-696.90	5,200.44	4,503.54	
	अंत शेष	3,881.23	4,065.89	7,947.12	
2020-21	प्रारंभिक शेष	3,881.23	4,065.89	7,947.12	132.57
	बिजली क्रय	917.49	5,037.24	5,954.74	
	भुगतान एवं समायोजन	532.60	5,474.80	6,007.40	
	अंत शेष	4,266.13	3,628.33	7,894.45	
2021-22	प्रारंभिक शेष	4,266.13	3,628.33	7,894.45	144.03
	बिजली क्रय	741.07	5,689.76	6,430.83	
	भुगतान एवं समायोजन	654.09	4,408.60	5,062.69	
	अंत शेष	4,353.11	4,909.49	9,262.59	

जैसा कि तालिका 5.6 में दिखाया गया है, केंद्र और राज्य पीएसयू दोनों से जेबीवीएनएल के बिजली खरीद बकाया का अंतिम शेष 2017-18 में ₹ 5,592.93 करोड़ (94.20 प्रतिशत) से बढ़कर 2021-22 में ₹ 9,262.59 करोड़ (144.03 प्रतिशत)

हो गया। केंद्रीय पीएसयू को देय बकाया राशि 2017-18 में ₹ 2,879.25 करोड़ से बढ़कर 2021-22 में ₹ 4,909.49 करोड़ हो गई। चूंकि, झारखण्ड सरकार बिजली खरीद के लिए बकाया देय राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, त्रिपक्षीय समझौते के अनुसार ₹ 2,845.50 करोड़ भारतीय रिजर्व बैंक के साथ झारखण्ड सरकार के खाते से भारत सरकार ने निम्नलिखित तारीखों पर डेबिट किए गए थे:

तालिका 5.7: आरबीआई में राज्य सरकार के खाते से राशि की कटौती का विवरण
(₹ करोड़ में)

तिथि	डेबिट राशि
27.10.2020	1,417.50
22.01.2021	714.00
26.08.2021	714.00
कुल	2,845.50

वर्ष 2021-22 में, कोविड-19 को देखते हुए, कम संग्रह के कारण राज्य और केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों को देय राशि में तेजी से वृद्धि हुई। डीवीसी और जेबीवीएनएल के बीच खातों के मिलान के दौरान यह देखा गया कि बिजली खरीद के खिलाफ डीवीसी की पुस्तकों में दिखाया गया बकाया जेबीवीएनएल खाते में दिखाए गए बकाया से अधिक था। अंतर को स्वीकार कर लिया गया और जेबीवीएनएल के खातों में ले लिया गया जिससे जेबीवीएनएल की देनदारी बढ़ गई।

भारत सरकार के साथ हुए त्रिपक्षीय समझौते के अनुसार, बिजली खरीद की बड़ी बकाया राशि का राज्य के वित्त पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि राज्य सरकार देय राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।

5.9 ऋण देनदारियों को पूरा करने के लिए परिसंपत्तियों की पर्याप्तता

कुल संपत्ति के लिए कुल ऋण का अनुपात यह निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियों में से एक है कि कोई कंपनी सॉल्वेंट रह सकती है या नहीं। सॉल्वेंट माने जाने के लिए, किसी इकाई की संपत्ति का मूल्य उसके ऋणों/ऋणों के योग से अधिक होना चाहिए। 31 मार्च 2022 को बकाया ऋण वाले 10 एसपीएसई में कुल संपत्ति के मूल्य के आधार पर दीर्घकालिक ऋणों का कवरेज तालिका 5.8 में दिया गया है।

तालिका 5.8: एसपीएसई जिनका 31 मार्च 2022 तक बकाया ऋण था

(₹ करोड़ में)

	सकारात्मक कवरेज				नकारात्मक कवरेज			
	एसपीएसई की संख्या	दीर्घकालिक ऋण	संपत्तियां	ऋण के लिए संपत्ति का प्रतिशत	एसपीएसई की संख्या	दीर्घकालिक ऋण	संपत्तियां	ऋण के लिए संपत्ति का प्रतिशत
सरकारी कंपनी	6	19,376.77	44,942.86	231.94	4	94.81	25.66	27.06

स्रोत: 30 सितम्बर 2022 को एसपीएसई के नवीनतम अंतिम रूप दिए गए वार्षिक खाते

10 एसपीएसई में से, चार एसपीएसई² के कुल संपत्ति का मूल्य बकाया ऋण से कम था।

5.10 राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों को बजटीय सहायता

झारखण्ड सरकार एसपीएसई को वार्षिक बजट के माध्यम से सब्सिडी और अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। 16 एसपीएसई में से जिनके नवीनतम खातों को अंतिम रूप दिया गया था, राज्य सरकार ने छह एसपीएसई (₹ 1,357.84 करोड़, ₹ 4,645.55 करोड़ और ₹ 2,146.43 करोड़ क्रमशः 2019-20, 2020-21 और 2021-22 में) को सब्सिडी और अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की थी।

एसपीएसई द्वारा अर्जित लाभ

उनके नवीनतम अंतिम खातों के अनुसार, छह गैर-बिजली क्षेत्र एसपीएसई ने 2019-20 में ₹ 23.66 करोड़ का लाभ दर्ज किया, नौ ने 2020-21 में ₹ 20.72 करोड़ का लाभ दर्ज किया और दस एसपीएसई ने 2021-22 के दौरान ₹ 23.35 करोड़ का लाभ दर्ज किया।

2021-22 में लाभ कमाने वाले इन दस एसपीएसई में से, झारखण्ड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ने अपने नवीनतम अंतिम खातों के अनुसार, ₹ 10 करोड़ से अधिक का लाभ कमाया।

राज्य सरकार द्वारा (अक्टूबर 2022 तक) कोई लाभांश नीति नहीं बनाई गई थी और 2021-22 के दौरान इन एसपीएसई द्वारा कोई लाभांश का भुगतान नहीं किया गया था।

5.11 ऋण सेवा और कानूनी अनुपालन

ब्याज कवरेज अनुपात

ब्याज कवरेज अनुपात (आईसीआर) का उपयोग कंपनी की बकाया ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता को निर्धारित करने के लिए किया जाता है और उसी अवधि के ब्याज व्यय से ब्याज और करों (ईबीआईटी) से पहले कंपनी की कमाई को विभाजित करके गणना की जाती है। अनुपात जितना कम होगा, कंपनी की ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता उतनी ही कम होगी। विगत तीन वर्षों में, एक से नीचे आईसीआर इंगित करता है कि कंपनी ब्याज पर अपने खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न नहीं कर रही थी। इस संबंध में तीन कार्यात्मक विद्युत क्षेत्र एसपीएसई की स्थिति तालिका 5.9 में दर्शाई गई है।

² झारखण्ड राज्य खाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, झारबिहार कोलियरी लिमिटेड, पतरातू एनर्जी लिमिटेड और करणपुरा एनर्जी लिमिटेड।

तालिका 5.9: तीन क्रियाशील बिजली क्षेत्र कंपनियों का ब्याज कवरेज अनुपात

(₹ करोड़ में)

वर्ष	ब्याज	ब्याज और करों के सापेक्ष कंपनी की कमाई (ईबीआईटी)	एसपीएसई की संख्या	1 से कम आईसीआर वाले एसपीएसई की संख्या
2019-20	995.08	-1,131.54	3	3
2020-21	1,254.86	-2,702.94	3	3
2021-22	1,254.86	-2,705.21	3	3

स्रोत: 30 सितम्बर 2022 को एसपीएसई के नवीनतम अंतिम वार्षिक खाते

जैसा कि तालिका 5.9 में दिखाया गया है, तीन कार्यात्मक बिजली क्षेत्र के एसपीएसई³ का आईसीआर एक से कम था, जो उनके ऋणों पर ब्याज का भुगतान करने के लिए अपर्याप्त कमाई का संकेत था, और दिवालिया होने का उच्च जोखिम था।

राज्य सरकार के ऋणों पर बकाया ब्याज का आयुवार विश्लेषण

30 जून 2022 तक, तीन बिजली क्षेत्र के एसपीएसई (जेबीवीएनएल, जेयूएसएनएल और जेयूयूएनएल) को राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए गए दीर्घकालिक ऋण पर ₹ 3,676.63 करोड़ का ब्याज बकाया था। बकाया ब्याज का आयु-वार विश्लेषण तालिका 5.10 में दर्शाया गया है।

तालिका 5.10: राज्य सरकार के ऋणों पर बकाया ब्याज का आयुवार विश्लेषण

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	एसपीएसई का नाम	ऋण पर कुल बकाया ब्याज	ऋणों पर बकाया ब्याज		
			एक वर्ष से कम	एक से तीन वर्ष	तीन वर्ष से अधिक
विद्युत					
1	जेबीवीएनएल	2,930.49	755.57	1,251.36	923.56
2	जेयूएसएनएल	2,505.86	492.79	985.58	1,027.49
3	जेयूयूएनएल	39.00	6.50	13.00	19.50
कुल		5,475.35	1,254.86	2,249.94	1,970.55

स्रोत: 30 सितम्बर 2022 को एसपीएसई के नवीनतम अंतिम रूप दिए गए वार्षिक खाते

तालिका 5.10 से यह देखा जा सकता है कि ₹ 1,970.55 करोड़ की राशि का ब्याज तीन वर्षों से अधिक समय से बकाया था। सभी कंपनियों बकाया ऋणों के ब्याज के साथ-साथ मूलधन को चुकाने में विफल रहीं।

5.12 एसपीएसई को हुआ घाटा

वर्ष 2019-20 से 2021-22 के दौरान आठ⁴ एसपीएसई/सरकार नियंत्रित अन्य कंपनियां थीं, जिन्हें घाटा हुआ था, जैसा कि तालिका 5.11 में दिखाया गया है।

³ जेबीवीएनएल, जेयूएसएनएल एवं जेयूयूएनएल

⁴ जेबीवीएनएल, जेयूएसएनएल, जेयूयूएनएल, जेसीएल, पीईएल, केईएल, जेपीएचसीएल एवं झारकाफ्ट

तालिका 5.11: 2019-20 से 2021-22 के दौरान घाटा उठाने वाले एसपीएसई की संख्या

(₹ करोड़ में)

वर्ष	एसपीएसई/सरकार नियंत्रित अन्य कंपनियों की संख्या जिसमें घाटा हुआ	वर्ष के लिए शुद्ध घाटा	निवल मूल्य ⁵
2019-20	8	-1,651.19	-4,555.38
2020-21	7	-2,717.53	-6,730.62
2021-22	5	-2,707.78	-6,722.38

स्रोत: 30 सितम्बर 2022 को एसपीएसई के नवीनतम अंतिम रूप दिए गए वार्षिक खाते

2021-22 के दौरान, बिजली क्षेत्र की पांच कंपनियों को ₹ 2,707.78 करोड़ का घाटा हुआ।

5.13 राज्य सरकार की कंपनियों/सांविधिक निगमों द्वारा खातों की देरी से तैयारी

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक कंपनी के वित्तीय विवरणों को संबंधित वित्तीय वर्ष के अंत से छह महीने के भीतर, यानी अगले वित्तीय वर्ष के 30 सितंबर तक अंतिम रूप देना आवश्यक है। समय पर लेखा प्रस्तुत करने में विफल होने पर कंपनी के अधिकारी अधिनियम के तहत दंडात्मक प्रावधानों के लिए उत्तरदायी होते हैं।

तालिका 5.12 पीएसयू द्वारा अपने खातों को अंतिम रूप देने (30 सितंबर, 2022 तक) में की गई प्रगति का विवरण प्रदान करती है।

तालिका 5.12: कार्यरत और निष्क्रिय पीएसयू के खातों को अंतिम रूप देने से संबंधित स्थिति

क्र.सं	विवरण	कार्यरत	निष्क्रिय	कुल
1	पीएसयू की संख्या	28	3	31
2	बकाया खातों वाले पीएसयू की संख्या	27	2	29
3	बकाया खातों की संख्या	101	2	103
4(अ)	छह साल से अधिक के बकाया वाले पीएसयू की संख्या	2	0	2
4(ब)	उपरोक्त पीएसयू में बकाया खातों की संख्या	24	0	24
5(अ)	तीन से पांच वर्षों के बीच बकाया वाले पीएसयू की संख्या	13	0	13
5(ब)	उपरोक्त पीएसयू में बकाया खातों की संख्या	59	0	59
6(अ)	एक से दो वर्षों के बीच बकाया वाले पीएसयू की संख्या	12	2	14
6(ब)	उपरोक्त पीएसयू में बकाया खातों की संख्या	18	2	20
7	बकाया की सीमा (वर्षों में)	1 से 12	1	1 से 12

स्रोत: कंपनियों द्वारा दी गई जानकारी से संकलित आंकड़ा

⁵ 'निवल मूल्य' का अर्थ है चुकता शेयर पूंजी और मुक्त भंडार और अधिशेष कम संचित हानि और आस्थगित राजस्व व्यय का कुल योग। 'फ्री रिजर्व' का मतलब है कि मुनाफे और शेयर प्रीमियम खाते से बनाए गए सभी रिजर्व लेकिन संपत्ति के पुनर्मूल्यांकन से बनाए गए रिजर्व और मूल्यहास प्रावधान के राइट बैक में शामिल नहीं हैं।

उपरोक्त स्थिति कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के साथ चूककर्ता कंपनियों के अनुपालन को सुनिश्चित करने में संबंधित प्रशासनिक विभागों और विशेष रूप से वित्त विभाग की विफलता को दर्शाती है।

यह देखा गया कि 11⁶ कंपनियां अपने खाते जमा करने में लगातार चूककर्ता थीं और उनके बकाया खाते चार से 12 वार्षिक खातों (30 सितंबर, 2022 तक) के बीच थे।

5.14 एसपीएसई के निवल मूल्य का क्षरण

निवल मूल्य प्रदत्त शेयर पूंजी का कुल मूल्य है जिसमें तुलन पत्र के अनुसार लाभ, प्रतिभूतियों और लाभ एवं हानि खातों के डेबिट या क्रेडिट शेष से बनाए गए सभी रिजर्व, संचित नुकसान, आस्थगित व्यय और बड़े खाते में नहीं डाले गए विविध व्यय के कुल मूल्य को घटाने के बाद, लेकिन इसमें परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन से सृजित रक्षित निधि और मूल्यहास का राइट बैक शामिल नहीं है। विवरण तालिका 5.13 में दिया गया है:

तालिका 5.13: 31 मार्च 2022 को एसपीएसई के निवल मूल्य में कमी

(₹ करोड़ में)

एसपीएसई का नाम	नवीनतम अंतिम खाते	कुल प्रदत्त पूंजी	कर एवं अधिमानी लाभांश के पश्चात शुद्ध लाभ/हानि	कारोबार	संचित घाटा	निवल मूल्य	परिसंपत्ति (डब्लूडीवी)	31 मार्च 2022 को राज्य की इक्विटी	31 मार्च 2022 को राज्य के ऋण
झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड	2020-21	3,108.93	-2,200.05	5,289.52	-9,499.81	-6,390.88	31,785.11	3,108.93	11,910.63
झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड	2019-20	972.96	-502.94	230.00	-1,289.52	-316.56	6,020.03	972.96	4,905.13
झारखण्ड कोलियरी लिमिटेड	2020-21	1.00	-0.02	0.00	-3.99	-2.99	1.04	1.00	0
पतरातू एनर्जी लिमिटेड अकार्यशील	2020-21	0.05	0.02	0.00	-16.44	-16.39	26.05	0.05	19.85
करणपुरा एनर्जी लिमिटेड अकार्यशील	2020-21	0.05	-2.50	0.01	-26.27	-26.22	23.33	0.05	15.12
झारखण्ड सिल्क टेक्सटाइल एवं हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	2020-21	10.00	0.09	5.62	-46.94	-36.94	200.92	10.00	0
कुल		4,092.99	-2,705.40	5,525.15	-10,882.97	-6,789.98	38,056.48	4,092.99	16,850.73

16 कंपनियों से प्राप्त नवीनतम अंतिम खातों के अनुसार, छह कंपनियों का संचित घाटा उनकी ₹ 4,092.99 करोड़ की चुकता पूंजी के मुकाबले ₹ 10,882.97 करोड़ था। इसलिए, 31 मार्च 2022 तक उन कंपनियों का शुद्ध मूल्य पूरी तरह से समाप्त हो गया था और उनका संचयी शुद्ध मूल्य (-) ₹ 6,789.98 करोड़ था।

⁶ झारखण्ड पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, झारखण्ड राज्य खाद्य और जन आपूर्ति निगम लिमिटेड, झारखण्ड शहरी परिवहन निगम लिमिटेड, अटल बिहारी वाजपेयी इनोवेशन लैब, झारखण्ड राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (जेएसएफडीसी), झारखण्ड हिल एरिया लिफ्ट सिंचाई निगम लिमिटेड, तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड (टीवीएनएल), झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, झारखण्ड राज्य पेय निगम लिमिटेड (जेएसबीसीएल), झारखण्ड राज्य अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम, झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड (जेएसएमडीसी)

5.15 निष्कर्ष

सीएजी के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत 31 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (एसपीएसई) थे। इनमें से 16 एसपीएसई ने लेखापरीक्षा के लिए अपने लेखे प्रस्तुत किए। 30 सितंबर 2022 तक, दो एसपीएसई ने वर्ष 2021-22 के लिए अपने खातों को अंतिम रूप दिया, आठ एसपीएसई ने वर्ष 2020-21 के लिए अपने खातों को अंतिम रूप दिया और छह एसपीएसई ने वर्ष 2019-20 के लिए अपने खातों को अंतिम रूप दिया था।

इन एसपीएसई का कारोबार 2019-20 में ₹ 5,553.53 करोड़ से घटकर 2021-22 में ₹ 5,045.76 करोड़ हो गया।

राज्य डिस्कॉम द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बिजली की खरीद के विरुद्ध देय बकाया राशि 2017-18 में ₹ 2,879.25 करोड़ से बढ़कर 2021-22 में ₹ 4,909.49 करोड़ हो गई। भारत सरकार के साथ त्रिपक्षीय समझौते के अनुसार, चूंकि झारखण्ड सरकार बिजली खरीद के लिए बकाया राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, अतः, भारत सरकार द्वारा आरबीआई में झारखण्ड सरकार के खाते से ₹ 2,845.50 करोड़ डेबिट किए गए थे।



राँची
दिनांक: 03 अप्रैल 2023

(अनूप फ्रान्सिस डुंगडुंग)
महालेखाकार (लेखापरीक्षा), झारखण्ड

प्रतिहस्ताक्षरित



नई दिल्ली
दिनांक: 10 अप्रैल 2023

(गिरीश चंद्र मुर्मू)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1.1 भाग क
(सन्दर्भ: कंडिका 1.1)

झारखण्ड का परिचय						
क. सामान्य आँकड़ा						
क्र.सं.	विवरण			आँकड़ा		
1	क्षेत्रफल			79,716 वर्ग कि.मी		
2	जनसंख्या					
	क.	2011		3.33 करोड़		
	ख.	2022		3.90 करोड़		
3	क.	जनसंख्या का घनत्व ¹ (2011 के जनगणना के अनुसार) अखिल भारतीय जनघनत्व = 382 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.		414 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.		
	ख.	जनसंख्या का घनत्व ² (2021 के अनुमानित जनसंख्या के अनुसार) अखिल भारतीय जनघनत्व = 418.43 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.		488.85 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.		
4	गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या (बी.पी.एल.) (2011-12) ³ (अखिल भारतीय औसत = 21.92%)			36.96 प्रतिशत		
5	साक्षरता ⁴ (अखिल भारतीय औसत = 73%)			66.40 प्रतिशत		
6	शिशु मृत्यु दर ⁵ 2017 (प्रति 1000 जीवित जन्म) (अखिल भारतीय = 28 प्रति 1000 जीवित जन्म)			25		
	जन्म के समय जीवन प्रत्याशा ⁶ (2014-18) (अखिल भारतीय = 69.7 वर्ष)			69.40 वर्ष		
7	मानव विकास सूचकांक ⁷					
	क.	2020 (अखिल भारतीय = 0.642)		उपलब्ध नहीं		
	ख.	2021 (अखिल भारतीय = 0.633)		उपलब्ध नहीं		
8	वर्ष 2011-12 को आधार मानते हुए वर्तमान मूल्य पर 2021-22 का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) ⁸			₹ 3,63,085 करोड़		
9	प्रति व्यक्ति स.रा.घ.उ. सी.ए.जी.आर. (2012-13 से 2021-22)		झारखण्ड	5.80 प्रतिशत		
			अखिल भारतीय	6.84 प्रतिशत		
10	स.रा.घ.उ. सी.ए.जी.आर. (2012-13 से 2021-22)		झारखण्ड	7.79 प्रतिशत		
			अखिल भारतीय	10.11 प्रतिशत		
11	जनसंख्या वृद्धि (2012 से 2022)		झारखण्ड	16.15 प्रतिशत		
			अखिल भारतीय	12.12 प्रतिशत		
ख. वित्तीय आँकड़ा						
क्र.सं.	विवरण		आँकड़े (प्रतिशत में)			
			वृद्धि		2020-21 से 2021-22	
			2019-20 से	2020-21	सामान्य राज्य	झारखण्ड
1	क.	राजस्व प्राप्तियों का	-4.12	-3.88	25.60	24.17
2	ख.	स्वयं कर राजस्व का	-4.06	0.65	25.62	26.12
3	ग.	गैर कर राजस्व का	-34.63	-13.55	45.46	32.61
4	घ.	कुल व्यय का	4.99	6.92	13.96	3.50
5	ड.	पूँजीगत व्यय का	-2.09	17.93	25.59	-8.49
6	च.	पूँजी परिव्यय	-2.84	-14.31	उपलब्ध नहीं	10.80
7	छ.	ऋण एवं अग्रिम संवितरण	2.31	1943.16	1.22	-56.72
8	ज.	शिक्षा पर राजस्व व्यय का	-0.90	3.33	11.47	10.99
9	झ.	स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय का	15.29	24.84	19.71	24.40
10	ञ.	वेतन एवं मजदूरी का	2.83	0.41	11.23	8.49
11	ट.	पेंशन का	6.48	13.19	11.88	12.00

¹ सेन्सस इन्फो इंडिया 2011, कुल अंतिम जनसंख्या

² सेन्सस इन्फो इंडिया 2011 (जनसंख्या अनुमान 2011-36)

³ सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

⁴ सेन्सस 2011

⁵ एसआरएस बुलेटिन

⁶ एसआरएस अग्रिज्ड लाइफ टेबल 2015-19

⁷ यूएनडीपी रिपोर्ट एचडीआर 2020

⁸ आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड

परिशिष्ट 1.1 भाग ख
सरकारी लेखे की संरचना एवं रूपरेखा
(सन्दर्भ : कंडिका 1.4)

सरकारी लेखाओं की संरचना: राज्य सरकार के लेखे तीन भाग में रखे जाते हैं (1) संचित निधि, (2) आकस्मिकता निधि और (3) लोक लेखा।	
भाग I : संचित निधि: राज्य सरकार द्वारा प्राप्त किये गये सारे राजस्व, कोषागार विपत्र जारी कर लिए गये सारे ऋण, आंतरिक एवं वाह्य ऋण और ऋणों की वापसी में सरकार को मिली सभी तरह की राशि भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 (1) के अंतर्गत स्थापित "राज्य सरकार की संचित निधि" नामक एक संचित निधि का निर्माण करेगी।	
भाग- II : आकस्मिकता निधि:- संविधान के अनुच्छेद 267 (2) के तहत स्थापित राज्य की आकस्मिकता निधि एक इम्प्रेस्ट की तरह होती है जिससे अत्यावश्यक अनपेक्षित व्यय हेतु अग्रिम देने के लिए राज्यपाल के नियंत्रण में रखा जाता है जो विधान सभा से प्राधिकृत किये जाने के लिए लंबित होता है। ऐसे व्यय हेतु और संचित निधि से व्यय के समतुल्य राशि की निकासी हेतु विधान सभा का अनुमोदन बाद में प्राप्त किया जाता है जिसके पश्चात आकस्मिकता निधि से दिये गये अग्रिम की राशि निधि में डालकर प्रतिपूर्ति कर दी जाती है।	
भाग- III : लोक लेखा: कुछ लेन-देन जैसे लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधि, जमा, उचंत, प्रेषण आदि से संबंधित प्राप्तियाँ एवं संवितरण, जो संचित निधि का भाग नहीं होते, संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के अंतर्गत लोक लेखे में रखे जाते हैं और राज्य विधानमण्डल के द्वारा मत का विषय नहीं होते हैं।	
भाग-ग : वित्त लेखे का अभिन्यास	
विवरणी	अभिन्यास
विवरणी सं. 1	वर्ष के अंत में सरकार की परिसंपत्तियों एवं दायित्वों के संचयी आँकड़ों को दर्शाता है। ये परिसंपत्तियाँ व्यापक रूप से सरकार की भौतिक परिसंपत्तियों का उल्लेख करते हुए प्रगामी पूँजीगत व्यय के आँकड़ों सहित वित्तीय परिसंपत्तियाँ हैं। परिसंपत्तियाँ, लेखांकन नीति के अनुसार, ऐतिहासिक मूल्य पर दर्शायी जाती हैं।
विवरणी सं. 2	इसमें वर्ष के दौरान सरकार की कुल प्राप्तियाँ तथा व्यय, सभी तीन भागों अर्थात् संचित निधि, आकस्मिकता निधि व लोक लेखे जिसमें सरकारी लेखे रखे जाते हैं, को दर्शाती हुई संक्षिप्त विवरणी होती है।
विवरणी सं. 3	इस विवरणी में राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियाँ और सरकार के भारत सरकार व अन्य संस्थानों से ऋण वाले उधार, बाजार ऋण तथा सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिमों की वसूलियाँ सम्मिलित होती हैं।
विवरणी सं. 4	यह विवरणी कार्य (कार्यकलाप) अनुसार व्यय प्रस्तुत करती है और कार्यकलापों की प्रकृति (व्यय का प्रयोजन) के अनुसार व्यय को सारांशीकृत भी करती है।
विवरणी सं. 5	यह कार्यवार प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण प्रस्तुत करता है, जिसका सकल योग विवरण-1 में दर्शाया गया है।
विवरणी सं. 6	यह बाजार ऋण एवं भारत सरकार से ऋण व अग्रिम को मिलाकर सरकार के उधारों को प्रस्तुत करता है। इसके साथ साथ, 'अन्य दायित्व' जो लोक लेखाओं के विभिन्न क्षेत्रों में शेष जिसके लिए सरकार ट्रस्टी या अभिरक्षक के रूप में कार्य करती है भी दिये जाते हैं।
विवरणी सं. 7	यह सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिमों (क्षेत्र एवं ऋणी समूह के अनुसार) जैसा विवरण-1 में चित्रित है तथा विवरणी संख्या 2, 3 एवं 4 में दिखायी गयी वसूलियाँ, संवितरणों को दर्शाता है।
विवरणी सं. 8	यह विभिन्न संस्थाओं के शेयर पूँजी में सरकारी निवेश का तुलनात्मक सारांश प्रस्तुत करती है।
विवरणी सं. 9	सांविधिक निगमों, स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों द्वारा लिये गये ऋण के पुनर्भुगतान आदि हेतु सरकार द्वारा दी गयी गारंटियों की सारांश प्रस्तुत करती है।
विवरणी सं.10	यह समूह-वार अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थानों द्वारा व्यवस्थित, राज्य सरकार द्वारा दिये गये सहायता अनुदानों को दर्शाता है। दिये गये अनुदानों पर एक टिप्पणी भी इसमें शामिल रहती है।
विवरणी सं.11	वर्ष के दौरान हुए भारित एवं दत्तमत व्यय के मध्य वितरण को इंगित करती है।
विवरणी सं.12	यह पूँजीगत एवं अन्य व्यय (राजस्व लेखे को छोड़कर) एवं व्यय हेतु निधि के स्रोत को दर्शाता है।
विवरणी सं.13	संचित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखे से संबंधित शेष का सारांश प्रस्तुत करती है।
विवरणी सं.14	लघु शीर्षों द्वारा राजस्व प्राप्तियों का विस्तृत लेखा प्रस्तुत करती है।
विवरणी सं.15	यह लघु शीर्षवार राजस्व व्यय के लेखाओं को योजना एवं गैर-योजना के अंतर्गत अलग-अलग दर्शाता है।
विवरणी सं.16	वर्ष 2021-22 के दौरान और इसके अंत में पूँजीगत व्यय का विस्तृत ब्यौरा प्रदर्शित करती है।
विवरणी सं.17	यह लघु शीर्षवार उधारों एवं अन्य दायित्वों का विवरण तथा सभी ऋणों की वापसी व परिपक्वता की रूपरेखा को दर्शाता है।
विवरणी सं.18	झारखण्ड सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिमों, वर्ष के दौरान वापस की गयी ऋण की राशि, 31 मार्च 2022 के अधिशेष का विस्तृत लेखा प्रस्तुत करती है।
विवरणी सं.19	वर्ष 2021-22 के अंत तक राज्य सरकार के सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, अन्य संयुक्त स्टॉक कंपनियों, सहकारी बैंकों तथा सोसाइटियों आदि में राज्य सरकार के निवेश का विस्तृत ब्यौरा दर्शाती है।
विवरणी सं. 20	वैधानिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों द्वारा लिये गये ऋण इत्यादि की वापसी के लिए राज्य सरकार द्वारा दिए गए गारंटी का विवरण दिखाती है।
विवरणी सं. 21	आकस्मिकता निधि और लोक लेखे के लेन-देन से संबंधित विस्तृत लेखा प्रस्तुत करती है।
विवरणी सं. 22	आरक्षित निधियों के चिन्हित अधिशेषों का विवरण प्रस्तुत करती है।

परिशिष्ट 2.1
वर्ष 2021-22 के प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार
(संदर्भ: कंडिका 2.2)

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ				संवितरण					
2020-21		2021-22	2020-21		2021-22				
	भाग - क: राजस्व				स्थापना	राज्य एवं केंद्र योजना	कुल		
56,149.73	I. राजस्व प्राप्तियाँ		69,721.86	59,263.59	I. राजस्व व्यय	30,617.80	32,160.11	62,777.91	62,777.91
16,880.08	कर राजस्व	21,289.61		19,902.67	सामान्य सेवाएँ	21,353.61	201.69	21,555.30	
				23,347.07	सामाजिक सेवाएँ	7,195.85	17,443.48	24,639.33	
7,564.01	कर-भिन्न राजस्व	10,030.75		10,052.00	शिक्षा, क्रीडा, कला एवं संस्कृति	5,859.00	5,315.19	11,174.19	
				3,483.65	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1,321.76	3,012.41	4,334.17	
19,712.23	संघीय करों में राज्य के हिस्से	27,734.64		3,735.31	जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और नगर विकास	271.07	2,902.55	3,173.62	
2,990.50	वित्त आयोग अनुदान	2,198.3		131.92	सूचना एवं प्रसारण	89.8	89.67	179.47	
2,164.06	राज्य को अन्य अनुदान	1,891.4		911.79	अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	134.62	940.15	1074.77	
6,838.85	केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ	6,577.16		222.01	श्रम एवं श्रम कल्याण	52.97	129.12	182.09	
				4,778.51	सामाजिक कल्याण एवं पोषाहार	-566.44	5,054.39	4,487.95	
				31.88	अन्य	33.07	0	33.07	
				16,013.85	आर्थिक सेवाएँ	2,068.34	14,514.94	16,583.28	
				2,084.37	कृषि एवं संबंधित क्रियाकलाप	653.54	2,880.43	3,533.97	
				8,238.31	ग्रामीण विकास	463.38	5,960.27	6,423.65	
				0	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	0	0	0.00	
				366.53	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	371.44	1.43	372.87	
				2,022.47	उर्जा	3.85	3,804.45	3,808.30	
				245.78	उद्योग एवं खनिज	59.48	270.23	329.71	
				749.38	परिवहन	292.26	150.79	443.05	
				0.00	विज्ञान, तकनीकी एवं पर्यावरण	0	0	0.00	
				2,307.01	सामान्य आर्थिक सेवाएँ	224.39	1,447.34	1,671.73	
				0	सहायता अनुदान एवं अंशदान	0	0	0	
				59,263.59	कुल	30,617.80	32,160.11	62,777.91	
3,113.86	II. खण्ड-ख में ले जाया गया राजस्व घाटा			0.00	II. राजस्व आधिक्य खण्ड ख				6,943.95
59,263.59	कुल	69,721.86		59,263.59	कुल				69,721.86

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष का राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

प्राप्तियाँ					संवितरण				
2020-21		2021-22		2020-21		2021-22			
भाग- ख									
3,463.48	III. आरंभिक रोकड़ शेष स्थायी अग्रिम एवं रोकड़ शेष निवेश सहित		3,720.32	0	III. भारतीय रिजर्व बैंक ओवरड्राफ्ट का आरंभिक शेष				0
0	IV. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ		0	8,465.66	IV. पूँजीगत परिव्यय	0.00	9,376.90	9,376.90	9,376.90
				770.92	सामान्य सेवाएँ	0	734.3	734.30	
				1,491.46	सामाजिक सेवाएँ	0.00	1,595.26	1,595.26	
				94.87	शिक्षा, क्रीडा, कला एवं संस्कृति	0.00	94.34	94.34	
				586.13	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	0.00	488.68	488.68	
				480.34	जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं नगर विकास	0.00	590.28	590.28	
				0	सूचना एवं प्रसारण	0.00	0	0.00	
				269.28	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों का कल्याण	0.00	364.42	364.42	
				5.29	सामाजिक कल्याण एवं पोषण	0.00	11.92	11.92	
				55.55	अन्य	0.00	45.62	45.62	
				6,203.28	आर्थिक सेवाएँ	0.00	7,047.34	7,047.34	
				75.78	कृषि एवं संबंधित क्रियाकलाप	0.00	353.73	353.73	
				1,283.49	ग्रामीण विकास	0.00	1,142.75	1,142.75	
				0	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	0.00	0	0.00	
				1,046.31	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	0.00	1,204.26	1,204.26	
				626	ऊर्जा	0.00	87.52	87.52	
				7.76	उद्योग और खनिज	0.00	1,002.00	1,002.00	
				3,120.33	परिवहन	0.00	3,202.12	3,202.12	
				43.61	सामान्य आर्थिक सेवाएँ	0.00	54.96	54.96	
48.78	V. ऋण एवं अग्रिमों की वसूली		1,291.73	3,379.77	V. संवितरित ऋण एवं अग्रिम	50.41	1,412.57	1,462.98	1,462.98
0	ऊर्जा परियोजनाओं से	1,246		3,352.4	ऊर्जा परियोजनाओं हेतु	0	1,412.57	1,412.57	
48.54	सरकारी सेवकों से	45.73		4.46	सरकारी सेवकों को	31.68	0	31.68	
0.24	अन्य से	0		22.91	अन्य को	18.73	0.00	18.73	
0	VI. नीचे लाया गया राजस्व आधिक्य		6,943.95	3,113.86	VI. नीचे लाया गया राजस्व घाटा				0
13,546.58	VII. लोक ऋण प्राप्तियाँ		9,839.87	2,744.82	VII. लोक ऋण की पुर्णभुगतान			4,247.08	4,247.08
0	वाह्य ऋण	0		0	वाह्य ऋण			0	

प्राप्तियाँ				संवितरण			
2020-21		2021-22		2020-21		2021-22	
10,958.31	अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर आंतरिक ऋण	6,594.22		2,546.88	अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर आंतरिक ऋण		4,012.80
0	अर्थोपाय अग्रिम के अंतर्गत निवल लेनदेन	0		0	अर्थोपाय अग्रिम के अंतर्गत निवल लेनदेन		0
0	ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेनदेन	0		0	ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेनदेन		0
2,588.27	भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	3,245.65		197.94	भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम का पुर्णभुगतान		234.28
0	VIII. आकस्मिकता निधि से विनियोग		0		VIII. आकस्मिकता निधि से विनियोग		0
0	IX. आकस्मिकता निधि को अंतरित राशि		0		IX. आकस्मिकता निधि से व्यय		0
28,511.48	X. लोक लेखा प्राप्तियाँ		24,643.60	24,145.89	X. लोक लेखा संवितरण		25,779.81
1,179.21	छोटे बचत एवं भविष्य निधि	1,172.2		1,201.67	छोटे बचत एवं भविष्य निधि		1,365.41
1,377.12	रक्षित निधि	825.60		604.75	रक्षित निधि		1,205.51
303.87	कर्णांकित निधियों में निवेश	200.00					
863.42	उचत एवं विविध	143.76		809.95	उचत एवं विविध		170.86
8,118.09	प्रेषण	8,159.71		8,073.94	प्रेषण		8,173.53
16,669.77	जमा एवं अग्रिम	14,142.33		13,455.58	जमा एवं अग्रिम		14,864.50
0	अंतर्राज्यीय समायोजन	0		0	अंतर्राज्यीय समायोजन		0
0	XI. भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट का अंत शेष		0	3,720.32	XI. वर्ष के अंत में रोकड़ शेष		5,572.70
				0	कोषागार में नकद और स्थानीय प्रेषण		0.00
				160.55	रिजर्व बैंक में जमा		149.37
				44.7	स्थायी अग्रिमों सहित विभागीय रोकड़ शेष		38.83
				703.87	कर्णांकित निधि का निवेश		903.87
				2,811.20	रोकड़ शेष का निवेश		4,480.63
1,04,833.91	कुल		1,16,161.33	1,04,833.91	कुल		1,16,161.33

परिशिष्ट 2.2
राज्य सरकार के वित्त पर कालबद्ध आँकड़े
(संदर्भ: कंडिका 2.3.2.1 व 2.4)

(₹ करोड़ में)

	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
भाग - क. प्राप्तियाँ					
1. राजस्व प्राप्तियाँ	52,756	56,152	58,417	56,150	69,722
कर राजस्व	12,353	14,752	16,771	16,880	21,290
वस्तु एवं सेवा कर	4,124	8,201	8,418	7,931	9,557
कृषि आय पर कर	-	-	0	0	0
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	5,715	3,475	3,996	4,301	5,213
राज्य उत्पाद	841	1,083	2,009	1,821	1,807
वाहनों पर कर	779	864	1,129	976	1,263
मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क	469	451	560	708	987
भू-राजस्व	156	389	338	873	1,621
माल एवं यात्रियों पर कर	0	0	0	0	0
अन्य कर	270	289	321	270	841
(ii) कर भिन्न राजस्व	7,847	8,258	8,750	7,564	10,031
(iii) संघीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश	21,144	23,906	20,593	19,712	27,735
(iv) भारत सरकार से सहायता अनुदान	11,412	9,236	12,303	11,993	10,667
2. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	25	0	0	0	0
3. ऋण एवं अग्रिम की वसूली	42	47	49	49	1,292
4. कुल राजस्व एवं गैर ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ (1+2+3)	52,824	56,199	58,466	56,199	71,014
5. लोक ऋण प्राप्तियाँ	8,137	7,803	9,593	13,547	9,840
आंतरिक ऋण (अर्थापय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	7,905	7,531	9,167	10,958	6,594
अर्थापय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेन-देन	0	0	0	0	0
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	232	273	426	2,588	3,246
6. संचित निधि में कुल प्राप्तियाँ (4+5)	60,960	64,002	68,059	69,745	67,281
7. आकस्मिकता निधि प्राप्तियाँ	0	0	0	0	0
8. लोक लेखा प्राप्तियाँ	27,833	25,410	33,243	28,511	24,644
9. राज्य की कुल प्राप्तियाँ (6+7+8)	86,370	97,245	1,01,302	98,256	91,925
भाग - ख. व्यय/संवितरण					
10. राजस्व व्यय	50,952	50,631	56,457	59,264	62,778
योजना/राज्य योजनाएँ, के.प्रा.स्कीम-केंद्रांश, केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ	22,999	23,983	27,627	28,370	32,160
गैर योजना/स्थापना	27,953	26,648	28,830	30,894	30,618
सामान्य सेवाएँ (ब्याज भुगतान सहित)	16,558	17,656	18,714	19,903	21,555
सामाजिक सेवाएँ	19,575	18,786	21,448	23,347	24,639
आर्थिक सेवाएँ	14,819	14,189	16,294	16,014	16,583
सहायता अनुदान एवं अंशदान	0	0	1	0	0
11. पूँजीगत व्यय	11,953	10,712	9,879	8,466	9,377
योजना/राज्य योजनाएँ, के.प्रा.स्कीम-केंद्रांश, केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ	11,884	10,669	9,832	8,401	9,377
गैर योजना/स्थापना	69	42	47	65	0
सामान्य सेवाएँ	807	791	1,239	771	734
सामाजिक सेवाएँ	1,528	1,616	1,431	1,492	1,595
आर्थिक सेवाएँ	9,618	8,305	7,209	6,203	7,047

	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
12. ऋण एवं अग्रिम का संवितरण	1,852	1,485	165	3,380	1,463
13. कुल व्यय(10+11+12)	64,756	62,828	66,501	71,109	73,618
14. लोक ऋण पुनर्भुगतान	2,950	3,060	4,231	2,745	4,247
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	2,788	2,893	4,058	2,547	4,013
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेन-देन	0	0	0	0	0
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	161	167	173	198	234
15. आकस्मिकता निधि से विनियोजन	0	0	0	0	0
16. संचित निधि से कुल संवितरण (13+14+15)	67,706	65,888	70,732	73,854	77,865
17. आकस्मिकता निधि संवितरण	0	0	0	0	0
18. लोक लेखा संवितरण	22,885	23,279	27,903	24,146	25,780
19. राज्य द्वारा कुल वितरण (16+17+18)	90,591	89,167	98,635	98,000	1,03,645
भाग - ग. घाटे					
20. राजस्व घाटा(-)/राजस्व आधिक्य(+) (1-10)	1,804	5,521	1,960	-3,114	6,944
21. राजकोषीय घाटा(-)/राजकोषीय आधिक्य(+) (4-13)	-11,933	-6,629	-8,035	-14,911	2,604
22. प्राथमिक घाटा (-)/आधिक्य(+) (21-23)	-7,271	-1,777	-2,727	-9,120	3,682
भाग-घ. अन्य आँकड़े					
प्राथमिक राजस्व शेष (गैर-ऋण प्राप्त -प्राथमिक राजस्व व्यय)	6,534	10,420	7,317	2,725	14,522
23. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में सन्निहित)	4,662	4,852	5,308	5,790	6,286
24. स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता	20,714	17,976	19,191	20,078	19,630
25. अर्थोपाय अग्रिम/उपमुक्त ओवरड्राफ्ट(दिन)	7	68	16	0	16
उपभोगित अर्थोपाय अग्रिम (दिन)	7	58	16	0	16
उपभोगित ओवरड्राफ्ट (दिन)	0	10	0	0	0
26. अर्थोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट पर ब्याज	0	6	4	0	46
27 ((क) वर्तमान मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.)@	2,69,816	3,05,695	3,21,157	3,17,079	3,63,085
27. (ख) स्थिर मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.)@	2,10,587	2,29,274	2,38,395	2,27,082	2,47,011
28. बकाया राजकोषीय दायित्व (वर्ष के अंत में)	77,095	83,783	94,407	1,09,185	1,13,483
29. बकाया प्रतिभूतियाँ (वर्ष के अंत में) (ब्याज सहित)	157	607	607	607	607
30. अधिकतम प्रत्याभूत राशि (वर्ष के अंत में)	157	450	450	607	607
31. अपूर्ण योजनाओं की संख्या (₹ एक करोड़ तथा उससे अधिक)	113	410	378	374	274
32. अपूर्ण योजनाओं में अवरूढ़ पूँजी	1,403	3,818	3,828	4,669	4,040
भाग - ड. राजकोषीय स्वास्थ्य सूचक					
संसाधन संग्रहण					
स्वयं के कर राजस्व/वर्तमान मूल्य पर स.रा.घ.उ.	4.58	4.83	5.22	5.32	5.86
स्वयं के कर राजस्व/स्थिर मूल्य पर स.रा.घ.उ.	5.87	6.43	7.03	7.43	8.62
स्वयं के कर-भिन्न राजस्व/वर्तमान मूल्य पर स.रा.घ.उ.	2.91	2.70	2.72	2.39	2.76
स्वयं के कर-भिन्न राजस्व/स्थिर मूल्य पर स.रा.घ.उ.	3.73	3.60	3.67	3.33	4.06
केंद्रीय अंतरण/वर्तमान मूल्य पर स.रा.घ.उ.	7.84	7.82	6.41	6.22	7.64
केंद्रीय अंतरण/स्थिर मूल्य पर स.रा.घ.उ.	5.42	4.03	5.16	5.28	4.32

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष का राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
व्यय प्रबंधन					
कुल व्यय/वर्तमान मूल्य पर स.रा.घ.उ.	24.00	20.55	20.71	22.43	20.28
कुल व्यय/स्थिर मूल्य पर स.रा.घ.उ.	30.75	27.40	27.90	31.31	29.80
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियाँ	122.75	111.89	113.84	126.64	105.59
राजस्व व्यय/कुल व्यय	78.68	80.59	84.90	83.34	85.28
सामाजिक सेवाओं पर व्यय (ऋ. व अ. सहित)/कुल व्यय	32.64	32.47	34.44	34.96	35.66
आर्थिक सेवाओं पर व्यय (ऋ. व अ. सहित)/कुल व्यय	40.46	35.84	35.48	35.96	34.02
पूँजीगत व्यय/ कुल व्यय	18.46	17.05	14.86	11.91	12.74
सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय/ कुल व्यय	17.21	15.79	12.99	10.82	11.74
III राजकोषीय असंतुलन का प्रबंधन					
राजस्व घाटा (आधिक्य)/वर्तमान मूल्य पर स.रा.घ.उ.	0.67	1.81	0.61	-0.98	1.91
राजस्व घाटा (आधिक्य)/स्थिर मूल्य पर स.रा.घ.उ.	0.86	2.41	0.82	-1.37	2.81
राजकोषीय घाटा (आधिक्य)/वर्तमान मूल्य पर स.रा.घ.उ.	-4.42	-2.17	-2.50	-4.70	-0.72
राजकोषीय घाटा (आधिक्य)/स्थिर मूल्य पर स.रा.घ.उ.	-5.67	-2.89	-3.37	-6.57	-1.05
प्राथमिक घाटा (आधिक्य)/वर्तमान मूल्य पर स.रा.घ.उ.	-2.69	-0.58	-0.85	-2.88	1.01
प्राथमिक घाटा (आधिक्य)/स्थिर मूल्य पर स.रा.घ.उ.	-3.45	-0.78	-1.14	-4.02	1.49
राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा	-15.12	-83	-24	21	-267
प्राथमिक राजस्व संतुलन/वर्तमान मूल्य पर स.रा.घ.उ.	2.42	3.41	2.28	0.86	4.00
प्राथमिक राजस्व संतुलन/स्थिर मूल्य पर स.रा.घ.उ.	3.10	4.54	3.07	1.20	5.88
IV राजकोषीय दायित्वों का प्रबंधन					
राजकोषीय दायित्व/वर्तमान मूल्य पर स.रा.घ.उ.	28.57	27.41	29.40	34.43	31.26
राजकोषीय दायित्व/स्थिर मूल्य पर स.रा.घ.उ.	36.61	36.54	39.60	48.08	45.94
राजकोषीय दायित्व/रा.प्रा.	146	149.21	161.61	194.45	162.76
प्रमात्रा विस्तार के संदर्भ में प्राथमिक घाटा	-288	3,622	-3,797	-16,110	-333
ऋण निर्माण (मूलधन+ब्याज)/कुल ऋण प्राप्ति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
V अन्य राजकोषीय स्वास्थ्य सूचक					
निवेश पर आय	शून्य	*	शून्य	15	0
चालू राजस्व का शेष (₹ करोड़ में)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
वित्तीय परिसम्पत्ति/दायित्व	111	118	118	112	118
सामान्य सेवाओं पर ऋण एवं अग्रिम	0	0	0	0	0
सरकारी कर्मचारी को ऋण एवं अग्रिम	56	47	53	4	32
सामाजिक सेवाओं पर ऋण एवं अग्रिम	32	23	24	23	16
आर्थिक सेवाओं पर ऋण एवं अग्रिम	1,764	1,462	89	3,352	1,415
परिसंपत्तियाँ	86,542	99,210	1,11,869	1,23,935	1,35,335
दायित्व	77,635	84,382	95,080	1,10,260	1,14,717

टिप्पणी: दूसरे अवयवों से तुलना के दौरान घाटा को (-) एवं आधिक्य को (+) के रूप में दिखाया गया है।

@ आँकड़े राज्य सरकार से प्राप्त किये गये।

* ₹ 15,000 मात्र

परिशिष्ट 2.3

31 मार्च 2022 को झारखण्ड सरकार की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति

(संदर्भ: कंडिका 2.5.4)

(₹ करोड़ में)

31.03.2021 को	दायित्व	31.03.2022 को
71,956.90	आंतरिक ऋण	74,538.31
51,666.74	ब्याज सहित बाजार ऋण	55,412.65
0.04	ब्याज रहित बाजार ऋण	0.04
5.59	भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण	5.59
13,497.64	अन्य संस्थाओं से ऋण	13,102.63
0.00	अर्थोपाय अग्रिम	0.00
6,786.89	केन्द्र सरकार के एन.एस.एस. निधि को निर्गत विशेष प्रतिभूतियाँ	6,017.40
0.00	भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट	0.00
4,981.85	केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम	7,993.22
0.00	1984-85 के पूर्व के ऋण	0.00
12.27	गैर योजना ऋण	10.52
4,969.58	राज्य योजनागत योजना हेतु ऋण	7,982.70
500.00	आकस्मिकता निधि	500.00
1,194.40	लघु बचत, भविष्य निधि इत्यादि	1,001.19
24,331.45	जमा	23,609.29
7,024.26	रक्षित निधि	6,844.35
126.45	अंतरण शेष	112.64
144.75	उचंचत एवं विविध शेष	117.65
13,674.83	व्यय से अधिक संचित आधिक्य की प्राप्ति	20,618.78
1,23,934.89	कुल	1,35,335.43
	परिसम्पत्तियाँ	
96,017.68	अचल सम्पत्तियों पर सकल पूँजीगत परिव्यय	1,05,394.58
992.13	कम्पनियों, निगमों आदि के शेयर में निवेश	2,130.70
95,025.55	अन्य पूँजीगत परिव्यय	1,03,263.88
	अन्तर्राज्यीय समायोजन	0.00
24,177.23	ऋण एवं अग्रिम	24,348.48
23,294.27	ऊर्जा परियोजनाओं के लिए ऋण	23,460.84
899.07	अन्य विकास ऋण	917.80
-16.11	सरकारी कर्मचारियों को ऋण एवं अन्य ऋण	-30.16
19.66	अग्रिम	19.67
0.00	उचंचत एवं विविध शेष	0.00
3,720.32	नकद	5,572.70
0.00	कोषागार में नकद एवं स्थानीय प्रेषण	0.00
160.55	रिजर्व बैंक में जमा	149.37
703.87	जमा निधि का निवेश	903.87
44.70	विभागीय रोकड़ शेष स्थायी अग्रिम सहित	38.83
2,811.20	नकद शेष निवेश	4,480.63
0.00	प्रेषण शेष	0.00
0.00	सरकारी लेखे में घाटा	0.00
	(i) वर्ष के दौरान राजस्व घाटा/आधिक्य	
	(ii) विविध घाटा	
	वर्ष के आरंभ में संचित घाटा/आधिक्य	
1,23,934.89	कुल	1,35,335.43

परिशिष्ट 3.1

मामले जहाँ अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 0.50 करोड़ या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए
(संदर्भ: कंडिका 3.2.3)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदानों की संख्या एवं नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान में से बचत
राजस्व (दत्तमत)					
1	1- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	2,970.84	335.71	2,530.48	776.07
2	2- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग)	291.46	13.37	221.91	82.92
3	4- मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय प्रभाग)	52.86	15.47	56.17	12.16
4	9- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग)	139.78	0.75	106.78	33.75
5	10-उर्जा विभाग	2,604.73	1,898.19	3,983.54	519.38
6	12- योजना-सह-वित्त विभाग (वित्त प्रभाग)	61.94	2.07	43.29	20.72
7	17- वाणिज्यकर विभाग	118.22	1.18	74.96	44.44
8	18- खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	2,034.43	170.55	1,406.67	798.31
9	19- वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	869.21	139.27	742.18	266.30
10	20- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	4,035.01	1,864.62	4,324.74	1,574.89
11	22- गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)	5,864.16	108.58	5,602.89	369.85
12	23- उद्योग विभाग	369.03	59.51	286.79	141.75
13	26- श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	377.89	9.38	200.11	187.16
14	27- विधि विभाग	419.95	71.85	402.59	89.21
15	32-विधान सभा	117.15	5.19	112.38	9.96
16	33- कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग (कार्मिक प्रशासनिक सुधार प्रभाग)	46.51	14.85	47.97	13.39
17	35- योजना-सह-वित्त विभाग (योजना प्रभाग)	140.27	1.70	113.60	28.37
18	39- गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग)	1,264.56	446.78	966.61	744.73
19	40- राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभाग)	689.04	18.14	524.25	182.93
20	42- ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)	7,148.89	457.65	5,165.31	2,441.23
21	43- उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रभाग)	255.12	34.61	115.97	173.76
22	45- सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग	187.39	33.99	171.21	50.17
23	48- नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग)	2,796.12	158.24	2,440.19	514.17
24	51- अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण प्रभाग)	1,536.87	97.16	1,080.74	553.29
25	52- पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग (कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य प्रभाग)	135.60	11.52	76.86	70.26
26	53- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)	136.20	0.99	91.88	45.31
27	54- कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (डेयरी प्रभाग)	179.40	2.00	97.50	83.90
28	55- ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य प्रभाग)	1,974.17	20.88	467.27	1,527.78
29	56- ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज प्रभाग)	2,617.21	46.26	803.64	1,859.83
30	58- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (माध्यमिक शिक्षा प्रभाग)	3,000.92	25.00	2,470.32	555.60

क्र. सं.	अनुदानों की संख्या एवं नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान में से बचत
31	59- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा प्रभाग)	8,447.83	32.80	6,812.06	1,668.57
32	60- महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	5,253.87	410.90	4,461.58	1,203.19
	कुल	56,136.63	6,509.16	46,002.44	16,643.35
राजस्व (भारित)					
33	28- झारखण्ड उच्च न्यायालय	113.03	7.63	108.33	12.33
	कुल	113.03	7.63	108.33	12.33
पूँजीगत (दत्तमत)					
34	1- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	218.25	0.96	204.28	14.93
35	2- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग)	25.00	2.50	6.26	21.24
36	9- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग)	78.00	29.00	91.42	15.58
37	10-उर्जा विभाग	1,762.00	880.95	1,500.09	1,142.86
38	20- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	398.20	160.00	488.68	69.52
39	22- गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)	476.80	135.50	453.19	159.11
40	26- श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	69.06	5.25	51.97	22.34
41	30- अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (अल्पसंख्यक कल्याण प्रभाग)	122.20	15.48	89.87	47.81
42	42- ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)	495.64	20.00	500.33	15.31
43	43- उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग (प्रौद्योगिकी प्रभाग)	151.60	1.48	55.36	97.72
44	49- जल संसाधन विभाग	1,000.10	511.25	1,173.74	337.61
45	50- जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)	124.20	1.43	30.52	95.11
46	51- अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण प्रभाग)	366.40	2.60	274.55	94.45
47	52- पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग (कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य प्रभाग)	28.00	11.00	30.48	8.52
48	55- ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य प्रभाग)	679.70	4.16	642.43	41.43
	कुल	5,995.15	1,781.56	5,593.17	2,183.54
पूँजीगत (भारित)					
49	14- ऋण की वापसी/अदायगी	4,289.13	71.00	4,247.08	113.05
	कुल	4,289.13	71.00	4,247.08	113.05
	कुल योग	66,533.94	8,369.35	55,951.02	18,952.25

परिशिष्ट 3.2
अनावश्यक अथवा अत्यधिक पुनर्विनियोग
(संदर्भ: कंडिका 3.2.4)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदानों की संख्या	मुख्य शीर्ष	प्रावधान				वास्तविक व्यय	बचत	आधिक्य
			मूल	अनुपूरक	प्रत्यर्पण	कुल			
1	2	2403-00-113-01 स्थापना स्टेट लाईभ स्टॉक रिसर्च इस्टि्यूट	5.81	-	(+)0.50	6.31	6.18	0.13	-
2	3	2059-80-001-12-बाह्य स्रोत से नियुक्त कम्प्यूटर ऑपरेटर, चालक आदि	3.50	-	(+)0.75	4.25	2.90	1.35	-
3		2059-80-053-07 दैनिक कर्मचारियों का वेतन	0.20	-	(+)0.10	0.30	0.26	0.04	-
4	7	2070-00-104-03 तकनीकी जाँच शाखा	1.79	-	(+)0.13 (-)0.01	1.91	1.83	0.08	-
5	9	2425-00-003-01 कर्मचारियों का प्रशिक्षण	1.14	-	(+)0.22	1.36	1.35	0.01	-
6		3451-00-090-05-सहकारिता विभाग	2.70	-	(+)0.21	2.91	2.74	0.17	-
7	12	2052-00-090-08 वित्त विभाग	13.38	1.33	(+)0.50	15.21	13.55	1.66	-
8	17	2040-00-101-02 जिला प्रभार	87.59	1.01	(+)1.00	89.60	55.71	33.89	-
9	22	2070-00-107-02-शहरी	1.18	-	(+)0.25	1.43	1.30	0.13	-
10	41	3054-80-001-02 कार्यान्वयन	100.20	-	(+)0.35	100.55	77.59	22.96	-
11	42	2501-06-796-20 स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना	0.20	-	(+)0.04	0.24	0.17	0.07	-
12	51	4225-02-796-37-जाहेरस्थान/हड़गड़ी/मसना/सरना की चारदीवारी का मरम्मतकीकरण तथा घेरा बंदी	130.00	1.00	(+)40.95	171.95	134.76	37.19	-
13	52	2205-00-101-38 स्थापना सांस्कृतिक निदेशक	0.44	0.10	(+)0.05	0.59	0.51	0.08	-
14	56	2515-00-196-66 पंद्रहवी वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान	0.00	*	(+)37.47	37.47	0.00	37.47	-
15		2515-00-197-67 पंद्रहवी वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान	0.00	*	(+)56.21	56.21	0.00	56.21	-
16		2515-00-198-68 पंद्रहवी वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान	0.00	*	(+)281.03	281.03	0.00	281.03	-
कुल			348.13	3.44	419.75	771.32	298.85	485.47	-

*अनुपूरक प्रावधान मात्र ₹1,000

परिशिष्ट 3.3

वर्ष के दौरान बड़े बचत (बचत ₹ 100 करोड़ से अधिक)

(संदर्भ: कडिका 3.2.5.1)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान/विनियोजन का नाम एवं संख्या	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल	वास्तविक	बचत	प्रत्यर्पण
राजस्व (दत्तमत)							
1	1- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	2,970.84	335.71	3,306.55	2,530.48	776.07	776.21
2	10- उर्जा विभाग	2,604.73	1,898.19	4,502.92	3,983.54	519.38	519.37
3	14-ऋण की पुनर्भुगतान	472	0	472.00	200	272.00	0
4	18- खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	2,034.43	170.55	2,204.98	1,406.67	798.31	782.31
5	19- वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	869.21	139.27	1,008.48	742.18	266.30	266.19
6	20- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	4,035.01	1,864.62	5,899.63	4,324.74	1,574.89	1,573.39
7	22 - गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)	5,864.16	108.58	5,972.74	5,602.89	369.85	370.33
8	23-उधोग विभाग	369.03	59.51	428.54	286.79	141.75	141.72
9	26- श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	377.89	9.38	387.27	200.11	187.16	187.17
10	36 - पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	2,625.19	0.49	2,625.68	715.93	1,909.75	1,909.44
11	39 - गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग)	1,264.56	446.78	1,711.34	966.61	744.73	744.62
12	40- राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभाग)	689.04	18.14	707.18	524.25	182.93	183.07
13	41- पथ निर्माण विभाग	550.85	0.14	550.99	289.34	261.65	252.67
14	42 - ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)	7,148.89	457.65	7,606.54	5,165.31	2,441.23	2,441.34
15	43- उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग (प्रौद्योगिकी प्रभाग)	255.12	34.61	289.73	115.97	173.76	173.76
16	48- नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग)	2,796.12	158.24	2,954.36	2,440.19	514.17	514.17
17	49- जल संसाधन विभाग	428.25	0.32	428.57	310.55	118.02	118.02
18	51- अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण प्रभाग)	1,536.87	97.16	1,634.03	1,080.74	553.29	553.28
19	55- ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य प्रभाग)	1,974.17	20.89	1,995.06	467.27	1,527.79	1,527.78
20	56- ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज प्रभाग)	2,617.21	46.26	2,663.47	803.64	1,859.83	1,859.93
21	58- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (सेकेंडरी शिक्षा प्रभाग)	3,000.91	25	3,025.91	2,470.32	555.59	555.60

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष का राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	अनुदान/विनियोजन का नाम एवं संख्या	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल	वास्तविक	बचत	प्रत्यर्पण
22	59- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक एवं व्यस्क शिक्षा प्रभाग)	8,447.83	32.8	8,480.63	6,812.06	1,668.57	1,668.64
23	60- महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	5,253.87	410.9	5,664.77	4,461.58	1,203.19	1,149.93
	कुल	58,186.18	6,335.19	64,521.37	45,901.16	18,620.21	18,268.94
पूँजीगत							
24	3- भवन निर्माण विभाग	505	0	505	334.24	170.76	170.76
25	10- उर्जा विभाग	1,762.00	880.95	2,642.95	1,500.09	1,142.86	1,142.86
26	14-ऋण की वापसी/अदायगी	4289.13	71	4360.13	4247.08	113.05	0
27	22- गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)	476.8	135.51	612.31	453.19	159.12	159.33
28	36- पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	746.98	0	746.98	505.11	241.87	242.16
29	41- पथ निर्माण विभाग	3,480.00	0	3480	3,143.07	336.93	336.94
30	49- जल संसाधन विभाग	1,000.10	511.25	1,511.35	1,173.74	337.61	337.56
	कुल	12,260.01	1,598.71	13,858.72	11,356.52	2,502.2	2,389.61
	कुल योग	70,446.19	7,933.90	78,380.09	57,257.68	21,122.41	20,658.55

परिशिष्ट 3.4
वर्ष के दौरान बड़े बचत (बचत ₹ 500 करोड़ से अधिक)
(संदर्भ: कंडिका 3.2.5.1)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं	अनुदान/विनियोजन का नाम एवं संख्या	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल	वास्तविक	बचत	प्रत्यर्पण
राजस्व (दत्तमत)							
1	1- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	2,970.84	335.71	3,306.55	2,530.48	776.07	776.21
2	10 - उर्जा विभाग	2,604.73	1,898.19	4,502.92	3,983.54	519.38	519.37
3	18- खादय, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	2,034.43	170.55	2,204.98	1,406.67	798.31	782.31
4	20- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	4,035.01	1,864.62	5,899.63	4,324.74	1,574.89	1573.39
5	36 - पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	2,625.19	0.49	2,625.68	715.93	1,909.75	1,909.44
6	39 - गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग)	1,264.56	446.78	1,711.34	966.61	744.73	744.62
7	42 - ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)	7,148.89	457.65	7,606.54	5,165.31	2,441.23	2,441.34
8	48- नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग)	2,796.12	158.24	2,954.36	2,440.19	514.17	514.17
9	51- अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण प्रभाग)	1,536.87	97.16	1,634.03	1,080.74	553.29	553.28
10	55- ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य प्रभाग)	1,974.17	20.89	1,995.06	467.27	1,527.79	1,527.78
11	56- ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज प्रभाग)	2,617.21	46.26	2,663.47	803.64	1,859.83	1,859.93
12	58- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (सेकेंडरी शिक्षा प्रभाग)	3,000.91	25.00	3,025.91	2,470.32	555.59	555.59
13	59- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक एवं कक्षा शिक्षा प्रभाग)	8,447.83	32.80	8,480.63	6,812.06	1,668.57	1,668.64
14	60- महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	5,253.87	410.90	5,664.77	4,461.58	1,203.19	1,149.93
	कुल	48,310.63	5,965.24	54,275.87	37,629.08	16,646.79	16,576.00
पूँजीगत							
15	10- उर्जा विभाग	1,762.00	880.95	2,642.95	1,500.09	1,142.86	1,142.86
	कुल	1,762.00	880.95	2,642.95	1,500.09	1,142.86	1,142.86
	कुल योग	50,072.63	6,846.19	56,918.82	39,129.17	17,789.65	17,718.86

परिशिष्ट 3.5
मार्च महीने के अंत में ₹ 10 करोड़ व अधिक की प्रत्यर्पित राशि
(संदर्भ: कंडिका 3.2.6)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल प्रावधान	वास्तविक	बचत (-) / आधिक्य (+)	प्रत्यर्पित राशि
राजस्व							
1	1	2,970.84	335.71	3,306.55	2,530.48	776.07	776.21
2	2	291.46	13.37	304.83	221.91	82.92	82.92
3	3	128.78	0	128.78	94.83	33.95	33.97
4	4	52.86	15.47	68.33	56.17	12.16	12.03
5	9	139.78	0.75	140.53	106.78	33.75	33.62
6	10	2,604.73	1,898.19	4,502.92	3,983.54	519.38	519.37
7	12	61.94	2.07	64.01	43.29	20.72	20.67
8	17	118.22	1.18	119.40	74.96	44.44	44.44
9	18	2,034.43	170.55	2,204.98	1,406.67	798.31	782.31
10	19	869.21	139.27	1,008.48	742.18	266.30	266.19
11	20	4,035.01	1,864.62	5,899.63	4,324.74	1,574.89	1,573.39
12	21	1,392.13	112.46	1,504.59	1,534.91	-30.32	69.68
13	22	5,864.16	108.58	5,972.74	5,602.89	369.85	370.33
14	23	369.03	59.51	428.54	286.79	141.75	141.72
15	26	377.89	9.38	387.27	200.11	187.16	187.17
16	27	419.95	71.85	491.80	402.59	89.21	89.21
17	28	113.03	7.63	120.66	108.34	12.32	12.33
18	29	70.88	0.49	71.37	49.63	21.74	21.74
19	32	117.15	5.19	122.34	112.38	9.96	27.97
20	33	46.51	14.85	61.36	47.97	13.39	13.39
21	35	140.27	1.7	141.97	113.6	28.37	28.03
22	36	2,625.19	0.49	2,625.68	715.93	1,909.75	1,909.44
23	38	29.71	0.02	29.73	16.37	13.36	13.36
24	39	1,264.56	446.78	1,711.34	966.61	744.73	744.62
25	40	689.04	18.14	707.18	524.25	182.93	183.07
26	41	550.85	0.14	550.99	289.34	261.65	252.67
27	42	7,148.89	457.65	7,606.54	5,165.31	2,441.23	2,441.34
28	43	255.12	34.61	289.73	115.97	173.76	173.76
29	45	187.39	34	221.39	171.21	50.18	50.17
30	46	119.71	0.4	120.11	79.21	40.90	40.9
31	47	191.95	0	191.95	161.39	30.56	30.56
32	48	2,796.12	158.24	2,954.36	2,440.19	514.17	514.17
33	49	428.25	0.32	428.57	310.55	118.02	118.02
34	50	115.03	0	115.03	71.24	43.79	43.79
35	51	1,536.87	97.16	1,634.03	1,080.74	553.29	553.28
36	52	135.59	11.52	147.11	76.86	70.25	70.25
37	53	136.2	0.99	137.19	91.88	45.31	45.32

क्र. सं.	अनुदान संख्या	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल प्रावधान	वास्तविक	बचत (-) / आधिक्य (+)	प्रत्यर्पित राशि
38	54	179.4	2	181.40	97.5	83.90	83.9
39	55	1,974.17	20.89	1,995.06	467.27	1,527.79	1,527.78
40	56	2,617.21	46.26	2,663.47	803.64	1,859.83	1,859.93
41	58	3,000.91	25	3,025.91	2,470.32	555.59	555.6
42	59	8,447.83	32.8	8,480.63	6,812.06	1,668.57	1,668.64
43	60	5,253.87	410.9	5,664.77	4,461.58	1,203.19	1,149.93
कुल		61,902.12	6,631.13	68,533.25	49,434.18	19,099.07	19,137.19
पूँजीगत							
1	1	218.25	0.96	219.21	204.28	14.93	14.93
2	2	25.00	2.50	27.50	6.26	21.24	21.24
3	3	505.00	0.00	505.00	334.24	170.76	170.76
4	8	40.39	0.00	40.39	1.23	39.16	39.16
5	9	78.00	29.00	107.00	91.42	15.58	15.58
6	10	1,762.00	880.95	2642.95	1,500.09	1,142.86	1,142.86
7	12	85.00	0.00	85.00	33.28	51.72	51.72
8	18	74.97	0.00	74.97	39.25	35.72	35.72
9	20	398.20	160.00	558.20	488.68	69.52	69.52
10	22	476.80	135.51	612.31	453.19	159.11	159.33
11	26	69.06	5.25	74.31	51.97	22.35	22.35
12	30	122.20	15.48	137.68	89.87	47.81	47.81
13	36	746.98	0.00	746.98	505.11	241.86	242.16
14	41	3,480.00	0.00	3,480.00	3,143.07	336.93	336.93
15	42	495.64	20.00	515.64	500.33	15.31	15.31
16	43	151.60	1.48	153.08	55.36	97.72	97.72
17	46	71.00	0.00	71.00	54.95	16.05	16.05
18	49	1,000.10	511.25	1,511.35	1,173.74	337.61	337.56
19	50	124.20	1.43	125.63	30.52	95.11	95.11
20	51	366.40	2.60	369.00	274.55	94.45	94.45
21	53	24.63	0.00	24.63	12.03	12.60	12.60
22	55	679.70	4.16	683.86	642.43	41.43	41.43
23	60	70.95	0.00	70.95	11.92	59.03	59.03
कुल		11,066.07	1770.57	12,836.64	9,697.77	3,138.86	3,139.33
कुल योग		72,968.19	8,401.70	81,369.89	59,131.95	22,237.94	22,276.52

परिशिष्ट 3.6

पूर्व के वर्षों के प्रावधानों से अधिक व्यय का विनियमन अपेक्षित
(संदर्भ: कंडिका 3.2.7.2)

वर्ष	अनुदान/विनियोजन की संख्या	अनुदान/विनियोजन/विभाग का नाम	आधिक्य राशि (₹ करोड़ में)
2001-02	25	संस्थागत वित्त एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग	*
2001-02	32	विधानमंडल	0.04
2002-03	32	विधानमंडल	0.08
2003-04	46	पर्यटन विभाग	0.29
2004-05	40	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	@
2006-07	38	निबंधन विभाग	\$
2010-11	32	विधानमंडल	0.10
2011-12	14	ऋणों की अदायगी	219.56
2011-12	15	पेंशन	200.60
2011-12	25	संस्थागत वित्त एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग	^
2012-13	7	निगरानी	0.07
2012-13	14	ऋणों की वापसी	556.01
2012-13	15	पेंशन	703.44
2012-13	42	ग्रामीण विकास विभाग	3.66
2013-14	13	ब्याज भुगतान	139.42
2013-14	14	ऋणों की वापसी	181.58
2013-14	15	पेंशन	373.05
2014-15	13	ब्याज भुगतान	191.68
2014-15	42	ग्रामीण विकास विभाग	169.53
2016-17	14	ऋणों की अदायगी	10.42
2016-17	32	विधान सभा	0.33
2017-18	13	ब्याज भुगतान	193.69
2017-18	15	पेंशन	71.81
2019-20	13	ब्याज भुगतान	120.64
2019-20	15	पेंशन	192.68
2020-21	13	ब्याज भुगतान	144.95
कुल			3,473.63

स्रोत: संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे

*आधिक्य राशि मात्र ₹ 8,807 था।

@ आधिक्य राशि मात्र ₹ 1,072 था।

\$ आधिक्य राशि मात्र ₹ 81,665 था।

^ आधिक्य राशि मात्र ₹ 11,160 था।

परिशिष्ट 3.7

योजनाओं का विवरण (₹ एक करोड़ व अधिक) जिनके लिए प्रावधान किया गया था
लेकिन कोई व्यय नहीं किया गया
(संदर्भ: कंडिका 3.3.3)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	स्वीकृत परिव्यय	पुनरीक्षित व्यय
1.	1- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	2401-00-102-एओ(सीएस)	1.80	
2.		2401-102-एओ(एसएस)	1.20	
3.		2401-00-102-बीजे	1.50	3.00
4.		2401-00-104 बीबी	3.00	
5.		2401-00-105-बी2	15.00	
6.		2401-109-28 (सीएस)	18.00	
7.		2401-00-109-28(एसएस)	12.00	
8.		2401-00-115-बी9	1.50	
9.		2401-00-115-बीएल	2.10	
10.		2401-00-115-बीओ	13.20	
11.		2401-00-789-28 (सीएस)	6.00	
12.		2401-00-789-28(एसएस)	4.00	
13.		2401-00-789-बी2	5.00	
14.		2401-00-789-बीबी	1.00	
15.		2401-00-789-बीओ	4.23	
16.		2401-00-796-28 (सीएस)	36.00	
17.		2401-00-796-28 (एसएस)	24.00	
18.		2401-796-एओ(सीएस)	3.60	
19.		2401-00-796-एओ(एसएस)	2.40	
20.		2401-00-796-बी2	30.00	
21.		2401-00-796-बी9	3.00	
22.		2401-00-796-बीबी	6.00	
23.		2401-00-796-बीजे	3.00	
24.		2401-00-796-बीएल	4.20	
25.		2401-00-796-बीओ	28.40	
26.	2- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग)	2403-00-101-ए4(सीएस)	2.27	
27.		2403-00-101-ए4(एसएस)	1.51	
28.		2403-00-101-ए5	1.00	
29.		2403-00-101-एडी(सीएस)	1.00	
30.		2403-00-111-84	2.00	
31.		2403-00-789- ए4(सीएस)	1.51	
32.		2403-00-789-ए4(एसएस)	1.01	
33.		2403-00-796-एए	6.00	
34.		4403-00-101-07	1.50	
35.		4403-00-106-06	2.00	
36.		4403-00-796-06	1.50	
37.		4403-00-796-23	1.50	
38.	3- भवन निर्माण विभाग	4216-01-106-03	1.00	

क्र. सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	स्वीकृत परिव्यय	पुनरीक्षित व्यय
39.	8- परिवहन विभाग (नागर विमानन प्रभाग)	5053-02-102-05	3.53	
40.		5053-02-102-09	24.00	
41.	10- उर्जा विभाग	2801-05-052-03	15.50	
42.		2801-05-052-07	93.00	
43.		2801-05-789-03	3.00	
44.		2801-05-796-03	6.50	
45.		2801-06-052-01	1.00	
46.		2801-06-052-02	1.00	
47.		2801-06-052-04	204.60	
48.		2801-06-789-04	39.60	
49.		2801-06-796-04	85.80	
50.		2801-80-796-18	10.00	
51.		4801-05-190-02	170.00	
52.		6801-00-201-24	5.00	
53.		6801-00-205-23	48.98	
54.		6801-00-205-34	55.80	
55.		6801-00-789-23	9.48	
56.		6801-00-789-34	10.80	
57.		6801-00-796-23	20.54	
58.		6801-00-796-34	23.40	
59.	12- योजना-सह-वित्त विभाग (वित्त प्रभाग)	2075-00-791-02	5.50	
60.	17- वाणिज्यकर विभाग	2040-00-001-18	3.00	
61.	18- खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	3456-00-102-03	2.05	
62.		3456-00-102-35	1.85	
63.		3456-00-102-43	7.40	
64.		3456-00-102-71	16.76	
65.		3456-00-102-72	7.40	
66.		3456-00-789-43	2.60	
67.		3456-00-789-71	5.36	
68.		3456-00-789-72	2.60	
69.		3456-00-796-03	2.45	
70.		3456-00-796-35	2.50	
71.		3456-00-796-43	10.00	
72.		3456-00-796-71	18.88	
73.		3456-00-796-72	10.00	
74.		19- वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	2406-01-101-57	1.00
75.	2406-01-101-72		4.00	
76.	2406-01-102-63		2.05	
77.	2406-01-102-63		1.36	
78.	2406-01-102-65		2.98	
79.	2406-01-102-65		1.98	
80.	2406-01-110-49		3.00	
81.	2406-01-110-49		2.00	

क्र. सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	स्वीकृत परिव्यय	पुनरीक्षित व्यय
82.		2406-01-796-15	12.00	
83.		2406-01-796-48	10.00	
84.		2406-01-796-65	1.25	
85.		2406-04-103-06	2.50	
86.		2210-01-110-62	2.15	
87.		2210-01-110-62	1.43	
88.		2210-01-110-90		100.00
89.		2210-01-110-91		100.00
90.		2210-01-110-91		70.00
91.		2210-01-789-90		17.84
92.		2210-01-789-91		28.85
93.		2210-01-789-91		19.23
94.		2210-01-796-90		30.00
95.		2210-01-796-91		50.00
96.		2210-01-796-91		30.00
97.		2210-02-789-27	1.23	4.78
98.	20- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	2210-02-796-27	2.67	10.35
99.		2210-05-101-17	4.75	
100.		2210-05-105-16	3.12	
101.		2210-05-105-16	2.08	
102.		2210-05-105-28	1.00	
103.		2210-05-796-28	1.00	
104.		2210-06-101-21	2.00	
105.		2210-06-112-19		1.82
106.		2210-06-796-19		1.00
107.		4210-01-110-31	2.00	
108.		4210-01-110-42	1.46	
109.		4210-01-110-49	30.00	
110.		4210-01-110-49	20.1	
111.		2055-00-104-01	00	1.01
112.		2235-00-207-16	6.50	
113.	22- गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)	4055-00-796-16	8.00	
114.		4070-00-796-83	1.00	
115.		4070-00-800-65	2.44	
116.		4070-00-800-65	1.36	
117.		2851-00-102-61	6.00	
118.		2851-00-103-60	1.00	
119.		2851-00-789-64	1.00	
120.	23- उद्योग विभाग	2852-80-102-10	25.00	
121.		2852-80-102-19	4.00	
122.		2852-80-102-65	1.00	
123.		2852-80-102-89	10.00	
124.		2852-80-102-89	5.00	

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष का राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	स्वीकृत परिव्यय	पुनरीक्षित व्यय
125.		2852-80-796-19	10.00	
126.		2852-80-796-65	7.00	
127.		2852-80-796-74	5.50	
128.		2852-80-796-89 (सीएस)	10.00	
129.		2852-80-796-89 (एसएस)	5.00	
130.	24- सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग	2220-01-796-03	1.00	
131.		2230-01-789-45	2.24	
132.	26- श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं दक्षता विभाग	2230-01-796-45(सीएस)	2.00	
133.		2230-02-789-38	87.67	
134.		4225-80-277-20	1.00	
135.	30- अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (अल्पसंख्यक प्रभाग)	4225-80-277-23	2.00	
136.		4225-80-796-21 (सीएस)	2.00	
137.		4225-80-796-23(एसएस)	4.00	
138.	35- योजना-सह-वित्त विभाग (योजना प्रभाग)	2053-00-796-40	1.00	
139.		3454-02-796-16	6.51	
140.		2215-01-102-10 (सीएस)	7.10	
141.		2215-01-789-10 (सीएस)	2.43	
142.		2215-01-789-11 (सीएस)	59.32	
143.	36- पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	2215-01-796- 10 (सीएस)	446.74	
144.		2215-01-796-11 (सीएस)	80.26	
145.		2215-02-107-11 (सीएस)	209.36	
146.		2215-02-107-11 (एसएस)	30.00	
147.	38- राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (निबंधन प्रभाग)	2030-02-101-02	1.00	
148.		2235-01-001-02		6.26
149.		2235-01-101-02	3.00	
150.		2245-01-101-03	50.00	
151.		2245-01-101-06	5.00	
152.		2245-01-101-07	50.00	
153.		2245-01-102-01	5.00	
154.		2245-01-102-02	11.00	
155.		2245-01-102-03	20.00	
156.		2245-01-102-04	1.00	
157.	39- गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग)	2245-02-101-06	1.00	
158.		2245-02-101-07	1.00	
159.		2245-02-101-10 (सीएस)		200.00
160.		2245-02-104-01	00.00	2.00
161.		2245-02-106-01	2.00	
162.		2245-02-107-01	1.00	
163.		2245-02-109-02	1.00	
164.		2245-02-112-01	00.30	2.00
165.		2245-80-001-22	1.60	
166.		2245-80-102-02	9.56	

क्र. सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	स्वीकृत परिव्यय	पुनरीक्षित व्यय
167.	40- राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभा (राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभाग)	2029-00-796-21	10.00	
168.		3454-01-101-05	1.00	
169.	41- पथ निर्माण विभाग	2075-00-791-01	10.00	
170.		2075-03-103-02	14.45	
171.		5054-03-52-06	1.75	
172.		5054-03-796-06	1.85	
173.		2501-02-101-06	14.70	
174.	2501-02-789-06	4.50		
175.	2501-02-796-06	10.80		
176.	2501-02-796-10	6.50		
177.	2501-06-101-14	31.16		
178.	2501-06-101-14	20.77		
179.	2501-06-102-22		8.10	
180.	2501-06-102-22		3.05	
181.	2501-06-102-24		6.00	
182.	2501-06-102-25		2.80	
183.	2501-06-102-25		1.87	
184.	2501-06-102-26		35.79	
185.	2501-06-102-26		23.86	
186.	2501-06-789-25		1.62	
187.	2501-06-789-25		1.08	
188.	2501-06-796-14	22.44		
189.	2501-06-796-14	14.96		
190.	2501-06-796-25		1.18	
191.	2515-00-102-17	1.00		
192.	2515-00-789-48	19.45		
193.	2515-00-796-17	1.00		
194.	43- उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रभाग)	2203-00-004-एड	7.40	
195.		2203-00-004-एजी	27.50	
196.		2203-00-796-ए5	6.50	
197.		2203-00-796-ए7	2.60	
198.		2203-00-796-एड	2.60	
199.		2203-00-796-एजी	10.00	
200.		4202-02-105-76	51.60	
201.	45- सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग	2203-00-001-86	1.00	
202.	46- पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग (पर्यटन विभाग)	3451-01-101-17	2.00	
203.		3451-01-101-18	1.00	
204.		3451-01-101-19	1.50	
205.		3452-01-190-11	2.50	
206.		3452-01-796-11	2.50	
207.		3452-01-796-19	1.50	
208.		3452-80-104-13	2.50	
209.		3452-80-104-18	2.00	

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष का राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	स्वीकृत परिव्यय	पुनरीक्षित व्यय
210.		3452-80-796-13	2.50	
211.		3452-80-796-18	3.90	
212.		5452-80-104-72	4.50	
213.		5452-80-104-74	3.50	
214.		5452-80-796-72	3.50	
215.		5452-80-796-74	4.50	
216.		3055-00-796-02	3.00	
217.	47- परिवहन विभाग (परिवहन प्रभाग)	3075-60-796-07	20.00	
218.		5055-00-190-23	2.00	
219.	48- नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग)	2055-00-796-26	5.00	
220.		2217-80-789-56	5.00	
221.	49- जल संसाधन विभाग	4701-80-001-63	81.00	
222.		4701-80-796-63	110.25	
223.		2225-02-277-ए3	10.00	
224.		2225-02-277-ए4	15.00	
225.	51- अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण प्रभाग)	2225-02-796-91	9.23	
226.		4225-01-789-02	2.00	
227.		4225-01-789-02	2.00	
228.		4225-03-277-06	4.00	
229.		4225-03-796-02	1.70	
230.		4225-03-796-02	1.70	
231.		2204-00-104-52	1.50	
232.		2204-00-104-57	2.00	
233.		2204-00-104-58	6.00	
234.		2204-00-104-59	1.00	
235.		2204-00-140-61	1.5	
236.	52-पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग (पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य प्रभाग)	2204-00-796-52	3.5	
237.		2204-00-796-57	3.00	
238.		2204-00-796-58	9.00	
239.		2204-00-796-59	3.00	
240.		2204-00-796-60	1.25	
241.		2204-00-796-61	1.50	
242.		2204-00-796-62	2.00	
243.		4202-03-102-21	2.00	
244.		4405-00-101-58	2.72	
245.	53- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)	4405-00-101-58	1.81	
246.		4405-00-796-77	3.00	
247.		4405-00-796-77	2.00	
248.		2404-00-102-73	3.6	
249.		2404-00-102-73	2.4	
250.	54- कृषि, पशुपाल एवं सहकारिता विभाग (डेयरी प्रभाग)	2404-00-102-74	2.4	
251.		2404-00-102-74	1.6	
252.		2404-00-102-76	2.00	

क्र. सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	स्वीकृत परिव्यय	पुनरीक्षित व्यय
253.		2404-00-796-73	1.62	
254.		2404-00-796-73	1.08	
255.		2515-00-102-41	240.00	
256.		2515-00-102-41	160.00	
257.	55- ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य प्रभाग)	2515-00-102-63	170.00	
258.		2515-00-796-41	360.00	
259.		2515-00-796-41	240.00	
260.		2515-00-796-63	180.00	
261.		2515-00-001-54	2.00	
262.	56- ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज प्रभाग)	2515-00-001-56	8.20	8.20
263.		2515-00-001-56	5.80	5.80
264.		2515-00-101-04	20.00	
265.		2515-00-796-42	1.00	
266.	58- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (माध्यमिक शिक्षा प्रभाग)	2202-02-109-81	8.00	
267.		2202-02-789-81	4.00	
268.		2202-02-796-81	8.00	
269.	60- महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	2235-02-101-32	1.83	
270.		2235-02-102-47	1.61	
271.		2235-02-102-47	1.08	
272.		2232-02-102-48	5.77	
273.		2235-02-102-53	1.03	
274.		2235-02-102-ए1	1.15	
275.		2235-02-103-64	1.16	
276.		2235-02-103- एडी	5.74	
277.		2235-02-103-एडी	3.81	
278.		2235-02-103-एएच	2.94	
279.		2235-02-103- एएल	7.35	
280.		2235-02-103-एएल	4.71	
281.		2235-02-796-47	1.75	
282.		2235-02-796-47	1.16	
283.		2235-02-796-48	6.23	
284.		2235-02-796-48	4.16	
285.		2235-02-796-64	1.16	
286.		2235-02-796- एडी	6.21	
287.		2235-02-796-एडी	4.14	
288.		2235-02-796-एएच	4.06	
289.		2235-02-796-एआय	1.25	
290.		2235-02-796-एएल	7.37	
291.		2235-02-796-एएल	5.10	
292.		2235-02-796-एवाय	1.20	
293.		2236-02-789-08	7.40	
294.		4235-02-101-78	20.95	
295.		4235-02-102-85	1.15	

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष का राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	स्वीकृत परिव्यय	पुनरीक्षित व्यय
296.		4235-02-103-77	3.00	
297.		4235-02-103-77	2.00	
298.		4235-02-796-74	1.50	
299.		4235-02-796-77	3.00	
300.		4235-02-796-77	2.00	
301.		4235-02-796-85	1.25	
कुल			4,718.87	777.49

परिशिष्ट 3.8
व्यय का वेग
(संदर्भ: कंडिका 3.4)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	मुख्य शीर्ष	मार्च	4थी तिमाही का योग	वित्तीय वर्ष का योग	मार्च के व्यय का वित्तीय वर्ष के योग से प्रतिशतता	4 थी तिमाही के योग का वित्तीय वर्ष के योग से प्रतिशतता
1	2406	301.83	438.70	694.33	43.47	63.18
2	4235	11.92	11.92	23.83	50.00	50.00
3	4401	0.11	5.47	10.95	0.97	50.00
4	4408	36.26	39.25	78.50	46.20	50.00
5	4853	1000.00	1000.00	2000.00	50.00	50.00
6	4885	2.00	2.00	4.00	50.00	50.00
7	5452	52.05	54.95	109.91	47.36	50.00
8	4070	5.64	5.69	11.42	49.38	49.80
9	4047	5.01	7.61	15.33	32.65	49.64
10	4250	8.54	44.85	90.48	9.43	49.57
11	4405	7.77	11.42	23.45	33.12	48.70
12	4402	166.47	187.41	386.22	43.10	48.52
13	2402	137.89	148.56	310.09	44.47	47.91
14	3452	22.67	69.67	146.64	15.46	47.51
15	2404	51.30	85.83	183.33	27.98	46.82
16	5055	30.68	33.03	70.85	43.30	46.62
17	4210	342.58	424.34	913.02	37.52	46.48
18	2236	435.98	463.45	1008.20	43.24	45.97
19	4055	358.35	379.78	828.84	43.23	45.82
20	4425	44.50	76.49	167.91	26.50	45.56
21	5053	0.34	0.95	2.18	15.50	43.48
22	2435	2.09	5.85	13.68	15.26	42.75
23	4059	130.97	202.44	474.22	27.62	42.69
24	2204	28.42	49.57	116.36	24.43	42.60
25	2217	1055.99	1770.55	4191.98	25.19	42.24
26	3451	120.86	127.40	302.13	40.00	42.17
27	4225	191.87	260.69	625.11	30.69	41.70
28	4711	6.26	19.78	47.80	13.09	41.37
29	2852	87.12	128.92	319.24	27.29	40.38
	कुल	4,645.47	6,056.57	13,170.00	35.27	45.99

परिशिष्ट 3.9
सम्पूर्ण बजट प्रावधान की अनुपयोगिता एवं अभ्यर्पण
(संदर्भ: कंडिका 3.5.8)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	शीर्ष	आवंटन	व्यय	अभ्यर्पण	अभ्यर्पण (प्रतिशत में)	अभियुक्ति
1	2515- न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम (राज्य योजना)	0.05	0.00	0.05	100	पीआईयू का सुदृढीकरण (001-दिशा एवं प्रशासन)
2	2515- न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम (राज्य योजना)	0.05	0.00	0.05	100	जेएसआरआरडीए का सुदृढीकरण और उन्नयन
3	2515- राज्य प्रशिक्षण नीति के तहत कर्मचारी/अधिकारी का प्रशिक्षण (राज्य योजना)	0.05	0.00	0.05	100	003-प्रशिक्षण
4	2515- पी.एम;जी.एस.वाई के तहत जे.एस.आर.आर.डी.ए. को अनुदान सी.ए.एस.,राज्यांश)	240.00	0.00	240.00	100	पीएमजीएसवाई के तहत जेएसआरआरडीए को अनुदान (102-सामुदायिक विकास)
5	2515- पी.एम;जी.एस.वाई के तहत जे.एस.आर.आर.डी.ए. को अनुदान सी.ए.एस.,राज्यांश)	160.00	0.00	160.00	100	पीएमजीएसवाई के तहत जेएसआरआरडीए को अनुदान (102-सामुदायिक विकास)
6	2515- पी.एम;जी.एस.वाई के तहत जे.एस.आर.आर.डी.ए. को अनुदान सी.ए.एस.,राज्यांश)	170.00	0.00	170.00	100	वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क परियोजनाएं (आरसीपीएलडब्ल्यूईए) 102-सामुदायिक विकास
7	2515- न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम (राज्य योजना)	0.05	0.00	0.05	100	पीआईयू का सुदृढीकरण (796-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना)
8	2515- न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम (राज्य योजना)	0.05	0.00	0.05	100	जेएसआरआरडीए का सुदृढीकरण और उन्नयन (796-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना)
9	2515- पी.एम;जी.एस.वाई के तहत जे.एस.आर.आर.डी.ए. को अनुदान सी.ए.एस.,केन्द्रांश)	360.00	0.00	360.00	100	पीएमजीएसवाई के तहत जेएसआरआरडीए को अनुदान (796-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना)
10	2515- पी.एम;जी.एस.वाई के तहत जे.एस.आर.आर.डी.ए. को अनुदान सी.ए.एस.,राज्यांश)	240.00	0.00	240.00	100	पीएमजीएसवाई के तहत जेएसआरआरडीए को अनुदान (796-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना)
11	2515- राज्य प्रशिक्षण नीति (राज्य योजना) के अन्तर्गत कर्मिक/अधिकारी का प्रशिक्षण	0.05	0.00	0.05	100	796-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना
12	2515- पी.एम;जी.एस.वाई के तहत जे.एस.आर.आर.डी.ए. को अनुदान सी.ए.एस.,केन्द्रांश)	180.00	0.00	180.00	100	वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क परियोजनाएं (आरसीपीएलडब्ल्यूईए) 796-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना
13	2515- पीएमजीएसवाई/ एमएमजीएसवाई (राज्य योजना) के तहत सड़कों को जोड़ने के लिए एमएनपी भूमि अधिग्रहण	0.30	0.00	0.30	100	102- ग्रामीण विकास
14	2515- पीआईयू का एमएनपी सुदृढीकरण (राज्य योजना)	0.20	0.00	0.20	100	103- ग्रामीण विकास
15	2515- जेएसआरआरडीए का सुदृढीकरण	0.05	0.00	0.05	100	103- ग्रामीण विकास
16	2515- पीआईयू का एमएनपी सुदृढीकरण (राज्य योजना)	0.20	0.00	0.20	100	796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना
कुल		1,351.05	0.00	1,351.05	100	

परिशिष्ट 3.10
वित्तीय वर्ष के अंत में राशि का अभ्यर्पण
(संदर्भ: कंडिका: 3.5.9)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	जिला का नाम	कार्यालयों/प्रमण्डलों का नाम	कार्य/उप-शीर्षों की संख्या जिसमें अभ्यर्पण किया गया	आवंटन	व्यय	अभ्यर्पण	अभ्यर्पण की तिथि
1	राँची	अवर सचिव, ग्रा.वि.वि. (कार्य प्रमण्डल) का कार्यालय	11	15.35	2.12	13.23 (45 से 100%)	31.03.2022
		का. अभि., ग्रा.वि.वि. प्र. का कार्यालय	05	3.00	0.57	2.43 (73 से 100 %)	30.03.22
		का. अभि. ग्रा.कार्य. वि. का कार्यालय	02	0.70	0.30	0.40 (54 एवं 100%)	30.03.22
2	हजारीबाग	का. अभि., ग्रा.वि.वि. प्र. का कार्यालय	04	11.89	6.24	5.65 (49 से 100%)	31.03.22
		का. अभि., रा.ग्रा.नि.यो. का कार्यालय	01	0.65	0.10	0.55 (85%)	31.03.22
3	गिरिडीह	का. अभि., ग्रा.वि.वि. प्र. का कार्यालय	04	0.82	0.06	0.76 (58 से 100%)	31.03.22
4	धनबाद	का. अभि., ग्रा.वि.वि. प्र. का कार्यालय	02	2.60	1.12	1.48 (55 एवं 85%)	31.03.22
		का. अभि. ग्रा.कार्य. वि. का कार्यालय	01	1.25	0.64	0.61 (49%)	31.03.22
		का. अभि., रा.ग्रा.नि.यो. का कार्यालय	03	80.68	34.90	45.78 (57 से 100%)	31.03.22
5	सरायकेला	का. अभि., ग्रा.वि.वि. प्र. का कार्यालय	09	14.40	4.02	10.38 (43 से 100%)	30.03.22
		का. अभि., रा.ग्रा.नि.यो. का कार्यालय	01	65.00	26.21	38.79 (60%)	08.03.22 & 31.03.22
6	चतरा	का. अभि., ग्रा.वि.वि. प्र. का कार्यालय	03	0.85	0.24	0.61 (43 से 100%)	29.03.2022
		का. अभि., रा.ग्रा.नि.यो. का कार्यालय	01	0.03	0.00	0.03 (100%)	28.03.2022
7	दुमका	का. अभि., ग्रा.वि.वि. प्र. का कार्यालय	02	3.55	1.65	1.90 (49 एवं 100%)	31.03.22
		का. अभि. ग्रा.कार्य. वि. का कार्यालय	03	1.55	0.11	1.44 (83 से 100 %)	31.03.22
		का. अभि., रा.ग्रा.नि.यो. का कार्यालय	02	65.04	27.29	37.75 (58 एवं 100%)	30.03.22
8	गोड्डा	का. अभि., ग्रा.वि.वि. प्र. का कार्यालय	03	3.15	1.28	1.87 (56 से 100%)	31.03.2022
		का. अभि. ग्रा.कार्य. वि. का कार्यालय	02	1.20	0.47	0.73 (48 एवं 100%)	31.03.2022
		का. अभि., रा.ग्रा.नि.यो. का कार्यालय	01	0.03	0.00	0.03 (100%)	31.03.2022
कुल			60	271.74	107.32	164.42 (61%)	

परिशिष्ट 3.11
व्यय का वेग (ग्रामीण विकास विभाग)
(संदर्भ: कंडिका 3.5.10)

(₹ लाख में)

जिला का नाम	सचिवालय/ प्रमंडल कार्यालय	लेखे शीर्ष/ उप-शीर्ष की संख्या	कुल व्यय	मार्च में व्यय	मार्च में व्यय की प्रतिशतता	
राँची	राज्य (सरकार पक्ष)	4515-00-796-10	10,049.07	4,891.58	49	
		4515-00-103-10	9,026.48	4,566.12	51	
		4515-00-796-36	140.60	115.69	82	
		4515-00-103-36	116.00	96.08	83	
कुल			19,332.15	9,669.47		
राँची	अवर सचिव का कार्यालय ग्रामीण विकास विभाग (निर्माण संभाग), राँची	05	15.96	5.85	30 से 100	
	का. अ. का कार्यालय, ग्रा.वि.वि.प्र.	06	6.13	3.02	35 से 100	
	का. अ. का कार्यालय, ग्रा. का. वि.	05	853.59	511.27	32 से 100	
	निदेशक का कार्यालय, रा. ग्रा. नि. का.	01	0.15	0.15	100	
गिरिडीह	का. अ. का कार्यालय, ग्रा.वि.वि.प्र.	06	12.39	8.76	52 से 100	
	का. अ. का कार्यालय, ग्रा. का. वि.	04	3,265.05	1,016.12	32 से 100	
	का. अ. का कार्यालय, रा. ग्रा. नि. का.	02	39.48	17.40	44 एवं 77	
हजारीबाग	का. अ. का कार्यालय, ग्रा.वि.वि.प्र.	03	6.99	2.80	35 से 54	
	का. अ. का कार्यालय, ग्रा. का. वि.	05	3,268.03	1,016.95	39 से 100	
धनबाद	का. अ. का कार्यालय, ग्रा.वि.वि.प्र.	04	5.21	3.24	42 से 81	
	का. अ. का कार्यालय, ग्रा. का. वि.	04	1,927.61	1,051.19	45 से 100	
सरायकेला-खरसांवा	का. अ. का कार्यालय, ग्रा.वि.वि.प्र.	03	1.74	1.19	44 से 100	
	का. अ. का कार्यालय, ग्रा. का. वि.	03	1.24	0.86	46 से 100	
	निदेशक का कार्यालय, रा. ग्रा. नि. का.	02	0.58	0.44	74 एवं 100	
चतरा	का. अ. का कार्यालय, ग्रा.वि.वि.प्र.	03	2.28	2.29	37 से 100	
	का. अ. का कार्यालय, ग्रा. का. वि.	04	807.80	411.13	36 से 59	
	निदेशक का कार्यालय, रा. ग्रा. नि. का.	01	0.65	0.50	77	
दुमका	का. अ. का कार्यालय, ग्रा.वि.वि.प्र.	03	5.57	2.77	39 से 72	
	का. अ. का कार्यालय, ग्रा. का. वि.	02	1.27	0.51	39 एवं 100	
	निदेशक का कार्यालय, रा. ग्रा. नि. का.	01	0.55	0.50	91	
गोड्डा	का. अ. का कार्यालय, ग्रा.वि.वि.प्र.	03	5.57	2.77	37 से 72	
	का. अ. का कार्यालय, ग्रा. का. वि.	02	1.27	0.51	39 एवं 100	
	निदेशक का कार्यालय, रा. ग्रा. नि. का.	01	0.55	0.50	91	
कुल			73	10,229.66	4,060.72	40

परिशिष्ट 3.12
वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन अभ्यर्पण
(संदर्भ: कंडिका 3.6.8)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	शीर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	शेष राशि	अभ्यर्पित राशि
1	2245-01 (सुखा)	145.06	0	145.06	145.06
2	2245-02 (बाढ़, चक्रवात आदि.)	103.45	8.42	95.03	95.03
3	2245-80- सामान्य (वित्त आयोग के अनुशंसा के आधार पर क्षमता सम्वर्धन)	21.09	0.74	20.35	20.35
4	2245-80 (सामान्य)	511.70	349.64	162.06	162.06
5	2245-05 (रा.आ.रा.को.)	719.20	605.60	113.60	113.60
6	2245-21 (सेन्डाई फ्रेमवर्क)	0.20	0	0.20	0.20
7	2245-22 (एस.डी.एम.ए. का सुदृढिकरण)	1.60	0	1.60	1.60
8	2245-23 (क्षमता सम्वर्धन)	0.02	0	0.02	0.02
9	2235-01-001-01	2.65	2.21	0.44	0.44
10	2235-01-001-02	6.26	0	6.26	6.26
11	2245-02-101-10	200.00	0	200.00	200.00
12	2245-80-796-19	0.11	0	0.11	0
	कुल	1711.34	966.61	744.73	744.62

परिशिष्ट 3.13

रोकड़ पंजी तथा बैंक खाता के बीच आकड़ों की भिन्नता का विवरण
(संदर्भ:कंडिका 3.6.10)

(₹ राशि में)

क्र.सं.	बैंक का नाम	शेष राशि (31 st मार्च 2021)	सामान्य रोकड़ पंजी (31 मार्च 2021 को समाप्ति के अनुसार)	सहायक रोकड़ पंजी (मुख्य शीर्ष 2245) (31 मार्च 2021 को समाप्ति के अनुसार)
1	बैंक ऑफ इंडिया	26,82,699.76	45,43,20,103.48	8,50,12,796.00
2	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	4,06,54,347.67		
3	बैंक ऑफ बडौदा	46,29,186.10		
4	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	1,65,36,747.41		
5	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	8,76,963.97		
6	यू.बी.आई.मोरहावादी	3,36,633.00		
7	यू.बी.आई.राँची	4,14,527.43		
8	आई.सी.आई.सी.आई.	44,69,898.00		
9	पी.एन.बी.	46,83,153.16		
	कुल	7,52,84,156.50		
	अग्रिम	9,45,78,206.01		
	अभिभ्रव	28,44,19,477.00		
	सिंगल लॉक	38,263.97		

परिशिष्ट 4.1
बकाया डी.सी. विपत्र
(संदर्भ: कंडिका 4.6.3)

(₹ राशि में)

क्र.सं.	वर्ष	कोषागार कोड	मुख्य शीर्ष	उप-शीर्ष	ए.सी.विपत्र तारीख	ए.सी.विपत्र राशि
1	2000-2001	PLM	2515	3	31-03-2001	1,908
2	2000-2001	PLM	2515	3	31-03-2001	5,500
3	2000-2001	PLM	2515	3	31-03-2001	9,000
4	2000-2001	GRH	2515	3	29-03-2001	5,000
5	2000-2001	GRH	2515	3	31-03-2001	59,850
6	2003-2004	JMT	2515	1	31-03-2004	7,80,000
7	2003-2004	SBJ	2515	1	31-03-2004	10,06,000
8	2003-2004	DM₹	2515	1	31-03-2004	23,00,000
9	2003-2004	HZB	2515	3	31-03-2004	18,00,000
10	2005-2006	DRN	2515	201	08-03-2006	50,00,000
11	2005-2006	GRH	2515	215	30-03-2005	24,50,000
12	2005-2006	JMT	2515	215	27-03-2006	8,10,160
13	2005-2006	JMT	2515	215	28-03-2006	16,89,840
14	2005-2006	JSR	2515	201	31-03-2006	3,20,000
15	2005-2006	SBJ	2515	201	31-03-2006	3,30,000
16	2005-2006	SDG	2515	201	30-03-2006	2,30,000
17	2005-2006	SDG	2515	215	27-03-2006	2,50,000
18	2005-2006	SGH	2515	201	31-03-2006	5,40,000
19	2005-2006	DM₹	2515	201	31-03-2006	3,60,000
20	2010-2011	DGR	2515	20	30-03-2011	30,00,000
21	2011-2012	PCB	4515	19	31-03-2012	10,00,00,000
22	2012-2013	PCB	4515	19	01-03-2013	14,00,00,000
23	2012-2013	PCB	4515	19	01-03-2013	3,50,00,000
24	2012-2013	PCB	4515	19	01-03-2013	17,50,00,000
25	2014-2015	PCB	4515	15	09-03-2015	50,00,000
26	2014-2015	PCB	4515	15	09-03-2015	50,00,000
कुल						48,09,47,258

परिशिष्ट 4.2

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम की धारा 14 एवं 15 के अधीन चिन्हित लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों की सूची

(संदर्भ: कंडिका 4.15)

क्र.सं.	विभाग	कार्यालय का नाम	जिला	तक लेखापरीक्षित
1.	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	बोकारो	2018-19
2.	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	चतरा	2018-19
3.	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	देवघर	2012-13
4.	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	धनबाद	2018-19
5.	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	दुमका	2013-14
6.	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर)	2014-15
7.	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	गढ़वा	2017-18
8.	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	गिरिडीह	2013-14
9.	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	गोड्डा	2015-16
10.	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	गुमला	2010-11
11.	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	हजारीबाग	2014-15
12.	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	जामताड़ा	2011-12
13.	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	खूँटी	2015-16
14.	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	कोडरमा	2013-14
15.	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	लातेहार	2015-16
16.	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	लोहरदगा	2013-14
17.	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	पाकुड़	2018-19
18.	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	पलामू	2013-14
19.	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	राँची	2011-12
20.	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	रामगढ़	2015-16
21.	स्वास्थ्य	झारखण्ड राज्य स्वास्थ्य मिशन सोसाइटी, नामकुम	राँची	2015-16
22.	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	सराइकेला खरसावाँ	2013-14
23.	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	सिमडेगा	2013-14
24.	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	(प. सिंहभूम) चाईबासा	2018-19
25.	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	साहेबगंज	2013-14
26.	शिक्षा	झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्, राँची	राँची	लेखापरीक्षित नहीं
27.	स्वास्थ्य	झारखण्ड एड्स नियंत्रण सोसाइटी, राँची	राँची	2020-21
28.	शिक्षा	नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट	नेतरहाट	2015-16
29.	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	देवघर	2015-16
30.	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	लातेहार	2014-15
31.	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	हजारीबाग	2015-16
32.	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	गिरिडीह	2016-17
33.	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	गढ़वा	2016-17
34.	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	राँची	2016-17
35.	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर)	2016-17
36.	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	रामगढ़	2015-16
37.	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	पश्चिमी सिंहभूम (चाईबासा)	2015-16
38.	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	सिमडेगा	2015-16
39.	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	कोडरमा	2015-16
40.	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	दुमका	2015-16
41.	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	गोड्डा	2016-17
42.	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	पाकुड़	2015-16

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष का राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र.सं.	विभाग	कार्यालय का नाम	जिला	तक लेखापरीक्षित
43.	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	सरायकेला	2015-16
44.	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	लोहरदगा	2015-16
45.	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	बोकारो	2011-12
46.	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	चतरा	2014-15
47.	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	धनबाद	2012-13
48.	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	गुमला	2016-17
49.	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	पलामू	2014-15
50.	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	साहेबगंज	2016-17
51.	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	जामताड़ा	2010-11
52.	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	खूँटी	2016-17
53.	शिक्षा (उ. एवं त.)	बिड़ला तकनीकी संस्थान, मेसरा, राँची	राँची	2016-17
54.	उड्डयन	नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, राँची	राँची	2016-17
55.	सूचना प्रौद्योगिकी	झारखण्ड एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ एप्लीकेशन (जैप-आई.टी.)	राँची	2013-14
56.	सूचना प्रौद्योगिकी	झारखण्ड अन्तरिक्ष क्रियान्वयन केंद्र, धुर्वा, राँची	राँची	2007-08
57.	सामाजिक कल्याण	झारखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राँची	राँची	2006-07
58.	आई.टी. एवं इ-गवर्नेंस	राज्य सूचना आयोग	राँची	2015-16
59.	उद्योग	औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, राँची	राँची	2015-16
60.	उद्योग	औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, बोकारो	बोकारो	2015-16
61.	उद्योग	औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, जमशेदपुर	जमशेदपुर	2015-16
62.	वन	लाख ट्रीटमेंट इकाई, लातेहार	लातेहार	2008-09
63.	कृषि	राष्ट्रीय बागवानी मिशन, राँची	राँची	2014-15
64.	शिक्षा (उ. एवं त.)	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, झारखण्ड सरकार	राँची	2015-16
65.	जैवप्रौद्योगिकी	वन में लाख की खेती, डोरंडा	राँची	2008-09
66.	पशुपालन	बेकन फैक्टरी, काँके, राँची	राँची	2009-10
66.	विधि	कानूनी सेवाएं समिति, उच्च न्यायालय, राँची	राँची	2008-09
67.	पर्यटन, कला संस्कृति एवं खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग	झारखण्ड राज्य धार्मिक ट्रस्ट परिषद,	राँची	लेखापरीक्षित नहीं
68.	वन	झारखण्ड जैव-विविधता बोर्ड/परिषद, डोरंडा, राँची	राँची	2016-17
69.	उद्योग	मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, राँची	राँची	2019-20
70.	स्वास्थ्य	निदेशक, आर.के.मिशन, टी.बी. सैनेटोरियम, तुपुदाना	राँची	2005-06
71.	शिक्षा	झारखण्ड महिला समाख्या सोसाइटी, कडरू, राँची	राँची	2005-06
72.	वन	कार्यकारी निदेशक, वेस्ट लैण्ड विकास बोर्ड, झारखण्ड	राँची	लेखापरीक्षित नहीं
73.	वन	वन विकास प्राधिकार	राँची	लेखापरीक्षित नहीं
74.	सूचना एवं जन संपर्क	सरकारी प्रेस	राँची	लेखापरीक्षित नहीं

स्रोत: महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के कार्यालय में अनुरक्षित स्थायी लेखापरीक्षा कार्यक्रम रजिस्टर

परिशिष्ट 5.1

2021-22 के दौरान सी.ए.जी. लेखापरीक्षा के दायरे में आने वाली सरकारी कंपनियों/सरकारी नियंत्रित अन्य कंपनियों की सूची
(संदर्भ: कंडिका 5.4)

क्र. सं.	सा. क्षे. उपक्रम. का नाम	पंजीकरण/निगमन की तारीख	लेखा तैयार किया गया	लेखापरीक्षा पूरी की गई
उर्जा (कार्यात्मक)				
1	झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जे.बी.वी.एन.एल)	23.10.2013	2020-21	2020-21
2	झारखण्ड उर्जा संचरण निगम लिमिटेड (जे.यू.एस.एन.एल)	23.10.2013	2019-20	2019-20
3	झारखण्ड उर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड (जे.यू.यू.एन.एल)	23.10.2013	2020-21	2020-21
उर्जा (गैर-कार्यात्मक)				
4	झारखण्ड कोलियरी लिमिटेड (गैर-कार्य) (जे.सी.एल.)	18.06.2009	2020-21	2020-21
5	पतरातु उर्जा लिमिटेड (गैर-कार्य) (पी.ई.एल)	26.10.2012	2021-22	2020-21
6	कर्णपुरा उर्जा लिमिटेड (गैर-कार्य) (के.ई.एल)	19.09.2008	2020-21	2020-21
गैर - उर्जा (कार्यात्मक)				
1	झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	13.03.2002	2021-22	2021-22
2	ग्रेटर राँची डेवलपमेंट एजेन्सी लिमिटेड	10.01.2003	2020-21	2020-21
3	झारखण्ड इंडिस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	15.12.2004	2019-20	2018-19
4	झारखण्ड रेशम वस्त्र एवं हस्तशिल्प विकास निगम लिमिटेड	23.08.2006	2020-21	2019-20
5	झारखण्ड अरबन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड	19.11.2013	2019-20	2019-20
6	झारखण्ड प्लास्टिक पार्क लिमिटेड	27.09.2016	2019-20	2019-20
7	झारखण्ड रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	06.07.2018	2020-21	2020-21
8	झारखण्ड चिकित्सा एवं स्वास्थ्य आधारभूत संरचना खरीद विकास निगम लिमिटेड	24.05.2013	2019-20	2019-20
9	झारखण्ड राज्य कृषि विकास निगम लिमिटेड	20.01.2016	2019-20	2019-20
10	राँची स्मार्ट सिटी निगम लिमिटेड*	30.09.2016	2020-21	2020-21

* 2020-21 से ऑडिट का जिम्मा दिया गया

परिशिष्ट 5.2

क्रियाशील सा.क्षे.उ. के तीन वर्षों से अधिक के बकाया लेखे/पहले लेखाओं की अप्राप्ती/अदेय का विवरण
(संदर्भ: कंडिका 5.4)

क्र.सं.	एस.पी.एस.ई. का नाम		नवीनतम पूर्ण लेखा की अवधि
सरकारी कम्पनी			
उर्जा			
1	झारखण्ड उर्जा विकास निगम लिमिटेड	16.09.2013	2015-16
2	तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड	26.11.1987	2015-16
गैर-उर्जा			
3	झारखण्ड पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	22.03.2002	2009-10
4	झारखण्ड राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम लिमिटेड	15.03.2012	2015-16
5	झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड	07.05.2002	2015-16
6	झारखण्ड राज्य बेवरेज कारपोरेशन लिमिटेड	26.11.2010	2015-16
7	झारखण्ड पहाड़ी क्षेत्र लिफ्ट सिंचाई निगम लिमिटेड	22.03.2002	2016-17
8	झारखण्ड राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	27.03.2002	2017-18
9	झारखण्ड संचार नेटवर्क लिमिटेड*	28.01.2017	2018-19
10	झारखण्ड शहरी परिवहन कारपोरेशन लिमिटेड	20.09.2016	2017-18
11	झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड	05.12.2015	2018-19
12	झारखण्ड फिल्म विकास निगम लिमिटेड	07.09.2016	2018-19
13	आदित्यपुर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैचरिंग क्लस्टर लिमिटेड	17.11.2016	2018-19
14	झारखण्ड राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	18.06.2010	गठन के समय से लंबित
15	अटल बिहारी वाजपेयी नवाचार प्रयोगशाला	26.12.2018	

* पी.एस.ई., जिन्होंने अपने पहला लेखा/जमा/अंतिम रूप नहीं दिया है।

प्रतिवेदन में प्रयुक्त शब्दावलियों की सूची, गणनाओं का आधार और परिवर्णी शब्द

शब्दावली	गणना का आधार एवं व्याख्यान
वृद्धि की दर (वृ.द.)	$[(\text{वर्तमान वर्ष की राशि/गत वर्ष की राशि})-1]*100$
विकास व्यय	सामाजिक सेवाएँ+आर्थिक सेवाएँ
राज्य द्वारा भुगतान किया गया औसत ब्याज	$\text{ब्याज भुगतान}/[(\text{पूर्व वर्ष के राजकोषीय दायित्व की राशि}+\text{वर्तमान वर्ष का राजकोषीय दायित्व}/2)*100$
ब्याज विस्तार	स.रा.घ.उ. वृद्धि - औसत ब्याज दर
क्वांटम विस्तार	ऋण स्टॉक * ब्याज विस्तार
बकाया ऋणों पर प्राप्त ब्याज प्रतिशत के रूप में	$\text{प्राप्त ब्याज} / [(\text{आरंभिक शेष} + \text{ऋण एवं अग्रिम का अंतशेष})/2]*100$
राजस्व घाटा	राजस्व प्रप्ति - राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय + पूँजीगत व्यय + निवल ऋण एवं अग्रिम - राजस्व प्राप्तियाँ - विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ
प्राथमिक घाटा	राजकोषीय घाटा - ब्याज भुगतान
ऋण धारणीयता	ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात को एक समयावधि तक स्थिर रखने की राज्य की क्षमता को ऋण धारणीयता के रूप में परिभाषित किया जाता है और इसमें अपने ऋण निष्पादन की क्षमता विषयक मामला सन्निहित होता है। अतः चालू या प्रतिबद्ध दायित्व के निर्वहन हेतु तरल परिसंपत्तियों की पर्याप्तता और अतिरिक्त देनदारियों की लागत तथा उन देनदारियों के प्रतिफल के मध्य संतुलन बनाये रखने की क्षमता भी ऋण की धारणीयता को संदर्भित करता है। इसका अर्थ है कि राजकोषीय घाटा में वृद्धि ऋण निष्पादन की क्षमता में वृद्धि से के अनुरूप होना चाहिए।
ऋण स्थिरीकरण	ऋण स्थिरता का अनिवार्य शर्त है कि यदि अर्थव्यवस्था के वृद्धि की दर ब्याज दर या लोक उधार की लागत से अधिक हो, तो ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात के स्थिर रहने की संभावना है बशर्ते प्राथमिक शेष या तो शून्य या धनात्मक हो या मामूली ऋणात्मक हो। दर विस्तार (स.रा.घ.उ. वृद्धि दर-ब्याज दर) और मात्रा विस्तार (ऋण गुणा दर विस्तार) उल्लिखित रहने पर, ऋण स्थिरीकरण की स्थिति बताती है कि यदि मात्रा विस्तार प्राथमिक विस्तार सहित शून्य हो तो ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात स्थिर होगा या ऋण अंततः दृढ़ हो जायेगा। दूसरी ओर, यदि प्राथमिक विस्तार मात्रा विस्तार सहित ऋणात्मक हो जाता है, तो ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात बढ़ता रहेगा और यदि धनात्मक हो, तो ऋण स.रा.घ.उ. अनुपात अंततः गिरेगा।

शब्दावली	गणना का आधार एवं व्याख्यान
उधार निधियों की सकल उपलब्धता	कुल ऋण प्राप्तियों से ऋण मोचन (मूलधन + ब्याज भुगतान) के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है और उधार निधियों की सकल उपलब्धता को दर्शाते हुए ऋण मोचन में ऋण प्राप्तियों के उपयोग की गयी सीमा को इंगित करता है।
विनियोग लेखे	विनियोग लेखे विधान सभा द्वारा प्राधिकृत बजट अनुदानों में प्रत्येक दत्तमत अनुदानों और भारत विनियोग के अधीन निधियों की कुल राशि (मूल व अनुपूरक) के सापेक्ष प्रत्येक के विरुद्ध वहन किया गया वास्तविक व्यय और प्रत्येक अनुदान या विनियोजन के अधीन खर्च न किए गए प्रावधान या आधिक्य प्रस्तुत करते हैं। अनुदानों से अधिक किसी भी व्यय का विधानमंडल द्वारा विनियमन आवश्यक है।
स्वायत्त निकाय	स्वायत्त निकाय (सामान्यतः निर्बंधित सोसायटियाँ या वैधानिक निगम) तब स्थापित किये जाते हैं जब यह अनुभव किया जाता है कि नियत कार्यों का निर्वहन शासकीय स्थापना के बाहर कुछ मात्रा में स्वतंत्रता और लचीलेपन सहित सरकारी मशीनरी के दिन-प्रतिदिन हस्तक्षेप के बिना करने की आवश्यकता है।
प्रतिबद्ध व्यय	राजस्व लेखे पर राज्य सरकार के प्रतिबद्ध व्यय में मुख्यतः ब्याज भुगतान, वेतन व मजदूरी पर व्यय, पेंशन एवं सव्मिडी जिन पर वर्तमान कार्यपालिका का सीमित नियंत्रण है सम्मिलित होते हैं।
राज्य कार्यान्वयन योजना	राज्य कार्यान्वयन अभिकरण में गैर-सरकारी संगठन जो राज्य सरकार द्वारा राज्य में विशिष्ट कार्यक्रमों यथा सर्व शिक्षा अभियान हेतु राज्य कार्यान्वयन सोसायटी और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन इत्यादि को कार्यान्वित करने के लिए भारत सरकार से निधि प्राप्त करने हेतु प्राधिकृत है सहित कोई संगठन/संस्थान सम्मिलित होते हैं।
आकस्मिकता निधि	विधानमंडल ने विधि द्वारा अग्रदाय के रूप में एक आकस्मिकता निधि स्थापित किया है जिसमें समय समय पर ऐसी राशि, जैसा विधि द्वारा तय किया जाये, डाली जाती है और उक्त निधि को अनपेक्षित व्यय की पूर्ति हेतु निधि से अग्रिम देने के लिए राज्यपाल के नियंत्रण में रखा जाता है, ऐसा व्यय संविधान के अनुच्छेद 115 या 116 के अंतर्गत विधि द्वारा विधानमंडल से स्वीकृति के लिए लंबित होता है।
राज्य की समेकित निधि	भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अंतर्गत गठित किया गया है जिसमें सभी प्राप्तियाँ राजस्व एवं ऋण प्रवाह सभी समेकित निधि से सभी दत्तमत एवं भारत सभी व्यय विनियोग द्वारा होता है। इसके दो प्रमुख भाग हैं जिनके नाम राजस्व लेखे (राजस्व प्राप्तियाँ एवं राजस्व व्यय) एवं पूंजीगत लेखा (लोक ऋण एवं उधार इत्यादि), शामिल है।
आकस्मिक देयता	आकस्मिक देयता को अलग एवं स्वतंत्र इकाई के रूप में व्यय किया या नहीं भी किया जा सकता है यह भविष्य के घटना के परिणाम पर निर्भर करता है जैसे कोर्ट केस।
शोधन निधि	एक निधि जिसमें सरकार कुछ समय से ऊपर तक अपने ऋण से मुक्ति के लिए अलग रख दिया जाता है।

शब्दावली	गणना का आधार एवं व्याख्यान
गारंटी विमोचन निधि	गारंटियाँ ऋण लेनेवालों, जिन्हें गारंटी दी गयी है, के द्वारा चूकों की स्थिति में राज्य की संचित निधि पर आकस्मिक दायित्व होती हैं। गारंटी विमोचन निधि की शर्तों के अनुसार, राज्य सरकार को वर्ष के दौरान बकाया अवलंबित गारंटियों के कम से कम 1/5वें भाग के बराबर की राशि तथा वृद्धिशील गारंटियों के कारण संभाव्य अवलंबित राशि का योगदान करना होता है।
आंतरिक ऋण	आंतरिक ऋण में भारत के लोगों से लिया गया नियमित ऋण सम्मिलित होता है जिसे 'भारत में उदयाहित ऋण' भी कहा जाता है। यह समेकित निधि में जमा ऋण तक ही सीमित है।
प्राथमिक राजस्व व्यय	प्राथमिक राजस्व व्यय का अर्थ है ब्याज भुगतान को छोड़कर राजस्व व्यय।
पुनर्विनियोग	अर्थात् विनियोग के एक प्राथमिक इकाई से इसी प्रकार की अन्य इकाई में निधियों का अंतरण।
अव्ययित प्रावधानों का प्रत्यर्पण	वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व राज्य सरकार के विभागों को उनके द्वारा नियंत्रित अनुदानों एवं विनियोगों में अवलोकित सभी पूर्वानुमानित अव्ययित प्रावधानों को वित्त मंत्रालय को प्रत्यर्पित करना होता है।
पूरक अनुदान	संविधान के अनुच्छेद 114 के प्रावधानों के अनुसार बनायी गयी किसी विधि द्वारा प्राधिकृत राशि जिसे वर्तमान वित्तीय वर्ष में किसी विशेष सेवा के लिए व्यय किया जाना है यदि उस वर्ष के उद्देश्य हेतु अपर्याप्त पाया जाता है या जब वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान किसी 'नयी सेवा', जो उस वर्ष के मूल बजट में नहीं रखा गया हो, पर पूरक या अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता उत्पन्न होती है तो सरकार को संविधान के अनुच्छेद 115(1) के प्रावधानों के अनुसार पूरक अनुदान या विनियोग प्राप्त करना है।
उचंत एवं विविध	प्राप्तियाँ एवं भुगतान की मद्दे जिन्हें उनकी प्रकृति संबंधी सूचना के अभाव या किन्हीं अन्य कारणों से प्राप्ति या प्रभार के अंतिम शीर्ष में तुरंत नहीं लिया जा सकता है, अस्थायी रूप से लेखाओं के "एल. उचंत एवं विविध" क्षेत्र में मुख्य शीर्ष "8658-उचंत लेखा" के अधीन रखा जा सकता है (अतिरिक्त मार्गदर्शन के लिए लेखाओं के मुख्य/लघु शीर्ष की सूची में मुख्य शीर्ष के अधीन फुटनोट देखा जा सकता है)। सेवा प्राप्ति जिसका पूर्ण विवरण नहीं दिया गया हो को "उचंत लेखा" शीर्ष में नहीं लिया जाना चाहिए बल्कि राजस्व मुख्य शीर्ष के अधीन उस लघु शीर्ष "अन्य प्राप्तियाँ" जिससे यह संबंधित प्रतीत होता हो में क्रेडिट किया जाना चाहिए जो विस्तृत विवरण की प्राप्ति पर अंततः उचित शीर्ष में जमा करने तक लंबित रहेगा।
लोक लेखा समिति	राज्य के विनियोग लेखे, राज्य की वार्षिक वित्तीय विवरणियाँ या इसी प्रकार के अन्य लेखे या वित्तीय मामलों से संबंधित भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन या समिति स्वयं जिनकी जाँच आवश्यक समझे के परीक्षण के लिए विधान सभा द्वारा गठित एक समिति।

परिवर्णी शब्द	पूरा नाम
ए.सी. विपत्र	संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र
ए.ई.	समस्त व्यय
बी.ई.	बजट प्राक्कलन
सी.ए.जी.	भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
सी.ई.	पूँजीगत व्यय
डी.सी. बिल	विस्तृत आकस्मिक व्यय
डी.ई.	विकासात्मक व्यय
जी.ओ.आई.	भारत सरकार
स.रा.घ.उ.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद
एफ.आर.बी.एम.	बजट प्रबंधन एवं राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियम, 2005
ओ. एण्ड एम.	प्रचालन एवं अनुरक्षण
पी.ए.सी.	लोक लेखा समिति
आर.ई.	राजस्व व्यय
आर.आर.	राजस्व प्राप्तियाँ
एस. एण्ड डब्ल्यू	वेतन और मजदूरी
एस.एस.ई.	सामाजिक क्षेत्रगत व्यय
टी.ई.	कुल व्यय
चौ.वि.आ.	चौदहवाँ वित्त आयोग
यू.सी.	उपयोगिता प्रमाण-पत्र
वी.ए.टी.	मूल्य वृद्धि कर

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
<https://cag.gov.in>

<https://cag.gov.in/ag/jharkhand/hi>